प्रधान कार्यालय
तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद - 500 004
भारत
फोन : +91-40-2338 1100 / 1300
फैक्स : +91-40-6682 3334

Head Office
3rd Floor, Parishram Bhavan,
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334

दिल्ली कार्यालय
गेट सं. 3, प्रथम तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
भारत
फोन : +91-11-2374 7648
फैक्स : +91-11-2374 7650

Delhi Office
Gate No. 3, 1st Floor, Jeevan Tara
Parliament Street, New Delhi - 110 001
Phone : +91-11-2374 7648
Fax : +91-11-2374 7650

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15
ANNUAL REPORT 2014-15

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2014-15

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय
तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद - 500 004
भारत
फोन : +91-40-2338 1100 / 1300
फैक्स : +91-40-6682 3334

दिल्ली कार्यालय
गेट सं. 3, प्रथम तल, जीवन तारा,
संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
भारत
फोन : +91-11-2374 7648
फैक्स : +91-11-2374 7650

वेबसाईट :www.irda.gov.in
ई.मेल : irda@irda.gov.in

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/5/आर&डी/एसडी/एआर-2014-15/31/नवंबर-15 6 नवंबर, 2015

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली – 110 001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,
(टी.एस. विजयन)
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/5/R&D/SD/AR-2014-15/31/Nov-15 6th November, 2015

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2015 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

(T.S. Vijayan)
Chairman

परिश्रम भवन, तीसरा तल, बशीरबाग, हैदराबाद-500 004. भारत
दू : 91-040-2338 1100, फैक्स: 91-040-6682 3334
ई-मेल: irda@irda.gov.in वेब: www.irda.gov.in

Parisharam Bhavan, 3rd Floor, Basheer Bagh, Hyderabad-500 004. India.
Ph.: 91-040-2338 1100, Fax: 91-040-6682 3334
E-mail : irda@irda.gov.in Web.: www.irda.gov.in

विषय सूची

लक्ष्य कथन

आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्य

आईआरडीएआई वरिष्ठ अधिकारियों

भाग–I

नीतियाँ एवं कार्यक्रम

पृष्ठ सं..

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश 1

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य 4

I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन 8

I.4 समीक्षा 28

I.4.1 पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा 28

I.4.2 बीमाकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता का रखरखाव 35

I.4.3 पुनर्बीमा का अनुप्रवर्तन 36

I.4.4 बीमा पूल 37

I.4.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेशों का अनुप्रवर्तन 42

I.4.6 स्वास्थ्य बीमा व्यापार 45

I.4.7 ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में व्यापार 57

I.4.8 वित्तीय प्रतिवेदन और बीमांकिक मानक 60

I.4.9 काला धन शोधन विरोधी / आतंकवाद का प्रति वित्तीय कार्यक्रम 61

I.4.10 फसल बीमा 63

I.4.11 सूक्ष्म बीमा 66

I.4.12 प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश और विनियम 70

I.4.13 सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005 70

भाग–II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन 71

II.2 बीमा व्यवसाय के संबद्ध मध्यवर्ती 73

II.3 बीमा संबंधी शिक्षा से सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थान 81

II.4 मुकदमें, याचनाएं और अदालती निर्णय 82

II.5 बीमा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 84

II.6 जनता की शिकायतें 89

II.7 बीमा संघ और बीमा परिषदें 92

II.8 लोकपालों की कार्य पद्धति 97

भाग–III

पृष्ठ सं..

प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III.1	आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना, नवीकृत, आशोधित, प्रत्याहरित, लंबित अथवा ऐसे पंजीकरण को निरस्त करना	.....	99
III.2	पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा संबंधी दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य और बीमे की संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	.....	100
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण का निर्धारण	.....	101
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए विनियामक रूपरेखा विनिर्दिष्ट करना	.....	103
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्य कुशलता का संवर्धन	.....	104
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ सम्बद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन	.....	106
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य प्रभार	.....	107
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा व्यवसाय के साथ सम्बद्ध अन्य संस्थाओं से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच संचालित करना तथा लेखा परीक्षा सहित अन्वेषण करना	.....	107
III.9	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित न किये जाने वाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली दरों, लाभों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन	.....	109
III.10	वह रूप और विधि विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा–बहियां रखी जाएंगी और लेखा–विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे	.....	109
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	.....	109
III.12	ऋण शोधन क्षमता सीमा बनाए रखने को विनियमित करना	.....	110
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन	.....	110
III.14	प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी) के कार्यचालन का पर्यवेक्षण	.....	110
III.15	पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन हेतु योजनाओं के आर्थिक प्रबंधन करने के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना	.....	111
III.16	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना	.....	111

भाग–IV
संगठनात्मक मामले

पृष्ठ सं..

IV.1 संगठन 113
IV.2 प्राधिकरण की बैठकें 113
IV.3 मानव संसाधन 113
IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति 114
IV.5 राजभाषा को बढ़ावा देना 114
IV.6 अनुसंधान और विकास 115
IV.7 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति 115
IV.8 लेखा 116
IV.9 भाबीविविप्रा जर्नल 116
IV.10 आभार 117

बॉक्स मदों की सूची

1. व्यवसाय के वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा 50
2. बीमा विपणन फर्म 76
3. सर्वेयर्स और हानि निर्धारक 79
4. बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 82

पाठ तालिका

I.1 राष्ट्रीय आय 1
I.2 राष्ट्रीय आय की क्षेत्रानुसार वृद्धि 2
I.3 सकल बचतें (जीएनडीआई के अनुपात में) 3
I.4 2014 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर 4
I.5 क्षेत्रानुसार जीवन और गैर–जीवन बीमा प्रीमियम 5
I.6 भारत में बीमा अंतःप्रवेशन और घनत्व 7
I.7 भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता 8
I.8 जोखिम अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता 9
I.9 बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता 10
I.10 जारी की गईं नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता 11
I.11 प्रदत्त पूंजी : जीवन बीमाकर्ता 11
I.12 कमीशन व्यय : जीवन बीमाकर्ता 12
I.13 कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता 12

		पृष्ठ सं..
I.14	परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता	13
I.15	परिचालन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता	13
I.16	2014–15 के दौरान व्यक्तिगत मृत्यु पर जीवन बीमाकर्ताओं के दावे	14
I.17	2014–15 के दौरान समूह मृत्यु पर जीवन बीमाकर्ताओं के दावे	14
I.18	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लाभांश भुगतान	16
I.19	जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	16
I.20	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण जीवन कार्यालयों की संख्या	17
I.21	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय : गैर–जीवन बीमाकर्ता	18
I.22	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय : गैर–जीवन बीमाकर्ता	19
I.23	गैर–जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम (भारत में) – घटक के अनुसार	20
I.24	कुल प्रीमियम में भारत से बाहर के प्रीमियम का अनुपात	21
I.25	भारत के बाहर हुए व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) : गैर–जीवन बीमाकर्ता	21
I.26	जारी नई पॉलिसियों की संख्या : गैर–जीवन बीमाकर्ता	22
I.27	प्रदत्त पूंजी : गैर जीवन बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमाकर्ता	22
I.28	जोखिम अंकन अनुभव : गैर–जीवन बीमाकर्ता	23
I.29	कमीशन व्यय : गैर–जीवन बीमाकर्ता	23
I.30	परिचालन व्यय : गैर–जीवन बीमाकर्ता	23
I.31	वहन किए गए निवल दावे : गैर जीवन बीमाकर्ता	24
I.32	वहन किए निवल दावों का अनुपात : गैर जीवन बीमाकर्ता	25
I.33	निवेश आय : गैर जीवन बीमाकर्ता	25
I.34	निवल लाभ/हानियाँ : गैर जीवन बीमाकर्ता	26
I.35	प्रदत्त लाभांश : गैर–जीवन बीमाकर्ता	26
I.36	गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	26
I.37	गैर जीवन कार्यालयों की संख्या	27
I.38	निवल प्रतिधारण (जीआईसी) 2014–15	35
I.39	भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल में सदस्यों का अंश	39
I.40	भारतीय व्यवसाय पर भारत के बाहर अर्पित पुनर्बीमा (जीआईसी छोड़कर)	40
I.41	भारत में सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत में और भारत के बाहर किया गया पुनर्बीमा (जीआईसी छोड़कर)	40
I.42	सकल सीधे प्रीमियम (जीआईसी छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम	40

		पृष्ठ सं..
I.43	गैर जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के अंतर्गत पुनर्बीमा (जीआईसी सहित)	41
I.44	वर्ष 2014–15 के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल	41
I.45	बीमा क्षेत्र के कुल निवेश	42
I.46	जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : साधनानुसार	43
I.47	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि अनुसार	43
I.48	निवेशों की वृद्धि : निधि अनुसार	44
I.49	गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : साधनानुसार	44
I.50	पिछले पांच वर्षों के तुलना में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति	45
I.51	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण	46
I.52	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	48
I.53	स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल खर्च अनुपात	48
I.54	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यापार अंतर्गत कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	49
I.55	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति	49
I.56	विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति	49
I.57	विदेश यात्रा बीमा सकल प्रीमियम में प्रवृत्ति	51
I.58	वित्त वर्ष 2014–15 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 5 राज्यों का हिस्सा	52
I.59	वितरण के विभिन्न चैनलों का शेयर – वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि	52
I.60	टीपीए के माध्यम से संभाले गए दावों का विवरण	54
I.61	बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावे	54
I.62	बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावे	55
I.63	टीपीए के माध्यम से संभाले गए दावों का विवरण	55
I.64	बीमाकर्ता आंतरिक द्वारा संभाले गए दावे	56
I.65	बीमाकर्ताओं (दोनों टीपीए और आंतरिक के माध्यम से) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावे	56
I.66	टीपीए के नाम जिनका 2014–15 के दौरान नवीकरण पंजीयन था	57
I.67	टीपीए – 2014–15 के लिए दावों के आंकड़े	58
I.68	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टीपीए संरचनात्मक ढांचा	59
I.69	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)	63
I.70	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)	64
I.71	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)	65

		पृष्ठ सं..
I.72	नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)	66
I.73	2014–15 के लिए सूक्ष्म बीमा संविभाग के तहत नया व्यवसाय	67
I.74	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण – 2014–15	68
I.75	सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत व्यक्तिगत मृत्यु दावे – 2014–15	68
I.76	सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत समूह मृत्यु दावे – 2014–15	69
I.77	सूक्ष्म बीमा मृत्यु दावों का अवधि वार निपटान – व्यक्तिगत वर्ग – 2014–15	69
I.78	सूक्ष्म बीमा मृत्यु दावों का अवधि वार निपटान – समूह वर्ग – 2014–15	69
I.79	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची	70
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण 2014–15	73
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं के निगमित एजेंटों का विवरण 2014–15	73
II.3	2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत नए व्यवसाय का निष्पादन – चैनलवार	74
II.4	2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक नए व्यवसाय का निष्पादन – चैनलवार	76
II.5	2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत और सामूहिक) – चैनलवार	77
II.6	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी लाइसेंस	78
II.7	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें	80
II.8	बीमा दलालों की राज्यवार सूची 31.03.2015 को स्थिति	80
II.9	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहकों की सूची	81
II.10	अवधि 2014–15 के लिए दायर किये गये मामलों का विवरण	82
II.11	अवधि 2014–15 के लिए निस्तारित/खारिज किये गये मामलों का विवरण	84
II.12	2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति – जीवन बीमाकर्ता	89
II.13	2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति – गैर–जीवन बीमाकर्ता	91
II.14	लोकपाल द्वारा 2014–15 में शिकायतों का निपटान	98
III.1	प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत इंश्योरेंस रिपॉजिटरी	105

तालिका

I.1	जीडीपी में क्षेत्रों के अंश	3
I.2	चयनित देशों में बीमा अंतःप्रवेशन – 2014	5
I.3	चयनित देशों में बीमा घनत्व – 2014	6
I.4	भारत में बीमा अंतःप्रवेशन	8
I.5	भारत में बीमा घनत्व	8

		पृष्ठ सं..
I.6	जीवन बीमाकर्ता प्रीमियम का प्रथम वर्ष	9
I.7	जीवन बीमाकर्ता का कुल प्रीमियम	9
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं की कुल प्रीमियम – 5 साल	10
I.9	लंबित दावों का अवधि वार विवरण – समूह पॉलिसियां	15
I.10	लंबित दावों का अवधि वार विवरण – व्यक्तिगत पॉलिसियां	15
I.11	जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	17
I.12	कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – निजी क्षेत्र	17
I.13	कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – एलआईसी	17
I.14	कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – उद्योग	17
I.15	भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रीमियम आय	18
I.16	गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम – 5 वर्ष	19
I.17	गैर जीवन बीमाकर्ताओं की घटकवार प्रीमियम	20
I.18	2014–15 के लिए टीयर वार गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	27
I.19	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति	45
I.20	स्वास्थ्य बीमा व्यापार का वर्गीकरण (सकल प्रीमियम के पदों में)	46
I.21	कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या व्यापार के विभिन्न वर्गों का शेयर	47
I.22	कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का शेयर (वित्तीय वर्ष 2014–15)	53
I.23	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न चैनलों की योगदान	53
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया व्यवसाय प्रीमियम – चैनलवार	75
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय प्रीमियम – चैनलवार	75
II.3	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)	77
II.4	2013–14 और 2014–15 के दौरान जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	90
II.5	2013–14 और 2014–15 के दौरान गैर–जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	91
II.6	वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक वर्ग वार गैर–जीवन बीमा शिकायतें	91

विवरण

1.	बीमा प्रवेशन की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	121
2.	बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	122
3.	प्रथम वर्ष (एकल प्रीमियम को मिलाकर) जीवन बीमा प्रीमियम	123
4.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	124
5.	जीवन बीमाकर्ताओं का सहबद्ध और गैर–सहबद्ध प्रीमियम 2014–15	125
6.	वर्ष 2014–15 के लिए व्यक्तिगत मृत्यु दावे	127

		पृष्ठ सं..
7.	वर्ष 2014–15 के लिए समूह मृत्यु दावे	129
8.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां	131
9.	जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी	134
10.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भारत में जीवन बीमाकर्ताओं की शोधन क्षमता अनुपात	135
11.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम गैर–जीवन बीमाकर्ता (भारत में तथा भारत के बाहर)	136
12.	घटकवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम गैर–जीवन बीमाकर्ता (भारत में)	137
13.	स्वास्थ्य बीमा (यात्रा–देश/विदेश तथा निजी दुर्घटना को छोड़कर) सकल प्रीमियम और कवर्ड व्यक्तियों की संख्या (2014–15)	138
14.	उपगत दावा अनुपात – सार्वजनिक क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता	139
15.	उपगत दावा अनुपात – निजी क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता	140
16.	गैर–जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां	142
17.	गैर–जीवन बीमाकर्ताओं इक्विटी शेयर पूंजी	143
18.	गैर–जीवन बीमाकर्ताओं का शोधन क्षमता अनुपात	144
19.	शिकायतों की स्थिति – जीवन बीमा 2014–15 के लिये	145
20.	शिकायतों की स्थिति – गैर–जीवन बीमाकर्ता 2014–15 के लिय	146

संलग्नक

1.	भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियां	149
2.	बीमाकर्ता एवं विभिन्न मध्यस्थों की शुल्क संरचना	151
3.	(i) भारतीय एश्योर्ड जीवन मृत्यु (2006–08) परम (ii) वार्षिक मृत्यु दर : एलआईसी (क) (1996–98) परम दरें	152
4.	वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति	156
5.	31.3.2015 को प्रचालन में जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	161
6.	2014–15 के दौरान निकाले गए गैर जीवन बीमा उत्पाद	162
7.	2014–15 के दौरान निकाले गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	164
8.	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं	167
9.	बीविविप्रा अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियम, 31.03.2015 तक	172
10.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए अर्थ दंड	175

लक्ष्य कथन

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना एवं उनके प्रति निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के लाभ व अर्थव्यवस्था के त्वरणशील विकास के लिए दीर्घकालिक निधियों को उपलब्ध करवाने हेतु बीमा उद्योग में तीव्र व क्रमबद्ध वृद्धि लाना (वार्षिक व सेवा निवृत्ति भुगतानों सहित);
- ✓ जिनका वह विनियमन करता है उनमें अखंडता के उच्च स्तर निर्धारित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी निगरानी करना, वित्तीय मजबूती, निष्पक्ष व्यवहार तथा सामर्थ्य की पुष्टि करना;
- ✓ वास्तविक दावों का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित करना, बीमा धोखों व अन्य कुप्रथाओं से बचाव तथा प्रभावकारी शिकायत–निवारा तंत्र स्थापित करना;
- ✓ उन सभी वित्तीय बाजारों में जो बीमा कारोबार करते हैं निष्पक्षता, पारदर्शिता व सुव्यवस्थित संचालन का संवर्धन करना तथा बाजार के व्यवसायियों में उच्च स्तरीय वित्तीय मजबूती के प्रवर्तन के लिए एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहां इस प्रकार के मान अपर्याप्त है अथवा अप्रभावी रूप से बाध्य किये हुए हैं, वहां कार्यवाही करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकतानुसार उद्योग के दैनिक क्रियाकलापों में अनुकूलतम मात्रा में स्व–विनियमन सम्पादित करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च, 2015 को)

टी एस विजयन
अध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

आर के नायर
(17 मार्च 2015 तक)

एम रामप्रसाद

डी डी सिंह

पौर्णिमा गुप्ते
(13 जनवरी 2015 से)

अंश कालिक सदस्य

अनुप वाधवान

प्रो. वी के गुप्ता

एस बी माथुर

सीए. के रघु
(11 फरवरी 2015 तक)

सीए. मनोज फडनीस
(12 फरवरी 2015 से)

बीविविप्रा के वरिष्ठ अधिकारी

कार्यकारी निदेशक	श्रीराम तरनिकाँति
वित्तीय सलाहकार	ललित कुमार
वरिष्ठ संयुक्त निदेशक	एम पुल्ला राव सुरेश माथुर रणदीप सिंह जगपाल ए आर नित्यानंथम ममता सूरी जे मीनाकुमारी
संयुक्त निदेशक	मुकेश शर्मा एस एन जयसिम्हन यग्नप्रिया भरत एच अनंतकृष्णन वी जयंत कुमार रमणा राव अदंकी राकेश कु. बजाज संजीव कुमार जैन टी एस नायक एस पी चक्रबर्ती पी के मैटी राज कुमार शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक	ए वी राव्

भाग–I
नीतियाँ एवं कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश

I.1.1 2014–15 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होकर 2013–14 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि के उच्च स्तर पर थी। यह अनुमान (बाजार मूल्यों पर) की नई श्रृंखला के संदर्भ में है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी किये गए जिन्हें वर्ष 2004–05 से 2011–12 के आधार पर संशोधन करके देखा गया।

I.1.2 वर्ष 2014–15 के दौरान विकास दर की मजबूती मुख्य रूप से निजी उपभोग द्वारा संचालन और निश्चित निवेश द्वारा समर्थित थी, यहां तक कि सरकार की खपत और शुद्ध निर्यात में काफी गिरावट आ गई।

I.1.3 2014–15 में गतिविधि का स्पंदन बड़े पैमाने पर उद्योग और सेवाओं के नेतृत्व में किया गया था। उद्योग में, विनिर्माण और बिजली उत्पादन में उच्च विकास हुआ। विनिर्माण की हिस्सेदारी संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों द्वारा संवर्धित की गई थी जो पुरानी श्रृंखला में सेवाओं का हिस्सा थी। सेवा क्षेत्र में, 'वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं' के रूप में निर्माण कार्य अच्छी तरह से प्राथमिक संचालक थे। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो रबी की कटाई समय में खरीफ की बुआई और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का प्रभाव पड़ा।

तालिका I.1
राष्ट्रीय आय #

मद	2012-13 (एनएस)	2013-14 (एनएस)	2014-15 (पीई)
क) समग्र स्तर पर अनुमान			
1. राष्ट्रीय उत्पाद (₹ करोड़)			
1.1 जीएनआई	9172925	9800813	10513163
1.2 एनएनआइ	8193427	8751834	9388992
2. घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)			
2.1 मूल कीमत पर जीवीए	8599224	9169787 (6.6)	9827089 (7.2)
2.2 जीडीपी	9280803	9921106 (6.9)	10643983 (7.3)
2.3 एनडीपी	8301305	8872127 (6.9)	9519811 (7.3)
ख) प्रति व्यक्ति के स्तर पर अनुमान			
जनसंख्या (मिलियन में)	1235	1251 (1.3)	1267 (1.3)
प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹)	66344	69959 (5.4)	74104 (5.9)
प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	75148	79305 (5.5)	84009 (5.9)

एनएस : नए श्रेणी का अनुमान, पीई : अनंतिम अनुमान,# 2011–12 के मूल्यों पर
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन कर रहे हैं।
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 29 मई 2015.

I.1.4 वर्ष 2014–15 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत मुद्रास्फीती (सीपीई) दर 5.9 प्रतिशत थी जो पिछले साल की तुलना काफी कम थी। वर्ष 2014–15 के दौरान मुद्रास्फीति में बदलाव हुआ, हालांकि तीन अलग–अलग चरणों का प्रदर्शन किया – पहला, अगस्त तक मौसम से संबंधित सब्जियों की कीमतों के दबाव; दूसरा खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट और बाद में खाद्य, ईंधन और सेवाओं की कीमतों में वैश्विक स्तर पर जिसों की कीमतों में गिरावट के माध्यम से गुजरती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में एक बड़ा बदलाव है कि नवम्बर 2014 में साल के अंतराल में मुद्रास्फीति में 3.3 प्रतिशत की गिरावट हुई और अंत में मार्च 2015 में अनुकूल प्रभाव हुआ जो मुद्रास्फीति को धक्का देकर 5.3 प्रतिशत हुई।

I.1.5 2014–15 के दौरान औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति 2.0 प्रतिशत थी जो पिछले साल 6.0 प्रतिशत की तुलना में काफी कम थी। नवम्बर 2014 के बाद से, थोक मूल्य संकुचन में चले गए तथा लागत दबाव गिरने से अर्थव्यवस्था में सुस्तता की हद तक पहुंच गई।

(स्रोत : आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15)

तालिका I.2
राष्ट्रीय आय की क्षेत्रानुसार वृद्धि
(₹ करोड़ में)

उद्योग	2012-13 (एनएस)	2013-14 (एनएस)	2014-15 (पीई)	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
				2013-14	2014-15
1. कृषि, वानिकी और मछली	1,523,470	1,579,290	1,582,851	3.7	0.2
2. खनन और उत्खनन	262,253	276,380	283,062	5.4	2.4
3. विनिर्माण	1,574,471	1,658,176	1,776,469	5.3	7.1
4. बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवायें	202,224	211,846	228,579	4.8	7.9
5. निर्माण	740,518	758,887	795,066	2.5	4.8
उद्योग(2+3+4+5)	**2,779,466**	**2,905,289**	**3,083,176**	**4.53**	**6.12**
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और ब्रॉड कास्टिंग	1,548,739	1,720,513	1,904,200	11.1	10.7
7. वित्त, बीमा, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवायें	1,675,405	1,807,338	2,015,912	7.9	11.5
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवायें	1,072,144	1,157,357	1,240,950	7.9	7.2
सेवा (6+7+8)	**4,296,288**	**4,685,208**	**5,161,062**	**9.05**	**10.16**
9. मूल मूल्य पर जीवीए	**8,599,224**	**9,169,787**	**9,827,089**	**6.64**	**7.17**

एनएस : नए श्रेणी का अनुमान, पीई : अनंतिम अनुमान# 2011–12 के मूल्यों पर

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 29 मई 2015.

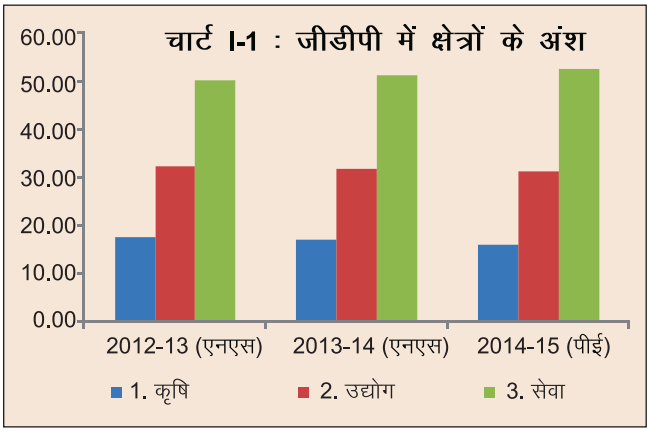

बचत एवं निवेश

I.1.6 वर्ष 2013–14 में सकल घरेलू बचत दर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (तालिका 1.3) का 30 प्रतिशत करने के लिए लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई। यह काफी हद तक कीमती सामान में परिवारों की बचत दर भौतिक परिसंपत्तियों में गिरावट को दर्शाती है। दूसरी ओर, घरेलू वित्तीय बचत में प्रतिफल से अधिक वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति में अधिक संतुलन के साथ–साथ आर्थिक गतिविधि में भी उछाल देखा गया। वर्ष 2014–15 के लिए सीएसओ ने अभी तक सकल बचत के अपने अनुमान जारी नहीं किये हैं। फिर भी, रिजर्व बैंक के प्रारंभिक अनुमानों के संदर्भ में घरेलू वित्तीय बचत 2013–14 में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में जीएनडीआई के 7.5 प्रतिशत पर पहुंच गया।

(स्रोत : आरबीआई वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15)

तालिका I.3 : सकल बचत (जीएनडीआई के अनुपात में)

(प्रतिशत मे)

मद	2011-12	2012-13	2013-14
सकल बचत	33.0	31.1	30.0
1.1 गैर–वित्तीय निकाय	9.7	9.6	10.3
1.1.1लोक गैर–वित्तीय निकाय	1.4	1.2	1.0
1.1.2 निजी गैर–वित्तीय निकाय	8.3	8.4	9.3
1.2 वित्तीय कॉर्पोरेशन	2.9	3.1	2.8
1.2.1 लोक गैर–वित्तीय निकाय	1.8	1.7	1.5
1.2.2 निजी गैर–वित्तीय निकाय	1.1	1.4	1.3
1.3 सामान्य सरकारी	-1.8	-1.3	-1.0
1.4 घरेलू क्षेत्र	22.2	19.7	17.8
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.1	6.8*	7.1*
1.4.2 भौतिक सम्पद में बचत	14.8	12.6	10.4
1.4.3 वेल्यूएबल्स के रूप में बचत	0.4	0.4	0.3

टिप्पणी : घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत में वित्तीय आस्तियों में परिवर्तन और वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन के बीच में अंतर होता है।
स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

*: रिजर्व बैंक के नए अनुमान, घरेलू वित्तीय बचत 2012–13 और 2013–14 के लिए जीएनडीआई की क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत है।

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य

I.2.1 2014 में विश्व बीमा के अनुसार पुनर्बीमा प्रमुख स्विस री द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, 2014 में बीमा कंपनियों के लिए आर्थिक परिवेश में मामूली सुधार, वैश्विक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के रूप में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10 साल की वार्षिक वृद्धि दर की औसत 2.8 प्रतिशत के आसपास हुई। यूके के नेतृत्व में उन्नत बाजारों में सुधार संचालित किया गया था। यूके में वृद्धि की वजह से कम बेरोजगारी और उम्मीद राजकोषीय मजबूती की तुलना में कम करने के लिए घरेलू खपत वसूली पर आधारित था। अमेरिका में वृद्धि 2.4 प्रतिशत करने के लिए थोड़ा त्वरित लेकिन विघटनकारी कड़ाके की सर्दियों की वजह से वापस आयोजित किया गया था। पश्चिमी यूरोप में भी वृद्धि मजबूत (लेकिन असमान) थी। उन्नत एशिया में, विकास की वजह से जापान में सुस्ती रही। इसके विपरीत उभरते बाजारों में कुल दर 2013 में 4.6 प्रतिशत से 2014 में 4.1 प्रतिशत धीमी बढ़ी है। कई देशों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) के मात्रात्मक कार्यक्रम सहजता वापस होने से घरेलू कठिनाइयों के साथ संघर्ष, संरचनात्मक कमियों और अनिश्चितता का संघर्ष किया। उन्नत देशों के शेयर बाजारों ने उनकी उभरते बाजार साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया और सरकार के बांड प्रतिफल बहुत कम रहे। कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में ठहराव के एक साल बाद 2014 में 3.7 प्रतिशत बढ़कर 4778 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

I.2.2 वर्ष 2014 में वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम रिटर्न यू एस डॉलर 2655 बिलियन थे जो 2013 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गए। यह वृद्धि सम्पूर्ण क्षेत्रों और देशों की तुलना में चर्चा योग्य था। उभरते बाजारों का ओशिनिया की मजबूत वृद्धि पर प्रभाव पड़ा। पश्चिमी यूरोप और जापान पुनः वृद्धि करने लगे और उत्तरी अमेरिका में प्रीमियम लगातार घटने लगी। उभरते एशिया में प्रीमियम वृद्धि मजबूत हुई लेकिन लैन अमेरिका और अफ्रीका में कम थी। केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप प्रीमियम फिर कम हुये। 2014 में त्वरण के होते हुए भी उन्नत बाजारों में जीवन बीमा प्रीमियम विकास आमतौर पर 2008 में वित्तीय संकट के बाद रूक गया। उच्च औसत वार्षिक प्रीमियम के विकास के लिए उन्नत एशिया और ओशिनिया क्षेत्र हैं। उभरते बाजारों में प्रीमियम विकास संकट से पहले की तुलना में बाद में धीमी हुई है।

I.2.3 गैर–जीवन बीमा क्षेत्र में वसूली 2014 के 2.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोड़ा अधिक है और पूर्व के संकट औसत विकास दर से भी बेहतर 2124 अमेरिकी डॉलर करने के लिए 2. 9 प्रतिशत अधिक वैश्विक प्रीमियम के साथ जारी रही। उन्नत बाजारों में क्षेत्रीय बदलाव के साथ मुख्य रूप से संचालन में थे। लेकिन 10 प्रतिशत के पूर्व संकट के औसत से नीचे, 2013 में 8.6 प्रतिशत निम्न से थोड़ा धीमी लेकिन उभरते बाजार प्रीमियम में 8 प्रतिशत की वृद्धि अभी भी मजबूत नहीं थी।

I.2.4 रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा क्षेत्र में प्रीमियम विकास के लिए संभावना अर्थव्यवस्थाओं में काफी मजबूत रहने के लिए और गैर–जीवन बीमा क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण मिलाया जाता है, जबकि उभरते बाजारों में आगे तेजी लाने की उम्मीद है। प्रीमियम दरों में ज्यादातर बाजारों में कम रहने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्रीमियम विकास के लिए कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। (स्रोत : स्विस री, सिग्मा सं. 4 / 2015).

तालिका I.4
2014 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर (प्रतिशत में)

क्षेत्र / देश	जीवन	गैर–जीवन	कुल
उन्नत देश	3.8	1.8	2.9
उभरते बाजार	6.9	8	7.4
एशिया	6.1	7.5	6.5
भारत	1.0	4.8	1.8
विश्व	**4.3**	**2.9**	**3.7**

स्रोत : स्विस री, सिग्मा नं. 4 / 2015.

तालिका I.5
क्षेत्रानुसार जीवन और गैर–जीवन बीमा प्रीमियम

(अमेरिकी डॉलर बिलियन में प्रीमियम)

क्षेत्र / देश	जीवन	गैर–जीवन	कुल
उन्नत देश	2232.524	1706.79	3939.31
	(56.67)	(43.33)	(100.00)
उभरते बाजार	422.03	416.91	838.94
	(50.30)	(49.70)	(100.00)
एशिया	892.32	425.25	1317.57
	(67.72)	(32.28)	(100.00)
भारत	55.30	14.59	69.89
	(79.12)	(20.88)	(100.00)
विश्व	**2654.55**	**2123.70**	**4778.25**
	(55.55)	**(44.45)**	**(100.00)**

स्रोत : स्विस री, सिग्मा नं. 4 / 2015.
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बाजार हिस्सा प्रतिशत में दर्शाते हैं।

चार्ट I.2 : चयनित देशों में बीमा अंतःप्रवेशन – 2014

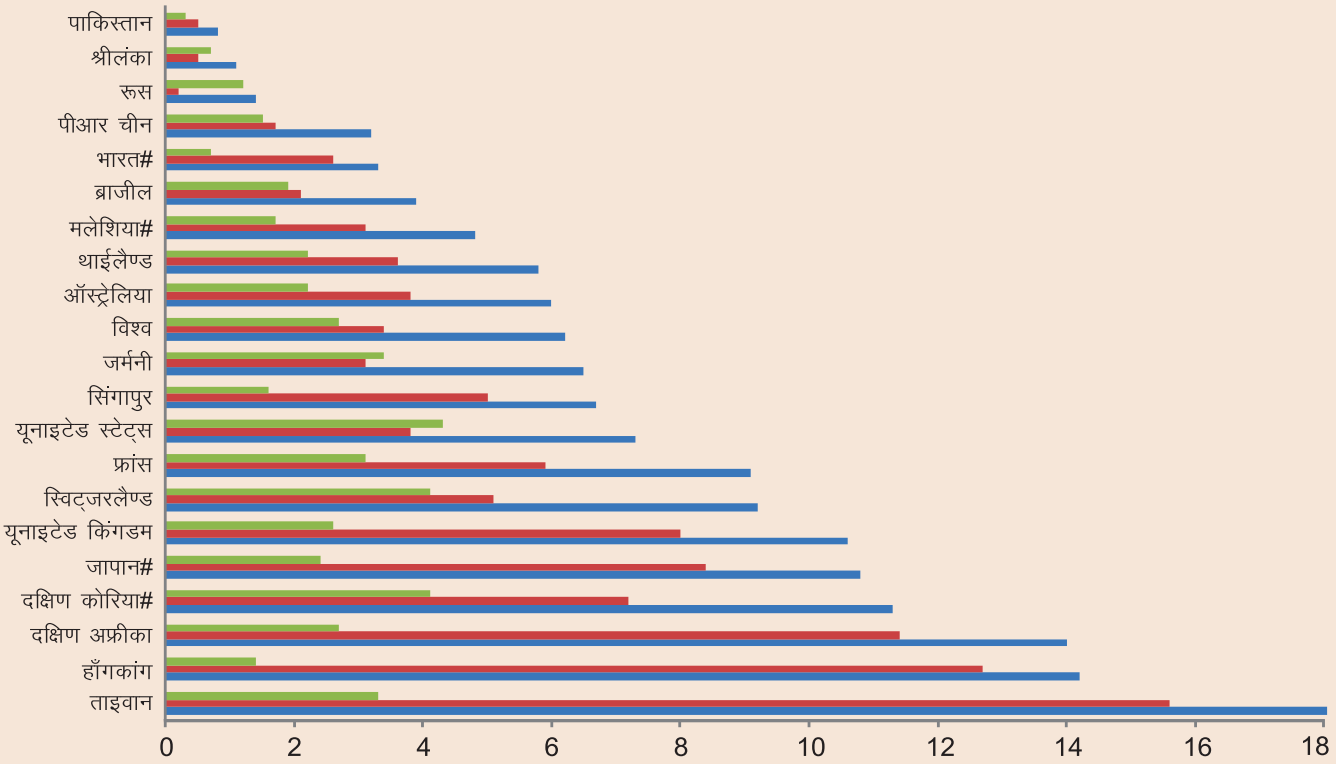

स्रोत : स्विस री, सिग्मा नं. 4 / 2015. आंकड़े प्रतिशत में है।
आंकड़े वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

चार्ट I.3 : चयनित देशों में बीमा घनत्व – 2014

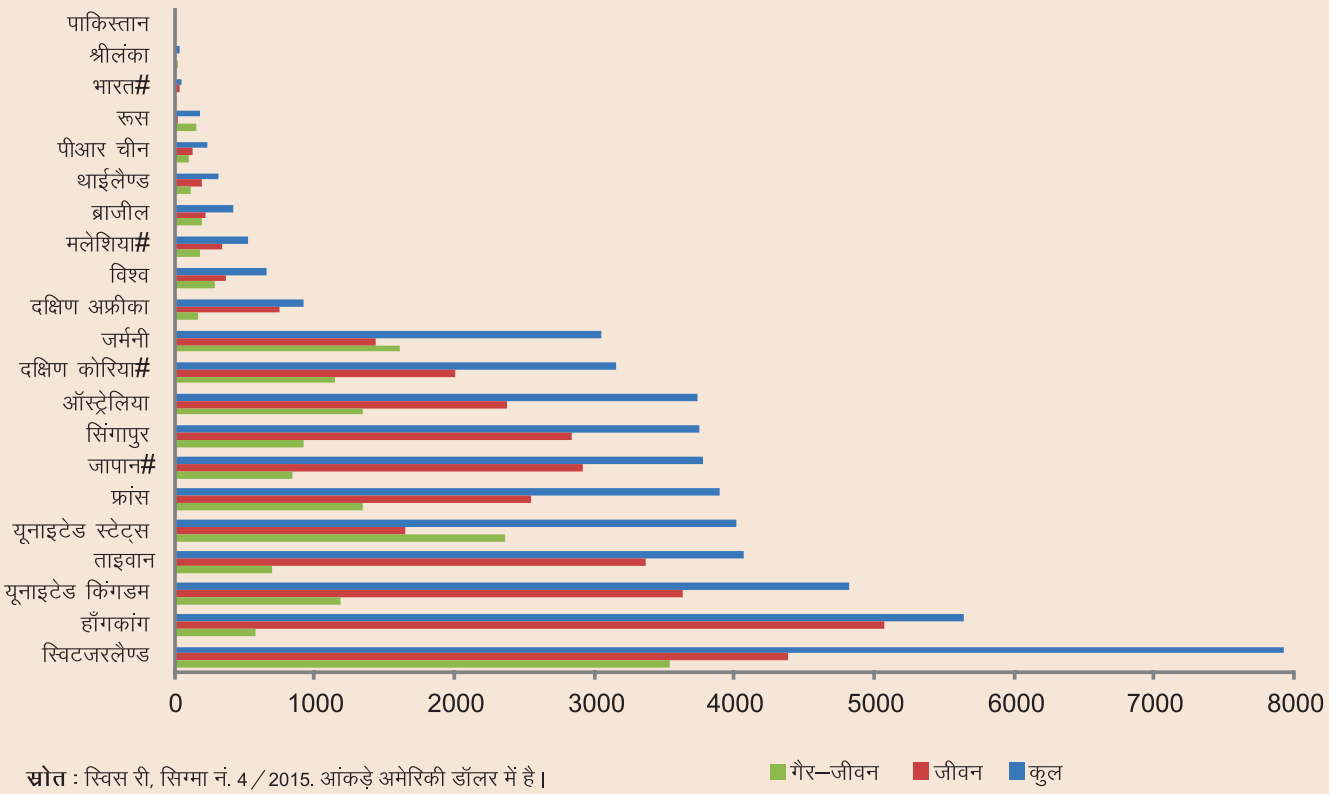

स्रोत : स्विस री, सिग्मा नं. 4 / 2015. आंकड़े अमेरिकी डॉलर में है।
आंकड़े वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.5 वैश्विक स्तर पर, जीवन बीमा व्यापार का अंश कुल प्रीमियम का 55.55 प्रतिशत था। यद्यपि, भारत में जीवन बीमा व्यापार का अंश 79.12 प्रतिशत पर बहुत अधिक था, जबकि गैर–जीवन बीमा व्यापार का प्रतिशत मात्र 20.88 प्रतिशत था।

I.2.6 जीवन बीमा व्यापार में, 88 देशों में से भारत का 11वां स्थान था, जिसके आंकड़े स्विस री द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। 2014 के दौरान वैश्विक जीवन बीमा व्यापार में, भारत का अंश 2. 08 प्रतिशत था। यद्यपि 2014 में, भारत में जीवन बीमा प्रीमियम में 1 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) वृद्धि जबकि सम्पूर्ण जीवन बीमा प्रीमियम में 4.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

I.2.7 2014 के दौरान भारतीय गैर–जीवन बीमा क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान वैश्विक गैर–जीवन बीमा प्रीमियम में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि वैश्विक गैर–जीवन बीमा प्रीमियम में भारतीय गैर–जीवन बीमा प्रीमियम का अंश मात्र 0.69 प्रतिशत था और वैश्विक गैर–जीवन बीमा बाजारों में भारत का विश्व स्तर पर 20वां स्थान है।

भारत में बीमा अंतःप्रवेशन और घनत्व

I.2.8 बीमा के अंतःप्रवेशन और घनत्व के द्वारा किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के, विकास के स्तर को आंका जा सकता है। जबकि बीमा के अंतःप्रवेशन से जीडीपी के बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में आंकलित किया जाता है, बीमा घनत्व का आंकलन जनसंख्या के प्रीमियम के अनुपातानुसार (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) किया जाता है।

I.2.9 बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के प्रथम दशक के दौरान इस क्षेत्र में, निरंतर वृद्धि हुई है जो 2001 में 2.71 प्रतिशत थी और 2009 में 5.20 हो गई। यद्यपि तब से बीमा के अंतःप्रवेशन का स्तर 2014 में घटकर 3.3 प्रतिशत तक रह गया है। बीमा घनत्व में भी लगभग यही झुकाव देखने को मिलता है जोकि 2001 में

11.5 यू एस डॉलर के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010 में 64.4 यूएस डॉलर तक पहुंचा था। वर्ष 2014 के पुनरावलोकन के दौरान बीमा घनत्व 55.0 यूएस डॉलर था।

I.2.10 जीवन बीमा व्यापार का घनत्व वर्ष 2001 में 9.1 यूएस डॉलर से बढ़ते–बढ़ते वर्ष 2010 में 55.7 के शिखर तक पहुंच गया। वर्ष 2014 के दौरान, जीवन बीमा के स्तर का घनत्व मात्र 44 यूएस डॉलर रह गया। उसी प्रकार वर्ष 2001 में यह घनत्व 2. 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009 में 4.60 प्रतिशत तक जा पहुंचा। तब से उसमें लगातार गिरावट आती रही जो 2014 में 2. 6 प्रतिशत तक पहुंच गई

I.2.11 पिछले 10 वर्षों से देश में गैर जीवन बीमा क्षेत्र का अंतः प्रवेशन 0.5–0.8 प्रतिशत की सीमा में स्थिर बना हुआ है। फिर भी 2014 में इसका घनत्व 2001 के 2.4 यूएस डॉलर से बढ़कर 11.0 प्रतिशत यूएस डॉलर हो गया।

तालिका I.6
भारत में बीमा अंतःप्रवेशन और घनत्व

	जीवन		गैर–जीवन		उद्योग	
वर्ष	घनत्व (यूएस डॉलर)	अंतःप्रवेशन (प्रतिशत)	घनत्व (यूएस डॉलर)	अंतःप्रवेशन (प्रतिशत)	घनत्व (यूएस डॉलर)	अंतःप्रवेशन (प्रतिशत)
2001	9.1	2.15	2.4	0.56	11.5	2.71
2002	11.7	2.59	3	0.67	14.7	3.26
2003	12.9	2.26	3.5	0.62	16.4	2.88
2004	15.7	2.53	4	0.64	19.7	3.17
2005	18.3	2.53	4.4	0.61	22.7	3.14
2006	33.2	4.1	5.2	0.6	38.4	4.8
2007	40.4	4	6.2	0.6	46.6	4.7
2008	41.2	4	6.2	0.6	47.4	4.6
2009	47.7	4.6	6.7	0.6	54.3	5.2
2010	55.7	4.4	8.7	0.71	64.4	5.1
2011	49	3.4	10	0.7	59	4.1
2012	42.7	3.17	10.5	0.78	53.2	3.96
2013	41	3.1	11	0.8	52	3.9
2014	44	2.6	11	0.7	55	3.3

टिप्पणी : 1.बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या पर प्रीमियम (यूएस डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
2. बीमा अंतःप्रवेशन को जीडीपी (यूएस डॉलर में) पर प्रीमियम (यूएस डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

स्रोत : स्विस री, सिग्मा, विभिन्न मुद्दे।

चार्ट I.4 : भारत में बीमा अंतःप्रवेशन

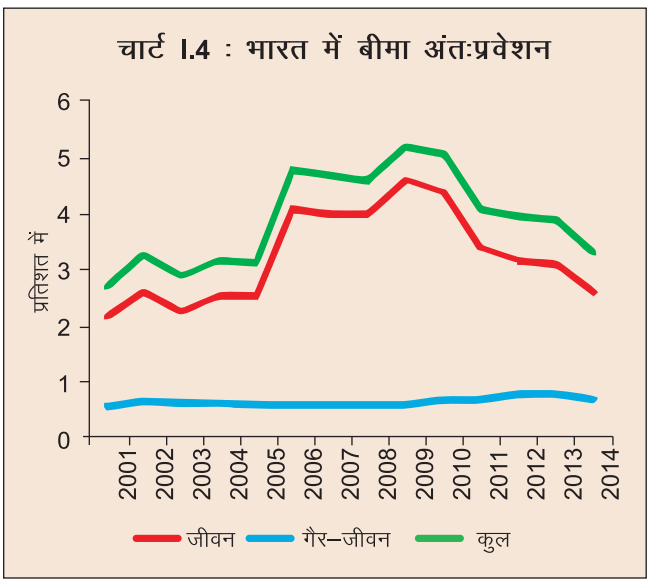

चार्ट I.5 : भारत में बीमा घनत्व

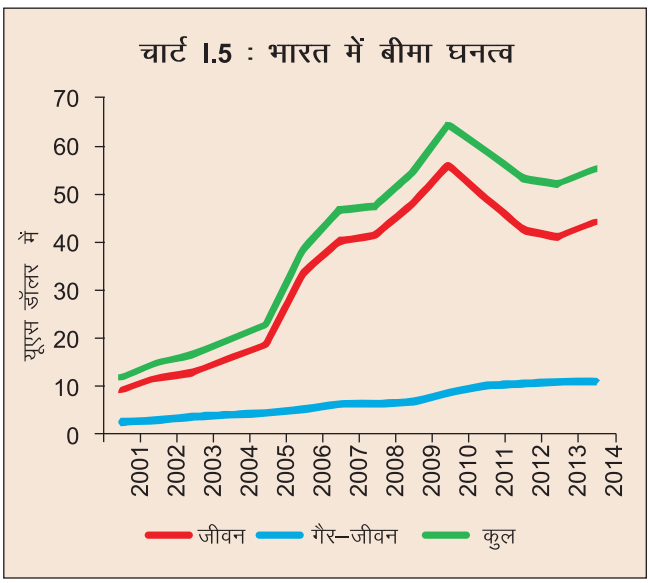

I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

I.3.1 मार्च 2015 के अंत तक भारत में 53 बीमा कंपनियां कार्यरत थीं जिनमें से 24 जीवन बीमा व्यापार में है और 28 गैर–जीवन बीमा व्यापार में लिप्त हैं। इनके अतिरिक्त जीआईसी एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी है।

I.3.2 मौजूदा प्रचलित 53 कम्पनियों में से 8 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। ईसीजीसी ओर एआईसी के नाम से दो कम्पनियां विशेष बीमाकर्ता के रूप में ओर एलआईसी के नाम से एक जीवन बीमा में 4 गैर जीवन बीमा में तथा एक पुनर्बीमा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अन्य 45 कम्पनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

जीवन बीमा

प्रीमियम

I.3.3 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹314301.66 करोड़ की तुलना में 2014–15 के दौरान ₹ 328101.14 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की। इस प्रकार 4.39 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की (पिछले वर्ष 9.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय के क्षेत्रों में 14.32 प्रतिशत वृद्धि हुई (पिछले वर्ष में 1.33 प्रतिशत गिरावट थी) एलआईसी ने 1.15 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 13.48 प्रतिशत वृद्धि की) (तालिका 1.8)।

I.3.4 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम में से 65.46 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में 61.72 प्रतिशत) नवीकरण प्रीमियम के रूप में जमा करवाया गया, प्रथम वर्ष प्रीमियम ने बाकी 34.54 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में 38.28 प्रतिशत) वर्ष 2014–15 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में 10.72 प्रतिशत (वर्ष 2013–14 में 7.85 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। प्रथम वर्ष प्रीमियम में 12.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जोकि 2013–14 की तुलना में 5.82 प्रतिशत कम दर्ज की गई। (तालिका 1.8)

तालिका I.7
भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता
(31 मार्च 2015 को)

कारोबार का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमा	1	23	24
गैर–जीवन बीमा	*6	**22	28
पुनर्बीमा	1	0	1
कुल	**8**	**45**	**53**

* इनमें विशेषीकृत बीमा कम्पनियां – ईसीजीसी तथा एआईसी शामिल हैं।

** इनमें पांच स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों – स्टार हैल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कम्पनी, अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी, मैक्स बुपा हैल्थ इंश्योरेंस कम्पनी, रेलिगेयर स्वास्थ्य बीमा कम्पनी और सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी।

टिप्पणी : भारत में काम करने वाली पंजीकृत बीमा कम्पनियों की सूची संलग्नक में दी गई है।

तालिका I.8
अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	31904.49	23112.20
	(5.25)	(-27.56)
निजी क्षेत्र	20497.51	23940.13
	(-4.83)	(16.79)
कुल	**52402.00**	**47052.33**
	(1.03)	**(-10.21)**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	58904.30	55395.51
	(27.23)	(-5.96)
निजी क्षेत्र	9018.92	10880.10
	(-2.08)	(20.64)
कुल	**67923.22**	**66275.61**
	(22.50)	**(-2.43)**
प्रथम वर्ष का प्रीमियम (3(1+2))		
एलआईसी	90808.79	78507.71
	(18.53)	(-13.55)
निजी क्षेत्र	29516.43	34820.23
	(-4.01)	(17.97)
कुल	**120325.22**	**113327.94**
	(12.08)	**(-5.82)**
न्वीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	146133.51	161159.94
	(10.55)	(10.28)
निजी क्षेत्र	47842.93	53613.26
	(0.38)	(12.06)
कुल	**193976.44**	**214773.20**
	(7.85)	**(10.72)**
कुल प्रीमियम (5(3+4)(1+2+4))		
एलआईसी	236942.30	239667.65
	(13.48)	(1.15)
निजी क्षेत्र	77359.36	88433.49
	(-1.33)	(14.32)
कुल	**314301.66**	**328101.14**
	(9.44)	**(4.39)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

चार्ट I.6 : जीवन बीमाकर्ता प्रीमियम का प्रथम वर्ष

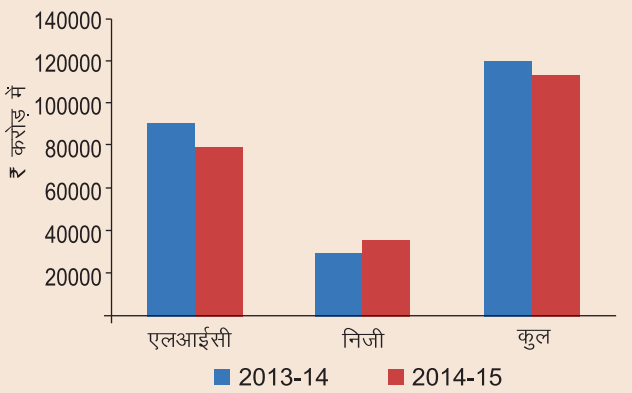

चार्ट I.7 : जीवन बीमाकर्ता का कुल प्रीमियम

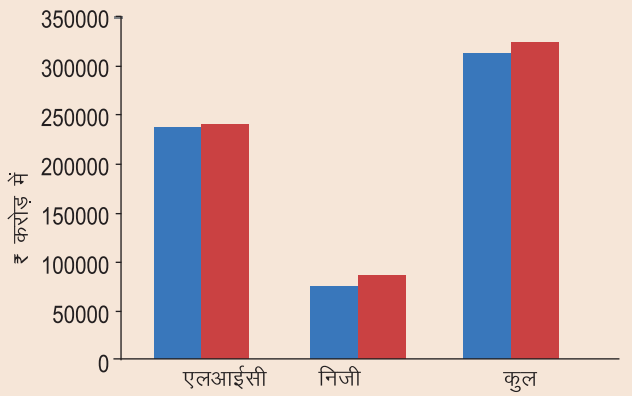

I.3.5 प्रथम वर्ष के प्रीमियम के वर्गीकरण से यह पता चलता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय में 2.43 प्रतिशत वृद्धि (2013–14 में 22.50 प्रतिशत वृद्धि)। एकल प्रीमियम उत्पाद एलआईसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एलआईसी की कुल प्रीमियम आय में 23.11 प्रतिशत का योगदान दिया (2013–14 में 24.86 प्रतिशत)। इसकी तुलना में निजी बीमा कम्पनियों के लिए 2014–15 में कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय का 12.30 प्रतिशत का योगदान रहा (2013–14 में 11.66 प्रतिशत)।

I.3.6 वर्ष 2014–15 में नियमित प्रीमियम ने 10.21 प्रतिशत की गिरावट आई जोकि 2013–14 में 1.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की 16.80 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (2013–14 में 4.83 प्रतिशत कमी) जबकि एलआईसी ने नियमित प्रीमियम में 27.56 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की (2013–14 में 5.25 प्रतिशत वृद्धि)।

I.3.7 यूनिट–लिंक्ड उत्पाद (यूलिप्स) को प्रीमियम 2013–14 में रू. 37544.08 करोड़ से 2014–15 में रू. 41616.94 करोड़ जो 10.85 प्रतिशत वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक उत्पादों की प्रीमियम 3.51 प्रतिशत बढ़ी जो 2013–14 में रू. 276757.58 करोड़ की तुलना में बढ़कर रू. 286484.20 करोड़ हुई। इसी प्रकार कुल प्रीमियम में यूनिट–लिंक्ड उत्पाद अंश 2014–15 में 12.68 प्रतिशत बढ़ा जो 2013–14 में 11.95 प्रतिशत था। (विवरण संख्या 5)

बाजार अंश

I.3.8 कुल प्रीमियम आय के आधार पर एलआईसी का बाजार अंश 2013–14 में 75.39 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 73.05 प्रतिशत हो गया। निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2013–14 में 24.61 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 26.95 प्रतिशत हो गया। (तालिका I.9)

चार्ट I.8
जीवन बीमाकर्ताओं की कुल प्रीमियम – 5 साल

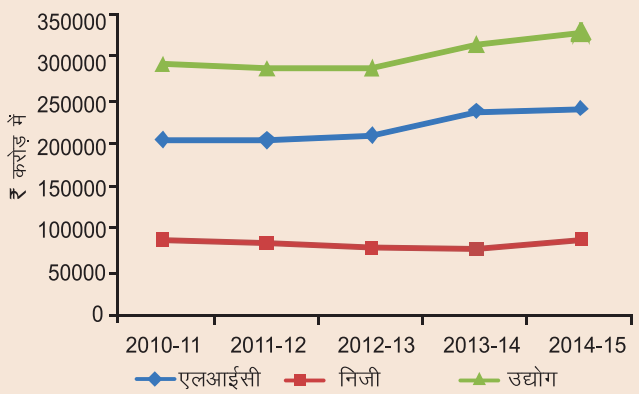

I.3.9 2014–15 में निजी बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम का बाजार अंश 30.73 प्रतिशत (2013–14 में 24.53 प्रतिशत) था। ऐसे ही एलआईसी का अंश 69.27 प्रतिशत (2013–14 में 75.47 प्रतिशत) था। इसी प्रकार नवीकरण प्रीमियम में एलआईसी का 75.04 प्रतिशत के साथ उच्चतर अंश था (2013–14 में 75.34 प्रतिशत) जब निजी बीमाकर्ताओं के अंश 24.96 प्रतिशत (2013–14 में 24.66 प्रतिशत) से तुलना की गई।

तालिका I.9
बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	60.88	49.12
निजी क्षेत्र	39.12	50.88
कुल	**100.00**	**100.00**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	86.72	83.58
निजी क्षेत्र	13.28	16.42
कुल	**100.00**	**100.00**
प्रथम वर्ष का प्रीमियम (3=(1+2))		
एलआईसी	75.47	69.27
निजी क्षेत्र	24.53	30.73
कुल	**100.00**	**100.00**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	75.34	75.04
निजी क्षेत्र	24.66	24.96
कुल	**100.00**	**100.00**
कुल प्रीमियम (5=(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	75.39	73.05
निजी क्षेत्र	24.61	26.95
कुल	**100.00**	**100.00**

नई पॉलिसियाँ

I.3.10 वर्ष 2014–15 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 259.08 लाख नई पॉलिसियां जारी कीं, जिनमें से 201.71 लाख पॉलिसियां एलआईसी द्वारा जारी कीं गई (कुल 77.86 प्रतिशत नई पॉलिसियां जारी की गई) और निजी बीमाकर्ताओं द्वारा 57. 37 पॉलिसियां (कुल 22.14 प्रतिशत नई पॉलिसियां जारी की गई) जारी की गईं। जबकि निजी क्षेत्र ने नई पॉलिसियां जारी करने की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधारकर 9.79 प्रतिशत गिरावट दर्ज की (2013–14 में 14.11 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में), एलआईसी ने नई पॉलिसियां जारी करने की संख्या में 41.55 प्रतिशत (2013–14 में 6.17 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई।

I.3.11 समस्त रूप से नई पॉलिसियां जारी करने के मामले में उद्योग को समूचे तौर पर 36.61 प्रतिशत (2013–14 में 7.50 प्रतिशत की गिरावट) की गिरावट हुई।

तालिका I.10
जारी की गईं नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता

(लाख में)

बीमाकर्ता	**2013-14**	**2014-15**
एलआईसी	345.12	201.71
	(-6.17)	(-41.55)
निजी क्षेत्र	63.60	57.37
	(-14.11)	(-9.79)
कुल	**408.72**	**259.08**
	(-7.50)	**(-36.61)**

कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े गत वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

प्रदत्त पूँजी

I.3.12 31 मार्च 2015 तक जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी ₹. 26244.14 करोड़ थी। 2014–15 के दौरान निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा ₹. 305.63 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी निवेश की गई। (तालिका I.11)

तालिका I.11
प्रदत्त पूंजी : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	**31 मार्च 2014 को**	**2014–15 में अनुवृद्धियां**	**31 मार्च 2015 को**
जीवन बीमा निगम	100.00	0.00	100.00
निजी क्षेत्र	25838.51	305.63	26144.14
कुल	**25938.51**	**305.63**	**26244.14**

* शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन मुद्रा को छोड़कर।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.13 बीमा अधिनियम की धारा 40बी के अनुसार कोई भी जीवन बीमाकर्ता किसी भी वर्ष प्रबंधन व्यय के लिए बीमा नियमों, के नियम 17डी के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं कर सकता। ऐसे व्ययों की सीमाएं निर्धारित करते समय नियम 17डी द्वारा बीमाकर्ता के आकार एवं आयु को ध्यान में रखा जाता है।

जीवन बीमा परिषद (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 एफ के अंतर्गत गठित) की सिफारिश के आधार पर बीविविप्रा ऐसे खर्चों की सीमा किसी भी वर्ष बढ़ा सकता है। प्रबंधन व्ययों में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभार तथा सभी प्रकार के कमीशनों के भुगतान, परिचालन व्यय और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

I.3.14 कमीशन व्यय का औसत (प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) वर्ष 2013–14 के 6.63 प्रतिशत की तुलना में आंशिक गिरावट के साथ 5.93 प्रतिशत रहा। सम्पूर्णतः नियमित प्रीमियम ओर नवीकरण प्रीमियम के मामले में, कमीशन व्यय में वृद्धि हुई जबकि एकल प्रीमियम उत्पादों हेतु भुगतान किए गए कमीशन में गिरावट आई। यद्यपि, तालिका I.13 में जिसमें निजी व सार्वजनिक जीवन बीमाकर्ताओं की कमीशन के अनुपातों का द्विभाजन दर्शाया गया है के आंकड़ों के अनुसार निजी बीमाकर्ताओं ओर एलआईसी के बीच तुलना की स्थिति में कुछ भिन्नता है।

I.3.15 वर्ष 2013–14 के 18.73 प्रतिशत की तुलना में जीवन

बीमाकर्ताओं के व्ययों में, 2014–15 के दौरान 1.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा व्यवसाय का परिचालन व्यय लगभग ₹. 36861.59 करोड़ था जोकि 2013–14 में ₹. 37465.41 करोड़ था। एलआईसी के लिए परिचालन व्ययों, सकल प्रीमियम के प्रतिशत के आधार पर 2013–14 में 10.03 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 9.34 प्रतिशत हो गया। निजी बीमाकर्ताओं के लिए यही व्यय 2013–14 के 17.72 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 16.36 प्रतिशत हो गया। कुल मिलाकर बीमा उद्योग के इस व्यय का औसत 2013–14 के 11.92 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 11.23 प्रतिशत (तालिका I.14 और I.15) हो गया।

I.3.16 बीमा कंपनी की प्रारंभिक संरचना का खर्च अधिक होने के कारण प्राधिकरण द्वारा 23 निजी बीमाकर्ताओं को उनके व्यापारिक प्रचालनों के लिए प्रथम पांच वर्षों में नियम 17डी के तहत सीमाओं में छूट प्रदान की गई है।

I.3.17 24 जीवन बीमा कंपनियों में से (एक पीएसयू सहित) छः कंपनियों को 2014–15 में छूट दी गई। शेष दस कंपनियों द्वारा (एक पीएसयू सहित) नियम 17डी/प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन किया गया।

तालिका I.12
कमीशन व्यय : जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नियमित (1)		
एलआईसी	8458.94	6293.44
निजी क्षेत्र	3040.05	3003.18
कुल	**11498.99**	**9296.62**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	297.33	264.37
निजी क्षेत्र	42.65	40.20
कुल	339.98	304.57
प्रथम वर्ष (3=(1+2))		
एलआईसी	8756.26	6557.81
निजी क्षेत्र	3082.70	3043.38
कुल	**11838.96**	**9601.19**
नवीकरण (4)		
एलआईसी	8006.62	8560.33
निजी क्षेत्र	1000.79	1299.16
कुल	**9007.41**	**9859.49**
कुल (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	16762.88	15118.14
निजी क्षेत्र	4083.49	4342.54
कुल	**20846.37**	**19460.68**

तालिका I.13
कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता
(प्रतिशत)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नियमित (1)		
एलआईसी	26.51	27.23
निजी क्षेत्र	14.83	12.54
कुल	**21.94**	**19.76**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	0.50	0.48
निजी क्षेत्र	0.47	0.37
कुल	**0.50**	**0.46**
प्रथम वर्ष (3=(1+2)		
)एलआईसी	9.64	8.35
निजी क्षेत्र	10.44	8.74
कुल	**9.84**	**8.47**
नवीकरण (4)		
एलआईसी	5.48	5.31
निजी क्षेत्र	2.09	2.42
कुल	**4.64**	**4.59**
कुल (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	7.07	6.31
निजी क्षेत्र	5.28	4.91
कुल	**6.63**	**5.93**

टिप्पणी : जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम से परिचालन खर्चों का अनुपात 'अनुपालन व्यय अनुपात' है।

तालिका I.14
परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15	गत वर्ष के ऊपर (प्रतिशत)
जीवन बीमा निगम	23760.70	22395.45	-5.75
निजी क्षेत्र	13704.71	14466.14	5.56
कुल	**37465.41**	**36861.59**	**-1.61**

तालिका I.15
परिचालन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
जीवन बीमा निगम	10.03	9.34
निजी क्षेत्र	17.72	16.36
कुल	**11.92**	**11.23**

टिप्पणी : जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम से परिचालन खर्चों का अनुपात 'अनुपालन व्यय अनुपात' है।

प्रदत्त लाभ

I.3.18 जीवन बीमा उद्योग ने 2014–15 में ₹ 211180.27 करोड़ उच्चत्तर सकल लाभों का भुगतान किया (2013–14 में ₹ 216395.63 करोड़) इस प्रकार सकल प्रीमियम का 64.36 प्रतिशत अंतर्लिखित किया गया (2013–14 में 68.85 प्रतिशत)। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए लाभ ₹ 67054.52 करोड़ (2013–14 में ₹ 58380.09 करोड़) और प्रीमियम का 75.82 प्रतिशत अंतर्लिखित किया (2013–14 में 75.47 प्रतिशत)। एलआईसी ने 2014–15 में अंतर्लिखित प्रीमियम में से ₹ 144125.75 करोड़ के लाभ प्रदान किए जोकि अंतर्लिखित प्रीमियमका 60.14 प्रतिशत है (2013–14 में ₹ 158015.54 करोड़ जोकि अंतर्लिखित प्रीमियम का 66.69 प्रतिशत था। जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कुल पुनर्बीमा हेतु भुगतान किया गया समर्पण/आहरणों हेतु प्रदान किए गए लाभ ₹ 99700.76 करोड़ थे जिसमें से एलआईसी द्वारा ₹ 46537.61 करोड़ और निजी क्षेत्रों द्वारा ₹ 53163.15 करोड़ वहन किए गए। पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े ₹ 106921.11 करोड़ थे जिसमें से एलआईसी ने ₹ 59626.83 करोड़ और निजी क्षेत्रों ने ₹ 47294.28 करोड़ का भुगतान किया। 2014–15 में एलआईसी के मामले में, ₹ 46537.61 करोड़ के समर्पणों में से यूलिप पॉलिसियों ने ₹ 23224.49 करोड़ (49.90 प्रतिशत) जबकि 2013–14 में ₹ 38967.66 करोड़ (65.35 प्रतिशत) थी। निजी बीमा उद्योग के मामले में, यूलिप ने 2014–15 के दौरान ₹ 48657.89 करोड़ (91.53 प्रतिशत) भुगतान किया जो 2013–14 में ₹ 44541.11 करोड़ (94.18 प्रतिशत) था।

वर्ष 2014–15 के लिए मृत्यु दावे

व्यक्तिगत जीवन बीमा व्यापार :

I.3.19 वर्ष 2014–15 में, जीवन बीमा कंपनियों ने व्यक्तिगत पॉलिसियों के आधार पर 8.51 लाख दावों का समायोजन किया। जिसके अंतर्गत कुल ₹ 11,788.67 करोड़ का भुगतान किया गया। अस्वीकृत दावों की संख्या 18,231 थी जिसकी राशि ₹ 701.69 करोड़ थी। वर्ष के अंत तक विलंबित दावों की संख्या 7061 थी ओर इनमें ₹ 453.15 करोड़ की राशि शामिल थी, इनमें से 1488 दावे एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थे और 5,573 दावे एक वर्ष से कम ओर एक वर्ष की अवधि तक लंबित थे।

I.3.20 एलआईसी का दावा निपटान औसत निजी जीवन बीमाकर्ताओं से बेहतर था। 2014–15 के दौरान एलआईसी का निपटान औसत 98.19 तक बढ़ गया जबकि पिछले वर्ष यह औसत 98.14 प्रतिशत था। 2013–14 में अस्वीकृत गए दावों का प्रतिशत 1.15 था बाकी पिछले वर्ष के स्तर के समान था (1.10 प्रतिशत)।

I.3.21 निजी बीमाकर्ताओं का निपटान औसत वर्ष 2014–15 के दौरान कम ही कर 89.40 प्रतिशत पर 1.09 प्रतिशत पर जा पहुंचा। पिछले वर्ष यह औसत 88.31 प्रतिशत था। निजी बीमाकर्ताओं ने एलआईसी की अपेक्षा अधिक दावों को (9,486) अस्वीकृत किया जबकि एलआईसी की (8,689) थी। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत किये दावों की संख्या 2014–15 में 7.78 प्रतिशत थी जोकि 2013–14 में 8.03 प्रतिशत थी।

I.3.22 वर्ष 2014–15 में, उद्योग का निपटान औसत 2013–14 के 96.75 प्रतिशत की तुलना में कुछ बढ़कर 96.97 प्रतिशत हो गया और अस्वीकृत दावों का औसत 2013–14 (2.08 प्रतिशत) के ही लगभग समान अर्थात् 2.08 प्रतिशत रहा।

तालिका I.16
2014–15 के दौरान व्यक्तिगत मृत्यु पर जीवन बीमाकर्ताओं के दावे

(आंकड़े पॉलिसियों के प्रतिशत में हैं।)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	प्रदत्त दावे	अस्वीकृत/ निरस्त किए गए दावे	प्रति–लेखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का विवरण – अवधिनुसार (पॉलिसियाँ)			
						< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	89.40	7.78	0.02	2.80	76.42	7.89	4.28	11.41
एलआईसी	100.00	98.19	1.15	0.17	0.48	18.59	19.80	31.52	30.09
कुल उद्योग	100.00	96.97	2.08	0.15	0.80	46.51	14.05	18.37	21.07

तालिका I.17
2014–15 के दौरान समूह मृत्यु पर जीवन बीमाकर्ताओं के दावे

(आंकड़े जीवन बीमा रूप मे शमिल)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	प्रदत्त दावे	अस्वीकृत किए गए दावे	प्रति–लेखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का विवरण – अवधिनुसार (जीवित)			
						< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	91.20	1.80	0.00	7.00	6.89	0.47	0.26	92.39
एलआईसी	100.00	99.64	0.04	0.00	0.32	67.34	24.63	1.13	6.89
कुल उद्योग	**100.00**	**96.15**	**0.76**	**0.00**	**3.08**	**10.61**	**1.95**	**0.31**	**87.13**

समूह जीवन बीमा

I.3.23 2014–15 के दौरान सूचित दावों की कुल संख्या 4,52,625 थी जबकि वर्ष के प्रारंभ में 14,158 दावे लंबित पड़े थे। इनमें से जीवन बीमा उद्योग ने कुल 4,48,825 (कुल दावों का 96.15 प्रतिशत) दावों का निपटान किया। इनमें से 95.22 प्रतिशत दावों को 30 दिन की सूचना के भीतर निपटाया गया। 0.01 प्रतिशत दावों को निपटाने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा।

I.3.24 जबकि एलआईसी ने 99.64 प्रतिशत दावों का निपटान किया, निजी बीमाकर्ताओं ने कुल दावों में से 91.20 प्रतिशत का भुगतान किया। उद्योग द्वारा 0.76 प्रतिशत दावे अस्वीकृत कर दिये गए 0.0002 प्रतिशत दावों को बट्टे खाते में डाला गया और शेष 3.08 प्रतिशत दावे 31 मार्च 2015 तक लंबित पड़े थे।

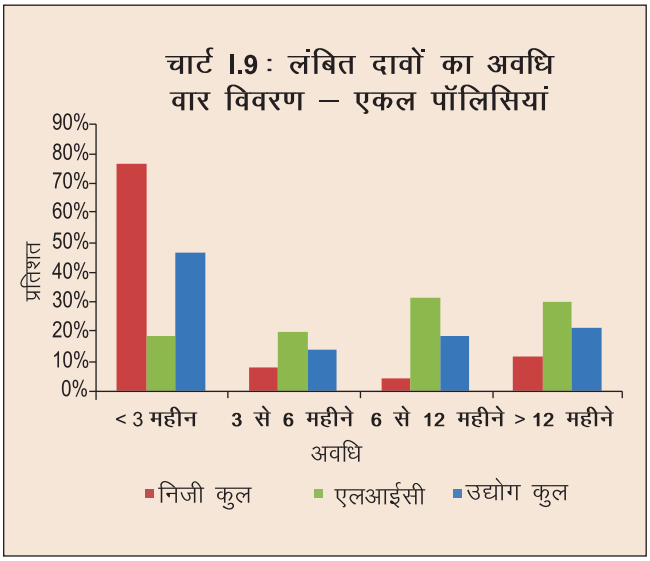

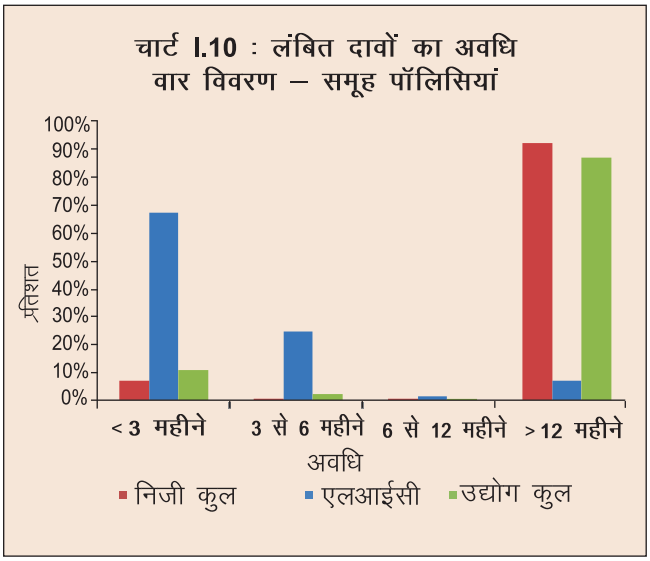

निवेश आय

I.3.25 जैसे ही बीमाकर्ताओं के प्रचालन स्थिर हो जाते हैं, उनका निवेश आधारा सशक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप, उनकी आय का एक बड़ा भाग निवेश आय से मिलने लगता है। जहां तक एलआईसी का संबंध है, निवेश आय पूंजीगत प्राप्तियों सहित ₹ 168063.58 करोड़ थी (2013–14 में ₹ 143244.37 करोड़)। निजी बीमा उद्योग के मामले में 2014–15 के निवेश आय पूंजीगत प्राप्तियों सहित ₹ 78701.54 करोड़ (2013–14 में 41819.68 करोड़) थी।

प्रतिधारण अनुपात

I.3.26 एलआईसी द्वारा पारंपरिक रूप से अपने व्यापार के एक छोटे भाग का ही पुनर्बीमा किया जाता है। 2014–15 के दौरान ₹ 184.88 करोड़ पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में (2013–14 में ₹ 144.23 करोड़) प्रदान किए गए। निजी बीमाकर्ताओं ने पुनर्बीमा के प्रीमियम के रूप में ₹ 997.12 करोड़ (2013–14 में 944.80 करोड़) अदा किए।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.3.27 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जीवन बीमा उद्योग को कुल ₹ 7611 करोड़ का लाभ हुआ जो 2013–14 में ₹ 7588 करोड़ था। 2014–15 में 24 जीवन बीमाकर्ताओं में से 21 कंपनियों ने लाभ कमाया। उनमें अवीवा लाइफ, बजाज आलियांज, बिरला सनलाइफ, केनरा एचएसबीसी, डीएचएफएल प्रमेरिका, फ्यूचर जनरली, एक्साइड लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, आईडीबीआई फेडरल, इंडिया फर्स्ट, कोटक महिन्द्रा, मैक्स लाइफ, पीएनबी मेटलाइफ, रिलायंस लाइफ, सहारा इंडिया, एसबीआई लाइफ, श्रीराम लाइफ, स्टार यूनियन, टाटा एआईए और एलआईसी ऑफ इंडिया शामिल हैं। एलआईसी ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष अर्थात् 2013–14 में ₹ 1656.68 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 1823.78 करोड़ अर्जित कर 10.09 प्रतिशत अधिक लाभ कमाया।

I.3.28 वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्न कंपनियों ने पहली बार लाभ कमाया फ्यूचर जनरली ने ₹ 0.99 करोड़, इंडिया फर्स्ट ने ₹ 6.89 करोड़ और स्टार यूनियन दाई इची ने ₹ 12.87 करोड़ लाभ कमाया।

अंश धारकों को लाभ

I.3.29 वर्ष 2014–15 में एलआईसी ने लाभांश के रूप में भारत सरकार को ₹ 1803 करोड़ (2013–14 में ₹ 1634 करोड़) का भुगतान किया। इस वित्तीय वर्ष में 7 निजी बीमाकर्ताओं ने लाभांश का भुगतान किया। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने रू. 139.64 करोड (2013–14 में ₹99.74 करोड़), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ₹ 836.83 करोड (2013–14 में ₹1093.29 करोड़), मैक्स लाइफ ने ₹ 199.63 करोड़ (2013–14 में ₹ 264.48 करोड़), रिलायंस लाइफ ने ₹ 95.71 करोड़ (2013–14 में ₹ 95.71 करोड़), सहारा इंडिया ने ₹ 23.20 करोड़ (2013–14 में शून्य), एसबीआई लाइफ ने ₹ 120 करोड़ (2013–14 में ₹ 100 करोड़),

और श्रीराम लाइफ ने ₹ 16.14 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) भुगतान किया।

तालिका I.18
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लाभांश भुगतान
(रू. करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
एलआईसी	1634	1803
निजी क्षेत्र*	1723	1434
कुल	**3357**	**3237**

टिप्पणी : 2013–14 में 6 बीमाकर्ता और 2014–15 में 7.

कार्यालयों का विस्तार

I.3.30 जीवन बीमा कार्यालयों की घटती संख्या (जोकि 2012–13 तक निरंतर जारी रहा) 2013–14 में अचानक सुधार हुआ। पिछले साल कार्यालयों संख्या 11032 थी जो 2014–15 में मामूली वृद्धि के साथ 11033 हुई।

I.3.31 यह देखा गया है कि अधिकांश जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय, कस्बों में स्थित होते हैं जोकि वित्त मंत्रालय के एचआरए सूची में नहीं होते। इन छोटे कस्बों में जीवन बीमा के लगभग 67 प्रतिशत कार्यालय स्थित है। यह तथ्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पर ही समान रूप से लागू होता है, निजी क्षेत्र (छोटे कस्बों में 58.2 प्रतिशत कार्यालय) तथा सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता (छोटे कस्बों में 79.5 प्रतिशत कार्यालय) हैं।

बीमा कार्यालयों का जिला स्तर पर वितरण

I.3.32 31 मार्च 2015 तक सार्वजनिक उपक्रम जीवन बीमाकर्ता एलआईसी ऑफ इंडिया के कार्यालय देश भर के 640 जिलों में से 606 जिलों में स्थित है (दस वर्षीय जनगणना के अनुसार)। देश के 94.69 प्रतिशत जिले इनमें आते हैं, जबकि निजी क्षेत्र की बीमाकर्ताओं के कार्यालय 552 जिलों में स्थित हैं जो देश भर के 86.25 प्रतिशत जिलों को आच्छादित करते हैं। कुल मिलाकर एलआईसी और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता देश के 95.16 प्रतिशत जिलों को आच्छादित किए हुए हैं। जीवन बीमा कार्यालयों की गैर मौजूदगी वाले 31 जिले देश भर में हैं। इनमें से 23 जिले उत्तर पूर्वी जिलों में स्थित हैं जिनके नाम हैं – अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (देश के 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से) के सभी जिलों में जीवन बीमा के कार्यालय स्थित हैं।

तालिका I.19
जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या *
(31 मार्च 2015 की स्थिति)

बीमाकर्ता	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
निजी	3072	6391	8785	8768	8175	7712	6759	6193	6156
एलआईसी	2301	2522	3030	3250	3371	3455	3526	4839	4877
उद्योग	**5373**	**8913**	**11815**	**12018**	**11546**	**11167**	**10285**	**11032**	**11033**

* सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद खोले गये कार्यालय।

टिप्पणी1. एक विशेष विवरणी के माध्यम से जीवन बीमाकर्ताओं से प्राप्त किए गए आंकड़े।
2. कार्यालय जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 के परिच्छेद 64वीसी में परिभाषित किया गया है।
3. 2001–2007 के लिए इसी प्रकार के आंकड़े के लिए आईआरडीए वार्षिक रिपोर्ट 2007–08 देखें

तालिका I.20
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों* का वितरण
(31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार)

बीमाकर्ता	महानगर	शहरी	अन्य	कुल
निजी ##	705	1867	3584	6156
एलआईसी #	378	622	3877	4877
उद्योग	**1083**	**2489**	**7461**	**11033**

* सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद कार्यालय खोले गए।

डाटा वित्त मंत्रालय द्वारा स्थानों में से एचआरए वर्गीकरण पर आधारित है।.

महानगर : दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरू

शहरी : एचआरए वर्गीकरण के अनुसार ए, बी–1 तथा बी–2 क्षेत्री शहर

अवर्गीकृत : बाकी स्थान

भारत के बाहर स्थित एक कार्यालय शामिल नहीं है।

भारत के बाहर स्थित दो कार्यालय शामिल नहीं है।

चार्ट I.11
जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

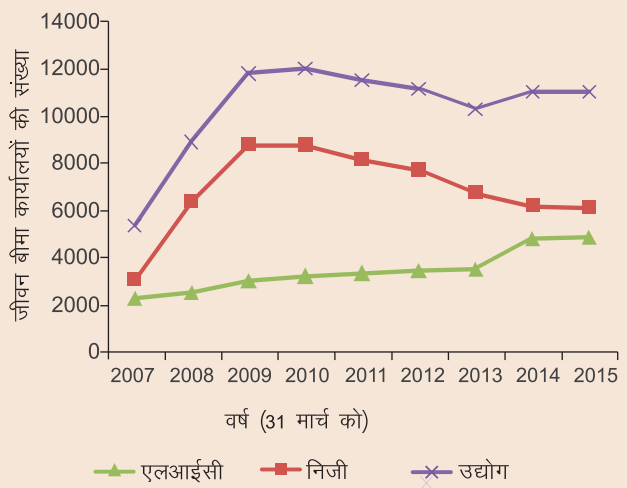

चार्ट I.12 : कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – निजी क्षेत्र

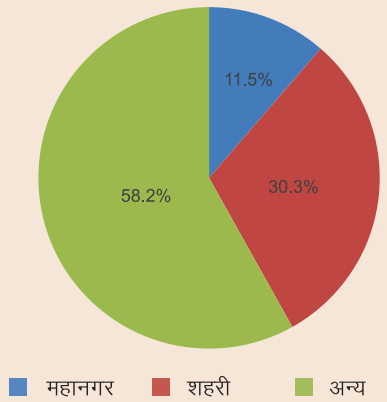

चार्ट I.13 : कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – एलआईसी

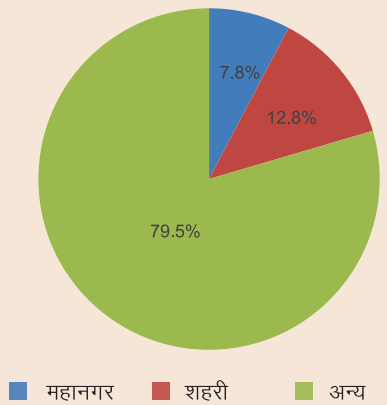

चार्ट I.14 : कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – उद्योग

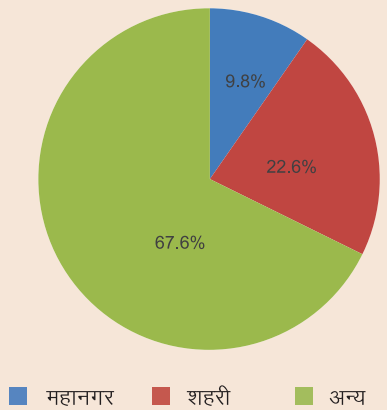

गैर–जीवन बीमा

I.3.33 31 मार्च 2015 तक देश में 28 सामान्य बीमा कंपिनयों को गैर–जीवन बीमा व्यापार करने हेतु पंजीकृत किया गया। इनमें से 6 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं जबकि अन्य निजी क्षेत्र से संबंधित हैं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से 5 बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य रोग में संचालन के लिए पंजीयन प्राप्त हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपिनयों में 4 बीमा कंपनियां बहु आयामी प्रचालन चलाती हैं। उनमें दो विशिष्ट बीमा कंपनियां भी हैं, जिनमें से एक क्रेडिट बीमा (ईसीजीसी) और दूसरी फसल बीमा (एआईसी) का काम करती है।

प्रीमियम :

I.3.34 गैर–जीवन बीमा उद्योग ने 2013–14 में ₹. 77553.80 करोड़ की तुलना में 2014–15 में ₹ 84684 करोड़ कुल प्रीमियम एकत्र किया। इस प्रकार उसने पिछले वर्ष 12.13 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 9.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2014–15 में 10.23 प्रतिशत वृद्धि हासिल की, जो पिछले वर्ष 10.21 प्रतिशत थी। निजी साधारण बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष 14.52 प्रतिशत की तुलना में 9.62 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।

तालिका I.21
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹. करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	38599.71	42549.48
	(10.21)	(10.23)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	32010.30	35090.09
	(14.52)	(9.62)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	2245.05	2942.61
	(30.06)	(31.07)
विशिष्ट बीमाकर्ता	4698.74	4102.10
	(5.48)	(-12.7)
कुल योग	**77553.80**	**84684.28**
	(12.15)	**(9.19)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

चार्ट **I.15** : भारत में गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रीमियम आय

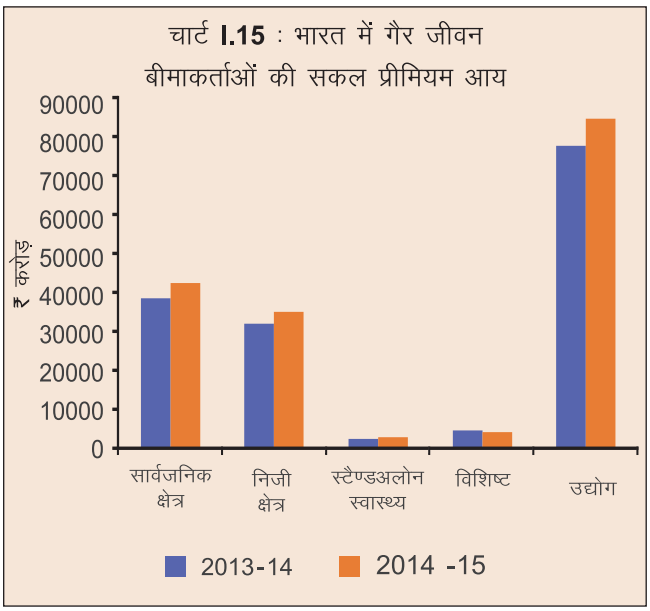

I.3.35 निजी क्षेत्र के 22 बीमाकर्ताओं (स्वास्थ्य बीमा व्यापार करने वाले बीमाकर्ताओं सहित) द्वारा 2014–15 में एकत्रित प्रीमियम पिछले वर्ष 2013–14 में ₹ 34255 करोड़ के मुकाबले ₹ 38033 करोड़ था। आईसीआईसीआई लोंबार्ड लगातार सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी बनी रही उसका बाजार अंश चालू वर्ष में 7.89 प्रतिशत रहा। 2013–14 में उसने 8.84 प्रतिशत का मार्केट शेयर हासिल किया। बजाज आलियांज गैर बीमा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी, उसने ₹ 5230 करोड़ का प्रीमियम एकत्रित किया, इसने 2013–14 में 5.82 प्रतिशत से बढ़कर पुनरावलोकन वर्ष में 6.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 22 निजी बीमाकर्ताओं में से जोकि 2014–15 में प्रचलन में थे, 19 बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2014–15 में प्रीमियम एकत्र

करने में वृद्धि दर्ज की है। 2014–15 में आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रीमियम में कमी दर्ज की। (तालिका I.22)

I.3.36 सार्वजनिक क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में सभी 4 कंपनियों ने प्रीमियम संचयन में वृद्धि के साथ अपनी कंपनियों का विस्तार किया। फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी को पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी झेलनी पड़ी। ओरियंटल का मार्केट शेयर गत वर्ष के 9.19 प्रतिशत की तुलना में घटकर 8.75 प्रतिशत हो गया। फिर भी न्यू इंडिया का मार्केट शेयर गत वर्ष 14.88 से बढ़कर 2014–15 में 15.60 प्रतिशत हो गया, नेशनल इंश्योरेंस का 13.18 से बढ़कर 2014–15 में 13.28 और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का 12.52 से बढ़कर 2014–15 में 12.62 प्रतिशत हो गया। ₹ 13209 करोड़ का प्रत्यक्ष बीमा प्राप्त कर न्यू इंडिया एक बार फिर भारत की विशालतम साधारण बीमा कंपनी के रूप में बरकरार रही।

चार्ट **I.16** : गैर जीवन बीमाकर्ताओं की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम – 5 वर्ष

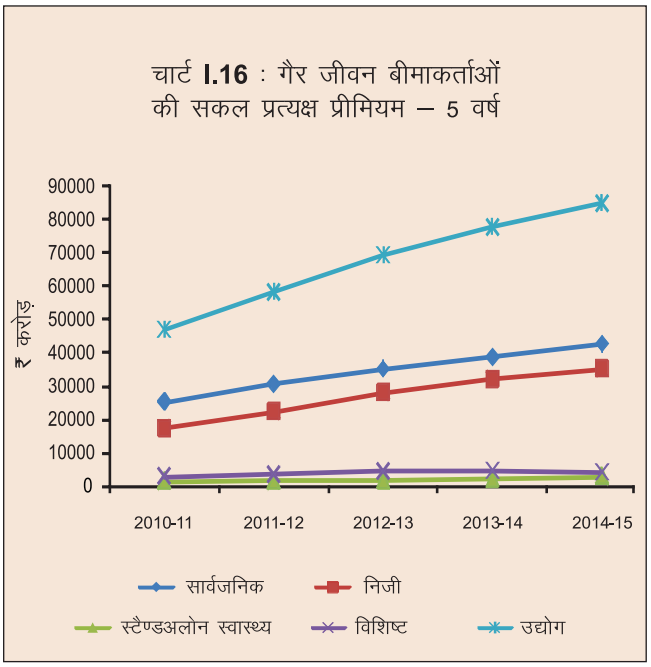

तालिका I.22 :
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय :
गैर–जीवन बीमाकर्ता–कंपनी अनुसार

(₹ लाख)

	कुल प्रीमियम		बाजार अंश (प्रतिशत)	
	2013-14	**2014-15**	**2013-14**	**2014-15**
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता				
नेशनल	1022288	1124189	13.18	13.28
न्यू इंडिया	1154006	1320939	14.88	15.60
ओरियंटल	712785	740794	9.19	8.75
यूनाइटेड	970893	1069026	12.52	12.62
उप योग	**3859972**	**4254948**	**49.77**	**50.24**
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
रॉयल सुन्दरम	143704	156920	1.85	1.85
रिलायंस	238882	271584	3.08	3.21
इफको–टोक्यो	293092	332997	3.78	3.93
टाटा एआईजी	236271	271414	3.05	3.21
आईसीआईसीआई लोंबार्ड	685616	667780	8.84	7.89
बजाज आलियांज	451645	522985	5.82	6.18
चोला मंडलम	185511	189043	2.39	2.23
एचडीएफसी इरगो	290699	318221	3.75	3.76
फ्यूचर जनरली	126256	143825	1.63	1.70
यूनिवर्सल सोम्पो	54045	70111	0.70	0.83
श्रीराम	151059	149652	1.95	1.77
भारती एक्सा	142316	145707	1.84	1.72
रहेजा क्यूबीई	2324	2163	0.03	0.03
एसबीआई	118757	157690	1.53	1.86
एल एण्ड टी	25378	33171	0.33	0.39
मैग्मा एचडीआई	42493	47360	0.55	0.56
लिबर्टी वीडियाकोन	12982	28386	0.17	0.34
उप योग	**3201030**	**3509009**	**41.27**	**41.44**
स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
अपोलो म्यूनिच	69247	80313	0.89	0.95
सिग्ना टीटीके	34	2183	0.00	0.03
मैक्स बुपा	30885	37266	0.40	0.44
रेलीगेयर	15231	27580	0.20	0.33
स्टार हेल्थ	109108	146919	1.41	1.73
उप योग	**224505**	**294261**	**2.89**	**3.47**
विशिष्ट बीमाकर्ता				
ईसीजीसी	130373	136240	1.68	1.61
एआईसी	339501	273970	4.38	3.24
उप योग	**469874**	**410210**	**6.06**	**4.84**
कुल योग	**7755381**	**8468428**	**100.00**	**100.00**

घटकवार प्रीमियम

I.3.37 मोटर बीमा व्यापार खण्ड में 44.14 प्रतिशत अंश के साथ सबसे बड़ा गैर जीवन बीमा क्षेत्र बना रहा (2013–14 में 43.61 प्रतिशत)। उसने 10.52 प्रतिशत (2013–14 में 14.15 प्रतिशत) की वृद्धि हासिल की। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रीमियम प्राप्ति 2013–14 के ₹ 19634 करोड़ के मुकाबले 2014–15 में ₹ 22636 करोड़ रहा। इस प्रकार उस क्षेत्र ने 15.29 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्र का मार्केट शेयर जोकि 25.32 प्रतिशत था वह मामूली बढ़त के साथ 26.73 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014–15 में अग्नि से प्रीमियम संग्रह में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि और समुद्री क्षेत्रों के लिए 4.48 प्रतिशत कमी आई है। जबकि पिछले वर्ष अग्नि और समुद्री क्षेत्रों में वृद्धि क्रमशः 11.04 प्रतिशत और 4.13 प्रतिशत थे।

तालिका I.23 : गैर–जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम अंकित प्रीमियम (भारत में) – घटक के अनुसार

(₹ करोड़)

विभाग	2013-14	2014-15
अग्नि	7363	8057
	(9.49)	(9.51)
समुद्री	3162	3020
	(4.08)	(3.57)
मोटर	33823	37379
	(43.61)	(44.14)
स्वास्थ्य	19634	22636
	(25.32)	(26.73)
अन्य	13572	13592
	(17.50)	(16.05)
कुल प्रीमियम	**77554**	**84684**

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े (प्रतिशत में) घटकवार प्रीमियम का अनुपात दर्शाते हैं।

2. उपरोक्त आंकड़ों में विशिष्ट बीमा कम्पनियां और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनियां शामिल हैं।

चार्ट I.17 : गैर जीवन बीमाकर्ताओं की घटकवार प्रीमियम

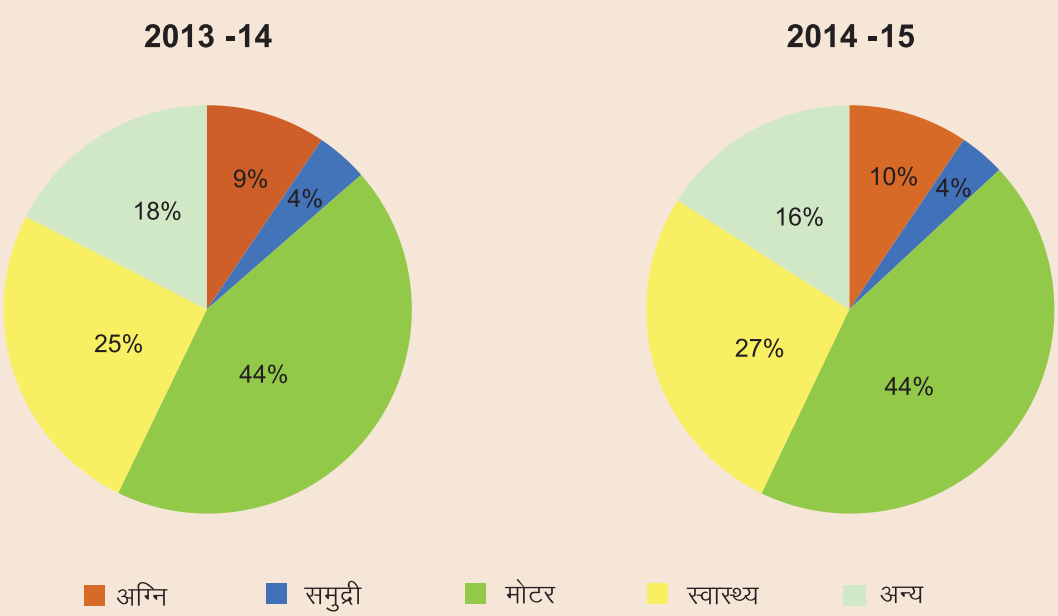

भारत के बाहर जोखिम अंकित प्रीमियम

I.3.38 सभी सार्वजनिक बीमाकर्ता (यूनाइटेड इंडिया के अतिरिक्त) भारत के बाहर भी, गैर जीवन बीमा व्यापार संचालित कर रहे हैं। यूनाइटेड इंडिया ने 2003–04 में, भारत के बाहर के प्रचालनों को बंद कर दिया था। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर 2014–15 में कुल प्रीमियम ₹ 2466 करोड़ अंतर्लिखित की गई थी जबकि 2013–14 में ₹ 2380 करोड़ थी। इसमें इन कंपनियों ने पिछले वर्ष के 16.13 प्रतिशत के मुकाबले 3.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। देश के बाहर एकत्रित प्रीमियम गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम का 2.83 प्रतिशत है।

तालिका I.24
कुल प्रीमियम में भारत से बाहर के प्रीमियम का अनुपात

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नेशनल	0.37	0.36
न्यू इंडिया	15.94	14.67
ओरियंटल	2.12	2.04
यूनाइटेड	0.00	0.00

I.3.39 न्यू इंडिया देश के बाहर प्रीमियम उगाने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। इसके द्वारा 2014–15 में विदेशों में कुल प्रीमियम का 14.67 प्रतिशत भाग उगाया गया, जो 2013–14 में 15.94 प्रतिशत की अपेक्षा बहुत कम है। ओरियंटल के मामले में भारत के बाहरी देशों में उगाया जाने वाला प्रीमियम 2014–15 में 2.04 प्रतिशत था जो 2013–14 में 2.12 प्रतिशत आंशिक तौर पर कम था। नेशनल इंश्योरेंस द्वारा समुद्र पार व्यापार में 2014–15 में 0.36 प्रतिशत का छोटा संघटक चलाया गया जो 2013–14 में 0.37 प्रतिशत से कुछ बढ़कर था।

I.3.40 वर्ष 2014–15 में देश के बाहर उगाए गए कुल प्रीमियम ₹ 2466 करोड़ में से, न्यू इंडिया ने ₹ 2271 करोड़ (2013–14 में ₹ 2188 करोड़) के उच्च प्रीमियम की उगाही की। उसका भारत के बाहर का कुल प्रीमियम 2013–14 में 91.90 प्रतिशत के मुकाबले 2014–15 में 92.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेशनल ने 2014–15 में ₹ 41 करोड़ (2013–14 में ₹ 38 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया। ओरियंटल इंश्योरेंस द्वारा उगाहा गया समुद्रपारीय प्रीमियम ₹ 154 करोड़ था जो पिछले वर्ष ₹ 155 करोड़ की तुलना में 0.47 प्रतिशत की गिरावट था। (तालिका 1.25)

तालिका I.25
भारत के बाहर हुए व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹ लाख)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
नेशनल	3810	4073
	(31.87)	(6.90)
न्यू इंडिया	218755	227095
	(19.18)	(3.81)
ओरियंटल	15470	15398
	-(16.50)	-(0.47)
यूनाइटेड	00.0	0.00
कुल	**238035**	**246566**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, गतवर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।

जारी पॉलिसियों की संख्या

I.3.41 गैर–जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 1182.79 लाख पॉलिसियां जारी कीं जबकि 2013–14 में उन्होंने 1024.52 लाख पॉलिसियां जारी कीं। इस प्रकार उन्होंने 2013–14 के मुकाबले 15.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं ने जारी की जाने वाली पॉलिसियों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की। 2014–15 वित्त वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली पॉलिसियों की संख्या में 12. 95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2013–14 में 12.99 प्रतिशत की गिरावट हुई। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जारी पॉलिसियों की संख्या में 2014–15 के दौरान 18.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (वित्त वर्ष 2013–14 में 11.54 प्रतिशत)।

तालिका I.26
जारी नई पॉलिसियों की संख्या : गैर–जीवन बीमाकर्ता*

(₹ लाख में)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
	600.06	677.82
सार्वजनिक क्षेत्र	(-12.99)	(12.95)
निजी क्षेत्र	424.47	504.97
	(11.54)	(18.96)
कुल	**1024.52**	**1182.79**
	(-4.27)	**(15.44)**

*स्टैंडअलोन निजी स्वास्थ्य और विशेष बीमा कंपनियों को छोड़कर।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, गतवर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।.

प्रदत्त पूंजी

I.3.42 गैर जीवन बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 2014 तक ₹ 10240 करोड़ थी। 2014–15 के दौरान गैर–जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने ईक्विटी पूंजी आधार में ₹ 1264 करोड़ की वृद्धि की। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने कोई अतिरिक्त पूंजी ₹ 50 करोड़ जोड़ी जबकि विशिष्ट संस्थान ईसीजीसी ने ₹ 100 करोड़ की पूंजी जोड़ी। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा ₹ 746 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी प्रदान की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ₹ 368 करोड़ की पूंजी निवेश की। ₹ 100 करोड़ की पूंजी सिग्ना टीटीके ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई जबकि प्रारंभिक पूंजी विनियमों के तहत निर्धारित थी।

जोखिम अंकन अनुभव

I.3.43 गैर जीवन बीमा कंपनियों की हानियाँ गत वर्ष ₹ 7641 करोड़ के मुकाबले 2014–15 में बढ़कर ₹ 10127 करोड़ हो गई। हानियों का बीमाकरण गत वर्ष की तुलना में 32.54 प्रतिशत अधिक था। सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2013–14 में ₹ 5379 से बढ़कर 2014–15 में ₹ 6592 करोड़ होकर 22.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निजी क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2013–14 में ₹ 1810 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 2495 करोड़ वृद्धि हुई। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता की

तालिका I.27
प्रदत्त पूंजी : गैर जीवन बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमाकर्ता*

(रू. करोड)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
गैर जीवन		
सार्वजनिक क्षेत्र	600	650
निजी क्षेत्र	6226	6972
विशिष्ट बीमाकर्ता		
ईसीजीसी	1100	1200
एआईसी	200	200
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
स्टार हेल्थ	334	362
अपोलो म्यूनिच	331	349
मैक्स बुपा	669	791
रेलीगेयर हेल्थ	250	350
सिग्ना टीटीके	100	200
पुनर्बीमाकर्ता		
जीआईसी	430	430
कुल	**10240**	**11504**

टिप्पणी :* शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन मुद्रा को छोड़कर।

हानियाँ 2013–14 में ₹ 547 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 611 करोड़ की हुई। इसी प्रकार विशिष्ट बीमाकर्ताओं ने जोखिमांकन हानियों में 2013–14 में ₹ 95 करोड़ की तुलना में 2014–15 में ₹ 428 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

गैर–जीवन बीमाकर्ता के व्यय

I.3.44 सार्वजनिक बीमाकर्ता, निजी गैर–बीमाकर्ता, स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ता और विशिष्ट बीमाकर्ता के कमीशन संबंधी व्यय 2014–15 के लिए क्रमशः ₹ 3105 करोड़, ₹ 1761 करोड़, ₹ 1028 करोड़ और ₹ 34 करोड़ था, जो समेकित रूप से, गैर–जीवन बीमा उद्योग के कुल व्यय का ₹ 5928 करोड़ था। हेल्थ बीमा क्षेत्र में कमीशन व्यय लगातार बढ़कर ₹ 2554 करोड़ हुआ जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ₹ 1001 करोड़, निजी क्षेत्र की

कंपनियों के लिए ₹ 526 करोड़ और स्टैंडअलोन हेल्थ बीमा कंपनियों के लिए ₹ 1027 करोड़ था।

I.3.45 कमीशन व्यय और प्रचालन व्यय कुल व्ययों का एक मुख्य भाग होते हैं। गैर–जीवन बीमा कंपनियों के प्रचालन व्यय, 2014–15 में ₹ 20206 करोड़ रहा जोकि 2013–14 में ₹ 16251 करोड़ था। इस प्रकार इस व्यय में 24.34 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं और विशिष्ट बीमाकर्ताओं के प्रचालन व्यय में गत वर्ष के मुकाबले क्रमशः 27.19 प्रतिशत, 19.25 प्रतिशत, 31.90 प्रतिशत और 24.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (तालिका I.30)

तालिका I.28
जोखिम अंकन अनुभव : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड)

	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	-5378.66	-6592.47
	(-16.09)	(-17.14)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-1810.19	-2495.42
	(-8.06)	(-10.23)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-546.96	-611.00
	(-35.56)	(-28.43)
विशिष्ट बीमाकर्ता	95.01	-428.44
	(3.63)	(-16.77)
कुल	**-7640.81**	**-10127.32**
	(-12.72)	**(-14.99)**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवल अर्जित प्रीमियम का अनुपात दर्शाते हैं।

तालिका I.29
कमीशन व्यय : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड)

विभाग	निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता		सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशिष्ट बीमाकर्ता		कुल	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अग्नि	169.27	192.14	494.66	568.04	0.00	0.00	0.00	0.00	663.93	760.18
समुद्री	89.58	99.16	179.66	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	269.24	268.53
मोटर	743.11	716.53	886.24	870.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1629.35	1587.48
स्वास्थ्य	370.06	526.02	790.50	1000.52	845.80	1027.49	0.00	0.00	2006.36	2554.03
अन्य	271.63	226.87	518.66	496.23	0.00	0.00	37.10	34.19	827.39	757.29
कुल	**1643.65**	**1760.72**	**2869.72**	**3105.11**	**845.80**	**1027.49**	**37.10**	**34.19**	**5396.27**	**5927.51**

I.3.46 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40सी के अनुसार कोई भी बीमाकर्ता प्रबंधन व्यय के रूप में बीमा नियम 1939 के नियम 17ई के तहत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं कर सकता। इन व्ययों की सीमा निर्धारित करते समय नियम 17ई द्वारा बीमाकर्ता के आकार और आयु को ध्यान में रखा जाता है। प्राधिकरण द्वारा साधारण बीमा परिषद की संस्तुति पर किसी भी वर्ष यह सीमा धारा 64एफ के तहत बढ़ाई जा सकती है।

तालिका I.30
परिचालन व्यय : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	8791	11181
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	6312	7527
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	928	1224
विशिष्ट बीमाकर्ता	220	274
कुल	**16251**	**20206**

I.3.47 नियम 17ई के अंतर्गत प्राधिकार ने 22 निजी बीमाकर्ताओं को प्रथम पांच वर्षों के दौरान सीमाओं पर छूट दे रखी है। पांच वित्तीय वर्षों की यह अवधि व्यापार की शुरूआत के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त होती है।

I.3.48 वर्ष 2014–15 में 28 गैर–जीवन बीमाकर्ताओं में से (चार सार्वजनिक उपक्रम व दो विशिष्ट संस्थानों सहित) 7 बीमाकर्ता छूट की अवधि में है। जबकि 7 बीमाकर्ताओं को नियम 17 ई की सीमाओं का अनुपालन करना है तथा 14 बीमाकर्ताओं के लिए 17ई के अनुपालन की कोई बाध्यता नहीं होगी।

उपगत दावा अनुपात

I.3.49 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कुल उपगत दावे 2014–15 में ₹ 55232 करोड़ थे जोकि 2013–14 में ₹ 49179 करोड़ थे। इन दावों ने 2014–15 के दौरान 12.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं और विशिष्ट बीमाकर्ताओं ने क्रमशः 13.48 प्रतिशत, 8.71 प्रतिशत, 31.55 प्रतिशत और 17.27 प्रतिशत दावों में वृद्धि की। सम्पूर्णतः 2014–15 में उपगत दावों में 12.31 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष के 15.57 प्रतिशत से कम थी।

I.3.50 गैर जीवन बीमा उद्योग के उपगत दावों का अनुपात (निवल उपगत दावे से निवल अर्जित प्रीमियम) 2014–15 में 81.70 प्रतिशत था जो गत वर्ष के 81.98 प्रतिशत से कुछ कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के इन दावों का अनुपात 2014–15 के लिए 82.09 प्रतिशत था जो गत वर्ष के उपगत दावों के अनुपात 83.20 प्रतिशत से कम था। जबकि 2014–15 के लिए निजी क्षेत्र के गैर जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं और विशिष्ट बीमाकर्ताओं के उपगत दावों का अनुपात क्रमशः 79.69 प्रतिशत, 62.18 प्रतिशत और 110.68 प्रतिशत था जो गत वर्ष क्रमशः 79.58 प्रतिशत, 66.06 प्रतिशत और 96.69 प्रतिशत था।

तालिका I.31
वहन किए गए निवल दावे : गैर जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	**2013-14**	**2014-15**
सार्वजनिक क्षेत्र बीमाकर्ता	27817.96	31567.75
	(11.00)	(13.48)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	17874.11	19430.46
	(22.74)	(8.71)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1016.03	1336.62
	(50.93)	(31.55)
विशिष्ट बीमाकर्ता	2470.52	2897.21
	(9.44)	(17.27)
कुल योग	**49178.62**	**55232.04**
	(15.57)	(12.31)

टिप्पणीः कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।

I.3.51 विभिन्न क्षेत्रों में से हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के दावों का अनुपात सबसे अधिक क्रमशः 96.93 प्रतिशत और 77.14 प्रतिशत था। पिछले वर्ष के अनुपात 79.50 प्रतिशत से मोटर क्षेत्र के दावों का अनुपात 2014–15 में घटकर 77.14 प्रतिशत हो गया। फिर भी अन्य क्षेत्रों के उपगत दावों का अनुपात पिछले वर्ष 72.96 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 73.91 हो गया। इसी प्रकार अग्नि क्षेत्र के दावे गत वर्ष के 76.54 से घटकर 73.78 हो गए। वर्ष 2014–15 में सभी खण्डों में सामूहिक रूप से देखें तो उपगत दावा अनुपात 100 प्रतिशत से कम था। (तालिका I.32)

निवेश आय : गैर–जीवन बीमाकर्ता

I.3.52 वर्ष 2014–15 के दौरान सभी गैर–जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय ₹ 16767 करोड़ (2013–14 में ₹ 14319 करोड़) थी जो गत वर्ष के 15.24 प्रतिशत के मुकाबले 17.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संदर्भाधीन वर्ष में स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं की निवेश आय बढ़कर 34.98 प्रतिशत और बाद में निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और विशिष्ट बीमाकर्ताओं की निवेश आय क्रमशः

तालिका I.32

वहन किए निवल दावों का अनुपात : गैर जीवन बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

विभाग	निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता		सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ता		विशिष्ट बीमाकर्ता		कुल	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
अग्नि	80.39	75.21	55.45	66.19	-	-	-	-	76.54	73.78
समुद्री	59.30	57.80	71.24	87.38	-	-	-	-	63.37	67.44
मोटर	77.51	72.38	81.40	81.91	-	-	-	-	79.50	77.14
स्वास्थ्य	106.19	109.97	87.62	79.17	66.06	62.18	-	-	97.05	96.93
अन्य	64.55	55.97	63.00	60.61	-	-	96.69	110.68	72.96	73.91
कुल	**83.20**	**82.09**	**79.58**	**79.69**	**66.06**	**62.18**	**96.69**	**110.68**	**81.98**	**81.70**

23.91 और 14.77 प्रतिशत थी। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की आय में 14.17 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

तालिका I.33

निवेश आय : गैर जीवन बीमाकर्ता

(रू. करोड़)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र	9394.29	10725.02
	(9.08)	(14.17)
निजी क्षेत्र	3979.64	4931.01
	(32.09)	(23.91)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	132.29	178.56
	(41.74)	(34.98)
विशिष्ट बीमाकर्ता	812.69	932.75
	(15.00)	(14.77)
कुल योग	**14319**	**16767**
	(15.24)	**(17.10)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवल लाभ

I.3.53 वर्ष 2014–15 के दौरान गैर जीवन बीमा उद्योग का निवल लाभ 2013–14 में ₹ 4649 करोड़ की तुलना में ₹ 4639 करोड़ था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ₹ 3094 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ₹ 1644 करोड़ और विशिष्ट बीमाकर्ताओं ने ₹ 348 करोड़ का निवल लाभ दर्ज कराया जबकि स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं ने ₹ 447 करोड़ की निवल हानि दर्ज की।

I.3.54 सभी 4 सार्वजनिक बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2014–15 में निवल लाभ अर्जित किया। न्यू इंडिया ने पिछले वर्ष के निवल लाभ ₹ 1089 करोड़ के मुकाबले 2014–15 में ₹ 1431 करोड़ का लाभ प्राप्त किया और 31.40 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। नेशनल का निवल लाभ गत वर्ष के ₹ 823 करोड़ से बढ़कर ₹ 970 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष के मुकाबले 17.86 अधिक था। ओरियंटल 2014–15 में ₹ 392 करोड़ का लाभ कमाया जो 2013–14 में ₹ 460 करोड़ के मुकाबले 14.78 प्रतिशत कम था। यूनाइटेड इंडिया ने 2013–14 के ₹ 528 करोड़ की तुलना में 2014–15 में ₹ 301 करोड़ था जो 42.99 प्रतिशत कम था।

I.3.55 17 निजी बीमा कंपनियों में से 13 कंपनियों का लाभ दर्ज किया जबकि 4 कंपनियों ने 2014–15 में निवल हानियां झेली। वर्ष 2014–15 में बजाज आलियांज को 2013–14 में ₹ 409 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में ₹ 562 करोड़ का निवल लाभ हुआ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का निवल लाभ 2014–15 में ₹ 536 करोड़ था जबकि 2013–14 में ₹ 511 करोड़ निवल लाभ कमाया था। निवल हानि अर्जित करने वाले 4 बीमाकर्ता थे – एबीआई जनरल, भारती एक्सा, एल एण्ड टी जनरल और लिबर्टी वीडियोकोन। सभी स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं अपोलो म्यूनिक को छोड़कर वर्ष 2014–15 में हानि दर्ज की जबकि वर्ष 2013–14 में सभी स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ताओं ने निवल हानि दर्ज की। अपोलो म्यूनिक ने 2014–15 में ₹ 0.66 करोड़ का निवल लाभ कमाया। दोनों विशिष्ट बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2014–15 में निवल लाभ कमाया।

अंशधारकों को प्रतिफल

I.3.56 4 सार्वजनिक क्षेत्र की गैर–जीवन बीमा कंपनियों में से न्यू इंडिया ने 2014–15 में ₹ 300 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया जो पिछले वर्ष यानि 2013–14 में ₹ 220 करोड़ था। नेशनल इंश्योरेंस ने वर्ष 2014–15 में ₹ 193.53 करोड़ लाभांश का भुगतान किया जबकि 2013–14 में यह राशि ₹ 164.66 करोड़ थी। ओरियंटल इंश्योरेंस ने गत वर्ष के ₹ 108 करोड़ की तुलना में 2014–15 में ₹ 110 करोड़ का लाभांश दिया। यूनाइटेड इंडिया ने 2013–14 के ₹ 106 करोड़ की तुलना में 2014–15 में ₹ 61 करोड़ का लाभांश भुगतान किया।

निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं में से वर्ष 2014–15 में 4 लाभांश भुगतान किए। टाटा एआईजी ने ₹ 37.88 करोड़, एचडीएफसी अरगो ने ₹ 40.40 करोड़ का लाभांश, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ₹ 89.12 करोड़ का लाभांश भुगतान किया और श्रीराम जनरल ने ₹ 43.62 करोड़ का लाभांश भुगतान किया।

I.3.57 जीआईसी द्वारा गत वर्ष के ₹ 449.35 करोड़ के मुकाबले 2014–15 में ₹ 540 करोड़ का लाभांश भुगतान किया। ईसीजीसी ने वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 88 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2014–15 में ₹ 48 करोड़ ही लाभांश भुगतान किया। वर्ष 2014–15 में एआईसी द्वारा रू. 20 करोड़ लाभांश दिया गया जबकि पिछले वर्ष शून्य था।

तालिका I.34
निवल लाभ/हानियाँ : गैर जीवन बीमाकता

(₹ लाख)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र	289976	309399
निजी क्षेत्र	153914	164351
स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ता	-40310	-44651
विशिष्ट बीमाकर्ता	61326	34814
कुल	**464906**	**463913**

तालिका I.35
प्रदत्त लाभांश : गैर–जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड)

बीमाकर्ता	2013-14	2014-15
गैर–जीवन		
सार्वजनिक क्षेत्र	599	665
निजी क्षेत्र	77	211
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	**0**	**0**
विशिष्ट बीमाकर्ता		
ईसीजीसी	88	48
एआईसी	0	20
पुनर्बीमा		
जीआईसी	449	540
कुल	**1213**	**1484**

कार्यालयों की संख्या – गैर जीवन बीमाकर्ता

I.3.58 31 मार्च 2015 तक गैर बीमा कंपनियां देश भर में 10,407 कार्यालयों के माध्यम से कार्यरत थी जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां तथा निजी क्षेत्र की कंपनियां क्रमशः 8,207 और 2,200 कार्यालयों में अपना काम प्रचालित कर रही थीं।

तालिका I.36
गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति)

बीमाकर्ता	2014	2015
सार्वजनिक क्षेत्र *	7,869	8207
निजी क्षेत्र	2,003	2200
कुल	**9,872**	**10407**

* इनमें विशेषीकृत एआईसी तथा ईसीजीसी शामिल हैं।

तालिका I.37
गैर जीवन कार्यालयों की संख्या – टीयर अनुसार

गैर जीवन बीमाकर्ता	वर्ष	टीयर I	टीयर II	टीयर III	टीयर IV	टीयर V	टीयर VI	कुल
सार्वजनिक क्षेत्र	2014	3747	1361	1257	1298	80	43	7786
	2015	3866	1282	1517	1233	170	52	8120
निजी क्षेत्र	2014	1337	124	147	0	0	0	1608
	2015	1706	28	6	2	0	0	1742
स्टैंडअलोन हेल्थ	2014	394	1	0	0	0	0	395
	2015	255	203	0	0	0	0	458
विशिष्ट बीमाकर्ता	2014	82	1	0	0	0	0	83
	2015	87	0	0	0	0	0	87
कुल	**2014**	**5560**	**1487**	**1404**	**1298**	**80**	**43**	**9872**
	2015	**5914**	**1513**	**1523**	**1235**	**170**	**52**	**10407**

चार्ट I.18 2014–15 के लिए टीयर वार गैर जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

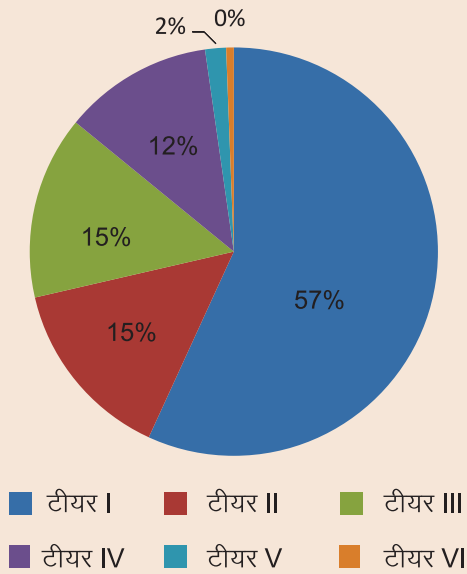

जिला स्तरीय व्याप्ति

I.3.59 जीवन बीमा की तुलना में गैर जीवन बीमाकर्ताओं के अधीन आने वाले जिलों की संख्या कम है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के 4 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय, 640 जिलों में से 606 जिलों में स्थित हैं (94.68 प्रतिशत) जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता मात्र 285 जिलों में ही अपने कार्यालय स्थापित कर पाए हैं। भारत में ऐसे 34 जिले हैं (जिलों का 5.3 प्रतिशत) जहां किसी गैर जीवन बीमाकर्ता का कार्यालय नहीं है। निजी क्षेत्रों के बीमा कार्यालय, अभी तक 355 जिलों में अपनी शाखाएं नहीं खोल पाए हैं। केवल 23 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से) के सभी जिलों में गैर जीवन बीमा के कार्यालय खुल चुके हैं। यही वजह है कि देश में गैर जीवन बीमाकर्ताओं का उतना व्यापक विस्तार नहीं हो पाया जितना कि जीवन बीमाकर्ताओं का हो पाया है।

विशेषीकृत बीमाकर्ता

ईसीजीसी लि. (पूर्व भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

I.3.60 ईसीजीसी एक ऐसी विशिष्ट कंपनी है जो निर्यात ऋण बीमा का जोखिम अंकित करता है। कंपनी ने 2014–15 में ₹ 1362 करोड़ का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम हासिल कर 4.48 प्रतिशत की वृद्धि की जो 2013–14 में ₹ 1304 करोड़ थी। बीमाकर्ता ने गत वर्ष के ₹ 62.62 करोड़ जोखिम अंकित की हानि की तुलना में इस वर्ष ₹ 291.91 करोड़ का जोखिम अंकित लाभ अर्जित किया। बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम गत वर्ष के ₹ 907 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष ₹ 1019 करोड़ था। कंपनी का निवल लाभ गत वर्ष में ₹ 365 करोड़ से घटकर ₹ 180 करोड़ हो गया। बीमाकर्ता ने 2014–15 में 114 प्रतिशत (2013–14 में 82.23 प्रतिशत) का उपगत दावा अनुपात अर्जित किया।

I.3.61 कंपनी के पास 11236 अल्पकालिक निर्यात ऋण इंश्योरेंस पॉलिसियां थीं जिन्हें 2014–15 में लागू किया गया (2013–14 में 11109) जिनमें ट्रांसफर गारंटी भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान अल्पकालिक पॉलिसियों पर अर्जित प्रीमियम ₹ 383.87 करोड़ (2013–14 में ₹ 389 करोड़) थी। वर्ष के दौरान ईसीआईबी की प्रीमियम आय ₹ 942.29 करोड़ (2013–14 में ₹ 870 करोड़) थी। मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार से प्राप्त प्रीमियम आय 2014–15 में ₹ 36.24 करोड़ थी जो 2013–14 में ₹ 45.48 करोड़ थी।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड

I.3.62 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो कृषि बीमा व्यवसाय में शामिल है। कंपनी ने 2014–15 में ₹ 2740 करोड़ के सकल प्रीमियम का जोखिम अंकित किया जिसमें 19 प्रतिशत की कमी आई जो 2013–14 में ₹ 3395 करोड़ थी। वर्ष 2013–14 के लिए बीमाकर्ता ने ₹ 1648 करोड़ का निवल अर्जित प्रीमियम प्राप्त किया जबकि 2014–15 में यह ₹ 1598 ही रह गया। बीमाकर्ता के जोखिम अंकन लाभ में 2014–15 में ₹ 137 करोड़ हानि हुई जबकि 2013–14 में ₹ 32 करोड़ का लाभ अंकित किया गया। बीमाकर्ता के जोखिम अंकन में 2014–15 में रू. 158 करोड़ हानि हुई जबकि 2013–14 में रू. 32 करोड़ का लाभ अंकित किया गया था। कंपनी का निवल लाभ गत वर्ष ₹ 249 करोड़ से घटकर ₹ 168 करोड़ था। कंपनी का उपगत दावों का अनुपात 2013–14 के 104.65 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 108.47 प्रतिशत था।

भारतीय साधारण बीमा निगम

I.3.63 जीआईसी भारत की एकमात्र राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी हे जो भारत में प्रत्यक्ष साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा प्रदान करती है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम, देश में अधिकतम प्रतिधारण घरेलू बाजार में पर्याप्त क्षमताओं के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह भारतीय मोटर अन्य पक्ष अस्वीकृत जोखिम पूल के प्रशासन का काम भी करती है जो विशिष्ट वाणिज्यों वाहनों के पुनर्बीमा के लिए बनाया गया है तथा जहां पॉलिसी जारी करने वाला सदस्य बीमाकर्ता अस्वीकृत जोखिम बीमा पूल में बीमा प्रीमियम का निवेश करता है जोकि भाबीविविप्रा की अनुमोदित जोखिमांकन नीति पर आधारित है।

I.3.64 जीआईसी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 13857 करोड़ कुल प्रीमियम हासिल किया गया जबकि 2013–14 में ₹ 13213 करोड़ हासिल हुआ था – इसमें 4.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनर्बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम 2014–15 में घटकर ₹ 13558 करोड़ हो गया जोकि 2013–14 में ₹ 13609 करोड़ था। कुल उपगत दावों का अनुपात 2013–14 में 89 प्रतिशत था जो घटकर 2014–15 में 87.70 प्रतिशत हो गया। कंपनी ने गत वर्ष के ₹ 2253 करोड़ के मुकाबले 2014–15 में ₹ 2694 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता साधारण बीमा निगम (जीआईसी री) ने 31 मार्च 2015 तक 3.04 ऋणशोधन क्षमता अनुपात दर्ज किया जो 31 मार्च 2014 को 2.73 था।

I.4 समीक्षा

I.4.1 पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा

I.4.1.1 पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा विनियमन का प्रारूप

संरक्षण :– पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा के लिए बुनियादी ढांचा आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का रक्षा संरक्षण) विनियम 2002 निहित है। बीमा उद्योग में इस तरह के उत्पादों के नए प्रकार जैसे सूक्ष्म बीमा उत्पादों, यूलिप उत्पादों, स्वास्थ्य बीमा आदि की शुरूआत के रूप में कई बदलाव देखे गए हैं, वितरण चैनलों की नई श्रेणियों जैसे कॉर्पोरेट एजेंटों, बीमा दलाल, वेब एग्रीगेटर्स और बीमा विपणन कंपनियों (आईएमएफ) को बीमा वितरण गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है। यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ–साथ बीमा बिक्री प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, एजेंटों और बिचौलियों द्वारा आचार संहिता कड़ाई से लागू की जाए। निर्दिष्ट समय सीमा में शिकायतों के निवारण के लिए प्राधिकरण द्वारा एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और एकीकृत शिकायत कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई है। इस उद्योग में बीमा पॉलिसियों की सेवाओं में प्रतिस्पर्धी मानकों की स्थापना में मदद की हैं।

वित्तीय लेन–देने के नियमों के सभी चरणों में अधिक से अधिक उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित एफएसएलआरसी से भी सिफारिश करते हैं। इसलिए बदलते समय के साथ मौजूदा नियमों की जांच की आवश्यकता महसूस की गई। और इस तरह उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मौजूदा नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन आईआरडीएआई के रूप में किया गया, विभिन्न सेवाओं के लिए टैट्स की समीक्षा, बीमा उद्योग में व्यापार के प्रत्येक क्रम में निर्धारित समय सीमा के लिए नागरिक चार्टर की विभिन्न सेवाओं की शुरूआत की जा रही है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ड्राफ्ट आईआरडीए विनियम 2014 (पॉलिसीधारक के हितों के संरक्षण) में टिप्पणी के लिए सार्वजनिक डोमेन रखे गये थे। प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों के संरक्षण) नियम जारी किए जाएगे। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी भी विचलन और बीमा पॉलिसी की सेवाओं में न्यूनतम संदर्भ मानक की स्थापना करने का प्रयास है।

I.4.1.2 आईआरडीएआई और अन्य वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के नाम पर फर्जी कॉल्स बीमा उद्योग के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह के खतरे की जांच करने के लिए, आईआरडीएआई प्रमुख समचार पत्रों में कई सार्वजनिक नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन आदि जारी करता है, बीमा कंपनियों के लिए विभिन्न टच पॉइंट्स पर और मीडिया में फर्जी कॉल्स के खिलाफ आम जनता को सतर्क करने के लिए दिशा–निर्देश देकर सावधान करता है। इस तरह के कॉल्स प्राप्त मामले में आम जनता द्वारा किए जाने वाले धोखेबाजों और उपायों के द्वारा पीछा, काम करने का ढंग के बारे में आईआरडीएआई ने फर्जी कॉल्स और फर्जी प्रस्तावों के खिलाफ 26 अगस्त 2014 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम जनता को सावधान किया।

I.4.1.3 ग्राहक शिक्षा पहल के रूप में आईआरडीएआई ने ''सही खरीद के माध्यम से बीमा के वास्तविक मूल्य – कुछ सुझाव'' शीर्षक के साथ 15 अगस्त 2014 को अंग्रेजी के अग्रणी समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन द्वारा आईआरडीएआई के नाम पर किए गए फर्जी कॉल्स और बिना लाइसेंस बिचौलियों को भुगतान करने से आम जनता को सावधान किया गया।

I.4.1.4 4 सितम्बर 2014 को एक प्रेस विज्ञप्ति में, आईआरडीएआई ने नकली कॉल के नए पैटर्न के बारे में सूचना देकर जनता को सावधान किया और नकली कॉल पर ऑडियो क्लिप जारी की।

I.4.1.5 प्राधिकरण ने इस तरह के उत्पादों, वितरण और पॉलिसीधारक के हितों की सुरक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा करोबार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियामक ढांचे की जांच करने के लिए 29 दिसम्बर 2014 को एक 'स्वास्थ्य बीमा पर विशेषज्ञ समिति' गठित की। समिति ने सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसे 27 अप्रैल 2015 को प्रकाशित किया गया।

I.4.1.6 आईआरडीएआई ने 9 फरवरी 2015 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आईआरडीएआई के डोमेन irda.gov.org का उपयोग कर ईमेल स्पूफिंग के बारे में बताकर कथित तौर पर आईआरडीएआई के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिरूपण और फर्जी ईमेल आईडी से जनता के लिए मेल भेजने के द्वारा जनता को धोखा देने की कोशिश कर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के आचरण के बारे में बताकर आम जनता को सतर्क किया गया। इस प्रकार के किसी भी संदिग्ध ईमेल के प्राप्त होने के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की साइबर अपराध शाखा को रिपोर्ट करने की सलाह आम जनता को दी थी।

भाबीविविप्रा की वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता की पहल :

I.4.1.7 निजी भागीदारी के लिए बीमा क्षेत्र की शुरूआत के बावजूद, बीमा निवेश और घनत्व का स्तर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण बीमा उत्पादों और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी है।

वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता वित्तीय समावेशन के आवश्यक घटक हैं। भाबीविविप्रा के उपभोक्ता जागरूकता की पहल का उद्देश्य बीमा के लाभों के बारे में आम जनता को शिक्षित करना है कि कैसे एक बीमा उत्पाद का चयन और सेवा प्रदाता से संतुष्ट न होने के मामले में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में एवं वित्तीय सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कोई शिकायत के बारे में उन्हें शिक्षित करना है।

प्राधिकरण अपनी विनियामक ढांचे में पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा का एक साधन के रूप में बीमा के प्रति जागरूकता और उपभोक्ता शिक्षा के सिद्धान्तों को लागू करे। इस संबंध में महत्वपूर्ण नियामक प्रावधानों में से कुछ नीचे दिए गए हैं :

i) आईआरडीए (पंजीकरण) विनियम, 2000 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवेदन कर रही नई कम्पनियों को बीमा जागरूकता पॉलिसी संलग्न करें।

ii) आईआरडीए (विज्ञापन), विनियम, 2000 के तहत खुलासे की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना और बीमा कम्पनियों के विज्ञापनों, प्रमोशन एवं प्रचार के दिशा निर्देश में डालें।

iii) आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के अंतर्गत बिक्री के समय संभावित खुलासों को अनिवार्य रूप से बताना।

iv) निगमित प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की स्थापना और पॉलिसीधारक से अच्छे संबंध रखने के लिए बीमा उत्पादों के बारे में अच्छे से सूचित करना और उनके बारे में शिक्षित करना एवं बीमाकर्ता द्वारा शिकयतों के निपटान के लिए प्रक्रिया आदि।

इसके अलावा, उपभोक्ता शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भाबीविविप्रा ने सभी हितधारकों के बहुआयामी दृष्टिकोण और जनता के बीच बीमा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीति अपनाई है।

I.4.1.8 वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, बीविविप्रा ने बीमा बेमिसाल ब्रांड के तहत उपभोक्ता शिक्षा पहले की है।

जमीनी स्तर पर बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में, भाबीविविप्रा ने सभी कम्पनियों को बीमा जागरूकता पॉलिसी के लिए बोर्ड के मंजूरी दे दी है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2014–15 के लिए खरीदी गई पॉलिसी को अपने संबंधित बोर्ड द्वारा स्वीकृत बीमाकर्ताओं को स्वीकृत कराये और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाये। वार्षिक कैलेंडर की गतिविधियों को बोर्ड के अनुसार स्वीकृत बीमा जागरूकता नीति में वित्त वर्ष के दौरान सुधार कर लागू किया गया था और बीविविप्रा, दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उन लोगों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई जिससे उद्योग भर में बीमा शिक्षा का सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। बीविविप्रा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित हैंडबुक जारी कीं :

i) स्कूली बच्चों को बीमा आसानी से समझ में आने के उद्देश्य से एक पुस्तक ''बीमा का परिचय'' शीर्षक का विमोचन किया।

ii) बीमा का सही खरीदने के बारे में सवाल पूछने युक्त ''बीमा पर एक पुस्तिका'' का विमोचन किया गया था।

iii) बीमा का सही खरीदने के बारे में सवाल पूछने युक्त ''बीमा पर एक पुस्तिका'' का विमोचन किया गया था। कॉलेज जाने वालों के लिए बीमा बाजार की नौकरी के बारे में जागरूक करने के लिए ''बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर'' निकाले गये।

iv) ग्रामीणों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए ''फसल बीमा'' पर पुस्तिका जारी की गई।

पहली तीन पुस्तकों को ई–पुस्तकों में बदल दिया गया है, जिनको बीमा में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान वर्ष के दौरान आम जनता को शिक्षित करने के लिए भाबीविविप्रा के उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट यानी www.policyholder.gov.in पर भी उपलब्ध किया गया।

आम जनता को नकली कॉल करने और फर्जी प्रस्तावों के साथ सलाह देने के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए बीविविप्रा ने निम्न तीन टीवी विज्ञापनों का उत्पादन किया।

1. टैगलाइन ''सच या झूठ में जानिये फर्क – रहिए सतर्क'' के साथ भाबीविविप्रा के नाम पर धोखाधड़ी कॉल के बारे में पड़ोसी (शर्मा जी) को सावधान करना।

2. टैगलाइन ''सच या झूठ में जानिये फर्क – रहिए सतर्क'' के साथ पुलिस/हीरो के माध्यम से –'भाबीविविप्रा बीमा और बोनस की घोषणा नहीं करता' का संदेश देना।

3. टैगलाइन ''भाबीविविप्रा आप के शुभ चिंतक'' के साथ 'बच के बाबा रहना तू ...' की विषय पर कैफैटेरिया में फर्जी प्रस्ताव के बारे में सावधान करना।

भाबीविविप्रा ने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित सत्यमेव जयते–III के छह एपीसोडों को भी प्रायोजित किया। वर्ष के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर ''सही खरीद के माध्यम से बीमा के वास्तविक मूल्य – कुछ टिप्स'' विषय पर अंग्रेजी और हिन्दी सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट भी किया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फर्जी कॉल करने के खतरे पर अंकुश लगाने के प्रयास में, जहां से फर्जी कॉल करने वालों की शिकायतें ज्यादा हैं वहां ध्यान केन्द्रित करने के लिए बीमा जागरूकता अभियान, भाबीविविप्रा की भूमिका के बारे में आम जनता को जागरूक करना, मेट्रो ट्रेनों के अंदर, मेट्रो स्टेशनों पर और स्टेशनों के बाहर पॉलिसीधारकों और फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ संदेश प्रदर्शित किये जाये।

त्रिपुरा राज्य में अगरतला में 8 जनवरी 2015 को माननीय मुख्यमंत्री श्री माणिक सरकार द्वारा बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान भाबीविविप्रा और त्रिपुरा सरकार का संयुक्त प्रयास है। अभियान का उद्देश्य बीमा के लाभों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए है।

इसकी नींव के दिन (19 अप्रैल) को भाबीविविप्रा बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भाबीविविप्रा कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है और बीमा उद्योग के लिए दूसरे पैन इंडिया इंश्योरेंस क्विज प्रतियोगिता करता है। ''वित्तीय समावेशन और बीमा साक्षरता'' के विषय पर एक पैनल भी आयोजित करता है जहां वित्तीय क्षेत्र से प्रख्यात वक्ताओं पर विचार साझा किये जाते हैं।

I.4.1.9 भाबीविविप्रा वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाती है। संयुक्त रूप से के कार्यान्वयन के लिए भारत में सभी वित्तीय के नियामकों द्वारा गठित एक संस्था वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति (एनएसएफई), और वित्तीय साक्षरता के आंकलन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण अर्थात् एनसीएफई की पहल का समर्थन, एनसीएफई वेब पोर्टल की शुरूआत और राष्ट्रीय सर्वेक्षण आदि वित्तीय जागरूकता को मापने के लिए आयोजन में ऐसे कुछ नाम हैं। वित्तीय शिक्षा पाठ्यक्रम समिति द्वारा विकसित किया गया है जो सीबीएसई पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है। एनसीएफई और भारत में बीमा क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय नियामक दोनों सदस्य के रूप में है, भाबीविविप्रा सामान्य और विशेष रूप से बीमा शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के साथ काम कर रहा है।

पॉलिसी धारकों के संरक्षण हेतु पहलें :

I.4.1.10 पॉलिसी धारकों की रूचि देखते हुए भाबीविविप्रा ने उनके हितों की रक्षा हेतु अनेक कार्यक्रमों की पहल की है।

किसी बीमाकर्ता अथवा अथवा एजेंट या मध्यस्थ के लिए पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हेतु विनियमों का फ्रेमवर्क बीविविप्रा द्वारा तैयार किया गया है। जोकि भाबीविविप्रा (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 में निहित है। विनियमों के अंतर्गत पॉलिसी की बिक्री तथा प्रस्ताव के समय अपनाई जाने वाली कार्यविधि, दावों की प्रक्रिया, पॉलिसी धारकों को किए जाने वाले प्रकटन, पॉलिसी सेवाएं आदि विषय समाहित है।

I.4.1.11 बीविविप्रा (विज्ञापन और प्रकटन) विनियम 2000 तथा विज्ञापनों से संबंधित अन्य दिशा निर्देशों का उद्देश्य पॉलिसी की बिक्री के समय किये जाने वाले संप्रेषण में कहीं भी भ्रामकता और अस्पष्टता को दूर करना है। ताकि ग्राहक प्रस्तावित पॉलिसी को चुनने और खरीदने में सही निर्णय ले सके।

I.4.1.12 चूंकि बीमा एक कानूनी विषय है; अतः उसमें विभिन्न मध्यस्थ शामिल होते हैं। केवल लाइसेंस धारकों अथवा संस्थाओं की संलिप्तता सुनिश्चित करने हेतु भाबीविविप्रा ने लाइसेंस संबंधी कुछ विनियम भी जारी किए हैं। यह विनियम व्यक्तिगत बीमा एजेंटों के लिए बीविविप्रा (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) (अमेंडमेंट) विनियम 2013; कॉर्पोरेट एजेंटों के लिए बीविविप्रा (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम 2002, बीमा दलालों के लिए बीविविप्रा (बीमा दलाल) विनियम 2013, वेब एग्रीगेटरों के लिए बीविविप्रा (वेब एग्रीगेटर) विनियम 2013, और मार्केटिंग फर्म्स के लिए भाबीविविप्रा (बीमा मार्केटिंग फर्म्स के पंजीयन) विनियम 2015। इन विनियमों का पालन एजेंटों, निगमित एजेंटों दलालों, वेब एग्रीगेटरों और आईएमएफ द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है। इन विनियमों के तहत आचार संहिता भी निर्धारित की गई है। ताकि बीमा व्यवसाय योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जाए तथा ताकि वह बीमा उत्पाद बेचते हुए वांछनीय सूचना दे सकें, बेचने वाली पॉलिसी को समझ सकें तथा ग्राहक की आवश्यकतानुसार सही सलाह दे सकें ताकि बेची जाने वाली पॉलिसी/बेची गई पॉलिसी प्रस्तावित व्यक्ति की मांग के अनुसार हो। उनकी आवश्यकता पॉलिसी बेचने के उपरांत सेवाएं प्रदान करने के लिए भी पड़ती हैं जैसे नवीकरण, दावे के लिए सहायता इत्यादि।

I.4.1.13 बीमाकर्ताओं, निगमित एजेंटों और दलालों द्वारा पॉलिसी बेचने हेतु उपलब्ध संसाधनों जैसे टेलिकॉलिंग, एसएमएस, ई–मेल, इंटरनेट, डीटीएच, डाकमेल आदि का प्रयोग किया जा रहा है। जिनके द्वारा व्यक्तिगत संपर्क न होकर दूरस्थ संपर्क किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाबीविविप्रा ने सुदूर मार्केटिंग दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन, प्रस्ताव, विचार विमर्श और बिक्री की समाप्ति के समय किया जाता है।

I.4.1.14 चूंकि बीमा का लाभ उसकी बिक्री के बाद ही उठाया जा सकता है, इसलिए भाबीविविप्रा ने जीवन व गैरजीवन के उत्पादों के लिए फाईल एवं यूज दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रत्येक बीमाकर्ता को भाबीविविप्रा को आवेदन लिखकर अनुमोदन प्राप्त करना होता है। आवेदन के साथ बीमाकर्ता को पॉलिसी बॉंड का नमूना, नमूने का प्रस्ताव–प्रपत्र, बिक्री विवरण का नमूना और वित्तीय प्रक्षेपण का ब्यौरा भी संलग्न करना चाहिए। शर्तों और स्थितियों में बदलाव करने हेतु भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यदि कोई बीमाकर्ता किसी पॉलिसी को लौटाना भी चाहता है तो उसे भाबीविविप्रा को पूर्व सूचना देनी होती है और लौटाने का कारण भी बताना पड़ता है। यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि केवल अनुमोदित उत्पाद ही जनता को बेचे जा सकते हैं।

I.4.1.15 बीविविप्रा (नॉन–लिंक्ड उत्पाद) विनियम 2013 और बीविविप्रा (लिंक्ड उत्पाद) विनियम 2013 के अंतर्गत नॉन लिंक्ड और लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसियों का उद्देश्य बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित पॉलिसियों और गुणों में निरंतरता को सुनिश्चित करना तथा लाभांश भुगतान की शर्तों में पारदर्शिता बरकरार रखना है। ताकि ग्राहकों का सही पॉलिसी के चुनाव में सुविधा हो।

I.4.1.16 बीविविप्रा (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2013 द्वारा पॉलिसी

के गुणों, प्रस्तावों प्रपत्र में वर्णित मानकों की घोषणा, उच्चतर पारदर्शिता और बिक्री विवरण में प्रकटनों और वेब पोर्टलों पर उपयुक्त सूचना का प्रकटन जो निर्णय लेने में सहायक हो आदि पर अत्यधिक बल दिया जाता है। स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशा निर्देशों से स्वास्थ्य पॉलिसियों में प्रयुक्त आम शब्दों, गंभीर रोगों की नाम पद्धति और प्रक्रिया, पूर्व प्राधिकरण तथा दावा प्रपत्र, अस्पताल में दाखिले संबंधी लाभ और सूची में न आने वाले खर्चों, फाइल एण्ड यूज आवेदनों, ग्राहक सूचना पत्र, तृतीय पक्ष और बीमाकर्ता के बीच अनुबंध आदि सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

I.4.1.17 बीमा ग्राहकों के हितों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न उपायों के अतिरिक्त, यदि किसी बीमाकर्ता की सेवाओं में कोई कमी हो तो उसके लिए भी एक त्वरित प्रणाली उपलब्ध है। शिकायत निवारण दिशा निर्देशों द्वारा प्रत्येक बीमाकर्ता को प्राप्ति, पावती और शिकायत को निर्धारित समय सीमा के भीतर, निपटने हेतु समर्थ बनाने के लिए एक एकीकृत प्रणाली उपलब्ध है। इसके अलावा न केवल प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय ही नहीं, बल्कि हर दूसरे कार्यालय में, शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती का भी प्रावधान है।

I.4.1.18 चूंकि प्रत्येक ग्राहक के लिए हमेशा बीमाकर्ता के पास पहुंचना आसान नहीं होता, इसलिए भाबीविविप्रा ने ग्राहकों के लिए कुछ माध्यम निर्धारित किए हैं जिनमें ऑनलाइन शिकायत पोर्टल www.igms.irda.gov.in तथा एक टॉल फ्री शिकायत केन्द्र (155255) इन चैनलों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को बीमाकर्ता द्वारा सुधार तथा सलाह के तौर पर ग्रहण किया जाता है।

I.4.1.19 बीविविप्रा द्वारा शिकायतों के निवारण में, सहायता तो करता है परंतु शिकायतों पर कोई निर्णय नहीं करता। लोक शिकायत निवारण नियमावली 1998 के तहत कार्यरत बीमा लोकपाल संस्था बड़े ही सहज, सस्ते और तीव्र गति से शिकायतों का निवारण करती है।

I.4.1.20 बीविविप्रा (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 पॉलिसीधारक संरक्षण में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा उपर्युक्त उपाय अन्य विनियम आवश्यकताओं से भिन्न नहीं है जैसे– विनियामक, लाइसेंसिंग, दिवालिया मार्जिन का अनुरक्षण, निवेश नियामक, जन प्रकटन आदि तथा विनियामक रिटर्न, बाजार आसूचना, ऑडिट आदि के माध्यम से पर्यवेक्षी तंत्र जैसे साइट पर निरीक्षण और ऑफ साइट निरीक्षण की मॉनीटरिंग करना।

I.4.1.21 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीविविप्रा (पॉलिसीधारक की रूचियों की सुरक्षा) विनियम वर्ष 2002 में जारी किए गए और तब से बीमा क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके हैं। यह जरूरी है कि पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए, इन विनियमों में बदलाव किया जाए। भाबीविविप्रा ने न केवल पॉलिसीधारकों के संरक्षण विनियमों को सशक्त बनाने के लिए बल्कि बीमा कंपनियों को एक मॉडल सिटीजन चार्टर प्रस्तावित करने के लिए भी एक समिति का गठन किया है।

शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण :

I.4.1.22 भाबीविविप्रा का उपभोक्ता मामले विभाग, बीमाकर्ताओं द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण को सरल बनाता है और उपभोगताओं को बीमा संबंधी जानकारी देने में भी मदद करता है। भाबीविविप्रा का शिकायत निवारण दिशा निर्देशों के मतानुसार सभी बीमाकर्ताओं के पास एक अनुमोदित शिकायत निवारण नीति होनी चाहिए और प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रिंसीपल कार्यालय में शीघ्र प्रबंधन में, एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और शिकायतों के निपटारे के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉलिसीधारक संरक्षण समिति बनाई जानी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता के पास, शिकायतों की प्राप्ति, निवारण, समापन/निपटान हेतु एक निर्धारित सीमा तय की जानी चाहिए।

दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बीमकर्ता को ऑन लाइन रेजिस्ट्रेशन और शिकायतों की ट्रेकिंग के लिए साथ.ही.साथ शिकायतों को कॉल और ई.मेल से प्राप्त करने के लिए प्रणाली और आई आर डी ए आई से संबद्ध करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली बनानी होगी। आगे, दिशानिर्देश विभिन्न प्रकार की शिकायतों जैसे - पावती, निपटान, बंद करना इत्यादि के लिए समय सीमा का निर्धारण करते हैं । शिकायत निवारण दिशानिर्देश और आचार संहिता दिशानिर्देशों के अनुसार पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का गठन पॉलिसीधारको के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

I.4.1.23 बीमाकर्ताओं के विरूद्ध की जाने वाली शिकायतों के लिए एक विकल्प के तौर पर, भाबीविविप्रा ने बीविविप्रा शिकायत केन्द्र (आईजीसीसी) की स्थापना की है जो एक टॉल फ्री नम्बर की सहायता से शिकायतों को प्राप्त करके उन्हें दर्ज करता है। भाबीविविप्रा ने एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) को भी ऑनलाइन शुरू किया है जो न केवल शिकायत दर्ज करती है, बल्कि भाबीविविप्रा को बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवाती है। आईजीसीसी का संपर्क आईजीएमएस से जुड़ा होता और भाबीविविप्रा का संपर्क बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों से।

I.4.1.24 उपभोक्ता मामले विभाग को पॉलिसीधारकों से जीवन तथा गैर जीवन बीमा कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती है। विभाग बीमाकर्ताओं की मदद से उनके निवारण का प्रयास करता है। संभावितों और पॉलिसीधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे पहले संबंधित बीमा कंपनियों के पास अपनी शियकता दर्ज करवाएं। यदि कंपनी 15 दिन के भीतर उसकी कार्रवाई नहीं करती है, या शिकायतकर्ता उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत को भाबीविविप्रा में भिजवा सकता है। भाबीविविप्रा बीमा कंपनियों के साथ मिलकर, पुनरीक्षण/पुनर्परीक्षण द्वारा कार्रवाई करता है। फिर भी भाबीविविप्रा प्रत्येक शिकायत की छानबीन नहीं करता है और न ही निर्णय लेता है।

I.4.1.25 विभाग बीविविप्रा (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 के अनुपालन के स्तर का परीक्षण करता है। चूंकि आईजीएमएस सारे देश में शिकायतों का सुधार करता है। इसलिए बीविविप्रा और अन्य बीमा कंपनियों को शिकायतों के विश्लेषण के मूल कारण तक पहुंचने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा प्राधिकरण को, पॉलिसी धारकों की चिंताओं को समझने में मदद मिलती है और वह बीमाकर्ताओं को, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु उपयुक्त सुझाव/अनुदेश देता है।

I.4.1.26 बीमा संबंधी जागरूकता का निर्माण करने हेतु उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता शिक्षण में सक्रिय रूप से शामिल है। चूंकि बीमा एक जटिल वित्तीय उत्पाद है, इसलिए बीमा उत्पादों की प्रकृति, प्रस्ताव को समझने के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। भाबीविविप्रा द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता शिक्षण का उद्देश्य उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने, बीमा उत्पादों को समझने और जोखिमों को जानने हेतु समर्थ बनाना है ताकि बीमा करवाते समय वह एक सही निर्णय ले सकें। भाबीविविप्रा के बीमा जागरूकता अभियान प्रत्येक माध्यम से प्रचारित किए जा रही है जैसे– मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, समाचार पत्र के विज्ञापन, हस्त पुस्तिकाओं के प्रकाशन/ कॉमिकबुक्स / रेडियो/टीवी/इंटरनेट, संगोष्ठियाँ, सामाजिक साइट्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि। उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट www.policyholder.gov.in में बीमा संबंधी कई जानकारियां साधारण व सरल भाषा में जनहित में जारी की जाती है। जानकारी को व्यापक बनाने के लिए, भाबीविविप्रा ने एक हिन्दी साइट शुरू की है और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में, पुस्तकें छपाई है ताकि जानकारी लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध हो सके। भाबीविविप्रा अब विकसित सामग्री को वितरित करवाने के लिए बीमा उद्योग, अन्य विनियम निकाय, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों, सामान्य सेवा केन्द्रों आदि से संपर्क कर रहा है और जागरूकता फैलाने के लिए देश भर की जानता तक पहुंचने हेतु सभी उपलब्ध वैकल्पिक चैनलों का प्रयोग कर रहा है। भाबीविविप्रा वित्तीय शिक्षण की राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

I.4.2 बीमाकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता का रखरखाव

I.4.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार ऋण शोधन क्षमता का अनुरक्षण करना पड़ता है। प्रत्येक बीमाकर्ता को भाबीविविप्रा द्वारा निर्धारित राशि के समान आस्तियों के मूल्य अनुरक्षण करना होगा। बीविविप्रा विनियम (आस्तियों, दायित्व व बीमाकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता) 2000 द्वारा आवश्यक ऋण शोधन क्षमता की गणना की प्रणाली का विवरण उद्धृत किया गया है।

I.4.2.2 जीवन बीमाकर्ता के मामले में, आवश्यक ऋण शोधन क्षमता 50 करोड़ रूपये की राशि (पुनर्बीमा के मामले में एक सौ करोड़) अथवा अधिनियम में दी गई, विधि पर आधारित होगा। बीमा नियम (संशोधन) 2015 ऋण शोधन के स्तर ऋण शोधन के कंट्रोल लेवल के नाम से जाना जाता है जिसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण बीमाकर्ता को निदेश जारी करता है कि वित्तीय योजना जिसमें कार्यवाही की योजना का उल्लेख हो जिसके अंतर्गत कमियों को पूरा किया जाना है एक निर्दिष्ट समय परंतु 6 माह के अंदर प्राधिकरण को प्रेषित करे।

I.4.2.3 गैर जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में आवश्यक ऋण शोधन क्षमता अधिकाधिक 50 करोड़ रूपये (पुनर्बीमा के मामले में एक सौ करोड़) अथवा आरएसएम–1 और आरएसएम–2 के तहत निम्नलिखित रूप में गणना किया गया होगा :

- आरएसएम–1 अर्थात् कुल प्रीमियम पर आवश्यक ऋण शोधन क्षमता तथा राशि का 20 प्रतिशत होगा जो फैक्टर 'ए' द्वारा गुणित सकल प्रीमियम से उच्चतर होगा। आरएसएम–1 की गणना के उद्देश्य के लिए पिछले 12 महीनों का प्रीमियम विवरण में लिया जाएगा।
- आरएसएम–2 अर्थात् कुल उपगत दावों पर आधारित ऋण शोधन क्षमता और उसे उस राशि का 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा जोकि सकल निवल व्यय किया हुए दावों को फैक्टर–बी व निवल व्यय किये हुए दावों से गुणा करने के बाद अधिक होंगे।

जीवन बीमाकर्ता :

I.4.2.4 मार्च 2015 के अंत तक 23 बीमाकर्ताओं द्वारा निर्धारित ऋण शोधन क्षमता के 1.5 के अनुपात का अनुपालन किया गया। सहारा लाइफ से सूचना बहुप्रतीक्षित है। फिर भी 31 मार्च 2014 तक सहारा लाइफ के अनुपात 684 प्रतिशत था।

तालिका I.38
निवल प्रतिधारण (जीआईसी) 2014.15

व्यापार का प्रकार	घरेलू व्यापार (प्रतिशत)	विदेशी व्यापार (प्रतिशत)
अग्नि	67.9	92.6
मैरीन कार्गो	84.3	100.0
मैरीन हल	68.9	88.7
इंजीनियरिंग	79.9	100.0
उड्डयन	88.8	85.2
मोटर	100.0	100.0
विविध	93.3	100.0
जीवन	74.3	84.7
कुल	**88.8**	**94.5**

गैर जीवन बीमाकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता :

I.4.2.5 31 मार्च 2015 तक निजी क्षेत्र के 22 गैर जीवन बीमाकर्ता (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) में 21 बीमाकर्ताओं द्वारा निर्धारित ऋण शोधन क्षमता के 1.50 अनुपात का अनुपालन किया गया है। यद्यपि, मेग्मा एचडीआई जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड को छोड़कर जिसका ऋण शोधन क्षमता अनुपात 1.24 दर्ज किया गया।

सभी चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा 31 मार्च 2015 तक निर्धारित ऋण शोधन क्षमता का अनुपात 1.50 का अनुपालन किया गया।

I.4.2.6 31 मार्च 2015 तक विशिष्ट बीमाकर्ता अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी द्वारा सॉल्वेंसी अनुपात क्रमशः 3.18 और 6.61 दर्ज किया गया जबकि 31 मार्च 2014 तक 2.60 और 11.02 था।

पुनर्बीमाकर्ता :

I.4.2.7 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2015 तक 3.04 ऋण शोधन क्षमता अनुपात दर्ज किया (31 मार्च 2014 तक 2.73)।

I.4.3 पुनर्बीमा का अनुप्रवर्तन

I.4.3.1 पुनर्बीमा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 14(1) और 14(2) बीविविप्रा अधिनियम 1999 की धारा 34एफ, 101ए, 101बी तथा 101सी के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ता और गैर जीवन बीमाकर्ता द्वारा किए गए पुनर्बीमा से संबंधित विनियमों का निर्धारण किया है जो पुनर्बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा करवाने हेतु आधारित नियम प्रस्तुत करते हैं। बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के तहत, भारतीय साधारण बीमा निगम को ''भारतीय पुनर्बीमाकर्ता'' के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सभी प्रत्यक्ष गैर जीवन बीमाकर्ताओं से 5 प्रतिशत अनिवार्य अर्पण वसूल करने हेतु प्राधिकृत है। सीमाओं को पुनर्बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करके नियत किया गया है।

I.4.3.2 प्रत्येक बीमाकर्ता को एक वृहद और कुशल पुनर्बीमा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी वित्तीय शान्ति के भीतर ही अपना काम प्रचालित कर सके। इसलिए बीमाकर्ता की ऋण शोधन क्षमता का अनुरक्षण किया जाना महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रत्येक बीमाकर्ता को पुनर्बीमा हेतु बोर्ड से अनुमोदन लेना होगा। विनियमों के अनुसार पुनर्बीमा कार्यक्रम के तहत अगले वित्तीय वर्ष हेतु पुनर्बीमा करने से कम से कम 30 दिन पहले उसे फाइल करना चाहिए। इन उपायों से पुनर्बीमा की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता और कुशलता के महत्व का पता चलता है। गौरतलब है कि किसी भी बीमा कंपनी का मूल्यांकन ''कुल पुनर्बीमाकरण'' के आधार पर किया जाता है।

I.4.3.3 विनियमों के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को अपनी वित्तीय शक्ति और व्यापार की मात्रा के अनुसार अधिकतम संभावित अवधारण अनुरक्षित करना चाहिए। पुनर्बीमा के दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं :

1. देश के भीतर अधिकतम अवधारणा;
2. पर्याप्त क्षमता का विकास;
3. उपगत पुनर्बीमा लागतों का सर्वश्रेष्ठ संभावित संरक्षण; और
4. व्यापार प्रशासन का सरलीकरण।

I.4.3.4 भाबीविविप्रा ने पुनर्बीमा विनियमों, 2002 का संशोधन करते हुए मार्च 2013 को उन्हें अधिसूचित किया। विनियम, बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकताओं को भारत के बाहरी देशों के बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमाकर्ताओं व्यापार करने हेतु समर्थ बनाता है बशर्ते कि वे उनकी क्रेडिट मूल्यांकन, दावों के अनुभव, दावों के भुगतान की योग्यता और ऋण शोधन क्षमता की पूरी जानकारी ले लें। तदनुसार, भाबीविविप्रा द्वारा बाहरी देशों के बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ किए जाने

वाले कुल पुनर्बीमा की सीमा निर्धारित की सीमा निर्धारित की गई। आगे, विनाश जोखिमों के पुनर्बीमा के संदर्भ में, सभी बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ताओं ने पुनर्बीमा कार्यक्रम आपदा संग्रहण के मामले के संबंध में एक आदेश पत्र निकाला था जिसके माध्यम से उन्होंने यह दावा किया था कि कई प्रकार की यथार्थवादी आपदा परिदृश्य परीक्षणों का प्रयोग, पर्याप्त हैं व प्राधिकरण को प्रेषित करने से पहले उनके पुनर्बीमा कार्यक्रम उनके निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं।

सीमापार के पुनर्बीमाकर्ता

I.4.3.5 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114 (जैड डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्राधिकरण ने ''सीमापार पुनर्बीमाकर्ता'' पर अपने दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2012 से लागू किए गए। ये दिशानिर्देश उन ''सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं''पर लागू होते हैं जो भारत में मौजूद नहीं है लेकिन भारतीय बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमा व्यापार में शामिल हैं।

सभी बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार समस्त जानकारी तथा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होती है। सभी बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं की उनके गृह देश में कानून की पहचान होनी चाहिए और उनका विनियमन और पर्यवेक्षण, उनके गृह पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। बीमाकर्ता की सॉल्वेंसी, भारतीय बीमाकर्ताओं हेतु निर्धारित मानकों/सीमाओं से कम नहीं होनी चाहिए और उनकी वित्तीय शक्ति, प्रबंधन गुणता तथा उनकी तकनीकी प्रणालियों पर उनके गृह पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। प्राधिकरण द्वारा केवल उन्हीं विदेशी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जाएगा। जिन्होंने कर सूचना विनिमय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हों और जो एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन नम्बर) इन बीमाकर्ताओं को जारी करेंगे जो एक वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।

I.4.3.6 वर्ष 2014–15 में 238 पुनर्बीमाकर्ताओं को और 87 लायड्स सिंडिकेटों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित की गई तथा 2015–16 में प्राधिकरण ने 244 पुनर्बीमाकर्ताओं तथा 90 लॉयड सिंडिकेटों और 9 प्रासंगिक सिंडिकेटों को 343 यूआईएन जारी किए। सभी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को इन दिशानिर्देशों के कड़े अनुपालन हेतु निर्देश दिए गए और कोई भी बीमाकर्ता, किसी ऐसी इकाई के साथ पुनर्बीमा व्यापार में शामिल नहीं हो सकता, जिसे भाबीविविप्रा द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित न की गई हो।

प्राधिकरण ने अपने दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पंजीकृत सीमापार पुनर्बीमा इकाईयों के साथ व्यापार करने का पूरा दायित्व भारतीय बीमाकर्ताओं अथवा भारतीय बीमाकर्ताओं पर होगा। इस बात का सम्पूर्ण दायित्व भारतीय बीमाकर्ताओं अथवा भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ बीमा व्यापार करने से पहले वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे (विदेशी बीमाकर्ता) प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित सभी आवश्यकताओं/और औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

I.4.4 बीमा पूल

आतंकवाद पूल

I.4.4.1 भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल का गठन सभी गैर जीवन बीमा कंपनियों की पहल से अप्रैल 2002 में किया गया था जबकि 9/11 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवादी बीमा आवरण हटा लिया गया था। पूल सफल प्रचालन का 13 वर्ष पूरा कर चुका है। सभी भारतीय गैर जीवन बीमा कंपनियां और जीआईसी री उस पूल के सदस्य है। जीआईसी री द्वारा पूल का प्रशासन चलाया जाता है। यह पूल संपति बीमा पॉलिसियों के तहत आहरित आतंकवादी जोखिमों पर लागू होता है।

I.4.4.2 1 अप्रैल 2014 से आतंकवादी जोखिम में आवरण की सीमा ₹ 1500 करोड़ प्रति स्थान कर दी है जबकि यह पहले ₹ 1000 करोड़ थी। आतंकवादी पूल व्यवस्था के तहत प्रीमियम दरें संशोधित कर घटा दी।

I.4.4.3 आतंकवादी जोखिम बीमा के दलालों/अभिकर्ताओं द्वारा आतंकवाद जोखिम बीमा के बेहतर बाजार प्रवेशन के लिए दलालों/अभिकर्ताओं को आतंकवाद प्रीमियम पर 5 प्रतिशत तक दलाली के लिए 01.01.2014 को अनुमोदन दिया गया।

I.4.4.4 पूल प्रीमियम आय 2014–15 के लिए ₹ 472.33 करोड़ थी जो 2013–14 में ₹ 471.13 करोड़ थी। 2014–15 के दौरान पूल द्वारा दावों का भुगतान ₹ 2.58 करोड़ था। 2014–15 में कोई बड़ी हानियां दर्ज नहीं की गई।

I.4.4.5 जीआईसी री के लिए अनिवार्य अर्पण : अधिनियम प्रावधान;

(अ) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 101ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता से पुनर्बीमा प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी पर बीमा राशि की ऐसी प्रतिशत जिसे प्राधिकरण द्वारा तय की जायेगी। पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श अधिनियम की धारा 101बी के तहत गठित होने के बाद जो भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ 'अनिवार्य अर्पण' या 'वैधानिक अर्पण' के रूप में जाना जाता है।

(ब) प्राधिकरण अधिसूचना के द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमा करने के लिए प्रत्येक पॉलिसी पर प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकता है तथा बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग प्रतिशतों को निर्दिष्ट की जा सकती है जिनको कोई प्रतिशत नहीं है उनके लिए प्रत्येक पॉलिसी पर 30 प्रतिशत से अधिक निर्दिष्ट करेगा।

(स) प्राधिकरण अधिसूचना के द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमा करने के लिए प्रत्येक पॉलिसी पर प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकता है तथा बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग प्रतिशतों को निर्दिष्ट की जा सकती है जिनको कोई प्रतिशत नहीं है उनके लिए प्रत्येक पॉलिसी पर 30 प्रतिशत से अधिक निर्दिष्ट करेगा।

(ड) बीमा अधिनियम 1938 की धारा 101ए(4) के अनुसार धारा 101ए की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना भी पुनर्बीमा के किसी व्यापार से संबंधित नियम व शर्तें निर्देशित कर सकता है जोकि इस धारा में सम्पादित किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार के नियम व शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं व अन्य बीमाकर्ताओं पर भी लागू होंगी।

I.4.4.6 2015–16 के लिए जीआईसी री के लिए अनिवार्य अर्पण :

1. प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रस्तावित प्रतिशत 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 5 प्रतिशत होगा।

2. वर्ष 2013–14 के लिए अनिवार्य अर्पण सभी व्यपारिक क्षेत्रों में घटकर 5 प्रतिशत हो गया जबकि 2012–13 में यह 10 प्रतिशत था (मोटर और स्वास्थ्य को छोड़कर – व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा समेत जो 7.5 प्रतिशत)। वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए प्रस्तावित अनिवार्य अर्पण 5 प्रतिशत ही है।

I.4.4.7 पुनर्बीमा सलाहकार समिति

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 101ए के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता से पुनर्बीमा प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी पर बीमा राशि की ऐसी प्रतिशत जिसे प्राधिकरण द्वारा तय की जायेगी। पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श होने के बाद जो भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ 'अनिवार्य अर्पण' या 'वैधानिक अर्पण' के रूप में जाना जाता है।

इस अभिप्राय से, प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा जारी कर सकता है

(क) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमा करने के लिए प्रत्येक पॉलिसी पर प्रतिशत तथा बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए अलग–अलग प्रतिशत जिन पॉलिसियों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है उनके लिए सम इंश्योर्ड का अधिकतम 30 प्रतिशत, तथा

(ख) जिन भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं में समानुपाती प्रतिशत का बंटवारा किया जाना है उनका विवरण दे सकता है।

तालिका I.39 : भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल में सदस्यों का अंश

क्र. सं.	कंपनी सदस्य	2014-15		2015-16	
		प्रति जोखिम क्षमता (रू. करोड़ में)	अंश (प्रतिशत में)	प्रति जोखिम क्षमता (रू. करोड़ में)	अंश (प्रतिशत में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	237.615	15.841	237.615	15.841
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	178.215	11.881	178.215	11.881
3	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	237.615	15.841	237.615	15.841
4	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	178.215	11.881	178.215	11.881
5	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	188.865	12.591	188.865	12.591
6	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.640	4.976	74.640	4.976
7	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.105	1.007	15.105	1.007
8	चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29.505	1.967	29.505	1.967
9	फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.000	1.000	15.000	1.000
10	सरकारी बीमा कोष, गुजरात	15.000	1.000	15.000	1.000
11	एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	15.105	1.007	15.105	1.007
12	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	118.815	7.921	118.815	7.921
13	इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	59.400	3.960	59.400	3.960
14	एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	15.105	1.007	15.105	1.007
15	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	15.105	1.007	15.105	1.007
16	मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड.	7.500	0.500	7.500	0.500
17	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	0.750	0.050	0.750	0.050
18	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	29.700	1.980	29.700	1.980
19	रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	15.000	1.000	15.000	1.000
20	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	4.995	0.333	4.995	0.333
21	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	15.000	1.000	15.000	1.000
22	टाटा–एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	23.760	1.584	23.760	1.584
23	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लमिटेड	9.990	0.666	9.990	0.666
	कुल	**1,500.000**	**100.000**	**1,500.000**	**100.000**

2015–16 के लिए सदस्यों के अंश 2014–15 जैसे ही रहेंगे।

तालिका I.40
भारतीय व्यवसाय पर भारत के बाहर अर्पित पुनर्बीमा (जीआईसी छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

वर्ग	2013-14		2014-15	
	दिया गया प्रीमियम	निवल दिए गए लाभ	दिया गया प्रीमियम	निवल दिए गए लाभ
अग्नि	1,692.74	-412.49	2,220.44	-1,442.36
मैरीन कार्गो	299.88	91.93	375.84	-5.33
मैरीन हल	534.60	-69.54	628.55	-207.02
मोटर	55.67	68.75	73.01	-28.36
उड्डयन	301.73	217.27	242.14	98.69
इंजीनियरिंग	590.55	-8.83	646.75	3.39
विविध	2,822.46	545.10	3,021.31	211.93
कुल	**6,297.62**	**432.18**	**7,208.05**	**-1,369.08**

तालिका I.41
भारत में सकल सीधे प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत में और भारत के बाहर किया गया पुनर्बीमा (जीआईसी छोड़कर)

वर्ग	2013-14		2014-15	
	भारत में किया गया	भारत के बाहर किया गया	भारत में किया गया	भारत के बाहर किया गया
अग्नि	31.07	24.64	29.86	28.98
मैरीन कार्गो	12.21	14.99	9.34	16.90
मैरीन हल	32.78	49.68	21.89	59.70
मोटर	9.12	0.22	8.35	0.20
उड्डयन	48.68	68.56	36.95	57.86
इंजीनियरिंग	32.01	24.45	27.24	27.30
विविध	12.90	10.08	12.14	11.09
कुल	**14.14%**	**8.82%**	**12.76%**	**9.31%**

तालिका I.42
सकल सीधे प्रीमियम (जीआईसी छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम

(प्रतिशत में)

वर्ग	2013-14			2014-15		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सर्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
अग्नि	66.13	35.35	55.02	63.76	31.31	50.94
मैरीन कार्गो	83.29	64.49	74.66	84.12	65.41	75.44
मैरीन हल	24.11	7.22	22.63	26.15	8.71	24.53
मोटर	93.46	90.06	91.72	95.30	89.17	92.04
उड्डयन	66.89	25.59	54.61	69.24	26.62	55.73
इंजीनियरिंग	-11.52	52.16	0.04	10.45	50.77	18.25
विविध	83.88	70.3	79.08	86.23	68.16	78.60
कुल	**82.38**	**76.28**	**79.83**	**84.74**	**75.24**	**80.34**

I.4.4.8 भारतीय मोटर तृतीय पक्ष अस्वीकृत जोखिम बीमा पूल (डीआर पूल) का गठन

1. प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या बीविविप्रा / एनएल / ओआरडी / एमपीएल/277/12/201 दिनांक 23 दिसम्बर 2011 के माध्यम से 1 अप्रैल 2012 सेव्यापारिक वाहन तृतीय पक्ष बीमा के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल गठित किया।
2. अस्वीकृत जोखिम बीमा पूल (डीआर पूल) बनाने का उद्देश्य सभी बीमाकर्ताओं द्वारा समान तथा निष्पक्ष साझाकरण सुनिश्चित करना आपूर्ति में कोई व्यवधान न होना प्रशासन को आसान बनाना और दावा प्रबंधन कौशल का विकास करना है।

तालिका I.43
गैर जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के अंतर्गत निवल अवधारणा (जीआईसी सहित)

(प्रतिशत में)

वर्ग	2013-14	2014-15
अग्नि	69.24	64.54
मैरीन कार्गो	85.99	81.59
मैरीन हल	31.94	35.47
मोटर	100.0	99.67
उड्डयन	71.07	71.80
इंजीनियरिंग	1.00	38.91
विविध	89.43	88.14
कुल	**90.32**	**89.57**

3. डीआर पूल प्रावधानों के तहत प्रत्येक कंपनी के पास अपना स्वयं की एक नियमावली होनी चाहिए जिसमें जोखिम स्वीकार करने अथवा प्रदान करने के निर्दिष्ट मापकों का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें प्राधिकरण में फाइल किया जाये।

4. वर्ष 2014–15 के लिए नकारे गए जोखिमों को 20:5:75 के अनुपात जीआईसी (2014–15 का अनिवार्य अर्पण 5 प्रतिशत) और पूल के बीच क्रमशः बांटा जाना चाहिए।

5. प्राधिकरण ने यह भी निर्धारित किया कि किसी भी कीमत पर बीमाकर्ता जोखिम को लिखने से मना नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इसे बीमा अधिनियम 1938 का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए उसे अधिनियम के नियमानुसार जुर्माना भरना पड़ेगा।

6. वर्ष 2014–15 में घटा हुआ जोखिम प्रीमियम ₹ 423.20 करोड़ (100 प्रतिशत) और डीआर पूल का वर्ष 2014–15 का प्रीमियम ₹ 317.40 करोड़ (75 प्रतिशत) है। सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों और निजी क्षेत्र के बीच प्रीमियम का संबंध विच्छेद निम्नानुसार है :

7. ₹ 423.20 करोड़ (100 प्रतिशत) तथा वर्ष 2014–15 के लिए डीआर पूल के लिए अदा किया गया प्रीमियम ₹ 317.40 करोड़ (75 प्रतिशत) है। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों व निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रीमियम का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

7. प्राधिकरण ने अपने दिनांक 27 नवम्बर 2014 के आदेश आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमपीएल/251/11

तालिका I.44
वर्ष 2014–15 के लिए अस्वीकृत जोखिम पूल

	जोखिम पूल के तहत अर्पित प्रीमियम (75 प्रतिशत) (रू. करोड़)
सार्वजनिक क्षेत्र	288.31
निजी क्षेत्र	29.09
कुल	**317.40**

/2014 द्वारा यह घोषणा की है कि वर्ष 2013–14 के लिए अधिकतम हानि का अनुपात अस्वीकृत जोखिम पूल में 175 प्रतिशत है। तदनुसार पूल प्रशासक ने वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम समझौता यूआरएल के 175 प्रतिशत पर किया।

I.4.4.9 मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम दरों में संशोधन

1. अधिसूचना संख्या बीविविप्रा / एनएल / एनटीएफएन / एमओटीपी/066 /04/2011 दिनांकित 15 अप्रैल 2011, प्राधिकरण को मोटर तृतीय पक्ष के दायित्व की प्रीमियम को निर्धारित फार्मूले के अनुसार पुनरीक्षित करना था।

2. तदनुसार फार्मूला अखिल भारतीय मोटर प्राशुल्क में वर्णित संहिताओं के अनुरूप प्रत्येक वर्गीकरण पर लागू किया गया है।

3. फिर भी पॉलिसी धारकों पर दरों में अचानक वृद्धि का बुरा प्रभाव देखते हुए वर्ष 2015–16 के मोटर तृतीय पक्ष बीमा आवरण के कुछ वर्गों में दरों को कम कर दिया है और अधिसूचना संख्या बीविविप्रा/एनएल/एनटीएफएन/एमटीओपी/054/03/2015 दिनांकित 31 मार्च 2015 के माध्यम से मोटर बीमा कवर को अधिसूचित कर दिया है।

I.4.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेशों का अनुप्रवर्तन

I.4.5.1 सभी बीमाकर्ताओं को निवेश विनियमों के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धति का पालन करना होगा। जीवन तथा गैर जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार है।

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

I.4.5.2 31 मार्च 2015 तक बीमा क्षेत्र का कुल समेकित निवेश ₹ 24,08,236 करोड़ था। पिछले एक वर्ष में इसमें 14.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीवन बीमाकर्ताओं ने कुल निवेशों के एक बड़े भाग के तौर पर निवेश करना जारी रखा। इस प्रकार इस उद्योग द्वारा किए गए निवेश, कुल निवेशों का 93.33 प्रतिशत थे। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने कुल निवेशों का 78.48 प्रतिशत निवेश करना जारी रखा। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्रों के बीमाकर्ताओं के निवेश में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.5.3 जीवन बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न निधियों के स्रोतों को पारंपरिक उत्पादों तथा यूलिप से प्राप्त निधियों के रूप वर्गीकृत किया जा सकता है। 31 मार्च 2015 तक जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश निधियों की कुल राशि ₹ 2247522 करोड़ थी। उसमें से ₹ 362740 करोड़ (कुल निधियों का 16.14 प्रतिशत) यूलिप निधियों से प्राप्त हुआ जबकि शेष ₹ 1884782 करोड़ (83.86 प्रतिशत) का योगदान पारंपरिक उत्पादों ने दिया। पिछले चार वर्षों से यूलिप का अंश कुछ मंदा चल रहा है। गत वर्ष इसमें 0.80 प्रतिशत की गिरावट आई। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान यूलिप निधि रू. 31079 करोड़ तक घट गई।

तालिका I.45
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
(31 मार्च की स्थिति)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन		गैर जीवन		कुल	
	2014	**2015**	**2014**	**2015**	**2014**	**2015**
सार्वजनिक	1574296	1786312	93785	103561	1668081	1889873
	(12.21)	(13.37)	(12.12)	(10.42)	(12.21)	(13.30)
निजी	383169	461210	46025	57153	429194	518363
	(12.07)	(20.37)	(16.97)	(24.18)	(12.58)	(20.78)
कुल	**1957466 (12.18)**	**2247522 (14.82)**	**139809 (13.67)**	**160714 (14.95)**	**2097275 (12.28)**	**2408236 (14.83)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

I.4.5.4 31 मार्च 2014 तक जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेश के तरीके में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां और अनुमोदित निवेश बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश के दो प्रमुख स्रोत है।

तालिका I.46
जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : साधनानुसार
(31 मार्च की स्थिति)

(₹ करोड़)

निवेशों के साधन	2014		2015	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पारंपरिक उत्पाद				
1 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	604651	37.19	722955	38.36
2 राज्य सरकारों और अन्यों की अनुमोदित प्रतिभूतियां	333951	20.54	430554	22.84
3 आवास और अवसरंचना	155026	9.54	174512	9.26
4 अनुमोदित निवेश	503059	30.94	530568	28.15
5 अन्य निवेश	29118	1.79	26193	1.39
अ. कुल (1+2+3+4+5)	**1625804**	**100.00**	**1884782**	**100.00**
यूलिप निधियां				
6 अनुमोदित निवेश	322456	97.22	352371	97.14
7 अन्य निवेश	9205	2.78	10369	2.86
ब. कुल (6+7)	**331661**	**100.00**	**362740**	**100.00**
कुल जोड़ (अ+ब)	**1957466**		**2247522**	

तालिका I.47
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि अनुसार
(31 मार्च की स्थिति)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन जनरल एनुइटी और समूह निधि		यूलिप निधि		सभी निधियों का कुल	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
जीवन बीमा निगम	1181000	1359829	298818	343812	94479	82671	1574296	1786312
निजी	107225	135480	38761	45660	237183	280069	383169	461210
कुल	**1288225**	**1495309**	**337579**	**389472**	**331661**	**362740**	**1957466**	**2247522**
	(65.81)	**(66.53)**	**(17.25)**	**(17.33)**	**(16.94)**	**(16.14)**	**(100.00)**	**(100.00)**

टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल निधियों के प्रतिशत हैं।

I.4.5.5 निधियों के वर्गीकरण की प्रणाली के आधार पर जीवन निधियों ने ₹ निधियों के वर्गीकरण की प्रणाली के आधार पर जीवन निधियों ने ₹ 1499309 करोड़ (66.53 प्रतिशत) का योगदान किया। पेंशन और सामान्य भत्तों एवं समूह ने ₹ 389472 करोड़ (17.33 प्रतिशत) और यूलिप फंड पेंशन/वार्षिक भत्तों की निधियों में कुल निवेश ₹ 362740 करोड़ (16.14 प्रतिशत) है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल निवेश में पेंशन/भत्ता कोष का अंश 17.25 प्रतिशत से 17.33 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा जीवन निधियों का अंश 65.81 प्रतिशत से 66.53 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत यूलिप निधियों का अंश 16.94 प्रतिशत 16.14 प्रतिशत हो गया।

गैर जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश :

I.4.5.6 गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने बीमा उद्योग द्वारा किए गए कुल निवेश से मात्र 6.68 प्रतिशत का ही योगदान किया। 31 मार्च 2015 तक इस क्षेत्र द्वारा किया गया निवेश ₹ 160714 करोड़ था। 2014–15 के दौरान निवेश में ₹ 20905 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 14.95 प्रतिशत की वृद्धि) की निवल वृद्धि हुई।

I.4.5.7 निवेशों का प्रतिरूप पिछले वर्ष के समान ही था। 31 मार्च 2015, गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने ₹ 53734 करोड़ (33.43 प्रतिशत) और ₹ 42904 करोड़ (26.70 प्रतिशत) का निवेश क्रमशः अनुमोदित निवेशों और केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

तालिका I.48
निवेशों की वृद्धि : निधि अनुसार
(31 मार्च को स्थिति)

(₹ करोड़)

निधि	2014		2015	
	कुल	वृद्धि प्रतिशत	कुल	वृद्धि प्रतिशत में
जीवन	1288225	15.02	1495309	16.08
पेंशन तथा जनरल एनुइटी तथा समूह निधि	337579	19.55	389743	15.37
परंपरागत (अ)	1625804	15.93	1884782	15.93
यूनिट संबंधी निधियां (ब)	331661	-3.17	362740	9.37
कुल (अ+ब)	**1957466**	**12.18**	**2247522**	**14.82**

तालिका I.49
गैर जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : साधनानुसार
(31 मार्च को स्थिति)

(₹ करोड़)

निवेशों का साधन	2014		2015	
	कुल	निधि प्रतिशत	कुल	निधि प्रतिशत
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	35877	25.66	42904	26.70
राज्य सरकार और अन्य की अनुमोदित प्रतिभूतियां	14326	10.25	17120	10.65
आवास तथा आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकारों को ऋण	12742	9.11	14834	9.23
अवसंरचना निवेश	24544	17.56	27277	16.97
अनुमोदित निवेश	49264	35.24	53734	33.43
अन्य निवेश	3056	2.19	4845	3.01
कुल	**139809**	**100.00**	**160714**	**100.00**

टिप्पणी : 1. इसमें से सीएचएनबी, ईसीजीसी और एआईसी ऑफ इंडिया के निवेश शामिल नहीं किये गए हैं।
2. एफएफई : अग्निशमन उपकरण।

I.4.6 स्वास्थ्य बीमा व्यापार

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति

I.4.6.1 2014–15 के दौरान, गैर–जीवन बीमा कंपनियों द्वारा सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ₹ 20,096 करोड़ एकत्रित की गई। पिछले वर्ष के सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ₹ 17,495 करोड़ की तुलना में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र की 4 गैर जीवन बीमा कंपनियों ने 2014–15 में कुल स्वास्थ्य क्षेत्र की 64 प्रतिशत पर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की अधिक भागीदारी देकर जारी रही। पिछले वर्षों की तुलना में मार्केट शेयर की 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा रही है। 2014–15 में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की 14 प्रतिशत भागीदारी दी, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में मार्केट शेयर 2 प्रतिशत बढ़ गया। जबकि निजी

तालिका I.19 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति

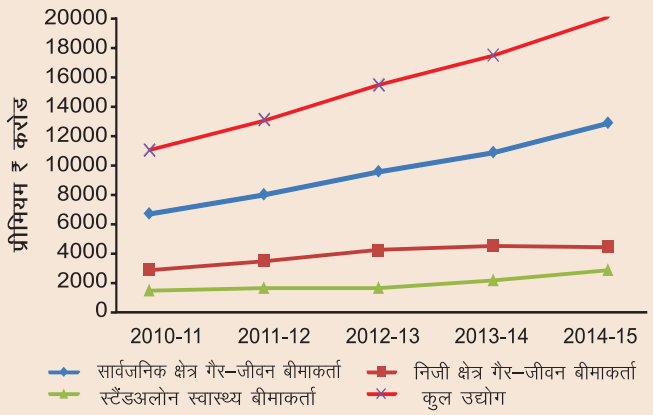

तालिका I.50 पिछले पांच वर्षों के तुलना में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति

(₹ करोड़) (शेयर बाजार या प्रतिशत)

बाजार में हिस्सेदारी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता	6689	8015	9580	10841	12882
	(61%)	(61%)	(62%)	(62%)	(64%)
निजी क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता	2850	3445	4205	4482	4386
	(26%)	(27%)	(27%)	(26%)	(22%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1492	1609	1668	2172	2828
	(13%)	(12%)	(11%)	(12%)	(14%)
कुल एनएल उद्योग	**11,031**	**13,070**	**15,453**	**17,495**	**20,096**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न क्षेत्रों के मार्केट शेयर को दर्शाते हैं।

क्षेत्र और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के शेयर में मामूली वृद्धि हुई, वहीं निजी गैर–जीवन बीमाकर्ताओं के शेयर में कमी आई, जिनका मार्केट शेयर 2013–14 में 26 प्रतिशत से 2014–15 में गिरकर 22 प्रतिशत पर आ गया।

स्वास्थ्य बीमा व्यापार का वर्गीकरण :

I.4.6.2 स्वास्थ्य बीमा व्यापार को समूह स्वास्थ्य बीमा (सरकारी प्रायोजित के अलावा), सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा में वर्गीकृत किया गया है। पिछले पांच वर्षों से, कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के शेयर में वृद्धि दर्ज की गई– 2010–11 में 35 प्रतिशत से 2014–15 में 44 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरी ओर कुल स्वास्थ्य बीमा व्यापार में सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा व्यापार का शेयर 2010–11 में 20 प्रतिशत से गिरकर 2014–15 में 12 प्रतिशत पर आ गया। फिर भी, कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में समूह स्वास्थ्य बीमा व्यापार (सरकारी व्यापार के अलावा) के शेयर पिछली पांच वित्तीय वर्षों के लिए 45 प्रतिशत पर ही रहा।

तालिका I.51 : स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

व्यापार का वर्ग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सरकारी	2198	2225	2347	2082	2425
	(20%)	(17%)	(15%)	(12%)	(12%)
समूह (सरकारी के अलावा)	4952	5948	7186	8058	8899
	(45%)	(46%)	(47%)	(46%)	(44%)
व्यक्तिगत	3881	4897	5919	7355	8772
	(35%)	(37%)	(38%)	(42%)	(44%)
कुल	**11031**	**13070**	**15453**	**17495**	**20096**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में व्यापार के प्रत्येक वर्ग का शेयर दर्शाते हैं।

चार्ट I.20 : स्वास्थ्य बीमा व्यापार का वर्गीकरण
(सकल प्रीमियम के पदों में)

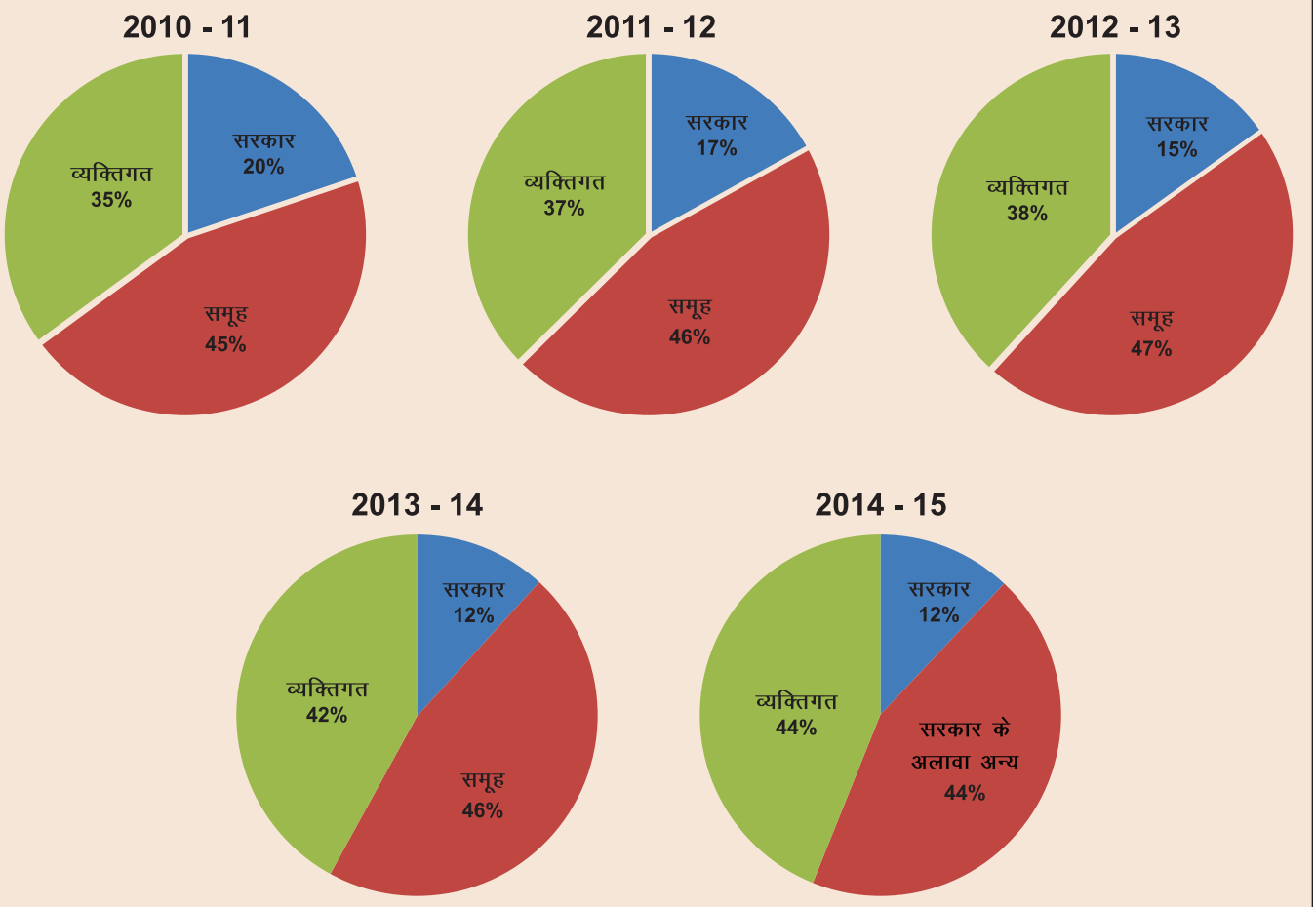

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या

I.4.6.3 2014–15 के दौरान गैर जीवन बीमा उद्योग ने लगभग 1.09 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी कीं जिसके अंतर्गत 28.80 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया गया। जबकि सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं ने कुल जनसंख्या का 21.43 करोड़ (कवर किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या का 74 प्रतिशत) कवर किए गए, वाणिज्यिक आधार पर गैर–जीवन / स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां की गईं, कुल 7.37 करोड़ (कवर सभी व्यक्तियों का 26 प्रतिशत) को कवर किया गया। व्यापारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी योजनाओं और समूह बीमा व्यवसाय दोनों के माध्यम से कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई, जबकि व्यक्तिगत बीमा व्यापार के माध्यम से कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आई।

चार्ट I.21 : कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या
व्यापार के विभिन्न वर्गों का शेयर

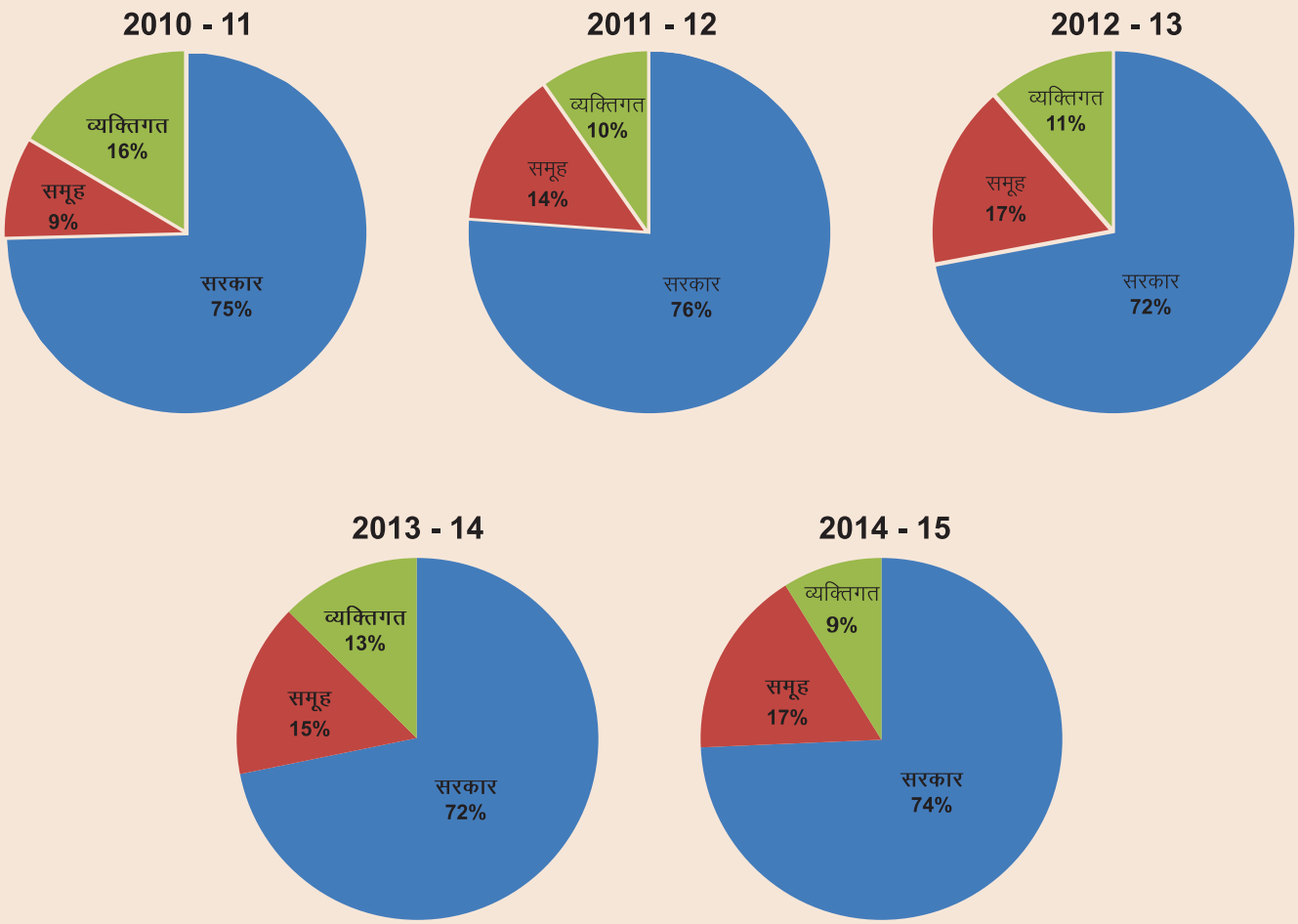

तालिका I.52 : स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर्ड व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

व्यापार का वर्ग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सरकारी	1891	1612	1494	1553	2143
समूह (सरकारी के अलावा)	226	300	343	337	483
व्यक्तिगत	418	206	236	272	254
कुल	**2535**	**2118**	**2073**	**2162**	**2880**

उपगत दावा अनुपात में प्रवृत्ति

I.4.6.4 उपगत दावों का अनुपात (आईसीआर) का निरंतर बढ़ना स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जो पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता जा रहा है। जबकि 2011–12 और 2012–13 के लिए निवल आईसीआर 94 प्रतिशत था, इसे 2013–14 में 97 प्रतिशत तक देखा गया और वर्ष 2014–15 के 101 प्रतिशत था।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्ग के बीच, निवल आईसीआर समूह (सरकार के अलावा) उच्च है जो गत चार वर्षों के प्रत्येक के लिए 100 प्रतिशत से अधिक था और यह लगातार वर्षों से बढ़ ही रहा है। 2014–15 के दौरान, सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा व्यापार का निवल आईसीआर मामूली बढ़कर 108 प्रतिशत हो गया यह पिछले 3 वर्षों के दौरान 90 प्रतिशत के औसत स्तर पर है।

तालिका I.53
स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल खर्च अनुपात

(प्रतिशत में)

व्यापार का वर्ग	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सरकारी	90%	87%	93%	108%
समूह (सरकारी के अलावा)	100%	104%	110%	116%
व्यक्तिगत	85%	83%	83%	81%
कुल	**94%**	**94%**	**97%**	**101%**

व्यक्तिगत दुर्घटना व्यापार

I.4.6.5 2014–15 के दौरान, गैर–जीवन बीमा उद्योग ने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 32.31 व्यक्तियों को कवर किया। पिछले वर्ष की तुलना में, पीए पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या 14.85 करोड़ (85 प्रतिशत वृद्धि) पर जा पहुंची, मुख्य रूप से एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाइ) के अंतर्गत 14.07 करोड़ व्यक्तियों की संख्या कवर की गई। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या की प्रवृत्ति में गिरावट आई जबकि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹ 2153 करोड़ थी, पिछले वर्ष की तुलना में 24.59 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमा कम्पनियों ने कुल प्रीमियम की 63 प्रतिशत भागीदारी दी। जबकि निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमा कम्पनियों ने प्रीमियम के 33 प्रतिशत की भागीदारी दी, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों द्वारा 4 प्रतिशत की भागीदारी थी।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए व्यवसाय के उपगत दावे अनुपात (आईसीआर) 58.82 प्रतिशत था।

तालिका I.54 : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यापार अंतर्गत कवर्ड व्यक्तियों की संख्या

(लाख में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	1578	1265	753	764
निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	456	698	972	2437
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	18	21	21	30
कुल उद्योग	**2052**	**1984**	**1746**	**3231**

तालिका I.55 : व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	682	650	614	708
	(49%)	(41%)	(36%)	(33%)
निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	672	918	1,060	1351
	(49%)	(57%)	(61%)	(63%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	34	39	55	94
	(2%)	(2%)	(3%)	(4%)
कुल उद्योग	**1,388**	**1,609**	**1,729**	**2153**

टिप्पणी : कोष्टक में दिये गये आंकड़े कुल व्यक्तिगत दुर्घटना व्यापार में प्रत्येक वर्ग के अंश को दर्शाते हैं।

विदेश यात्रा बीमा :

I.4.6.6 2014–15 के दौरान, गैर जीवन बीमा क्षेत्र ने 22.62 लाख विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियां जारी की, 2.04 करोड़ व्यक्तियों को कवर किया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए विदेश यात्रा बीमा व्यापार से सकल प्रीमियम आय ₹ 465 करोड़ थी। इसी प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 457 करोड़ थी। इस प्रकार के व्यापार में, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों की 9 प्रतिशत की छोटी भागीदारी थी। जबकि निजी क्षेत्र की गैर–जीवन बीमा कम्पनियों की सकल प्रीमियम में 87 प्रतिशत की भागीदारी थी, इस व्यापार में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों की 4 प्रतिशत भागीदारी थी। यद्यपि 10 बीमा कम्पनियां विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियां बेच रही हैं, केवल तीन बीमा कम्पनियां टाटा एआईजी (35 प्रतिशत बाजार शेयर), बजाज अलायंज (22 प्रतिशत) और आईसीआईसीआई लाम्बार्ड (17 प्रतिशत) के इस व्यापार में कुल बाजार शेयर का तीन–चौथाई भागीदारी रही।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए इस व्यापार के लिए उपगत दावे अनुपात (आईसीआर) 50.69 प्रतिशत था।.

तालिका I.56 : विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम में प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	30	43	46	41
निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	295	325	393	402
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	17	19	18	21
कुल उद्योग	**342**	**387**	**457**	**465**

बॉक्स मद–1

व्यवसाय के वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा

ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य की देखभाल के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। जबकि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के प्रसार के लिए एक राहत की पेशकश कर सकते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वास्थ्य बीमा का विकल्प नहीं है। भारत में बीमा क्षेत्र जो शुरू में कुछ क्षेत्रों जैसे जीवन, वाहन, समुद्री बीमा कवर करते थे वे धीरे–धीरे मानव जीवन पर आकस्मिक स्वास्थ्य जोखिम को कवर करने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में पिछले दस साल में 24.6 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की। सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वर्ष 2005–06 में ₹ 2221 करोड़ थी जो 2014–15 में बढ़कर रूत्र ₹ 20,096 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत कवर्ड जीवन की संख्या 28.80 करोड़ थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। कल्पना करो कि केवल एक पॉलिसी एक व्यक्ति को जारी की जाए, यह अनुमान किया जा सकता है कि भारत की कुल आबादी का लगभग 24 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के किसी के भी तहत कवर किया गया है।

यह अनुमान है कि गैर जीवन उद्योग की सकल लिखित प्रीमियम 2025 तक ₹ 4,80,000 करोड़ तक पहुंचने की क्षमता है। वर्तमान में गैर जीवन उद्योग में लगभग 25 प्रतिशत बाजार शेयर के साथ, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भारतीय आबादी के विभिन्न वर्गों को कवर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो बीमा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ कवर नहीं। 2025 तक लगभग 1 अरब जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा कराने का अनुमान है। औसत जीवन प्रत्याशा 2020 तक 74 वर्ष तक (वर्तमान में 66 वर्ष) पहुंचने की उम्मीद है तथा वर्तमान में औसत परिवारों की चिकित्सा के खर्च 75 प्रतिशत जेब से किया जा रहा है, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वास्थ्य बीमा का कार्य एक पुरस्कृत भूमिका है।

दिसम्बर 2002 में इंडिया विजन 2020 पर योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में पहले से ही स्वास्थ्य बीमा भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार लाने में एक अमूल्य भूमिका निभा सकते हैं। मसौदा '2015 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए निजी स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रभावित करने के लक्ष्य के साथ, यह उम्मीद है कि स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय विकास नहीं होगा। स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को भी स्वास्थ्य बीमा के लिए मांग है।

गैर–जीवन बीमा कम्पनियों की संख्या में वृद्धि के साथ, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उत्पाद नवीनता में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उत्पाद के विकास में नवाचार भी ज्यादा जरूरत के साथ कवर करने के लिए और विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा समाधान जनसंख्या की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। उत्पाद विभिन्न गैर संचारी रोगों जैसे– मधुमेह, कैंसर आदि के लिए विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा खरीदा जा रहा है। विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए मांग भी उत्पाद नवीनता की ओर जाता है, जो स्वास्थ्य बीमा की पहुंच को बढ़ाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित) के तहत 21.25 करोड़ (अनंतिम आंकड़े) लोगों के स्वास्थ्य बीमा कवर किये गये। इसके नीचे संभावित बाजार आधार है। इन व्यक्तियों की आय अर्जन क्षमता को बेहतर बनाता है जब वे बीमा कंपनियों से स्वैच्छिक बीमा खरीदने के लिए संभावित बाजार क्षेत्र के रूप में बंद हो जाएगा। इन परिस्थितियों में, क्षेत्र की जरूरत और संभावनाओं दोनों के ध्यान में रखते हुए, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के समावेश को सक्षम करने के लिए व्यापार के एक वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा को मान्यता दी।

अधिनियम की धारा (6)(ग) 'बीमारी लाभ या चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अस्पताल व्यय लाभ के लिए प्रदान करते हैं जो रोगी या बाहर मरीज यात्रा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर' के रूप में परिभाषित किया है। भारतीय बीमा कारोगार के लिए और स्टैंडअलोन वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा पहचान करने के लिए सभी हितधारकों के लिए एक मील का पत्थर है।

कारोबार का स्टैंडअलोन वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा की मान्यता आबादी की पूरी श्रृंखला के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक उपयोग में सुधार के युग में प्रवेश करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य खर्च के तौर पर किए गए कुल खर्च में 'जेब से बाहर के खर्च' की हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा को स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करने से खिलाड़ियों की संख्या में हो सकता है। बीमा बड़ी संख्या का व्यापार किया जा रहा है, बीमा का बड़ी संख्या में व्यापार किया जा रहा है, यह जरूरी है कि उनके स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए बीमा कंपनियों को उत्पादों की रेंज की पेशकश करने के लिए लक्षित आबादी की एक विस्तृत श्रृंखला की मांग है। स्वास्थ्य बीमा समाधान की पेशकश करने वाले खिलाड़ियों की संख्या की उपलब्धता भी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करने में मदद करता है कि एक उचित मांग के लिए अग्रणी स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है। संयोग से, सरकार ने वर्ष 2014–15 में 49 प्रतिशत की अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा दी है। एक विशेष वर्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा पहचानने के साथ युग्मित एफडीआई की सीमा में यह वृद्धि, भारतीय बीमा सार्वजनिक के लिए स्वास्थ्य बीमा समाधान की एक श्रृंखला की पेशकश खिलाड़ियों की एक संख्या को आकर्षित करने की संभावना है।

घरेलू यात्रा बीमा :

I.4.6.7 वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान घरेलू यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹ 16.06 करोड़ थी। जबकि स्टैंडअलोन बीमा कम्पनियों ने घरेलू यात्रा बीमा की कोई पॉलिसियां नहीं बेची, इस व्यवसाय के क्रम में 6 निजी गैर–जीवन बीमा कम्पनियां और एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी राष्ट्रीय बीमा कम्पनी उत्पन्न हुई। दो निजी बीमा कम्पनियों आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और टाटा एआईजी का मार्केश शेयर क्रमशः 54 प्रतिशत और 44 प्रतिशत था। 2014–15 के दौरान, उद्योग ने 14 लाख व्यक्तियों को 14 लाख बीमा पॉलिसियां जारी की हैं।

वर्ष 2014–15 के लिए सम्पूर्ण उद्योग के लिए इस व्यवसाय के लिए आईसीआर 1.14 प्रतिशत था।

स्वास्थ्य बीमा व्यापार का राज्यवार वितरण

I.4.6.8 स्वास्थ्य बीमा व्यापार की एक और चिंता का विषय है – विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य व्यापार का असमान वितरण। जबकि पांच राज्यों – महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली और गुजरात ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 71 प्रतिशत, शेष 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश की मात्र 29 प्रतिशत भागीदारी थी। केवल महाराष्ट्र राज्य की कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रू. 6575 करोड़ (33 प्रतिशत) भागीदारी थी। दूसरी ओर, 2014–15 के लिए भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम राज्य सहित) से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम मात्र रू. 158 करोड़ (0.79 प्रतिशत) थी।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का चैनलवार वितरण :

I.4.6.9 वितरण के विभिन्न चैनलों के बीच, व्यक्तिगत एजेंटों ने लगातार 35 प्रतिशत पर कुल स्वास्थ्य बीमा का बड़ा हिस्सा अदा किया। इनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हिस्सा 70 प्रतिशत के उच्च पर था।

''प्रत्यक्ष बिक्री – ऑनलाइन की अलावा'' स्वास्थ्य बीमा व्यापार के वितरण के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैनल है। इस चैनल की कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 29 प्रतिशत भागीदारी थी। इस चैनल को शेयर समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में सबसे उच्च 45 प्रतिशत पर था।

स्वास्थ्य बीमा व्यापार के वितरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण चैनल ब्रोकर्स है, जिनकी कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 26 प्रतिशत भागीदारी है। पुनः ब्रोकर्स का समूह स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शेयर सबसे उच्च 43 प्रतिशत पर था।

बैंकएश्योरेंस ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 7 प्रतिशत योगदान तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का 1 प्रतिशत योगदान था।

तालिका I.57
विदेश यात्रा बीमा सकल प्रीमियम में प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सार्वजनिक क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	0.03	0.04	0.03	0.01
निजी क्षेत्र के गैर–जीवन बीमाकर्ता	14.22	15.43	12.32	16.05
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल उद्योग	**14.25**	**15.47**	**12.35**	**16.06**

तालिका I.58 : वित्त वर्ष 2014–15 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 5 सर्वोच्च/शीर्ष राज्यों का हिस्सा

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	समूह व्यापार (आरएसबीवाइ और सरकारी प्रायोजित योजना के अलावा)		सरकारी व्यापार (केवल आरएसबीवाइ और अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाएं)		व्यक्तिगत व्यापार		कुल स्वास्थ्य बीमा व्यापार	
	राशि (₹ करोड़ में)	राष्ट्रीय प्रीमियम में शेयर (प्रतिशत में)	राशि (₹ करोड़ में)	राष्ट्रीय प्रीमियम में शेयर (प्रतिशत में)	राशि (₹ करोड़ में)	राष्ट्रीय प्रीमियम में शेयर (प्रतिशत में)	राशि (₹ करोड़ में)	राष्ट्रीय प्रीमियम में शेयर (प्रतिशत में)
महाराष्ट्र	3,468	39%	750	31%	2,357	27%	6,575	33%
तमिलनाडु	1,237	14%	482	20%	768	9%	2,487	12%
कर्नाटक	1,521	17%	92	4%	509	6%	2,123	10%
दिल्ली	853	10%	7	0%	923	11%	1,783	9%
गुजरात	123	1%	69	3%	1,140	13%	1,331	7%
भारत के बाकी	1,696	19%	1,026	42%	3,076	35%	5,798	29%
कुल	**8,898**	**100%**	**2,425**	**100%**	**8,772**	**100%**	**20,096**	**100%**

तालिका I.59 वितरण के विभिन्न चैनलों का शेयर – वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि

चैनल का नाम	व्यक्तिगत व्यापार		समूह व्यापार		कुल (व्यक्तिगत+समूह)	
	जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम	जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम	जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम
दलाल	3%	3%	7%	43%	3%	26%
निगमित एजेंट – बैंक	15%	12%	52%	4%	16%	7%
निगमित एजेंट – बैंकों के अलावा	2%	4%	11%	1%	3%	2%
प्रत्यक्ष विक्रय – ऑनलाइन	2%	3%	0%	0%	2%	1%
प्रत्यक्ष विक्रय – ऑनलाइन के अलावा	9%	8%	17%	45%	9%	29%
व्यक्तिगत एजेंट	69%	70%	13%	8%	67%	35%
सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.005%	0.000%	0%	0.008%	0.013%	0.004%
सभी चैनलों का कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

चार्ट I.22 कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश (वित्तीय वर्ष 2014–15)

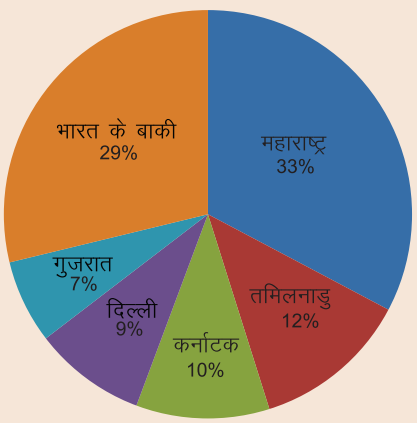

उपरोक्त तालिकाओं 1.61, 1.62, 1.63 के विश्लेषण से निम्नलिखित अवलोकन किया जाता है :

- वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, गैर–जीवन बीमा क्षेत्र के 92.36 लाख स्वास्थ्य बीमा दावों को स्थायी किया गया तथा रू. 18,223 करोड़ के स्वास्थ्य बीमा दावों का भुगतान किया गया।
- उनके बीच में, टीपीए के माध्यम से 55 प्रतिशत दावों को स्थायी किया गया तथा बाकी को आन्तरिक के माध्यम से स्थायी किए गए थे।
- स्थायी किए गए दावों की संख्या के क्रम में, नकदीरहित द्वारा स्थायी किए गए कुल दावे 65 प्रतिशत थे। बाकी 35 प्रतिशत दावे अदायगी के माध्यम से स्थायी किए गए हैं।
- स्थायी किए गए दावों की संख्या में स्थायी किए गए नकदीरहित दावों का शेयर आन्तरित स्थायीकरण के मामले में 82 प्रतिशत है, जबकि टीपीए के मामले में 52 प्रतिशत है।
- वर्ष के अंत में विचाराधीन दावों की संख्या 6.50 लाख है जो वर्ष के प्रारंभ में विचाराधीन दावों की संख्या 10.07 से बहुत कम है। इस प्रकार बीमा कम्पनियों की दावे सेवा में सुधार देखने को मिला।
- वर्ष के दौरान, बीमा कम्पनियों ने संभाले गए दावों की संख्या का 8 प्रतिशत खण्डित किया। लाभ आधारित पॉलिसियों के लिए 22 प्रतिशत था। जबकि बीमाकर्ताओं ने अदायगी के अंतर्गत स्वीकृत दावों का 13 प्रतिशत खण्डन किया, ये नकदीरहित दावों के अंतर्गत केवल 5 प्रतिशत दावे स्वीकृत किए गए।

चार्ट I.23 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न चैनलों का योगदान

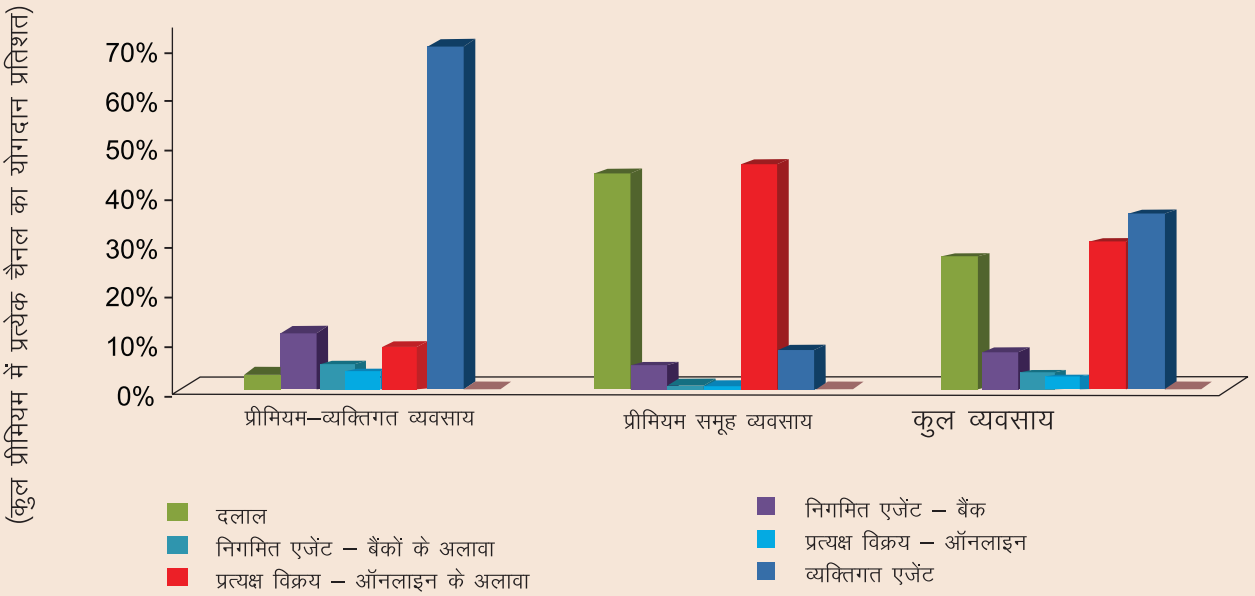

2014–15 के दौरान स्वास्थ्य बीमा दावे विकास

तालिका I.60
टीपीए के माध्यम से संभाले गए दावों का विवरण

(वास्तविक संख्या) (राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में विचाराधीन दावे	2,14,691	25,957	1,41,908	37,705	162	60	3,56,761	63,722
अवधि के दौरान दर्ज किए नए दावे	29,48,225	8,93,386	27,43,720	9,05,460	1,108	195	56,93,053	17,99,041
अवधि के दौरान स्थायी किए दावे	26,81,472	6,67,282	24,38,734	6,34,613	611	144	51,20,817	13,02,039
अवधि के दौरान खण्डित दावे	1,87,695	76,773	3,05,101	1,08,203	476	76	4,93,272	1,85,052
वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे	2,93,749	1,75,288	1,41,793	2,00,348	183	35	4,35,725	3,75,672

तालिका I.61
बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावे

(वास्तविक संख्या) (राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में विचाराधीन दावे	5,74,592	19,037	73,570	82,394	1,873	4,551	6,50,035	1,05,982
अवधि के दौरान दर्ज किए नए दावे	30,93,065	2,53,136	9,40,609	3,72,422	19,122	32,057	40,52,796	6,57,615
अवधि के दौरान स्थायी किए दावे	33,61,565	2,15,294	7,39,047	2,81,385	14,351	23,575	41,14,963	5,20,253
अवधि के दौरान खण्डित दावे	1,68,769	36,656	2,00,771	1,03,541	4,382	6,992	3,73,922	1,47,188
वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे	1,37,323	20,223	74,361	69,891	2,262	6,040	2,13,946	96,155

तालिका I.62

बीमा कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावे (टीपीए व आन्तरिक दोनों के माध्यम से)

(वास्तविक संख्या) (राशि ₹ लाख में)

विवरण	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में विचाराधीन दावे	7,89,283	44,994	2,15,478	1,20,099	2,035	4,611	10,06,796	1,69,704
अवधि के दौरान दर्ज किए नए दावे	60,41,290	11,46,522	36,84,329	12,77,882	20,230	32,252	97,45,849	24,56,656
अवधि के दौरान स्थायी किए दावे	60,43,037	8,82,576	31,77,781	9,15,998	14,962	23,719	92,35,780	18,22,293
अवधि के दौरान खण्डित दावे	3,56,464	1,13,428	5,05,872	2,11,744	4,858	7,068	8,67,194	3,32,240
वर्ष के अंत में विचाराधीन दावे	4,31,072	1,95,512	2,16,154	2,70,239	2,445	6,076	6,49,671	4,71,827

स्वास्थ्य बीमा – 2014–15 के दौरान स्थायी किए गए दावों की आयु

तालिका I.63

टीपीए के माध्यम से संभाले गए दावों का आयुवृद्धि

(वास्तविक संख्या) (राशि लाख में)

विचाराधीन दावों के लिए	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	21,90,358	4,95,263	18,31,059	3,34,443	350	54	40,21,767	8,29,760
1 से 3 महीना	4,07,339	1,42,313	4,10,911	1,75,762	179	39	8,18,429	3,18,113
3 से 6 महीना	60,796	22,712	1,49,255	94,191	61	37	2,10,112	1,16,940
6 से 12 महीना	21,095	5,884	37,537	25,505	15	11	58,647	31,401
1 से 2 वर्ष	1,474	936	7,203	3,461	3	1	8,680	4,398
> 2 वर्ष	410	175	2,769	1,252	3	1	3,182	1,428
कुल	**26,81,472**	**6,67,282**	**24,38,734**	**6,34,614**	**611**	**144**	**51,20,817**	**13,02,040**

तालिका I.64 बीमाकर्ता आंतरिक द्वारा संभाले गए दावों की आयुवृद्धि

(वास्तविक संख्या) (राशि लाख में)

विचाराधीन दावों के लिए	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	29,20,013	1,93,826	5,96,635	2,31,219	10,512	10,421	35,27,160	4,35,465
1 से 3 महीना	3,75,939	17,735	1,01,294	32,540	2,508	8,193	4,79,741	58,468
3 से 6 महीना	63,262	2,798	32,830	11,649	953	3,621	97,045	18,068
6 से 12 महीना	2,210	883	6,519	4,572	306	1,121	9,035	6,577
1 से 2 वर्ष	109	41	1,096	506	54	201	1,259	748
> 2 वर्ष	32	12	673	898	18	18	723	927
कुल	**33,61,565**	**2,15,294**	**7,39,047**	**2,81,385**	**14,351**	**23,575**	**41,14,963**	**5,20,254**

तालिका I.65 : बीमाकर्ताओं (दोनों टीपीए और आंतरिक के माध्यम से) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गए दावों की आयुवृद्धि

(वास्तविक संख्या) (राशि लाख में)

विचाराधीन दावों के लिए	नकदीहीन		अदायगी		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	51,10,371	6,89,088	24,27,694	5,65,662	10,862	10,475	75,48,927	12,65,226
1 से 3 महीना	7,83,278	1,60,047	5,12,205	2,08,302	2,687	8,232	12,98,170	3,76,581
3 से 6 महीना	1,24,058	25,510	1,82,085	1,05,840	1,014	3,658	3,07,157	1,35,008
6 से 12 महीना	23,305	6,767	44,056	30,078	321	1,132	67,682	37,977
1 से 2 वर्ष	1,583	977	8,299	3,967	57	202	9,939	5,146
> 2 वर्ष	442	186	3,442	2,150	21	19	3,905	2,355
कुल	**60,43,037**	**8,82,576**	**31,77,781**	**9,15,999**	**14,962**	**23,719**	**92,35,780**	**18,22,293**

तलिका 1.63, 1.64, 1.65 के विश्लेषण का विवरण निम्नलिखित है :

- 1 महीने में दावों के प्रस्तुतीकरण 82 प्रतिशत थे।
- एक साल से अधिक विलंबित दावो केवल 0.15 प्रतिशत थे।

I.4.6.10 तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए)

वर्ष 2014–15 के दौरान, केवल एक स्वास्थ्य बीमा टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड का पंजीयन स्वीकृत किया गया था और 14 टीपीए के पंजीयन नवीकरण किए गए थे, जिनका विवरण तालिका 1.66 में दिया गया है।

31 मार्च 2015 के अनुसार बीमा उद्योग में स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिपादित करने वाले 30 टीपीए प्राधिकरण ने दर्ज किए। टीपीए की भौतिक उपस्थिति विभिन्न स्थानों पर शाखाएं खोलने से भी संवर्धित थी और वर्ष के दौरान टीपीए की देश में 161 शाखा कार्यालय हैं।

31 मार्च 2015 के अनुसार नेटवर्क चिकित्सालयों की संख्या बढ़कर 50,118 है जो 31 मार्च 2014 में 40,521 थी। नेटवर्क चिकित्सालयों की अधिक संख्या के नामांकन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारकों के विभिन्न श्रेणियों के द्वारा आसानी से स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंचने की सुविधा के लिए टीपीए उद्योग के प्रयासों को इंगित करता है।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि से पता चलता है कि टीपीए द्वारा सेवित दावों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2014–15 के दौरान, सभी टीपीए ने 51,20,817 दावों को निपटाया, जो 66.48 प्रतिशत दावे एक महीने के भीतर निपटाये गये थे।

तालिका I.66
टीपीए के नाम जिनका 2014–15 के दौरान पंजीयन नवीकरण हुआ

क्र.सं.	टीपीए के नाम
1	मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्रा. लिमिटेड
2	रक्षा टीपीए प्रा. लिमिटेड
3	एमडी इंडिया हेल्थकेयर (टीपीए) सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड
4	सेफवे टीपीए सर्विसेस प्रा. लिमिटेड
5	ई–मेडीटेक (टीपीए) सर्विसेस लिमिटेड
6	मेडीकेयर टीपीए सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
7	पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेस (टीपीए) प्रा. लिमिटेड
8	विदल हेल्थ टीपीए प्रा. लिमिटेड
9	फेमिली हेल्थ प्लान (टीपीए) लिमिटेड
10	फोकस हेल्थ सर्विसेस टीपीए प्रा. लिमिटेड
11	हेरीटेज हेल्थ टीपीए प्रा. लिमिटेड
12	मेड सेव हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड
13	अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड
14	अलंकित हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड

I.4.7 ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में व्यापार

वर्तमान विनियमों का सार

I.4.7.1 बीमाकर्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्वों के संबंध में विनियम बना कर वार्षिक आधार पर उनके लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये। इन विनियमों के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य वार्षिक स्तर पर कवर किए जाने होते हैं – (1) सामाजिक दायित्वों के अधीन व्यक्तियों की संख्या के बारे में, (2) पॉलिसियों के जोखिमांकन और सकल प्रीमियम आय से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में। विनियमों के अनुसार इन क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा व्यापार के शुरूआती वर्ष तथा प्रत्येक बीमाकर्ता के प्रचालन के वर्ष से

संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, विनियमों में यह प्रावधान है कि यदि कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में आरंभ करती है और यदि 31 मार्च तक छह महीने से कम समय तक प्रचालन में रहती है तो (1) उस पर ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र के कोई दायित्व लागू नहीं होंगे, (2) विनियमों के अनुसार उस पर वार्षिक दायित्व अगले वर्ष से लागू होंगे। और वह उसके प्रचालन का प्रथम वर्ष माना जाएगा। यदि कोई कंपनी वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में अपना प्रचालन आरंभ करती है तो उस पर केवल 50 प्रतिशत दायित्व लागू होंगे।

2014–15 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्वों की पूर्ति :

ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व :

I.4.7.2 2014–15 के दौरान, सभी 23 निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कम्पनियों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति की। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा इसके अंतर्गत पॉलिसियों की संख्या वर्ष 2014–15 में कुल पॉलिसियों की प्रतिशतता के रूप में लागू किये गये दायित्वों के अनुसार थी।

I.4.7.3 एकमात्र सार्वजनिक बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में इसके दायित्वों का निर्वाह किया था, 2014–15 के लिए 25 प्रतिश निर्धारित था।

I.4.7.4 जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 65.34 लाख पॉलिसियां कीं जिनमें से उन्होंने 25.3 प्रतिशत नई पॉलिसियों (258.74 लाख पॉलिसियां) को 2014–15 में बीमित किया था। एलआईसी द्वारा नई पॉलिसियों का 25.65 प्रतिशत और निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 23.9 प्रतिशत नई व्यक्तिगत पॉलिसियों का बीमा किया।

तालिका I.67
टीपीए – 2014–15 के लिए दावों के आंकड़े

वर्ष के आरंभ में बकाये दावे			वर्ष के दौरान खोले गये दावे			वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे			कुल दावे (क) + (ख) + (ग)		
(क)			(ख)			(ग)			(घ)		
नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल
2,14,691	1,42,070	3,56,761	23233	74650	97883	29,24,992	26,70,178	55,95,170	31,62,916	28,86,898	60,49,814

वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे (अवधि अनुसार)

<= 1 महीना			>1 से >= 3 महीना			>3 <= 6 महीने			> 6 महीने		
नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल
21,90,358	18,31,409	40,21,767	4,07,339	4,11,090	8,18,429	60,796	1,49,316	2,10,112	22,979	47,530	70,509
(69.25)	(63.44)	(66.48)	(12.88)	(14.24)	(13.53)	(1.92)	(5.17)	(3.47)	(0.73)	(1.65)	(1.17)

निपटाए गए कुल दावे			वर्ष के दौरान निरस्त किए गए दावे			वर्ष के अंत में बकाया दावे		
ङ			(च)			(छ)= (क+ख+ग–ड़–च)		
नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल	नकदीरहित	प्रतिपूर्ति	कुल
26,81,472	24,39,345	51,20,817	1,87,695	3,05,577	4,93,272	2,93,749	1,41,976	4,35,725
(84.78)	(84.50)	(84.64)	(5.93)	(10.58)	(8.15)	(9.29)	(4.92)	(7.20)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े निस्तारित/नामंजूर/बंद किए दावों का तालिका के कॉलम 'घ' अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

तालिका I.68
वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए टीपीए संरचनात्मक ढांचा

क्र. सं.	टीपीए का नाम	वर्ष के आरंभ में नेटवर्क में चिकित्सालयों की संख्या	वर्ष के दौरान नेटवर्क में जोड़े गए चिकित्सालयों की संख्या	वर्ष के दौरान नेटवर्क से वापस लिए गए/ हटाए गए चिकित्सालयों की संख्या	* वर्ष के अंत में नेटवर्क में चिकित्सालयों की कुल संख्या	वर्ष के अंत में शाखाओं की संख्या	वर्ष के अंत में मानवशक्ति
1	अलंकित हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड	4008	9	8	4009	10	33
2	अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड	1162	958	93	148	1	28
3	अन्युता टीपीए इन हेल्थ केयर प्रा. लिमिटेड	86	22	0	108	3	15
4	डेडीकेटेड हेल्थकेयर सर्विसेस टीपीए (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	3457	294	255	3496	23	404
5	ई–मेडीटेक टीपीए सर्विसेस लिमिटेड	5242	212	36	5418	82	768
6	ईस्ट वेस्ट असिस्ट टीपीए प्रा. लिमिटेड	4126	24	5	4145	5	92
7	इरिक्सन टीपीए हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	2902	362	0	3264	0	44
8	फेमिली हेल्थ प्लान (टीपीए) लिमिटेड	4162	551	150	4563	18	682
9	फोकस हेल्थ सर्विसेस टीपीए प्रा. लिमिटेड	1482	132	15	1599	2	14
10	जेनिन्स इंडिया टीपीए लिमिटेड	3676	206	40	3842	19	246
11	गुड हेल्थ टीपीए सर्विसेस लिमिटेड	4647	416	346	4717	13	285
12	ग्रांड हेल्थ केयर टीपीए सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	1631	51	0	1682	10	75
13	हेप्पी इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेस	808	438	0	1246	2	10
14	हेल्थ इंडिया टीपीए प्रा. लिमिटेड	3574	592	52	4114	38	749
15	हेरीटेज हेल्थ टीपीए प्रा. लिमिटेड	3281	766	16	4031	16	406
16	एमडी इंडिया हेल्थकेयर सर्विसेस (टीपीए) प्रा. लिमिटेड	8804	706	115	9395	72	2512
17	मेड सेव हेल्थ केयर टीपीए लिमिटेड	6131	720	18	6833	55	330
18	मेडी असिस्ट इंडिया टीपीए प्रा. लिमिटेड	5162	664	432	5394	41	2628
19	मेडीकेयर टीपीए सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	3795	794	193	4396	18	337
20	पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेस (टीपीए) प्रा. लिमिटेड	5181	5765	300	10646	22	1375
21	पार्क मेडीक्लेम टीपीए प्रा. लिमिटेड	1893	33	4	1926	5	124
22	रक्षा टीपीए प्रा. लिमिटेड	3229	378	40	3567	45	550
23	रोथशील्ड हेल्थकेयर (टीपीए) सर्विसेस लिमिटेड	1893	235	0	2133	8	30
24	सेफवे टीपीए सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	3928	358	15	4271	5	148
25	स्पूर्ति मेडटेक (टीपीए) सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	3444	260	1	3704	5	48
26	श्री गोकुलम हेल्थ सर्विसेस टीपीए प्रा. लिमिटेड	1409	189	0	1598	6	26
27	यूनाइटेड हेल्थकेयर पारेख टीपीए प्रा. लिमिटेड	3260	836	41	4055	4	178
28	विदल हेल्थ टीपीए प्रा. लिमिटेड	6013	185	52	6146	16	1287
29	विपुल मेड कॉर्प टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6471	1205	136	7676	26	630
30	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	1	13
	कुल	**40521**	**10238**	**782**	**50118**	**161**	**4746**

* चिकित्सालयों की विभिन्न टीपीए के अंतर्गत पुनर्रावृत्ति हो सकती है।

सामाजिक क्षेत्र के दायित्व :

I.4.7.5 2014–15 में सभी 23 निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा कवर की गई संख्या आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमा कंपनियों के दायित्वों) विनियम 2002 में निर्धारित की गई है।

I.4.7.6 एलआईसी ने अपने सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का भी अनुपालन किया था, वर्ष 2014–15 के लिए दायित्वों के रूप में अधिक से अधिक (205.96 लाख) लोगों को कवर्ड कर निर्धारित 20 लाख लोगों की पॉलिसी की गई। निजी जीवन बीमा कंपनियों ने 97.40 लाख सामाजिक जीवन को कवर किया था।

गैर–जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्व

ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व :

I.4.7.7 वित्तीय वर्ष 2014–15 में मैक्स बुपा को छोड़कर सभी 21 निजी गैर–जीवन बीमा कम्पनियों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में निर्वहन किया। इस क्षेत्र में उनके द्वारा सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के बीमा किए गए, वित्तीय वर्ष 2014–15 में उनके द्वारा कुल प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में बीमा किए गए, जो निर्धारित शर्तों के ऊपर था।

I.4.7.8 ग्रामीण क्षेत्र में मैक्स बुपा द्वारा वर्ष सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वर्ष 2014–15 में उनके द्वारा किए गए बीमा की कुल सकल प्रीमियम की 3.93 प्रतिशत है। प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 105(ए) के तहत गैर–अनुपालन के लिए इस बीमा कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की शुरूआत की है।

I.4.7.9 वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र के दायित्वों के साथ निर्वहन किया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके द्वारा 7 प्रतिशत बीमा कारोबार किया गया था।

I.4.7.10 सभी गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 9602 करोड़ सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का बीमा किया गया, वित्तीय वर्ष 2014–15 में उनके द्वारा सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का 11.97 प्रतिशत (₹ 80243 करोड़) का करोबार किया। सार्वजनिक और निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्रमशः 11.96 प्रतिशत और 11.98 प्रतिशत बीमा किया।

सामाजिक क्षेत्र के दायित्व

I.4.7.11 सभी 22 निजी गैर जीवन बीमा कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों में निर्वहन किया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा जीवनों की संख्या नियमित निर्धारण से अधिक थी।

I.4.7.12 चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का निर्वहन किया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के दायित्व वही थे जो वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 में थे, जीवन की संख्या के मामलें में संबांधित बीमा कम्पनीयों द्वारा जारी जीवन की संख्या या 5.50 लाख जीवन संख्या में जो भी अधिक है।

I.4.7.13 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सामाजिक क्षेत्र में 2832.56 लाख लोगों को कवर्ड किया गया था। निजी क्षेत्र की 262.03 लाख लोग की और सार्वजनिक क्षेत्र की 2570.53 लोगों की भागीदारी थी।

I.4.8 वित्तीय प्रतिवेदन और बीमांकिक मानक

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.4.8.1 नियुक्त बीमांकक प्रणाली भारतीय बीमा उद्योग में एक दशक से भी अधिक समय से संस्थापित है। प्रत्येक बीमाकर्ता को बीमांकक की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है जो बीमांकक नियुक्ति के रूप में जानी जाती है। बीमा कम्पनी के प्रबंधन को बीमांकिक सलाह प्रदान करना, विशेष रूप से उत्पाद डिजाइन और मूल्य निर्धारण के क्षेत्रों में नियुक्त बीमांकक जिम्मेदार होता है। बीमा अनुबंध शब्दों, निवेश और पुनर्बीमा; कम्पनी की शोधन क्षमता को सुनिश्चित करना और समय–समय पर प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना है। नियुक्त बीमांकक के कब्जे में या बीमा कम्पनी के नियंत्रण के अधीन सभी जानकारी या दस्तावेज होते हैं। इस तरह कार्यों और कर्तव्यों को करके वह अपना उचित और प्रभावी प्रदर्शन करता है।

I.4.9 काला धन शोधन विरोधी/आतंकवाद का प्रति वित्तीय (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.9.1 काला धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) तथा संबंधित नियमों द्वारा सशक्तता प्राप्त एएमएल/सीएफटी दिशा निर्देश सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किए गए। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एक प्रभावकारी एएमएल/सीएफटी के प्रति कार्यरत है। ये दिशा निर्देश, रिपोर्टिंग दायित्वों और रिकॉर्ड–कीपिंग की आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हैं।

1.4.9.2 बीमाकर्ताओं द्वारा लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से, अपने बोर्ड की विभिन्न आवश्यकताओं के अंतर्गत कुछ प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। बीमाकर्ताओं के अतिरिक्त लेखा परीक्षा/निरीक्षण विभागों द्वारा, इन प्रणालियों की प्रभाविकारिता की नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। आईआरडीए द्वारा दिशा निर्देशों के अनुपालन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आकलन किया जाता है।

नकदी स्वीकार करने की सीमा

I.4.9.3 बीमा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र में काफी समानता होती है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र देश की जनता के बीच, बचत को प्रोत्साहित करने हैं। देश की बीमाकरण विधियां भी यह अनुदेश देती हैं कि प्रत्येक कम्पनी के व्यापार कर एक निश्चित भाग, ग्रामीण क्षेत्र से ही प्राप्त होना चाहिए। भारत में ग्रामों की विशाल संख्या की तुलना बैंकों का फैलाव सीमित है। अतः भाबीविविप्रा ने बैंकिंग क्षेत्र के साथ करार स्थापित किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कम्पनियों को प्रभावकारी व्यापार हेतु प्रोत्साहित करना है।

I.4.9.4 यह आवश्यकता सीबीडीटी अधिसूचना एसओ 1214(ई) दिनांक 26 मई 2011 के संशोधित आयकर नियमावली 1962 के नियम 114बी में खण्ड (क्यू) में वर्णित है कि जीवन बीमा प्रीमियम एक वर्ष में 50000 या अधिक राशि के आहरण के लिए सभी प्रलेखों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थायी लेखा संख्या (पैन) अवश्य प्रस्तुत करेगा, बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) के रूप में परिभाषित है।

I.4.9.5 ''प्रीमियम की नकद रूप में स्वीकृति'' पर सख्त नियंत्रण रखने के उद्देश्य से भाबीविविप्रा ने पैन नंबर के सत्यापन की आवश्यकता जैसे ठोस नियंत्रणों का प्रावधान रखा है। बीमाकर्ताओं द्वारा पैन के विवरणों के प्रकटन से पूर्व किसी भी प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए समुचित जांच प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में बीमाकर्ता संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वित्तीय आसूचना यूनिट इंडिया (एफआईयू–आईएनडी) को देगा।

गैर जीवन बीमा कम्पनियों पर लागू एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश :

I.4.9.6 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर जीवन बीमा कम्पनियों की एएमएल/सीएफटी आवश्यकताएं जीवन बीमा कंपनियों से भिन्न होती है। इन दिशानिर्देशों को गैर जीवन बीमा व्यापार के प्रारूपिक लक्षणों के अनुसार संशोधित किया गया है। सामान्य बीमाकरण परिषद के माध्यम से सभी गैर जीवन बीमा कंपनियों के विभिन्न संबंधित आयामों पर भली भांति विचार किया गया है। गैर जीवन बीमा कंपनियों की एएमएल/सीएफटी आवश्यकताओं के अनुसार फरवरी 2013 में समेकित परिपत्र जारी किया गया। स्टैंडअलोन मेडीकल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को इसके पूर्व दी गई छूट अब हटा ली गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / सूचना की शेयरिंग

I.4.9.7 वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में जून 2010, भारत के एफएटीएफ सचिवालय के प्रति वचनबद्ध कार्रवाई योजना निरंतर कार्यरत है। भाबीविविप्रा ने विभिन्न कार्रवाई बिन्दुओं को विकसित किया है जो मई 2013 से लागू किए गए है। भाबीविविप्रा ने अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संगठन (आईएआईएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो सहयोग और शेयरिंग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा भाबीविविप्रा (घरेलू या विदेशी इकाई के संबंध में गोपनीय सूचना के आदान) विनियम 2013 लागू किया जाता है जिसमें इस तरह का प्रावधान है कि गोपनीय सूचनाओं को अन्य के साथ शेयर की जा सकती हैं।

विभिन्न अभिकरणों / विभागों के साथ समन्वयन

I.4.9.8 भाबीविविप्रा, एएमएल / सीएफटी के भारत में प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न अभिकरणों / विभागों के साथ सक्रिय समन्वयन स्थापित कर रहा है। इसके साथ–साथ व राजस्व विभाग द्वारा गठित धन की लाण्डरिंग निरोधक कोर कार्यकारी ग्रुप (सीडब्ल्यूजी) के एक भाग के रूप में कार्यरत है जिसे आर्थिक मामले विभाग (एफएटीएफ सेल) द्वारा गठित किया गया है।

I.4.9.9 इसके अतिरिक्त भाबीविविप्रा कंबैटिंग मनी लाण्डरिंग यूरेसियन ग्रुप और आतंकवाद फाइनेंसिंग विरोधी ग्रुप से सक्रिय रूप से जुड़ा है। नवम्बर 2012 में नई दिल्ली में आयोजित 17वीं ईएजी कार्यकारी ग्रुप की बैठकों में भाबीविविप्रा ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

I.4.9.10 भाबीविविप्रा द्वारा वित्तीय आसूचना यूनिट इंडिया (एफआईयू–इंड) के साथ एक नियमित बातचीत के शुरूआत की गई है और वह ''रैड फ्लेग इंडिकेटर्स फॉर इंश्योरेंस सेक्टर'' पर अंतिम प्रतिवेदन देने हेतु गठित उद्योग प्रतिनिधियों के वर्किंग ग्रुप में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भाबीविविप्रा ने वित्तीय सेवाओं के विभाग का भी हिस्सा है, केन्द्रीय केवाइसी रजिस्ट्री शुरूआत की।

I.4.9.11 भाबीविविप्रा और एफआईयू–आईएनडी ने पारस्परिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर 29 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए। मनी लाण्डरिंग निरोधक अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के एक प्रयास के रूप में यह समझौता किया गया।

समझौता ज्ञापन के अनुसार भाबीविविप्रा और एफआईयू–आईएनडी आपसी हितों के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी ध्यान देंगे :

अ. उन दोनों के डाटाबेस में उपलब्ध आसूचना और सूचनाओं का आदान प्रदान।

आ. पीएमएल (रिकॉर्ड अनुरक्षण) नियमों के तहत एफआईयू–इंड को प्रतिवेदन करने वाली इकाईयों हेतु प्रक्रियाओं और पद्धति सुनिश्चित करना।

इ. रिपोर्टिंग इकाईयों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

ई. भाबीविविप्रा द्वारा विनियमित इकाईयों में एएमएल / सीएफटी कौशलों का उन्नयन।

उ. बीमा क्षेत्र में व्याप्त जोखिमों असुरक्षाओं मनी लाण्डरिंग निरोधक / आतंकवादियों को फाइनेंसिंग ग्रुप का मूल्यांकन।

ऊ. बीमा क्षेत्र में एसटीआर की पहचान करना।

ऋ. पीएमएलए के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन करने वाली रिपोर्टिंग इकाईयों के अनुपालन का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग।

ए. संगत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एक दूसरे के दायित्वों का अनुपालन।

I.4.10 फसल बीमा

एआईसी के विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) :

I.4.10.1 यह योजना वृहद फसल बीमा योजना (सीसीआईएस) के स्थान पर रबी के मौसम में 1999–2000 में आरंभ की गई थी। यह योजना, कृषि मंत्रालय की ओर से भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे– अकाल, बाढ़, आंधी, तूफान, आग, कीट संबंधी रोगों से होने वाली फसल की बर्बादी के लिए संरक्षण प्रदान करना ताकि वे हानियों से उबर कर अगले मौसम तक अपनी ऋण सुपात्रता पुनः हासिल कर सके। यह योजना सभी किसानों, ऋणी और गैर–ऋणियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत सभी फसलों, जैसे– अनाज, दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी संबंधी फसलें शामिल हैं।

I.4.10.2 एनएआईएस के प्रावधानों के अनुसार खाद्य, फसलों, तिलहन के लिए फ्लैट और कैप्ड प्रीमियम की दरें वसूल की जाती है जबकि बागवानी तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए बीमांकक दरें ली जाती है। छोटे और अंशकालिक किसानों के प्रीमियम में 10 प्रतिशत की छूट दी गई है, जिसे केन्द्र और राज्य स्तर पर समान रूप से बांटा जाता है। फिर भी कुछ राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा भी छोटे और अंशकालिक किसानों को प्रीमियम में अधिक छूट दी जा रही थी।

I.4.10.3 एनएआईएस के तहत खरीफ 2014 के मौसम के दौरान, 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 216 से अधिक जिलों के 0.97 करोड़ किसानों का सकल प्रीमियम ₹ 844.65 करोड़ के साथ ₹ 24384.84 करोड़ की राशि बीमित के साथ 1.15 करोड़ हेक्टेयर का बीमा कवर किया गया।

I.4.10.4 1999 में शुरूआत के बाद खरीफ 2014 मौसम तक, एनएआईएस ने ₹ 11026.18 करोड़ के प्रीमियम के विरूद्ध ₹ 365389.75 करोड़ की बीमा राशि के लिए 34.85 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के बीमा के लिए लगभग 23.33 करोड़ किसानों को कवर किया। कुल दर्ज किए गए दावों की राशि ₹ 37050.74 करोड़ में से ₹ 35692.08 करोड़ के दावे निपटाए गए जिससे 6.44 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। दावे आंकड़ा खरीफ 2014 मौसम के लिए कुछ दावों में वृद्धि हुई है अब तक अंतिम रूप से निपटाए जाने की संभावना हैं।

I.4.10.5 भारत सरकार ने इस योजना को रबी 2013–14 मौसम से निकालकर राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) का शुभारंभ किया। फिर भी संबंधित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुरोध पर भारत सरकार ने 2015–16 में एनएआईएस को जारी रखा।

तालिका I.69
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)

(₹ लाख में)

	मौसम	बीमित किसानों की संख्या	बीमित राशि	प्रीमियम	दर्ज किए गए दावे
1	रबी 2011-12	5239299	1128393.63	25767.81	54320.16
2	खरीफ 2012	10649354	2719906.05	87874.18	278578.90
3	रबी 2012-13	6141677	1571008.05	44769.98	205254.95
4	खरीफ 2013	9749600	2900218.30	97752.19	310027.16
5	रबी 2013-14	3973588	1255204.10	29752.22	104275.74
6	खरीफ 2014	9683529	2438783.90	84465.84	289683.52

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) :

I.4.10.6 एनएआईएस की समाप्ति के अनुक्रम में 1 नवम्बर 2013 से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कर राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) का शुभारंभ किया गया। एनसीआईपी ने तीन संघटक योजनाएं शुरू की – संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) और नारियलपाम बीमा योजना (सीपीआईएस)। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) का कार्यान्वयन एआईसी तथा 10 अन्य बीमा कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)

I.4.10.7 यह योजना एनसीआईपी में समाविष्ट होने से पहले रबी 2010–11 से खरीफ 2013 में स्थानांतरित हो गई। इसके संशोधित संस्करण में कई सुधार किए गए हैं जैसे बड़ी फसलों के लिए बीमाकरण इकाई ग्राम पंचायत अथवा अन्य समानांतर इकाई होगी, बुआई के प्रतिबंधित/असफल हो जाने पर बीमित राशि का 25 प्रतिशत दावे के तौर पर दिया जाएगा। तूफानी वर्षा के कारण हुई हानि का मूल्यांकन खेत में दो सप्ताहों से कटी व फैली उपज के आधार पर किया जाएगा। व्यक्तिगत खेतों में स्थानीय आपदाओं जैसे आंधी और भूस्खलन से हुई हानियों हेतु संभावित दावे का 25 प्रतिशत भुगतान अग्रिम के रूप में तुरंत किया जाएगा, भीषण आपदाओं के मामले में किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत की सहायता की जाएगी। (एनएआईएस में 60 प्रतिशत) दावों के दायित्व की जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होगी। प्रीमियम दरें, प्रीमियम में अप–फ्रंट सब्सिडी द्वारा समर्थित बीमांकिक है, जो 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है, समान रूप से केन्द्र और राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। दावे के दायित्वों के लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार है। एआईसीआईएल द्वारा उपर्युक्त योजना का कार्यान्वयन उसकी शुरूआत से ही किया जा रहा है। खरीफ 2014 के दौरान, एआईसी द्वारा 13 राज्यों के 133 जिलों में तथा 9 राज्यों के 87 जिलों में रबी 2014–15 को लागू किया गया।

I.4.10.8 खरीफ 2014 के मौसम के दौरान 0.23 करोड़ किसानों की लगभग 0.31 करोड़ हेक्टेयर भूमि को ₹ 4054.12 करोड़ की बीमित राशि के साथ कवर किया गया। इसका सकल प्रीमियम ₹ 469.76 करोड़ था।

रबी 2010–11 से खरीफ 2014 तक पाइलेट प्रोजेकट के दौरान एमएनएआईएस ने लगभग 0.97 करोड़ किसानों को कवर करते हुए 1.08 करोड़ हेक्टेयर भूमि बीमित करके ₹ 22195.89 करोड़ की राशि के बीमा किए जिसका प्रीमियम ₹ 2377.81 करोड़ था। दावों के रूप में ₹ 2111.36 करोड़ का भुगतान किया गया जिससे 26.61 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए।

तालिका I.70
संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मौसम	बीमित किसानों की संख्या	बीमित राशि	सकल प्रीमियम	दर्ज किए गए दावे
1	रबी 2011-12	617328	163181.19	15506.86	7264.40
2	खरीफ 2012	1605822	438424.52	51101.60	61077.94
3	रबी 2012-13	805609	162406.22	17948.57	4626.48
4	खरीफ 2013	1429499	429557.29	53280.57	61951.09
5	रबी 2013-14	2163549	441179.85	37314.38	43924.88
6	खरीफ 2014	2347611	405412.47	46976.92	23022.86

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

I.4.10.9 उपर्युक्त दो उपज गारंटी बीमा योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2007 नाम से एक और योजना आरंभ की जो एनसीआईपी के संघटक के रूप में एक सम्पूर्ण योजना बन गई। यह योजना 25 से प्रतिशत की प्रीमियम राहत के साथ एक बीमांकिक आधार पर काम करती है। प्रीमियम राहत का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समान रूप से किया जाता है। तब से एआईसी द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन सभी खरीफ तथा रबी के मौसमों के दौरान किया गया। मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक प्राचल बीमा उत्पाद है जो एक कृषक को कृषि अवधि के दौरान खराब मौसम की स्थिति के प्रति बीमा संरक्षण प्रदान करता है जैसे अनावृष्टि और अतिवृष्टि, पाला, गर्मी (तापक्रम) उमस, तेज हवा आदि जिनका फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

I.4.10.10 राज्य सरकार द्वारा मौसम की शुरूआत से पहले फसलों और रेफरेंस यूनिट क्षेत्र (आरयूए) को अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक आरयूए एक रेफरेंस मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) से जुड़ा होता है। जिसके आधार पर देय/दावों को संसाधित किया जाता है। चालू मौसम के रेफरेंस मौसम स्टेशन द्वारा मापे गए मापकों तथा खराब स्थितियों के आधार पर भुगतान किया जाता है। कंपनी ने 35 से अधिक विभिन्न फसलों का बीमाकरण किया जैसे– सेब, खट्टे फल, अंगूर, आम, अनार, काजू, तिलहन आदि। खरीफ 2014 के दौरान 14 राज्यों के 102 जिलों में और रबी 2014–15 के दौरान 11 राज्यों के 88 जिलों में एआईसी द्वारा लागू की गई।

I.4.10.11 खरीफ 2014 मौसम के दौरान, 0.24 करोड़ किसानों को कवर करते हुए लगभग 0.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि का बीमा राशि ₹ 6008.99 करोड़ जिसका सकल प्रीमियम ₹ 621.23 करोड़ था।

खरीफ 2007 से खरीफ 2014 तक पाइलेट प्रोजेकट के दौरान डब्ल्यूसीआईएस ने लगभग 3.45 करोड़ किसानों को कवर करके 4.63 करोड़ हेक्टेयर भूमि का बीमा ₹ 63501.19 करोड़ में ₹ 6022.31 करोड़ सकल प्रीमियम सहित किया गया। दावे की राशि ₹ 4701.73 करोड़ भुगतान की गई जिससे 216.32 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए।

तालिका I.71 मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

(रू. लाख में)

क्र. सं.	मैसम	बीमित किसानों की संख्या	बीमित राशि	सकल प्रीमियम	दर्ज किए गए दावे
1	रबी 2011-12	3169918	669577.58	55754.43	58211.10
2	खरीफ 2012	3547463	724009.97	72647.97	54697.44
3	रबी2012-13	3706834	646623.46	57562.09	77740.13
4	खरीफ 2013	5000339	891262.43	89820.20	66692.59
5	रबी 2013-14	1287898	311593.89	28610.78	29798.38
6	खरीफ 2014	2455421	600899.01	62123.08	55089.77

नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस) :

I.4.10.12 एआईसी ने नारियल बोर्ड के सहयोग से नारियल के लिए एक योजना तैयार की, जिसका नाम है नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस), जो अब एनसीआईपी का एक संघटक है। यह योजना नारियल उगाने वाले देश के समस्त राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों हेतु उपलब्ध है। ड्वार्फ और हाइब्रिड नारियल के पेड़ जिनकी आयु 4 से 60 वर्ष के बीच है तथा लंबी नस्ल के नारियल पेड़ निजकी आयु 7 से 60 वर्ष के बीच है कवरेज के लिए उपयुक्त है। प्रीमियम में से 50 प्रतिशत की छूट नारियल विकास बोर्ड द्वारा, 25 प्रतिशत संबंधित राज्य उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। यदि राज्य सरकार 25 प्रतिशत छूट देने से मना करती है तो बीमा करवाने के इच्छुक किसानों/उत्पादकों द्वारा 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।

I.4.10.13 उपर्युक्त के अलावा एआईसी ने विभिन्न फसलों के जोखिम उपशमन हेतु विभिन्न फसल बीमा योजनाओं का विकास किया जैसे वर्षा योजना कॉफी (आरआईएससी) – कॉफी बोर्ड के संयोजन से, रबर रोपण बीमा, बायो फ्यूल पौधों का बीमा, मैंगो वेदर बीमा, पोटेटो फोर्मिंग बीमा, रबी वेदर बीमा और वर्षा बीमा/रेनफाल बीमा।

जीआईपीएसए कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का उपयोग

I.4.10.14 फसल बीमा के विस्तार को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि फसल बीमा को बेचने हेतु चार जीआईपीएसए कंपनियों के एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में भाबीविविप्रा ने एआईसी और जीआईपीएसए कंपनियों की सहबीमाकरण करने का अनुमोदन दे दिया है। यह कंपनियां केवल डब्ल्यूबीसीटीएस और एमएनएआईएस के गैर ऋणी किसानों को ही कवर करेगी।

सहबीमाकरण अनुबंध और समझौता ज्ञापन के अनुसार व्यापार का बंटवारा 51:49 के अनुपात से किया जाएगा। साथ ही दावों के मूल्यांकन के लिए कंपनी पर ही एकमात्र और विशिष्ट जिम्मेदारी होगी ताकि योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। दावों के भुगतान को भी एआईसी और जीआईपीएसए कंपनियों द्वारा बांट लिया जाएगा।

I.4.11 सूक्ष्म बीमा

I.4.11.1 सूक्ष्म बीमा का निम्न आय वर्ग में विस्तार के उद्देश्य से आईआरडीए ने सूक्ष्म बीमा विनियमों का निर्माण किया। सूक्ष्म बीमाकरण विनियम 2005 उन बीमा उत्पादों के विवरण हेतु अवसर प्रदान करता है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीब

तालिका I.72 नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	बीमित किसानों की संख्या	बीमित राशि	सकल प्रीमियम	दर्ज किए गए दावे
1	2009-10	45	112.32	0.66	0.00
2	2010-11	35019	19904.24	106.08	30.26
3	2011-12	8454	5510.95	29.77	92.47
4	2012-13	12279	7843.90	40.57	76.80
5	2013-14	13970	8694.60	70.87	95.49
6	2014-15	2845	2500.56	17.60	30.75

जनता द्वारा वहन किए जा सकते हैं। जिसके कारण वे उत्पाद देश की व्यापक बीमा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन जाए।

I.4.11.2 सूक्ष्म बीमाकरण विनियमों का मुख्य उद्देश्य सस्ते बीमा उत्पादों के जरिये निम्न आय वर्ग के लोगों को आम जोखिमों का सामना करने और उनसे उबरने हेतु संरक्षण प्रदान है। यह विनियम गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयंसेवक संगठनों (एसएचजी) को सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विपणन के लिए बीमा कंपनियों के एजेंटों के रूप में काम करने हेतु अनुमति प्रदान करते हैं।

I.4.11.3 प्राधिकरण द्वारा सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 और आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के परिपत्र का पुनरीक्षण निरंतर रूप से किया जाता है, जिनके अंतर्गत कई इकाईयां जैसे– अनुसूचित के व्यवसाय प्रतिनिधि वाणिज्य बैंक, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, अन्य सहकारी समितियां, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित एनबीएफसी–एमएफआई सूक्ष्म बीमा की पहुंच में सुधार करेंगी।

जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.11.4 वर्ष 2014–15 के लिए सूक्ष्म बीमा क्षेत्र के तहत 8.16 लाख नई पॉलिसियां करके व्यक्तिगत नया व्यवसाय ₹ 28.89 करोड़ पर पहुंचा, जबकि समूह व्यवसाय प्रीमियम राशि ₹ 315. 60 करोड़ के बीमा करके 2.31 करोड़ लोगों को कवर किया।

एलआईसी ने 4 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत व्यक्तिगत नए व्यवसाय की प्रीमियम राशि ₹ 16.40 करोड़ और समूह प्रीमियम की राशि ₹ 281.93 करोड़ करके 2.06 करोड़ लोगों को कवर किया।

I.4.11.5 मार्च 2015 के अंत तक सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 20855 थी, जिनमें से 19379 एजेंट एलआईसी से तथा शेष निजी क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित थे। 13 जीवन बीमाकर्ताओं के पास 31.03.2015 को 21 सूक्ष्म बीमा उत्पाद थे। इन 21 उत्पादों में से 13 व्यक्तिगत तथा शेष 8 समूह उत्पाद थे।

गैर जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.11.6 भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनों हेतु उपलब्ध मौजूदा बीमा योजनाओं के पुनरीक्षण के लिए 2003 में एक परामर्शक ग्रुप गठित

तालिका I.73

2014–15 के लिए सूक्ष्म बीमा संविभाग के तहत नया व्यवसाय

(प्रीमियम ₹ लाख में)

	व्यक्तिगत		समूह		
	पॅलिसियां	प्रीमियम	योजनाएं	प्रीमियम	कवर किए गए जीवन
कुल निजी	416027	1249.22	62	3366.22	2531436
एलआईसी	400341	1640.23	5417	28193.80	20596725
कुल उद्योग	**816368**	**2889.45**	**5479**	**31560.02**	**23128161**

टिप्पणी : नए कारोबार प्रीमियम में, पहले वर्ष का तथा एकल प्रीमियम शामिल है।

किया था और उस ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण ने आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम 2005 जारी किए।

I.4.11.7 गैर जीवन व्यापार के मामले में, निम्न आय वर्ग को लक्षित कर गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अनेक उत्पाद (उदाहरण– जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, चौपाया/जीवित स्टॉक बीमा आदि) प्रस्तुत किए गए है।

I.4.11.8 सभी पंजीकृत गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा देश के निम्न आय वर्ग को लक्षित करते हुए अनेक उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा अनेक समूह सूक्ष्म बीमा पॉलिसियां, इन क्षेत्रों के लाभ के लिए निजी तथा सार्वजनिक बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की गई है। सूक्ष्म बीमाकरण एक कम दाम वाला उच्च क्षमता वाला व्यापार है। अतः उसकी सफलता और दीर्घकालिकता उसकी कम दरों पर ही निर्भर करती है।

I.4.11.9 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीए (बीमाकर्ता का ग्रामीण या सामाजिक दायित्व) विनियमों ने बीमाकर्ताओं के ग्रामीण और सामाजिक दायित्व निर्धारित किए हैं, जिसके द्वारा बीमाकर्ताओं को सूक्ष्म बीमा के विकास और उन्नयन हेतु पर्याप्त सहायता मिली।

तालिका I.74
जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण – 2014–15

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2014 को स्थिति	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2015 को स्थिति
कुल निजी	1656	53	233	1476
एलआईसी	18401	1790	812	19379
कुल उद्योग	**20057**	**1843**	**1045**	**20855**

तालिका I.75
सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत व्यक्तिगत मृत्यु दावे – 2014–15

(लाभ राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किए गए दावे		अस्वीकृत दावे		साल के अंत में लंबित दावे	
	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि
निजी कुल	1814	405.39	1773	339.86	40	63.83	1	1.69
			97.74%	83.84%	2.21%	15.75%	0.06%	0.42%
एलआईसी	11582	1845.48	11365	1817.67	207	25.45	9	2.35
			98.13%	98.49%	1.79%	1.38%	0.08%	0.13%
कुल उद्योग	**13396**	**2250.87**	**13138**	**2157.53**	**247**	**89.28**	**10**	**4.04**
			98.07%	**95.85%**	**1.84%**	**3.97%**	**0.07%**	**0.18%**

टिप्पणी : संबंधित दावों का कुल प्रतिशत दर्शाता है।

तालिका 1.76
सूक्ष्म बीमा पोर्टफोलियो के तहत समूह मृत्यु दावे – 2014–15

(लाभ राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किए गए दाव		अस्वीकृत दावे		प्रतिलेखित दावे		साल के अंत में लंबित दावे	
	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि	पॉलिसियों की संख्या	लाभ राशि
निजी कुल	5655	1252.09	5517	1218.38	18	4.96	0	0.00	120	28.75
			97.56%	97.31%	0.32%	0.40%			2.12%	2.30%
एलआईसी	127836	41477.61	127751	41443.90	76	31.28			9	2.43
			99.93%	99.92%	0.06%	0.08%			0.01%	0.01%
कुल उद्योग	**133491**	**42729.70**	**133268**	**42662.28**	**94**	**36.24**	**0**	**0.00**	**129**	**31.18**
			99.83%	**99.84%**	**0.07%**	**0.08%**			**0.10%**	**0.07%**

टिप्पणी : संबंधित दावों का कुल प्रतिशत दर्शाता है।.

तालिका 1.77
सूक्ष्म बीमा मृत्यु दावों का अवधि वार निपटान – व्यक्तिगत वर्ग – 2014–15

(पॉलिसियों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	30 दिन के भीतर	31 से 90 दिना	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	कुल निपटाए दावे
निजी कुल	1691	70	10	0	2	1773
	95.38%	3.95%	0.56%	0.00%	0.11%	100.00%
एलआईसी	11365	0	0	0	0	11365
	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
कुल उद्योग	**13056**	**70**	**10**	**0**	**2**	**13138**
	99.38%	**0.53%**	**0.08%**	**0.00%**	**0.02%**	**100.00%**

टिप्पणी : संबंधित निपटाए दावों का कुल प्रतिशत दर्शाता है।

तालिका 1.78
सूक्ष्म बीमा मृत्यु दावों का अवधि वार निपटान – समूह वर्ग – 2014–15

(जीवन संख्या)

जीवन बीमाकर्ता						
	30 दिन के भीतर	31 से 90 दिना	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	कुल निपटाए दावे
निजी कुल	2695	2937	83	43	0	5758
	46.80%	51.01%	1.44%	0.75%	0.00%	100.00%
एलआईसी	127079	672	0	0	0	127751
	99.47%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
कुल उद्योग	**129774**	**3609**	**83**	**43**	**0**	**133509**
	97.20%	**2.70%**	**0.06%**	**0.03%**	**0.00%**	**100.00%**

टिप्पणी : संबंधित निपटाए दावों का कुल प्रतिशत दर्शाता है।

I.4.12 प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश, आदेश और विनियम

I.4.12.1 प्राधिकरण ने 2014–15 में कई परिपत्र, निदेश और आदेश जारी किए। उन सभी परिपत्रों, निदेशों और आदेशों की सूची जो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच जारी किए गए थे, परिशिष्ट सं. 8 में वर्णित है। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2015 तक अधिसूचित किए गए विनियमों का विवरण परिशिष्ट सं. 9 में उल्लेखित है।

I.4.13 सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), 2005

I.4.13.1 वर्ष 2014–15 के दौरान तालिका I.79 में दर्शाए गए अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) के रूप में प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत की गई है।

I.4.13.2 इसी अवधि के दौरान श्री राकेश बजाज, संयुक्त निदेशक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के तहत अपने दिल्ली कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकार्यों को पूरा करने हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पद पर बने रहे और श्री एच. अनंतकृष्णन, संयुक्त निदेशक (विधि) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) से संबंधित प्रकार्यों को निपटाने हेतु अपीलीय प्राधिकारी के पद पर बने रहे।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के पद पर बने रहे और श्री एच. अनंतकृष्णन, संयुक्त निदेशक (विधि) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) से संबंधित प्रकार्यों को निपटाने हेतु अपीलीय प्राधिकारी के पद पर बने रहे।

तालिका I.79
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	सीपीआईओ का नाम	विभाग
1	श्री डीएनकेएलएनके चक्रवर्ती	बीमाँकण
2	श्री चन्द्रशेखर वी	जीवन
3	श्री वेंकट राजू के.	गैर–जीवन
4	श्री आर. पार्थसारधी	स्वास्थ्य टीपीए सहित
5	श्रीमती एम. सरिता	उपभोक्ता मामले
6	श्री के. श्रीनिवास	प्रशासन / मानव संसाधन / सूचना प्रौद्योगिकी / कानूनी / क्षेत्रीय विकास
7	श्री पी. हिमकिरन	मध्यस्थ
8	श्री राजेश्वर गांगुला	एजेंसी वितरण
9	श्री अम्मु वेंकट रामन	एफ एंड ए (जीवन और गैर–जीवन)
10	श्री बिस्वजीत समद्दर	आंतरिक लेखा
11	श्री महेश अग्रवाल	निवेश
12	श्रीमती निमिशा श्रीवास्तव	सर्वेयर (दिल्ली कार्यालय)
13	श्रीमती मंजू अरोरा	दिल्ली कार्यालय – संपर्क कार्य ण

भाग–II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। उक्त महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तनों में शामिल हैं :

आईआरडीए (बीमा विपणन फर्म की लाइसेंसिंग) विनियम, 2014

II.1.1 जीवन और साधारण बीमा परिषदों के तत्वाधान में 20 जनवरी 2014 को हैदराबाद में ''बीमा के लिए नए वितरण चैनलों के विकास के लिए विचार'' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। फरवरी 2014 के दौरान मस्तिष्क तूफान सत्र भी सम्पूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके क्रम में आईएमएफ की विनियामक ढांचे की सिफारिश करने के लिए जीवन कंपनियों के 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सामान्य बीमा कंपनियों से 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ देहात समिति स्थापित की गई थी। रिपोर्ट पर आधारित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नियामक ढांचे पर आईआरडीएआई की वेबसाइड पर 2 अप्रैल 2014 को एक एक्सपोजर ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था और टिप्पणियों की मांग की गई थी। मिली जानकारी के विचार करने के बाद, 21 जनवरी 2015 को प्राधिकरण द्वारा अंतिम नियमों को अनुमोदित किया और आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म) विनियम 2015 को अधिसूचित किया गया।

आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीयन) विनियम, 2015 :

II.1.2 बीमा अधिनियम 1938 के संशोधन के फलस्वरूप, कॉर्पोरेट एजेंटों को आईआरडीएआई अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(च) के अनुसार मध्यस्थ और बीमा मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह इस क्षेत्र के लिए नियमों के नए सेट जारी करने के लिए जरूरी है। इस दिशा में, प्राधिकरण हितधारकों की टिप्पणियों के लिए कॉर्पोरेट एजेंटों के लिए प्रस्तावित नियमों पर दो एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी करता है। इस ड्राफ्ट को बीमा सलाहकार समिति के साथ प्राधिकरण की बैठक में चर्चा किया जाता है। इसको प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नियमों को बहुत जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

II.1.3 भारतीय के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (सूक्ष्म बीमा) विनियम 2015 को 2005 के नियमों में संशोधन करके 13 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया है। जो निम्न हैं :

- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितयां, अन्य सहकारी समितियों, भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित एनबीएफसी–एमएफआई को शामिल करने के लिए एक सूक्ष्म बीमा एजेंट की परिभाषा का विस्तार किया जाता है।

- **फसल बीमा की सुविधा** : एक जीवन बीमा कम्पनी और एक साधारण बीमा कम्पनी के अतिरिक्त, एक सूक्ष्म बीमा एजेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टैंडअलोन हेल्थ बीमा कम्पनी के साथ कार्य कर सकता है।

- अधिकतम कवर का संवर्धन जीवन और स्वास्थ्य बीमा में ₹ 2 लाख एमआई करने के लिए, निवास, पशुधन, फसल बीमा में ₹ 1 लाख के रूप में अर्हता प्राप्त करना।

- **सुधार से संबंधित अन्य उत्पाद** : गारंटीड समर्पण मूल्य (3 वर्ष बाद) यदि कम से कम एक वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो एजेंटों को हटाकर दूसरे एमआई एजेंट को समाप्त पॉलिसियों के लिए लचीले प्रीमियम भुगतान का विकल्प, अग्रिम में आबंटन प्रीमियम का प्रेषण की अनुमति दी जाती है।

- **बाजार आचरण संबंधित निर्धारण :** प्रीमियम के संग्रह पर स्वीकृतियां एमआई जारी करेगा और एमआई एजेंटों के प्रीमियम संग्रह के लिए बीमा कंपनियां जिम्मेदार हैं, दावा सूचना, निपटान के लिए एजेंटों की जवाबदेही है।

- **संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भाषाओं में पॉलिसी प्रपत्रों को उपलब्ध करना।**

ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर दिशा–निर्देश जारी करना :

II.1.4 बीमा कंपनियों को केवल अनुमत सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 में नियम 11 जिसे 2004 में सम्मिलित किया गया, के अनुसार वित्तीय डेरिवेटिव में सौदा करने के लिए अनुमति दी गई। तदनुसार, प्राधिकरण ने परिपत्र सं. आईएनवी / जीएलएन/008/2004–05 दिनांक 24/08/2004 द्वारा फिक्स्ड इनकम डेरिटिव पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए। इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ बीमा कंपनियों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए निवेश और पूर्वानुमानित लेनदेन पर ब्याज दर जोखिम से बचाव के लिए वायदा दर करार (एफआरए), ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), एक्सचेंज ब्याज दर वायदा करोबार (आईआरएफ) में प्रवेश की अनुमति है। निवेश के माहौल में बदलाव के साथ, अन्य नियामकों द्वारा द्वारा दिशा–निर्देशों में परिवर्तन, प्राधिकरण ने पूर्व दिशा–निर्देशों को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और परिपत्र सं. आईआरडीए/एफ एंड आई / आईएनवी / सीआईआर/138/06/2014 दिनांकित 11 जून 2014 द्वारा आईआरडीए (निवेश) विनियम 2000 के विनियम 15 में लंबी अवधि के ब्याज दर डेरिवेटिव की जरूरत को संबोधित करने के लिए नए दिशा–निर्देशों को जारी किया।

स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी देकर सेबी में सदस्यता के लिए बीमा कंपनियों को व्यापार करने के लिए मालिकाना अनुमति :

II.1.5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/03/2013 दिनांकित 24 जनवरी 2013 को शेयर बाजारों में समर्पित ऋण क्षेत्र को उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों को जारी किया। उक्त परिपत्र व्यापार, समाशोधन और निपटान, जोखिम प्रबंधन ढांचे और केन्द्रीकृत भंडार के निर्माण के लिए ऋण उपकरणों को प्रदान करता है।

भारत सरकर के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने 16 जनवरी 2014 से प्रभावी प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में संशोधन कर सभी बीमा कंपिनयों को सेबी स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए अनुमति दे दी है।

तदनुसार, बीमा कंपनियों को सेबी के एक मालिकाना व्यापार सदस्य बनने से ऋण क्षेत्र में कारोबारों से बाहर ले जाने के लिए शेयर बाजार को मंजूरी दे दी।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) द्वारा जारी किए गए विदेशी रूपया बॉन्ड की अनुमति

II.1.6 प्राधिकरण ने आईएफसी के प्रतिनिधित्व में बीमा कम्पनियों को उनके द्वारा जारी किए जा रहे विदेशी रूपया बॉन्ड में निवेश करने के लिए अनुमति दी थी। आईएफसी का अगले 10 वर्षों में 5 डॉलर बिलियन के बराबर फंड जुटाने का प्रस्ताव है तथा बॉन्ड भारत में आईएफसी की परियोजनाओं की फंडिंग के लिए इस्तेमाल करके रूपया वित्त पोषण की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय सरकार, एससीआरए 1956 की धारा 2 की उपधारा (ज) खंड (iiए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा एससीआरए 1956 की धारा 2 की उपधारा (ज) के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में दिनांक 1 अगस्त 2014 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा जारी किए गए ''विदेशी रूपया बॉन्ड'' की घोषणा की।

उक्त राजपत्र अधिसूचना में, प्राधिकरण ने अनुरोध किया और निर्णय लिया कि एशियाई विकास बैंक और आंतरिक वित्त निगम द्वारा जारी किए गए ''विदेशी रूपया बॉन्ड'' को बीमा अधिनियम 1938 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निवेश के लिए परिपत्र में जीवन बीमा कंपनियों के लिए धारा 27ए(1)(एस) और साधारण बीमा कंपनियों के 27बी(1)(जे) शर्तों का उल्लेख किया गया है।

बुनियादी ढांचा और सस्ती हाउसिंग के वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश की अनुमति

II.1.7 आरबीआई ने परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी.एनओ 25/08.12.014/2014–15 दिनांक 15 जुलाई 2014 से बैंकों को बुनियादी ढांचा और सस्ती हाउसिंग के वित्तपोषण के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। बुनियादी सुविधा की परिभाषा पहले से ही 27 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ''बुनियादी उपक्षेत्रों की सूची'' के साथ आईआरडीएआई और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा शामिल की थी।

आईआरडीएआई ने लम्बी अवधि के बॉन्ड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की जांच की और बीमा कंपनियों को बुनियादी ढांचा और आवास क्षेत्र के प्रदर्शन की आवश्यकताओं के प्रति बैंकों द्वारा जारी किए गए लम्बी अवधि बॉन्ड में इस तरह के निवेश को अनुमति दी, जीवन बीमा कंपनी और बुनियादी ढांचे या आवास क्षेत्र के मामले में, इसी प्रकार का हो सकता है, साधारण बीमा कंपनी के मामले में शर्तें परिपत्र में उल्लेख है।

II.2 बीमा व्यवसाय के संबद्ध मध्यवर्ती

बीमा एजेंट

II.2.1 वर्ष 2014–15 में व्यक्तिगत अभिकर्ताओं की संख्या में 5.6 प्रतिशत की कमी देखी गई। दिनांक 31 मार्च, 2014 को यह आँकडा 21.89 लाख था जोकि 31 मार्च, 2015 को कम हो कर 20.68 रह गया। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की और एलआईसी नें 2.7 की कमी दर्ज की । सभी निजी जीवन बीमा बीमाकर्ताओं के समूह की तुलना में एलआईसी के अधिक व्यक्तिगत अभिकर्ता थे । वर्ष 2014–15 के अंत में, एलआईसी के 11.64 लाख अभिकर्ता थे, जिसके सदृश्य निजी बीमाकर्ताओं के 9.04 लाख थे ।

11.2.2 2014–15 में, नियुक्त एजेंटों की कुल संख्या 6.56 लाख थी और सेवा समाप्त एजेंटों की संख्या 7.76 लाख थी। जबकि निजी बीमा कम्पनियों में नियुक्त एजेंटों की संख्या 3.14 लाख, 4.02 लाख सेवा समाप्त एजेंट थे। दुसरी ओर, एलआईसी के मामले में नियुक्त एजेंट 3.42 लाख जबकि 3.74 लाख सेवा समाप्त एजेंट थे। एजेंटों की संख्या में कमी जीवन बीमाकर्ताओं के व्यवसाय, पॉलिसी की निरंतरता और एक स्थिर आजीविका के रूप में एजेंसी चैनल के प्रति सार्वजनिक धारणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। यह सभी हितधारकों के हित में

तालिका II.1
जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत एजेंटों का विवरण 2014–15

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2014 को स्थिति	अतिरिक्त	घटाई गई	31 मार्च 2015 को स्थिति
निजी कुल	992584	313668	401949	904303
एलआईसी	1195916	342048	374360	1163604
उद्योग कुल	**2188500**	**655716**	**776309**	**2067907**

निगमित अभिकरण

II.2.3 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 503 निगमित एजेंट थे। जबकि 2014–15 के दौरान 79 नए एजेंट सम्मिलित किये गये, वही 265 निगमित एजेंटों के लाइसेंस निरस्त किये गये थे। एलआईसी ने 21 निगमित एजेंटों की सेवा समाप्त की थी और 14 नए लाइसेंस जारी किये थे। निजी बीमाकर्ताओं ने 244 निगमित एजेंटों की सेवा समाप्त की थी और 65 नए निगमित एजेंटों को जोड़ा।

तालिका II.2
जीवन बीमाकर्ताओं के निगमित एजेंटों का विवरण 2014–15

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2014 को स्थिति	अतिरिक्त	घटाई गई	31 मार्च 2015 को स्थिति
निजी कुल	540	65	244	361
एलआईसी	149	14	21	142
उद्योग कुल	**689**	**79**	**265**	**503**

चैनलवार नए व्यवसाय का प्रदर्शन :

II.2.4 व्यक्तिगत नए व्यवसाय

व्यक्तिगत एनबी प्रीमियम के प्रति व्यक्तिगत एजेंटों का अंशदान 2013–14 में 78.40 प्रतिशत की तुलना में 2014–15 के दौरान घटकर 71.42 प्रतिशत हो गई।

एलआईसी ने व्यक्तिगत एजेंटों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत एनबी प्रीमियम का 95.97 प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि निजी क्षेत्र के लिए व्यक्तिगत एजेंटों का अंश 35.73 प्रतिशत था।

II.2.5 निगमित एजेंटों का अंश, जो 2012–13 के दौरान 16.95 प्रतिशत था, वर्ष 2014–15 में बढ़कर 22.32 प्रतिशत हो गया। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नए व्यवसाय प्रीमियम में निगमित एजेंटों का अंश 2014–15 50.72 प्रतिशत (2013–14 में 46.63 प्रतिशत) था। दूसरी ओर, एलआईसी को व्यक्तिगत एजेंटों से नए व्यवसाय प्रीमियम का 95.97 प्रतिशत प्राप्त हुआ, वहीं निगमित एजेंटों का अंशदान एलआईसी के लए मात्र 2.72 प्रतिशत रहा था।

बैंक और अन्य निगमित एजेंसी चैनल के बीच, कुल नए व्यवसाय में बैंक का अंश 2013–14 में 15.62 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 20.84 प्रतिशत हो गया।

कुल व्यक्तिगत नए व्यवसाय में प्रत्यक्ष विक्रय के अंश में वृद्धि हुई थी। उसका अंश 2013–14 में 3.09 प्रतिशत से 2014–15 में 4.42 प्रतिशत तक हो गया गया। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से अपने नए व्यवसाय का 9.06 प्रतिशत प्राप्त किया, वहीं एलआईसी ने इस चैनल के द्वारा अपने नए व्यवसाय का 1.24 प्रतिशत प्राप्त किया।

व्यक्तिगत व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग एनबी प्रीमियम के लिए ब्रोकर चैनल, एमआई एजेंटों के चैनल और सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के चैनल की 1.84 प्रतिशत, 0.03 प्रतिशत और 0.001 प्रतिशत की भागीदारी थी।

सामूहिक नया व्यवसाय :

II.2.6 प्रत्यक्ष विक्रय लगातार सामूहिक व्यवसाय के लिए वितरण का मुख्य चैनल है, प्रीमियम में जिसका अंश 2014–15 के दौरान 93.05 प्रतिशत है। पिछले वर्ष में अंश 93.91 प्रतिशत था। इस चैनल ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सामूहिक एनबी प्रीमियम का क्रमशः 76.62 प्रतिशत और 97.47 प्रतिशत अंशदान किया।

निजी बीमाकर्ताओं के लिए एक और महत्वपूर्ण चैनल बैंक थे। वर्ष 2014–15 के दौरान, निजी बीमाकर्ताओं के मामले में बैंकों ने कुल सामूहिक व्यवसाय का 10.36 प्रतिशत अंशदान किया। पिछले वर्ष में यह आंकड़ा 17.22 प्रतिशत पर था।

एलआईसी ने अपने पारंपरिक व्यक्तिगत एजेंसी बल के माध्यम से सामूहिक व्यवसाय का 2.47 प्रतिशत प्राप्त किया था, जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस चैनल के द्वारा 4.52 प्रतिशत प्राप्त किया।

सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग एनबी प्रीमियम के लए ब्रोकर्स चैनल का 0.75 प्रतिशत अंशदान था। एमआई एजेंटों के चैनल और सामान्य सेवा केन्द्रों का शून्य अंशदान है।

तालिका II.3

2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के व्यक्तिगत नए व्यवसाय का निष्पादन – चैनलवार

(प्रीमियम के आंकड़े प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	निगमित एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	एमआई एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	कुल व्यक्तिगत नया व्यवसाय	मार्गदर्शक (रेफरल्स)
		बैंक	अन्य*						
निजी कुल	35.73	47.37	3.35	4.49	9.06	0.003	0.001	100.00	0.04
एलआईसी#	95.97	2.60	0.12	0.02	1.24	0.05	0.00	100.00	0.00
उद्योग कुल	71.42	20.84	1.44	1.84	4.42	0.03	0.001	100.00	0.01

* बैंकों को छोड़कर कोई भी निकाय जो निगमित अभिकर्ता के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।

\# इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम निहित नहीं है।

टिप्पणी : 1. नए व्यवसाय प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।

2. मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स के संबंधित माध्यमों में शामिल किया गया है।

व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवसाय का कुल योग :

II.2.7 समग्र स्तर पर (व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवसाय को मिलाकर) प्रत्यक्ष विक्रय ने 2013–14 में 47.84 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान कुल नए व्यवसाय का 49.67 प्रतिशत अंशदान किया। कुल प्रीमियम के प्रति व्यक्तिगत एजेंटों का अंश 2013–14 में के 40.64 प्रतिशत से घटकर 36.44 प्रतिशत हो गया था।

बैंकों की अपेक्षा बैंकों तथा निगमित एजेंटों द्वारा किया गया अंशदान क्रमशः 11.34 प्रतिशत और 1.26 प्रतिशत था। दलालों का 1.28 प्रतिशत अंशदान था। एमआई एजेंट और सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) का अंशदान क्रमशः 0.02 प्रतिशत और शून्य प्रतिशत था।

चार्ट II.1: जीवन बीमाकर्ताओं का व्यक्तिगत नया व्यवसाय प्रीमियम – चैनलवार

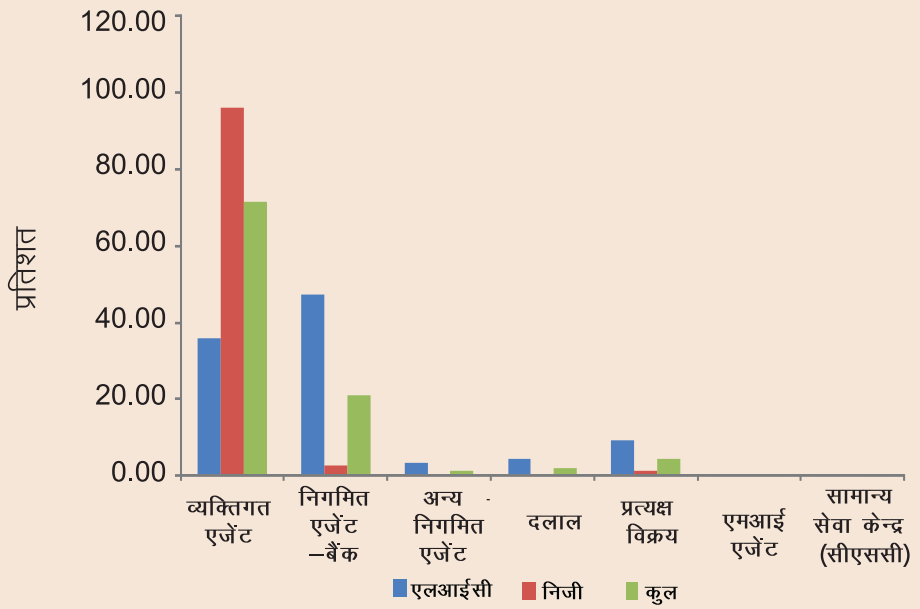

चार्ट II.2: जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय प्रीमियम – चैनलवार

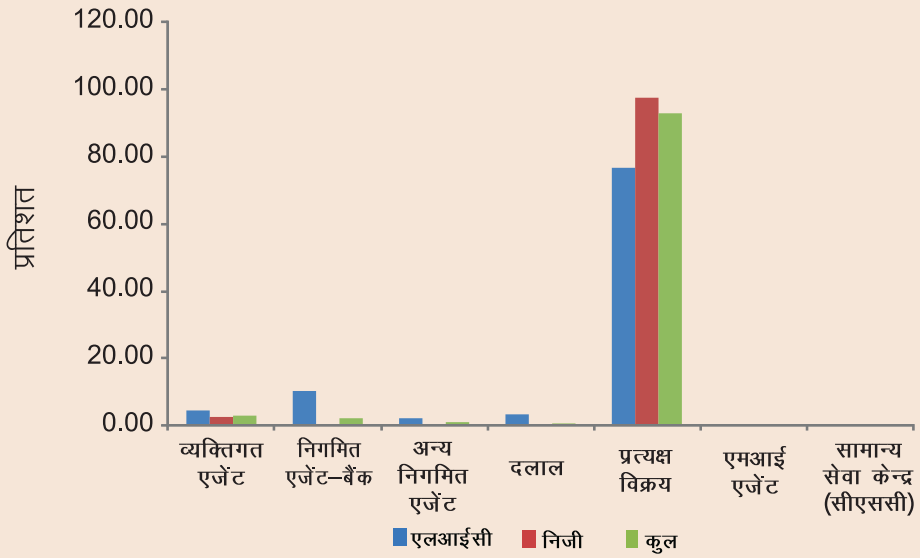

बॉक्स मद–2

बीमा विपणन फर्म

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) हाल ही में बीमा वितरण में मध्यस्थता की नई अवधारणा लाया है जिसे बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के रूप में जाना जाता है। प्राधिकरण के तैयार किए गए नियमों को जो दिनांक 21.01.2015 के राजपत्र अधिसूचना की तिथि से प्रभाव आए। आईएमएफ बीमा निवेश वृद्धि में मदद करने के लिए उम्मीद कर रहे हैं।

मध्यस्थता की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :

- आवेदक होना चाहिए
  (अ) कम्पनी : सार्वजनिक लिमिटेड या निजी कम्पनी (या)
  (ब) सीमित देयता भागीदारी
  (स) सहकारी समिति
- (अ) आईएमएफ को किसी भी समय **दो जीवन, दो सामान्य और दो स्वास्थ्य बीम कम्पनियों से बीमा उत्पादों की याचना और खरीद के लिए** बीमा बिक्री व्यक्ति (आईएसपी) को रोजगार चाहिए।
  (ब) आईएमएफ बीमा सेवाएं गतिविधियों को शुरू कर सकता है।
  (स) आईएमएफ ने वित्तीय सेवा अधिकारी (एफएसई) के माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री कर सकता है।
- अपने संचालन के लिए क्षेत्राधिकार एक जिले तक ही सीमित है। हालांकि व्यवसाय सम्पूर्ण भारत में कर सकता है। आईएसपी जिले में अधिवासित किया जाना चाहिए।
- आईएमएफ के लिए एक प्रधान अधिकारी (पीओ) होगा जो सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है और जिसकी योग्यता, अनुभव आदि को नियमों में परिकल्पना की गई है।
- पीओ और आईएसपी निर्धारित प्रशिक्षण और परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- आईएसपी के लिए योग्यता 12वीं पास है।
- एफएसई संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी वैध लाइसेंस/प्रमाण पत्र/प्राधिकरण रखेंगे।
- रू. 5000/– गैर वापस योग्य आवदेन शुल्क
- निवल मूल्य (10 लाख से कम नहीं)
- निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वैधता अवधि के दौरान व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा कवर।
- बीमा कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय पारिश्रमिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट धारा 40(1) और 40(2) के अनुसार है। उपरोक्त के अलावा, आईएसपी की भर्ती, प्रशिक्षण और सलाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सेवा शुल्क ले सकता है, जो प्रथम वर्ष आयोग की 50 प्रतिशत और नवीकरण आयोग की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होग.

तालिका II.4

2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक नए व्यवसाय का निष्पादन – चैनलवार

(प्रीमियम के आंकड़े प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	निगमित एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	एमआई एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	कुल सामूहिक नया व्यवसाय	मार्गदर्शक (रेफरल्स)
		बैंक	अन्य*						
निजी कुल	4.52	10.36	5.10	3.40	76.60	0.00	0.00	100.00	0.00
एलआईसी#	2.47	0.03	0.00	0.03	97.47	0.00	0.00	100.00	0.00
उद्योग कुल	**2.90**	**2.22**	**1.08**	**0.75**	**93.05**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

* बैंकों को छोड़कर कोई भी निकाय जो निगमित अभिकर्ता के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।

इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम निहित नहीं है।

टिप्पणी : 1. नए व्यवसाय प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2. मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स के संबंधित माध्यमों में शामिल किया गया है।

तालिका II.5
2014–15 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत और सामूहिक) – चैनलवार

(प्रीमियम के आंकड़े प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	व्यक्तिगत एजेंट	निगमित एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	एमआई एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	कुल नया व्यवसाय	मर्गदर्शक (रेफरल्स)
		बैंक	अन्य*						
निजी कुल	24.75%	34.35%	3.96%	4.11%	32.83%	0.00%	0.00%	100.00%	0.02%
एलआईसी#	41.64%	1.11%	0.05%	0.03%	57.15%	0.02%	0.00%	100.00%	0.00%
उद्योग कुल	**36.44%**	**11.34%**	**1.26%**	**1.28%**	**49.67%**	**0.02%**	**0.0003%**	**100.00%**	**0.01%**

* बैंकों को छोड़कर कोई भी निकाय जो निगमित अभिकर्ता के रूप में लाइसेंस प्राप्त है।
# इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम निहित नहीं है।
टिप्पणी : 1. नए व्यवसाय प्रीमियम में, प्रथम वर्ष का प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2. मार्गदर्शक व्यवस्थाओं के जरिए प्राप्त लीड्स के संबंधित माध्यमों में शामिल किया गया है।

चार्ट II.3: जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)

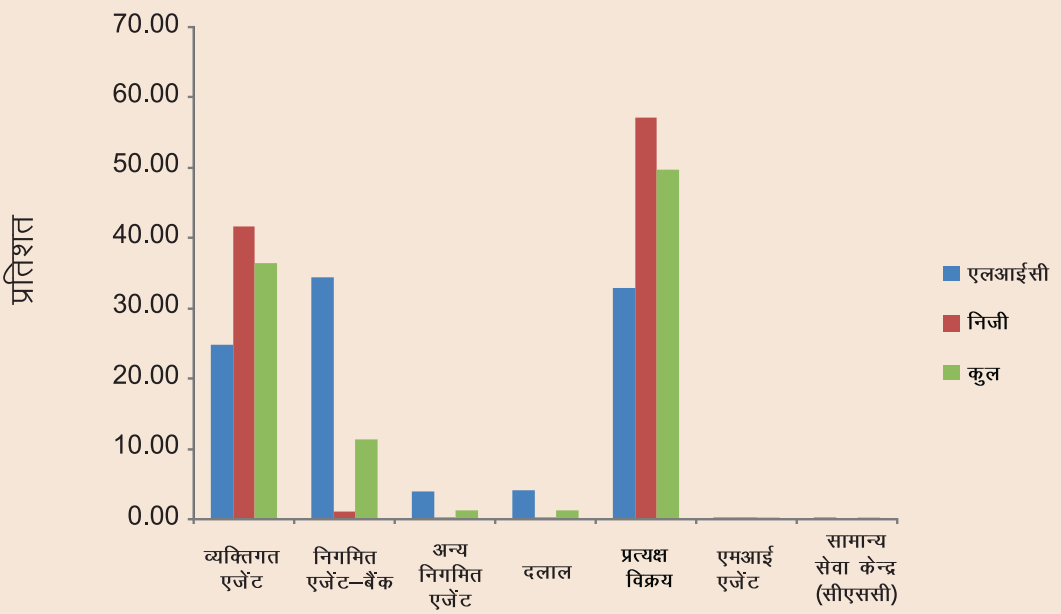

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.8 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 यूएम का संशोधित रूप बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार, किसी व्यक्ति को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लोस एसेसर्स (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता की आवश्यकता होती है।

उक्त अधिनियम की धारा 64यूएम की उपधारा 4 के अनुसार, कोई भी हानि जो भारत में घटित हुई हो तथा साधारण बीमे की किसी पॉलिसी पर प्राधिकारी द्वारा नियमों में निर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक मूल्य से युक्त हो, के संबंध में उत्पन्न होने वाले अथवा बीमाकर्ता को सूचित किए गए और भारत में भुगतान किये जाने या निपटान किये जाने हेतु अपेक्षित किसी भी दावे को तब तक भुगतान के लिए स्वीकार न किया जाए अथवा उसका निपटान किया जाए, जब तक घटित हानि

के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती जो सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुमोदित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में भी संदर्भित) के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस धारण करता है।

II.2.9 1999 में आईआरडीए अधिनियम का अधिनियमन होने के साथ ही, सर्वेक्षक के लाइसेंस प्रदान करने के लिए आईआरडीएआई को प्राधिकारी बना दिया गया तथा सर्वेक्षकों को लाइसेंस प्रदान करने और उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार आईआरडीएआई में निहित किया गया। सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों/फर्मों को लाइसेंस आईआरडीएआई प्रदान करता है।

बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता) विनियम, 2000 (2013 में संशोधित) में लाइसेंस की खरीद, आचार संहिता की आवेदन प्रक्रिया कम थी तथा बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता) विनियम, 2000 के द्वितीय संशोधन में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के लिए लाइसेंसिंग शुल्क को काफी हद तक कम किया गया। 28.01.2014 से प्रभावी, आवेदक को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शुल्क ₹ 1000+लागू सर्विस टेक्स तथा लाइसेंस नवीकरण के लिए ₹ 100+लागू सर्विस टेक्स भुगतान करने की आवश्यकता है।

II.2.10 सर्वेक्षक विभाग प्राधिकरण का पहला विभाग है जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होकर सर्वेक्षकों के लिए वेब आधारित एकीकृत अनुज्ञप्तिकरण प्रबंध प्रणाली लागू करता है। उक्त वेब आधारित प्रणाली में पोर्टल www.irdabap.org.in पर नया/नवीकरण/आशोधित लाइसेंस प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत और निगमित द्वारा आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति की सुविधा उपलब्ध कराती है। उक्त वेब आधारित पंजीकरण प्रणाली अंततः एस सरल, कुशन और पारदर्शी तरीके से पंजीकरण, अनुज्ञप्तिकरण, नवीकरणों, गतिविधियों, निरस्तीकरणों और परिवर्तनों के लिए सर्वेक्षकों को तत्काल पहुंचाती है।

इस क्रम में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 24.01.2014 को उद्घाटन करने के बाद, दिनांक 3 फरवरी 2014 से दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय से सर्वेयर विभाग का परिचालन शुरू कर दिया है।

II.2.11 अप्रैल 2014 से मार्च 2015 अवधि के दौरान व्यक्तिगत और निगमित को सर्वेक्षक तथा हानि निर्धारक का नया और नवीकरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन का विवरण निम्नलिखित है :

तालिका II.6
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी लाइसेंस

	2013-14	2014-15
नया लाइसेंस		
व्यक्तिगत	480	182
निगमित	55	5
पूर्ण – योग	**535**	**187**
नवीकरण		
व्यक्तिगत	1784	2137
निगमित	158	20
पूर्ण – योग	**1942**	**2157**
प्रशिक्षु नामांकन	536	753

प्रशिक्षु नामांकन

II.2.12 प्राधिकरण का सर्वेक्षक अनुज्ञप्तिकरण विभाग सर्वेक्षण कार्यों के लिए सूचीबद्धता, बीमा कंपनियों से सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न किये जाने, आदि के संबंध में सर्वेक्षकों से शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों को उनके स्तर पर समाधान किये जाने के लिए प्रेषित की जाती है। पॉलिसीधारक भी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति न मिलने, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलंब, अनाचार, आईआरडीए सर्वेक्षक विनियमों का उल्लंघन आदि के संबंध में सर्वेक्षकों/सर्वेक्षक फर्मों के विरूद्ध शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतें समसयाओं के शीघ्रता से निपटान के लिए सर्वेक्षकों को भेजा जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग द्वारा सर्वेक्षकों और निगमित सर्वेक्षक फर्मों के विरूद्ध विभिन्न आरटीआई संबंधी और मंत्रालय से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त की जाती है।

II.2.13 वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण ने 46 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से 61 का समाधान किया गया और 12 बकाया हैं।

सर्वेयर्स और हानि निर्धारक

बॉक्स मद–3

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करने के लिए लागू किया गया है । इस अधिनियम ने मूल रूप से धारा 64 यूएम का वैधानिक ढांचा ही बदल दिया है जोकि सर्वेक्षक व हानि निर्धारकों पर लागू होता है तथा आईआरडिएआई को अधिनियम के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आचार संहिता तथा अन्य व्यवसायिक आवश्यकताओं के निर्धारण की शक्ति प्रदान की गई है ।

धारा 64 यूएम में किये गये मुख्य संशोधन निम्न प्रकार से है :

(i) एक व्यक्ति को सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और इस्ला की सदस्यता दोनो होना संविधिक आवश्यकता होगी।

(ii) दावे के अत्याधिक सीमा होने के कारण बीमा कंपनी को एक अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर की रिपोर्ट की आवश्यकता पडती है। वह आईआरडीए द्वारा विनियमों में उल्लेखित की जाएगी।

(iii) फीस, शैक्षिक आवश्यकता, लाइसेंस की वैधता की अवधि पर वैधानिक प्रावधान अधिनियम से हटा लिये गये हैं और आईआरडीए को इन्हें विनियमोंद्वारा निर्धारित करने का अधिकार है।

(iv) शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर निकाय की सदस्यता के अभाव में स्वतः अयोग्यता के प्रावधान धारा 64 यूएम में पेश किया है।

(v) सरकारी राजपत्र में लाइसेंस रद्द करने की अधिसूचना की वैधानिक आवश्यकता निकाल दी गई है।

(vi) एक व्यक्ति को एक सर्वेक्षक या हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए अवधि इरडा द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

इस अधिनियम में संशोधन के परिणाम के रूप में मौजूदा बीमा सर्वेयर और हानि निर्धारक विनियमों को एक परिवर्तन से गुजरना होगा। 6 अप्रैल, 2015 को इरडा की वेबसाइट पर अपलोड कार्यक्रम के साथ–साथ मसौदा नियमों, सभी हितधारकों से टिप्पणी /सुझाव / विचार माँगे गये । इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, बीमा सर्वेयर और हानि निधरिकों विनियम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिर्वतन किये गये :

1) लाइसेंस की अवधि अधिनियम आवश्यकताओं के अनुसार 3 साल के लिए कम किया गया है ।

2) योग्यताओं को विनियमों में निर्धारित किया जाना है।

3) सर्वेक्षण की सीमा शुरू की – मोटर – ₹ 50,000 के ऊपर और मोटर के अतिरिक्त – ₹ 1 लाख से ऊपर है। इस सीमा की हर तीन साल में समीक्षा की जाएगी।

4) कूलिंग ऑफ अवधि को निलंबन / रददीकरण के उपरात 3 से 1 वर्ष किया गया है ।

5) सैट करने के लिए प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील

6) केंद्र सरकार के नियम प्राधिकरण के नियमों के साथ पढ़ने पर विदेशी निवेश की 49 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई

7) इंडियन इंश्योरेंस सर्वेयर और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) सदस्यता देने में निर्णय के खिलाफ अपील प्राधिकरण को की जाएगी ।

8) यदि इस्ला आवेदक को सदस्यता प्रदान नहीं करता है, आवेदक आईआरडीएआई अध्यक्ष, को अपील कर सकता हैं, जिसका निर्णय इस्ला पर बाध्यकारी होगा। यदि इस्ला अभी भी पालन नहीं करता तो, प्राधिकरण गुणों के आधार पर सर्वेयर व हानि निर्धारक का लाइसेंस दे सकता है।

9) निगतमित हानि निर्धारकों के निर्दशकों /साझेदारों के लिए उचित एवं अनुरूप मानदंड आरंभ किये गये।

10) सर्वेयर और हानि निर्धारक किसी भी प्रकार की परामर्शी या सलाहकारी कार्य नहीं कर सकते या कोई अन्य कार्य जिससे हितों का टकराव हो।

11) अस्थामी प्रावधान वह सभी सर्वेयर और हानि निर्धारक जिनके पास सर्वेयर लाईसेंस हैं वह सभी विनियमों के परिशोधन की तिथि के उपरांत 3 वर्ष के अंदर सभी शैक्षणिक योग्यता और इस्ला सदस्यता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

12) वह मामले जिनमें सर्वेयर रिपोर्ट दस्तावेजों के अभाव के कारण या किसी अन्य कारण से लंबित हैं, उन मामलों में सर्वेयर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार तथा बीमित को तीन बार अनुस्मारक दे कर अंतिम रिपोर्ट जमा कर सकता है।

13) निगमित सर्वेयर कंपनी /फर्म प्राधिकरण द्वारा विस्तृत संरूप में अभिलेखों का रखरखाव करेंगे जिनमें दावाअनसार तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर अनुसार विवरण होगे जिसमे प्रत्येक कंपनी /फर्म द्वारा किया गया प्रत्येक सर्वे का विवरण होगा।

14) निगमित सर्वेयर कंपनी/फर्म इस प्रकार की प्रणाली बनाएगा जिसमें उन विवरणों तक प्राधिकरण की नियमित पहुंच बनी रहेगी।

बीमा दलाल

II.2.14 प्राधिकरण ने बीमा दलालों को भारतीय बाजार में परिचालन करने के लिए 2003 से अनुमति दी तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में दलाली का पहला लाइसेंस 30 जनवरी 2003 को जारी किया गया। प्राधिकरण ने 2013–14 में आईआरडीए (बीमा दलाल विनियम, 2013 अधिसूचित किये हैं। उक्त विनियमों ने प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए ₹ 50 लाख, पुनर्बीमा दलालों के लिए ₹ 200 लाख तथा सम्मिश्र दलालों के लिए ₹ 250 लाख की पूंजीगत आवश्यकता निर्धारित की। उक्त विनियम बीमा दलाली में विदेशी ईक्विटी सहभागिता के संबंध में 26 प्रतिशत की एक सीमा निर्धारित करता है। जिसे भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है जो भारतीय बीमा कम्पनी (विदेशी निवेश) नियम 2015 द्वारा अधिसूचित किया गया है। बीमा दलाली धीरे–धीरे लोकप्रियता प्राप्त कर रही है तथा पंजीकरणों की संख्या में वर्ष 2003 से 419 तक (31 मार्च 2015 की स्थिति अनुसार) वृद्धि हुई।

II.2.15 31.03.2015 की स्थिति अनुसार जारी किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या में से 365 प्रत्यक्ष दलाल, 47 सम्मिश्र दलाल और 7 पुनर्बीमा दलाल हैं। दलाल लाइसेंसों की कुल संख्या में लाइसेंसों का निरस्तीकरण भी शामिल है, और प्राधिकरण ने अब तक ऐसे 51 लाइसेंस निरस्त किये हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि लाइसेंसों के निरस्तीकरण का बहुमत लाइसेंस के स्वैच्छिक अभ्यर्पण की श्रेणी में आता है। प्राधिकरण ने सूचनाधीन अवधि के दौरान और 31 मार्च 2014 तक 35 नए लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें से 33 लाइसेंस प्रत्यक्ष श्रेणी में हैं तथा 1 लाइसेंस सम्मिश्र श्रेणी में है और 1 पुनर्बीमा श्रेणी में है। 4 बीमा दलालों के लाइसेंस प्रत्यक्ष दलाली से सम्मिश्र दलाली में अपग्रेड किये गये हैं।

II.2.16 रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 101 बीमा दलाल लाइसेंसों का नवीकरण किया है। संशोधित विनियमों के अनुसार बीमा दलाल अपने लाइसेंस की समाप्ति से 90 दिन पहले अग्रिम रूप से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण बीमा दलालों के अनुपालन स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है। उनमें से कुछ के अंतर्गत कार्यशालाएं, भारतीय बीमा दलाल संघ के साथ नियमित रूप से विचार विनियम शामिल हैं।

तालिका II.7
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें

अवधि के लिए	अवधि के प्रारंभ में शेष	प्राप्त की गई	कार्यवाही की गई	अवधि के अंत में शेष
अप्रैल 2013–मार्च 2014	3	69	45	27
अप्रैल 2014–मार्च 2015	27	46	61	12

लाइसेंसों का राज्यवार वितरण निम्नानुसार है :

तालिका II.8:
बीमा दलालों की राज्यवार सूची
31.03.2015 को स्थिति

क्र.सं.	राज्य	दलालों की संख्या
1	महाराष्ट्र	132
2	नई दिल्ली	85
3	पश्चिम बंगाल	36
4	तमिलनाडु	36
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	29
6	उत्तर प्रदेश	23
7	गुजरात	18
8	कर्नाटक	17
9	पंजाब	12
10	केरल	13
11	राजस्थान	7
12	चंडीगढ़	4
13	मध्यप्रदेश	4
14	हरियाणा	3
	कुल	**419**

वेब संग्राहक

II.2.17 प्राधिकरण ने ऑनलाइन बीमा पॉलिसियों के वितरण और तुलना करने के लिए वेब एग्रीगेटर के रूप में एक प्रणाली विकसित की करने की पहल की थी। यह ई–कॉमर्स को विकसित करने के रूझान से बीमा पॉलिसी के लाभ के लिए पहल की गई थी। प्राधिकरण ने विभिन्न बीमा कम्पनियों के बीमा उत्पादों की तुलना करने के लिए लाइसेंस आवेदन की तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए उत्साही उद्यमियों को सक्षम करने के लिए नवम्बर 2011 में दिशा–निर्देशों को जारी किया। इन दिशा–निर्देशों के आधार पर, प्राधिकरण ने 6 वेब संग्राहकों के लाइसेंस जारी किये थे।

इसके बाद प्राधिकरण का आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013 आया और नियमों के तहत 5 वेब संग्राहक लाइसेंस दिए। वर्तमान में 11 वेब संग्राहक हैं। (तालिका II.9)

सामान्य सेवा केन्द्र

II.2.18 इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाई), भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के एक भाग के रूप में एक सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) कार्यान्वित किये हैं। ये सामान्य सेवा केन्द्र भारत के नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक वितरण स्थान है। उक्त सीएससी नेटवर्क के द्वारा सेवाओं के वितरण को संभव बनाने के लिए मैसर्स सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, एक प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को बनाया गया है।

प्राधिकरण ने 6 अगस्त 2014 को हैदराबाद में शुरू किया, बाद में प्राधिकरण का आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केद्रों द्वारा बीमा सेवा) विनियम, 2015 के प्रदर्शन की प्रक्रिया में है। वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में 6142 सामान्य सेवा केन्द्र हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से बीमा के वितरण के लिए 3087 ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से अपने उत्पाद वितरण के लिए 33 बीमा कम्पनियों ने सीएससी एसपीवी के साथ अनुबंध

तालिका II.9
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहकों की सूची (31.03.2014 को स्थिति)

क्र.सं.	नाम
1	आईगीयर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.
2	ग्रेट इंडियन मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा. लि.
3	वोइला कन्सल्टेंसी सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.
4	पॉलिसी मंत्र इंश्यूट्रेड प्रा. लि.
5	डेजटीनेशन इंश्योरेंस सोल्यूशंस प्रा. लि.
6	कॉमेट इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि.
7	पॉलिसी एक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि.
8	फिंगूल इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि.
9	ओए इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स प्रा. लि.
10	इजी पॉलिस इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि.
11	पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्रा. लि.

किया है। 31 अगस्त 2015 के अनुसार, इस नेटवर्क ने ₹ 137,36,12,622 (नए व्यवसाय और नवीकरण व्यवसाय सम्मिलित) के कुल बीमा प्रीमियम एकत्रित किये और 4,86,976 ग्राहकों को सेवित किया।

II.3 बीमा संबंधी शिक्षा से सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.3.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान एक स्व–विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

II.3.2 बीमा और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण देने और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से वर्ष 2002 में एक व्यावसायिक संस्थान अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) की स्थापना की। प्राधिकरण इस संस्थान को उसके प्रयासों में निरंतर अपनी सहायता प्रदान कर रहा है।

II.3.3 भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) जो बीमांकिकों के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय है, की परिषद में भी प्राधिकरण का सांविधिक प्रतिनिधित्व है। उक्त परिषद इस संस्थान के कार्यकलापों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। 1944 में स्थापित पूर्व के भारतीय बीमांकिक संघ को भंग किया गया तथा उक्त भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) एक सांविधिक निकाय है जो भारत में बीमांकिकों के व्यवसाय का विनियमन करने के लिए बीमांकिक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित किया गया है।

II.3.4 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) एजेंटों की भर्ती पूर्व परीक्षाओं के लिए परीक्षक निकाय है। यह संस्थान विभिन्न सर्वेक्षक परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करता है तथा सर्वेक्षकों की परीक्षाओं का संचालन भी कर रहा है। हाल ही में इस संस्थान ने सामान्य सेवा केन्द्र संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के लिए पाठ्यक्रम बनाया है।

II.3.5 साथ ही, प्राधिकरण भारत और विदेशों में बीमा शिक्षा से संबंधित अन्य प्रसिद्ध व्यावसायिक संस्थानों और संगठनों के साथ संपर्क में रहता है।

II. 4 मुकद्दमें, याचनाएं और अदालती निर्णय

II.4.1 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) तथा लोक अदालतों के समक्ष दायर किये मामलों के तौर पर मुकद्दमों एवं 2014–15 के दौरान निपटाए गए/खारिज किये गये मामलों का विवरण निम्न है :

तालिका II.10: अवधि 2014–15 के लिए दायर किये गये मामलों का विवरण

क्र.सं	दायर किए गए मामलों का विवरण	गैर जीवन	एचआर	स्वास्थ्य	सीएडी	जीवन	दलाल	कुल
1.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1	0	1	0	1	0	3
2.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समादेश (रिट) याचिकाएं	16	5	1	10	5	13	50
3.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचनाएं, एलपीए	0	9	0	0	0	0	9
4.	फाइल की गई समीक्षा/पुनः स्थापन याचिकाएं	0	0	0	0	0	0	0
5.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में	0	1	1	0	0	0	2
6.	उपभोक्ता प्रकरण (डीसीएफ+एससीडीआरसी)	2	0	0	24	20	0	46
7.	फाइल किए गए दीवानी और लोक अदालत प्रकरण	2	0	0	5	2	0	9
8.	एमएसीटी प्रकरण	0	0	0	0	0	0	0
9.	पीआईएल	0	1	0	0	0	0	1
10.	आपराधिक याचिकाएं	0	1	0	0	0	0	1
11.	राज्य अल्पसंख्यक आयोग	0	0	0	1	0	0	1
	कुल	**21**	**17**	**3**	**40**	**28**	**13**	**122**

बॉक्स मद 4

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015

जून 2004 में विधि आयोग की 190 रिपोर्ट की सिफारिशों के साथ शुरू कर दिया है, जो बीमा कानून में संशोधन की प्रक्रिया 26/12/2014, बीमा कानून के लागू होने की तिथि (से प्रभावी अधिनियमन बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ समापन हुआ संशोधन) अध्यादेश 2014 के संशोधन अधिनियम बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन किए गए, जनरल इंश्योरेंस कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999।

जारी.... **बॉक्स मद 4**

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015

संशोधनों के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं :

- भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से समग्र सीमा को 26 प्रतिशत से भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की सुरक्षा के साथ 49 प्रतिशत प्रदान की गई।
- आईआरडीएआई को विभिन्न ऐसे मामलों में विनियमन बनाने का सशक्तिकरण जोकि पहले बीमा अधिनियम का हिस्सा थे जिससे कि आईआरडीए को अपने कर्तव्य निभाने के लिए पहले से अधिक लचीलापन व प्रभावी व दक्षता प्राप्त होगी जैसे कि कमीशन का भुगतान, प्रबंध खर्चों पर नियंत्रण, शाखाओं का खोलना व बंद करना।
- 'स्वास्थ्य बीमा कारोबार' को ₹ 100 करोड़ के स्तर पर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकताओं द्वारा अलग से ऊर्धवाधर रूप में परिभाषित करना।
- विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों को भारत में शाखाओं की स्थापना करने के लिए और पुनर्बीमाकर्ता को जोखिम की 100 प्रतिशत सीडिंग की संभावना को छोड़ने में सक्षम करना।
- लंदन के लॉयड्स और उसके सदस्यों को भारत में भारतीय बीमा कंपनी के साथ संयुक्त उदयोग के माध्यम से या पुनर्बीमा व्यापार के उद्देश्य के लिए शाखाओं की स्थापना करके संचालन के लिए प्रवेश की सुविधा प्रदान करना।
- बीमा कंपनियों को नए उपकरणों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को भविष्य पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाजार से पूंजी जुटाने के लिए सरकार की हिस्सेदारी किसी भी समय 51 प्रतिशत से कम न हो, अनुमति देना।
- बीमा कंपनियों के लाइसेंस पंजीकरण के साथ प्रतिस्थापित करना और वार्षिक नवीकरण की आवश्यकता को दूर करना।
- बीमा उत्पादों की मल्टी लेवल मार्केटिंग की मिस–सेलिंग के अभ्यास में कटौती करने के लिए रोक लगाना।
- बीमा बिचौलियों की सीमा को बढ़ाने के लिए निगमित अभिकर्ताओं, तृतीय पक्ष प्रशासकों, सर्वेयर और हानि निर्धारकों को बीमा मध्यस्थों में शामिल करने के लिए समय–समय पर आईआरडीएआई को लचीलापन प्रदान किया।
- एजेंटों / बीमा कम्पनियों द्वारा विभिन्न उल्लंघनों मिस–सेलिंग और गलत प्रतिनिधित्व के लिए उच्च दंड ₹ 1 करोड़ से ₹ 25 करोड़ तक प्रदान करना।
- किसी भी कारणवश एक जीवन बीमा कंपनी के निराकरण के लिए पॉलिसी के प्रारंभ होने के 3 वर्ष तक या जोखिम या रिवाईवल या पॉलिसी की अनुवृद्धि, जो भी बाद में हो, के लिए समय सीमा का निर्धारण जिसमें तथ्यों की गलत बयानी भी शामिल है।
- जीवन बीमा पॉलिसियों की पूर्ण या सशर्त समनुदेशन के लिए प्रावधान बनाना।
- आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट पात्रता, योग्यता और अन्य पहलुओं के आधार पर बीमा कंपनियों के लिए बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी सौंपना।
- स्टैंडअलोन या अन्य बीमाकर्ता जोकि स्वास्थ्य, पुनर्बीमा, कृषि, निर्यात ऋण गारंटी को छोड़कर सभी गैर–जीवन बीमाकर्ताओं के लिए तृतीय पक्ष मोटर वाहन बीमा आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार अनिवार्य करना।
- आईआरडीएआई को सर्वेक्षण और हानि निर्धारकों के कार्यों, आचार संहिता आदि अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए सशक्तिकरण करना।
- आईआरडीएआई को विदेशी बीमा कंपनी के साथ भारत में संपत्तियों के बीमा के लिए पूर्व अनुमोदन करने के लिए सशक्तिकरण करना, जो अ तक केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था।
- भारत के बाहर धन के निवेश के लिए निषेध करना।
- जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद ने स्व–विनियमन निकायों का निर्माण किया तथा उन्हें चुनाव के लिए उसके सदस्यों से उपनियम बनाना, बैठक तथा फीस की उगाही आदि की शक्ति प्रदान की स्वसहायता समिति तथा बीमा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का समावेश।
- साधारण बीमा कंपनियों की इक्विटी पूंजी में वृद्धि के लिए प्रदान करना।
- अधिक वितरण व अनारक्षित क्षेत्रों तक पहुंच बनाने, जनसाधारण बीमा मांगों के आधार पर अधिक उन्नत उत्पाद बनाने, उन्नत वितरण तकनीक का प्रयोग करते हुए कुशल सेवाएं प्रदान करके और ग्राहक सेवा मानकों में विकास करके अधिक पूंजी की उपलब्धता प्रदान करना।
- कुछ उल्लंघनों की स्थिति में अर्थदंड लगाने अधिनिर्णयन के लिए शक्तियां प्रदान करना।
- आईआरडीएआई के आदेशों के विरूद्ध सिक्यूरिटीज अप्पलैट ट्रिब्यूनल (एसएटी) में अपील।
- बीमा अधिनियम से प्रशुल्क सलाहकार समिति, प्रोविडेंट समुदायों, बीमा सहकारी समितियों और पारस्परिक बीमा कंपनियों तथा सहकारी जीवन बीमा कंपनी समितियों से संबंधित पुरानी और अनावश्यक प्रावधानों को हटाया।

इस प्रकार, संशोधनों की सहायता से बीमा अधिनियम को बीमा क्षेत्र परिदृश्य तथा दुनिया भर की विनियामक परिपाटी के समदृश्य लाया जा रहा है। इन बदलावों की सहायता से आईआरडीएआई को अधिक नवोन्मेष के लिए कार्यात्मक ढांचा प्राप्त होगा तथा प्रतियोगिता व पारदर्शिता प्राप्त होगी जिससे कि बीमा क्षेत्र की चारों ओर प्रगति होगी और अर्थव्यवस्था और नौकरी सृजन में अत्यधिक सहायता प्रदान होगी।

तालिका II.11
अवधि 2014–15 के लिए निस्तारित/खारिज किये गये मामलों का विवरण

क्र.सं	दायर किए गए मामलों का विवरण	गैर जीवन		एचआर		स्वास्थ्य		सीएडी		जीवन		दलाल		कुल	
		ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी
1.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समादेश (रिट) याचिकाएं	0	10	8	2	0	0	0	0	1	0	2	4	11	16
3.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचनाएं, एलपीए	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4.	फाइल की गई समीक्षा/पुनः स्थापन याचिकाए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों में	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
6.	उपभोक्ता प्रकरण (डीसीएफ+एससीडीआरसी)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7.	फाइल किए गए दीवानी और लोक अदालत प्रकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	एमएसीटी प्रकरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**11**	**9**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**5**	**12**	**21**

ए आईआरडीएआई के निर्देशों के साथ
बी आईआरडीएआई के बिना निर्देशों के साथ

II.5 बीमा में अंतर्राष्ट्रीय निगम

अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस)

II.5.1 वर्ष 1994 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) एक वैश्विक मानक निर्धारक निकाय है जिसके उद्देश्य हैं पॉलिसीधारकों के लाभ और संरक्षण के लिए निष्पक्ष, सुरक्षित और स्थिर बीमा बाजारों का विकास और अनुरक्षण करने के लिए बीमा उद्योग के प्रभावी एवं वैश्विक तौर पर सुसंगत विनियमन और पर्यवेक्षण का संवर्धन करना तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए योगदान करना। वर्षों से इसकी सदस्यता, जिसमें बीमा विनियमनकर्ता और पर्यवेक्षक सम्मिलित हैं, 200 से भी अधिक अधिकार क्षेत्रों तक बढ़ गई है जिसमें लगभग 140 देशों का प्रतिनिधित्व है और इस प्रकार यह विश्व भर में संग्रहीत बीमा प्रीमियमों के 97 प्रतिशत को समाविष्ट करता है।

आईएआईएस की गतिविधियां उसकी कार्यकारिणी समिति (ईसी) के सक्रिय मार्गदर्शन में संपन्न की जाती है, जो आईएआईएस का नियंत्रण निकाय है, जिसमें समस्त विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस कार्यकारिणी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य हैं तथा अध्यक्ष, आईआरडीए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक है तथा अन्य सदस्य चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर से आने वाले बीमा विनियमनकर्ता हैं। कार्यान्वयन समिति ईसी द्वारा अनुमोदित अधिदेश के अनुसार आईएआईएस के सभी कार्यकलापों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। आईएआईएस के दैनंदिन कार्यों और मामलों का ध्यान उसके सचिवालय द्वारा रखा जाता है जो बेसल, स्विटजरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में है।

आईएआईएस – संगठनात्मक पुनर्संरचना

II.5.2 उक्त कार्यकारिणी समिति पांच समिति – लेखा परीक्षा और जोखिम, बजट, वित्तीय स्थिरता, कार्यान्वयन और तकनीकी समितियों एवे पर्यवेक्षी मंच से सहायता प्राप्त करती है। वित्तीय स्थिरता, कार्यान्वयन और तकनीकी समितियों ने अपने कर्तव्यों के पालन में सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यकारी दलों (उपसमितियों/कार्य दलों) की स्थापना की है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, आईएआईएस ने संघ की प्रभावात्मकता और कार्यकुशलता को सुधारने, कार्य प्रवाहों का बेहतर समन्वय करने और निर्णयन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए वर्तमान समिति तथा कार्यकारी पार्टी संरचना और संबंधित प्रक्रियाओं का पुनः संगठन करने का निर्णय लिया है। मोटे तौर पर इनमें शामिल हैं मौजूदा उपसमितियों का निर्माण, विलय और विघटन, पर्यवेक्षी और सहायक सामग्री के विकास के लिए नई कार्यविधि, बैठकों और परिचालन संबंधी अधिक कुशल प्रक्रियाएं, उस तरीके को पुनः परिभाषित करना जिसमें पर्यवेक्षक की निविष्ट प्राप्त की जाती है, आवश्यकता होने पर मुद्दों का समाधान करने के लिए सकी मतदान प्रणाली के साथ निर्णय करने की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा अनुकूल निर्णयों/प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत। आईएआईएस और आईआरडीएआई दोनों ने संगठनात्मक स्तर पर परिवर्तन के फलस्वरूप, प्राधिकरण ने आईएआईएस समितियों/उपसमितियों पर अपने प्रतिनिधित्व की समीक्षा की और विभिन्न कार्य समूहों और समितियों के नए नामांकन किए।

आईआरडीएआई द्वारा आईएआईएस की विभिन्न समितियों और आईएआईएस के समूहिक कार्यों को करने तथा आईएआईएस के मानक स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान करने पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता, बाजार आचरण पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि के क्षेत्रों की गतिविधियों में योगदान दिया था। इसके अलावा, आईआरडीएआई के अधिकारियों ने ऋण शोधन क्षमता, मेक्रोप्रूडेंशियल निगरानी और पुनर्बीमा की विषयगत विषयों पर स्व आकलन और सहकर्मी की समीक्षा (एसएपीआर) के संचालन के लिए आईएआईएस विशेषज्ञ दल भी बनाऐ । आईएआईएस सदस्यों द्वारा बीमा मूल सिद्धांतों के पालन और मानकों का आकलन करने के लिए एसएपीआर उपयोग किया जाता है, जो सभी आईएआईएस सदस्यों उनसे प्रतिक्रिया की समीक्षा को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण प्रश्नावली के विकास और समीक्षा करता है।

आईएआईएस – मानक स्थापित गतिविधियाँ

II.5.3 आईएआईएस महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है जो बीमा मूल सिद्धांतों के संशोधन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बीमा समूहों (आईएआईजी) के लिए सामान्य ढांचे, बीमा पूंजी मानकों (आईसीएस), उच्च हानि अवशेषी (एचएलए) की आवश्यकताएं और ग्लोबल प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमा कंपनियों (जीएसआईआईएस) शामिल हैं।

बीमा के मुख्य सिद्धान्त

II.5.4 आईएआईएस द्वारा स्थापित बीमा कोर सिद्धान्तों (आईसीपी), एक बीमा पर्यवेक्षी प्रणाली के लिए प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सिद्धान्तों में शामिल कर इनका पालन अनिवार्य किया जाना है। इन सिद्धान्तों को बीमा पर्यवेक्षण के लिए ढांचे से बाहर, विषय क्षेत्र की पहचान जिसे प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में कानून या नियम में संबोधित होना चाहिए तथा आईएआईएस के लिए एक आधार प्रदान हो जिस पर इसे और अधिक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय मानक और मार्गदर्शन विकसित करता है।

आईसीपी, बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों की देखरेख करने के लिए लागू होता है, चाहे निजी या सरकार नियंत्रित बीमा कंपनियां जो निजी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धित हो, जहां उनके व्यवसाय ई–कॉमर्स के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। अब तक आईएआईएस ने 26 बीमा मुख्य सिद्धातों (आईसीपी) को जारी किया है। इन 26 मुख्य सिद्धान्तों में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्री मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी) के अंतर्गत पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं के मूल्यांकन में प्रयुक्त वैश्विक रूप से स्वीकृत रूपरेखा भी निहित है। आईएमएफ–विश्व बैंक की टीम द्वारा नवीनतम भारतीय एफएसएपी आकलन रिपोर्ट के

अनुसार, भारतीय बीमा क्षेत्र आईएआईएस बीमा मूल सिद्धान्तों (संस्करण 2003) में से अधिकांश के अनुरूप है और इस तरह के ''गैर अनुरूप'' आईसीपी के रूप में कोई नहीं है।

आईएआईएस मानता है कि आईसीपी विकास या सम्मिश्र बीमा बाजार की और बीमा उत्पादों या सेवाओं के प्रकार के स्तर की परवाह किए बिना सभी न्यायालय में बीमा पर्यवेक्षण पर लागू होने वाली देखरेख की जा रही है। इसी समय, आईएआईएस मानता है कि पर्यवेक्षकों को व्यक्तिगत बीमा कंपनियों से उत्पन्न खतरों की प्रकृति, मापन और जटिलता के अनुसार कुछ पर्यवेक्षी आवश्यकताओं और कार्यों को समाजित करने की जरूरत है (अर्थात् समानता के सिद्धान्त)। आईएआईएस ने 2017 के अंत तक सभी आईसीपी की समीक्षा करने की योजना बनाई है और यह भी आईसीपी समीक्षा में समानता के मुद्दे को संबोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। 2011 से आईसीपी को लागू करने के साथ न्यायालय के अनुभव और उन आईसीपी पर किए आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी की समीक्षा के बाद संशोधन के आधार पर इन आईसीपी को अपडेट किया जाता है। इस संबंध में आईएआईएस ने आईआरडीएआई की समीक्षा सहित आईएआईएस सदस्यों और आईसीपी के ड्राफ्ट संशोधन के प्रतिनिधियों के साथ आईसीपी समीक्षा कार्य दल गठित किया है।

वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (जी–एसआईआई) :

II.5.5 वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (जी–एसआईआई) की पहचान करने के लिए वैश्विक पहल में आईएआईएस एक साझेदार है। आईएआईएस का फोकस संभावित वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं (जी–एसआईआई) से संबंधित है। इस प्रयोजन के लिए आईएआईएस ने जी–एसआईआई की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक आकलन पद्धति एवं नीतिगत उपायों का एक विकसित किया है जो उन पर लागू होगा। जी–एसआईआई, आईएआईएस और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के द्वारा बनाये जाते हैं।

आईएआईएस और राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ परामर्श में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और 9 जीएसआईआई 2013 में पहचाना 2014 के लिए पहचान की थी। ये हैं – अलायंज एसई, अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय समूह, असीक्यूराजियोनी जनराली एसपीए, अवीवा पीएलसी, एक्सा एसए, मेटलाइफ, चीन की पिंग एन इंश्योरेंस (समूह) कंपनी लिमिटेड, प्रूडेंशियल फाइनेंशियल और प्रूडेंशियल पीएलसी।

चीन में सक्रिय बीमा कंपनियों के अलावा, अन्य सभी जीएसआईआई ने भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम टाई–अप किया है और भारतीय बीमा बाजार में उपस्थिति है।

जीएसआईआई मूल्यांकन पद्धति :

II.5.6 मूल्यांकन पद्धति में तीन चरण संबद्ध है : आंकड़ों का संग्रहण, उन आंकड़ों का विधिपूर्वक निर्धारण तथा पर्यवेक्षी निर्णय और वैधीकरण प्रक्रिया। संकेतक आधारित निर्धारण का दृष्टिकोण वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों अथवा जीएसआईबी के लिए बेसल समिति द्वारा विकसित दृष्टिकोण से संबंधित है। तथापित बीमा क्षेत्र के विशिष्ट स्वरूप ने चयन, समूहन और कुछ संकेतकों को समनुदेशित महत्व को प्रभावित किया है।

उक्त आईएआईएस निर्धारण पद्धति संबंधित प्रणालीगत महत्व का मापन करने के लिए पांच श्रेणियों की पहचान करती हे : गैर–अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापनीयता, आकार और वैश्विक गतिविधि। इन पांच श्रेणियों के अंदर 20 संकेतक हैं जिनमें शामित हैं : अंतःवित्तीय आस्तियां और देयताएं, डेरिवेटिवों की सकल आनुमानिक राशि, स्तर 3 आस्तियां, गैर–पॉलिसीधारक देयताएं और गैर–बीमा आय, डेरिवेटिव व्यापार, अल्पकालिक निधीयन और न्यूनतम गारंटियों से युक्त परिवर्ती बीमा उत्पाद। जी–एसआईआई के एनटी और एनआई गतिविधियों को सबसे संभावित कारण या प्रणालीगत जोखिम घटनाओं के रूप में माना जाता है। इस कारण एनटीएनआई सूचक को आईएआईएस कार्यप्रणाली में ज्यादा प्रभावी है।

जी–एसआईआई पर लागू आईएआईएस नीतिगत उपाय :

II.5.7 जी–एसआईआई पर लागू नीतिगत उपायों का आईएआईएस ढांचा एफएसबी की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें शामिल हैं :

(1) संवर्धित पर्यवेक्षण : राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित

रूप में एसआईएफआई का अधिक गहन और समन्वित पर्यवेक्षण तथा अनुपूरक विवेकपूर्ण और अन्य अपेक्षाओं को लागू करना।

(2) प्रभावी समाधान : वित्तीय प्रणाली को अस्थिर किये बिना और हानि के जोखिम के प्रति करदाता को असुरक्षित रखे बिना एक सुव्यस्थित तरीके से एसआईएफआई का समाधान करने के लिए पर्यवेक्षकों की सामर्थ्य को सुधारना।

(3) उच्चतर हानि अवशोषीयता (एचएलए) : जी–एसआईआई के लिए उच्चतर हानि अवशोषीयता (एचएलए) की अपेक्षा करना ताकि उन बृहत्तर जोखिमों को प्रतिबिंबित किया जा सके जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रति ये संस्थाएं उपस्थित करती हैं।

आईएआईएस को जी–एसआईआई मूल्यांकन पद्धति के संशोधन और विकास के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, अन्य बातों के अलावा, बीमा और पुनर्बीमा तथा वैश्विक बीमा कंपनियों की अन्य वित्तीय गतिविधियों को सभी प्रकार से उचित रूप से व्याख्यान करता है। संशोधित जी–एसआईआई मूल्यांकन पद्धति को 2016 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

समूहव्यापी वैश्विक बीमा पूंजी मानक :

II.5.8 एचएलए आवश्यकताओं के लिए एक बुनियाद के रूप में, आईएआईएस ने जीएसआईआई की सभी सामूहिक गतिविधियों, गैरबीमा गतिविधियां सम्मिलित, को लागू करने के लिए मूलभूत पंजीगत अपेक्षाओं (बीसीआर) को विकसित किया। बीसीआर का विकास जोखित आधारित, समूह व्यापी वैश्विक बीमा पूंजी मानकों को विकसित करने के लिए एक दीर्घकालिक परियोजना का पहला कदम है। दूसरा कदम जी–एसआईआई पर लागू करने के लिए एचएलए अपेक्षाओं का विकास है जो 2015 के अंत तक पूरा किया जाने वाला है। अंतिम कदम जोखिम आधारित समूह व्यापी वैश्विक बीमा पूंजी मानक (आईसीएस) है।

आईएआईजी के लिए सामान्य ढांचा :

II.5.9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बीमा समूह (आईएआईजी) बीमा समूहों या वित्तीय कंपनियों के संगठन को दिया जाने वाला पद है जो आकार और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि पर शुरूआत है। आईएआईजी कई देशों और बाजारों में गतिविधियों में संलग्न है। इनकी गतिविधियों में अक्सर सीमा पार आधारित, जोखिम को एक समूह से दूसरे अन्य समूह में हस्तांतरण करना शामिल है। आईएआईजी के संचालन और जोखिमों को समझने के लिए और इसमें शामिल न्यायालय में अपनी संस्थाओं, इसमें शामिल पर्यवेक्षक को सहयोग करने और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

आईएआईएस ने सामान्य ढांचा (कॉमफ्रेम), वर्ष 2011 में आईएआईजी के पर्यवेक्षण के लिए एक नियामक ढांचे की अवधारणा शुरू की है। कॉमफ्रेम आईएआईजी के लिए विशिष्ट गुणात्मक और मात्रात्मक अपेक्षाओं का एक व्यापक दायरा एवं पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं और कॉमफ्रेम को कार्यान्वित करने के लिए पर्यवेक्षी हेतु पूर्वापेक्षाएं निर्धारित करता है। कॉमफ्रेम तीन मॉड्यूल में संरचित है :

- **मॉड्यूल 1, कॉमफ्रेम का क्षेत्र** में पर्यवेक्षकों द्वारा आईएआईजी की पहचान के लिए मानदंड और प्रक्रिया शामिल होती है, आईएआईजी की व्यापक रूप से देखरेख (जिसमें कानूनी संस्थाएं शामिल होती हैं।) और समूह व्यापी पर्यवेक्षक की पहचान शामिल होती है।

- **मॉड्यूल 2, आईएआईजी** की आवश्यकताएं शामिल होती है जो आईएआईजी को पूरा करनी होगी।

- **मॉड्यल 3, पर्यवेक्षकों,** पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को शामिल किया गया, प्रक्रिया में समूह व्यापी पर्यवेक्षक और अन्य प्रासंगिक पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियों की भूमिका पर प्रकाश डालना है। मॉड्यूल में पर्यवेक्षी प्रक्रिया, प्रवर्तन, सहयोग और बातचीत की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

यद्यपि आईएआईएस, आईएआईजी की पहचान के लिए मानदंड और प्रक्रिया को स्थापित करता है यह पर्यवेक्षी कॉलेजों होगा जो आईएआईजी की पहचान है। कॉमफ्रेम के तहत, सभी आईएआईजी के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों और समूह व्यापी पर्यवेक्षकों को स्थापित किया जाएगा। एक पर्यवेक्षी कॉलेज एक बीमा समूह से संबंधित संस्थाओं के पर्यवेक्षण के साथ जुड़े पर्यवेक्षकों का समूह है, जो आईएआईजी की पहचान करने में निर्णय लेने की सुविधा होगी, कॉमफ्रेम मापदंड के आवेदन में विवेक के संभावित आवेदन भी शामिल हैं। आईएआईजी समूह

व्यापी पर्यवेक्षक को प्रासंगिक पर्यवेक्षकों द्वारा चयन किया किया जाएगा। समूह व्यापी पर्यवेक्षक समन्वय बीमा कानूनी इकाई पर्यवेक्षण के इनपुट सहित एक बीमा समूह के प्रभावी समन्वित पर्यवेक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सिद्धांत रूप में, समूह व्यापी पर्यवेक्षक की भूमिका का अधिकार क्षेत्र में पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है :

- आईएआईजी का प्रमुख आधारित है,
- आईएआईजी का बीमा संचालन वास्तविक रूप से नियंत्रित है, और
- आईएआईजी के प्रमुख की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक की वैधानिक जिम्मेदारी है।

आईआरडीएआई भी बीमा क्षेत्र में भारत में उपस्थित विदेशी संस्थाओं के संबंध में पर्यवेक्षी कॉलेजों को स्थापित करने में भाग ले रहा है। बेहतर जोखिम का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीमा नियामकों के बीच महत्वपूर्ण नियामक जानकारी साझा करने और प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज उपयोगी हैं।

कॉमफ्रेम के विकास का चरण 2010 में शुरू हुआ। आईएआईएस ने 2013 में फील्ड परीक्षण के प्रयोजनों के लिए कॉमफ्रेम को अंतिम रूप दिया। फील्ड परीक्षण के चरण 2013 में शुरू हुए। फील्ड परीक्षण के दौरान, कॉमफ्रेम का मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह औपचारिकता में लाने से पहले आवश्यक रूप से संशोधित किया जा सकता है।

बीमा पूंजी मानक (आईसीएस) :

II.5.10 कॉमफ्रेम में, जोखिम आधारित वैश्विक बीमा पूंजी मानक (आईसीएस) विकसित करने के लिए और इसे कॉमफ्रेम में शामिल करने के लिए आईएआईएस सहमत हो गया है। आईसीएस को आईएआईजी की पूंजी पर्याप्तता को मापने के लिए तैयार किया जा रहा है। आईएआईजी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए समूह व्यापी पर्यवेक्षकों द्वारा आईसीएस को उपयोग किया जाना चाहिए। आईसीएस, आईएआईजी के लिए पूंजी के स्तर को स्थापित करने के लिए न्यूनतम मानकों को स्थापित करने के लिए, आईसीएस पूंजी की आवश्यकता और आईसीएस पूंजी संसाधनों की गणना के तरीकों सहित, बनाया गया है।

जून 2017 से आईसीएस संस्करण 1.0 विकसित करने के लिए आईएआईएस स्वयं प्रतिबद्ध है। पर्यवेक्षकों और आईएआईजी के साथ परीक्षण और शोधन के बाद पूर्ण रूप से कार्यान्वयन (आईसीएस संस्करण 2.0) वर्ष 2020 में शुरू होना है। वर्तमान में आईसीएस के प्रमुख तत्वों यानी मूल्यांकन, पूंजी संसाधनों और पूंजी आवश्यकताओं पर समय के साथ सुधार अभिसरण के लिए नेतृत्व करने का इरादा है।

आईआरडीएआई की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां :

II.5.11 आईआरडीएआई के सक्रिय विस्तार और विशेष रूप से अफ्रीकी क्षेत्र से नियामकों के लिए कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण कैप्सूल से विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए और बेहतर बनाने और बीमा के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सामान्यतः प्रशिक्षण सत्र आईआरडीएआई हैदराबाद के कार्यालय में आयोजित की जाती हैं, और अधिकारियों को जो बीमा पर्यवेक्षण के संबंधित क्षेत्रों के साथ निपटने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण देने के लिए व्याख्यान, प्रस्तुतियों और चर्चा के माध्यम से इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवंटित कर रहे हैं।

अवधि 2014–15 के दौरान, आईआरडीए ने राष्ट्रीय बीमा आयोग, नाइजीरिया; इथियोपिया की राष्ट्रीय बैंक और जाम्बिया के बैंक से अध्ययन टीमों को आतिथ्य किया।

राष्ट्रीय बीमा आयोग (एनआईसी), नाइजीरिया ने 2012 और 2013 में पिछली अध्ययन यात्राओं की निरंतरता में, आईआरडीए बीमा कोष प्रणाली और बीमा बिक्री/वितरण तंत्र का अध्ययन करने के लिए 1–4 सितम्बर 2014 से आईआरडीएआई के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। जोखिम प्रशिक्षण के दौरान, वे बीमा कोष प्रणाली, तकनीकी संरचना और कार्यान्वयन के मुद्दों का सामना करने के साथ शुरू किए गए। उन्होंने डाटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए आईआरडीए की इकाई, बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी), हैदराबाद के आतिथ्य में बीमा कोष प्रणाली का केन्द्रीय सूचकांक सर्वर (इटरेक्स कहा जाता है।) का दौरा किया। इटरेक्स बीमा कोषों और बीमा

कम्पनियों के बीच ई–बीमा खाते के विवरण और विनिमय ई–केवाईसी और पॉलिसी डेटा को देखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। टीम ने व्यवसाय विश्लेषण परियोजना और एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) के विषयों पर अवगत भी किया था।

27–31 अक्टूबर 2014 के दौरान, इथियोपिया की राष्ट्रीय बैंक (एनबीई) के दो अधिकारियों की एक टीम ने भारतीय अधिकार क्षेत्र में पुनर्बीमा कंपनी की देखरेख के लिए चार दिन जोखिम प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। टीम ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया और आवश्यकताओं, शोधन क्षमता कानून पर नियामक ढांचा, पुनर्बीमा कंपनियों के जोखिम रेटिंग, ऑन–साइट और ऑफ–साइट निगरानी तंत्र, वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन की रिपोर्टिंग, नियामक हस्तक्षेप, पुनर्बीमा दलालों के लाइसेंस, विनियमन और पर्यवेक्षण के मुद्दों को शामिल क्षेत्रों में सम्पर्क किया।

29 जनवरी 2015 को, एनबीई से आठ अधिकारियों की टीम ने अपने स्वयं के बीमा उद्योग के लिए प्रभावी तंत्र को डिजाइन करने के क्रम में ''सूक्ष्म बीमा नवाचार : भारत से सीखना'' पर आईआरडीएआई का आधा दिन के लिए दौरा किया। उनको जीवन और गैर जीवन क्षेत्र दोनों के लिए आईआरडीएआई द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और नियंत्रण तंत्र के अंतर्गत नियामक ढांचे और पर्यवेक्षण तंत्र से अवगत कराया गया।

आईआरडीएआई ने 20–21 नवम्बर 2014 से वित्तीय क्षेत्र विकास योजना (एफएसडीपी) यूनिट, जाम्बिया के बैंक से तीन वरिष्ठ अधिकारियों का एक अध्ययन दल का आयोजन किया था। ये प्राधिकरण की स्थापना के बाद उद्योग के अनुभव और चुनौतियों को देखते हुए पहली बार किया गया। इसके अलावा उन्होंने आईआरडीएआई की आवश्यकताओं, स्थापना और संरचना, विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों, धन, लेवी, लेखा परीक्षा और कानूनी ढांचे तथा अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में समझाया।

प्रतिभागियों से समग्र प्रतिक्रिया तथ्य है कि ये कार्यक्रम सभी संबंधित पक्षों के लिए बहुत ही उपयोगी और जानकारी पूर्ण है। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संतुलित और विस्तृत था और प्रतिभागियों का संचालन करने के लिए आईआरडीएआई के सहयोग की सराहना की है, इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आईआरडीएआई द्वारा प्रदान आतिथ्य की भी सराहना की है।

II.6 जनता की शिकायतें

एकीकृत शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस)

II.6.1 आईजीएमएस बीमा उद्योग की शिकायतों का रिपोजिटरी (भंडार) है जो न केवल बीमाकर्ताओं के पास ग्राहकों की शिकायतें ले जाने प्लेटफॉर्म है, बल्कि बीमे में जनता की शिकायतों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को भी तैयार करता है।

II.6.2 आईआरडीएआई भी नियमित रूप से प्रशासन और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार के पोर्टल तक पहुंचता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतों को डाउनलोड किया जाए और बीमाकर्ताओं द्वारा उनकी जांच पड़ताल करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की

तालिका **II.12**
2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति – जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	31 मार्च 2014 को बकाया	2014–15 के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	2014–15 दौरान निपटाई गई	31 मार्च 2015 को बकाया
एलआईसी	0	80944	80944	0
निजी	1180	198048	193119	6109
कुल	**1180**	**278992**	**274063**	**6109**

जीवन बीमाकर्ता

II.6.3 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ऐसी 6109 शिकायतें थीं जिनके संबंध में जीवन बीमा कंपनियों द्वारा समाधान लंबित था। वर्ष 2014–15 के दौरान, बीमा उद्योग ने 278992 शिकायतें प्राप्त कीं जिनमें से 80944 शिकायतें एलआईसी से संबंधित थीं तथा 198048 शिकायतें निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थीं।

II.6.4 2014–15 के दौरान बीमा कंपनियों ने प्राप्त शिकायतों के 97.82 प्रतिशत का समाधान किया। जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने पंजीकृत शिकायतों के 96.93 प्रतिशत का समाधान किया, एलआईसी ने शिकायतों को 100 प्रतिशत का समाधान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 31.3.2015 को एलआईसी की कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

II.6.5 आईजीएमएस डेटा ने शिकायत निवारण संबंधी दिशानिर्देशों के तौर पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्गीकरणों के आधार पर जीवन बीमा उद्योग में शिकायतों के स्वरूपों को दर्शाया है। अनुचित व्यवसाय प्रथा की शिकायतों ने शिकायतों का सबसे बड़ा वर्ग बनाया जो 2014–15 के दौरान जीवन क्षेत्र में शिकायतों का 52 प्रतिशत रहीं जबकि 2013–14 के दौरान ये 56 प्रतिशत थीं। 2014–15 के दौरान पॉलिसी की सेवा से संबंधित शिकायतें जीवन क्षेत्र में कुल शिकायतों का 20 प्रतिशत बनीं, जो 2013–14 में ऐसी 17 प्रतिशत शिकायतों थीं।

गैर–जीवन बीमाकर्ता

II.6.6 वर्ष 2014–15 के दौरान गैर जीवन बीमा कंपनियों ने प्राप्त शिकायतों के 96.59 प्रतिशत का समाधान किया। अपने द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में निजी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने 96.31 प्रतिशत और सरकारी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने 97.36 प्रतिशत का समाधान किया। 31 मार्च 2015 को समाधान के लिए बीमा कंपनियों के पास 2099 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 1662 शिकायतें निजी क्षेत्र की और 487 शिकायतें सरकारी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनियों से संबंधित थीं।

II.6.7 गैर जीवन बीमा उद्योग के संबंध में आईजीएमएस डेटा में शिकायतों का स्वरूप यह दर्शाता है कि दावों से संबंधित शिकायतें 2014–15 के दौरान भी शिकायतों का बड़ा भाग बनीं। वर्ग वार शिकायतों में मोटर बीमा संबंधी शिकायतों की संख्या शिकायतों में सबसे अधिक थीं।

चार्ट II.4 : 2013–14 और 2014–15 के दौरान जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण

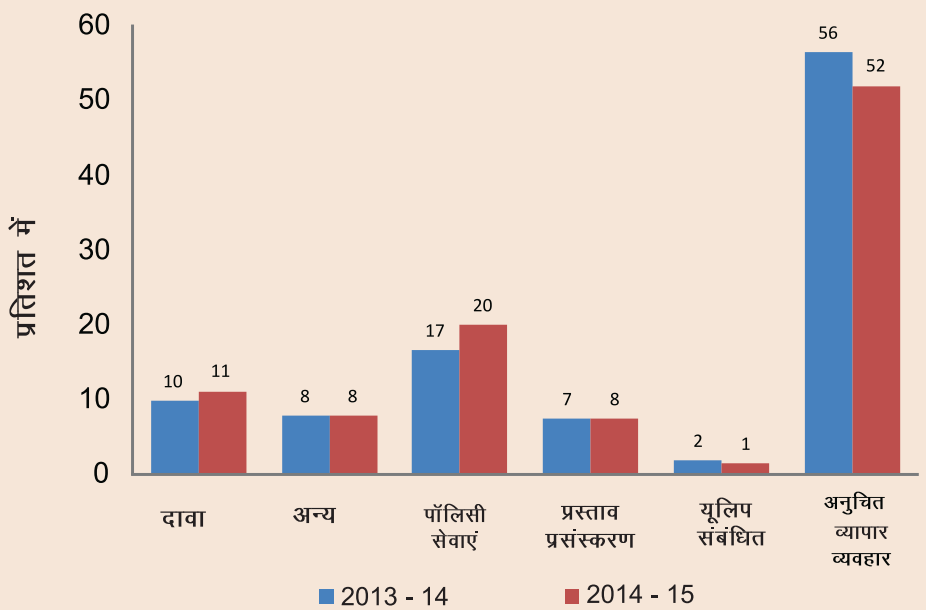

तालिका II.13

2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति – गैर–जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	31 मार्च 2014 को बकाया	2014–15 के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	2014–15 के दौरान निपटाई गई	31 मार्च 2015 को बकाया
सार्वजनिक	682	15860	16105	437
निजी	152	44828	43318	1662
कुल	**834**	**60688**	**59423**	**2099**

चार्ट II.5: 2013–14 और 2014–15 के दौरान गैर–जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण

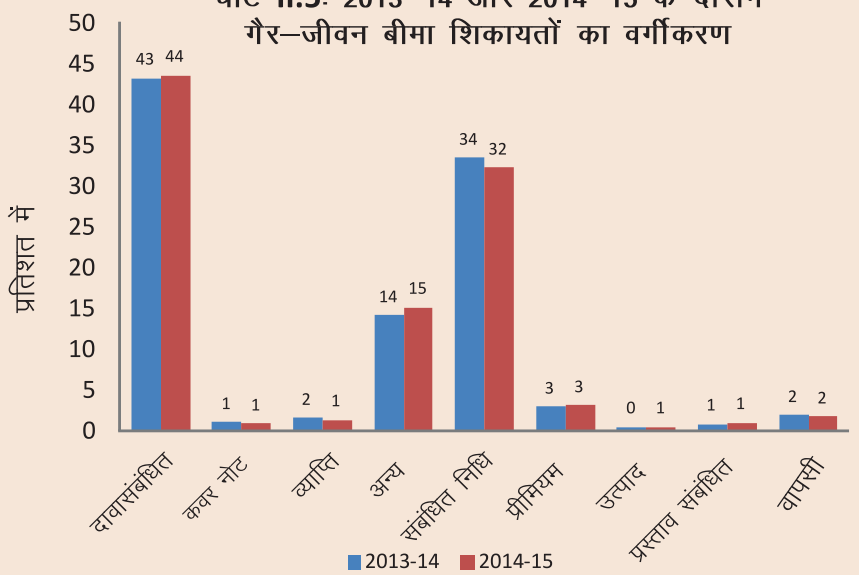

चार्ट II.6: वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक वर्ग वार गैर–जीवन बीमा शिकायतें

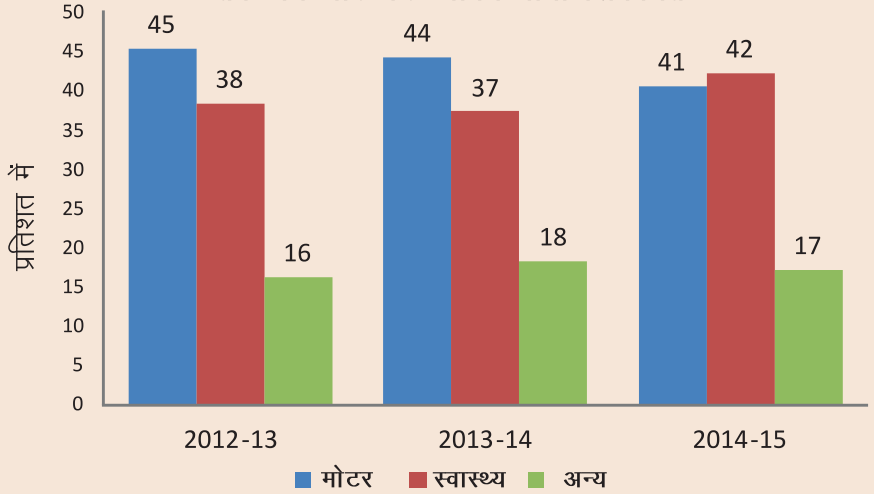

II.7. बीमा संघ और बीमा परिषदें

II.7.1 2014–15 में जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64सी के अधीन स्थापित एक निकाय है। सभी पंजीकृत जीवन बीमाकर्ता इसके सदस्य हैं तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। आईआरडीए से इसमें दो नामित हैं जिनमें से एक तो परिषद के अध्यक्ष हैं। महासचिव परिषद के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान परिषद की दो बार बैठकें हुईं। उद्योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए परिषद ने अनेक उपसमियां बनाईं। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यकता हुई तब समय–समय पर उभरने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गठित 'कार्य दलों' की बैठकों में कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों को लिया गया। इस समिति आधारित दृष्टिकोण ने जीवन बीमा के अत्यंत विविधतापूर्ण क्षेत्रों में उद्योग से व्यापक तौर पर वरिष्ठ कार्यपालकों के विभिन्न प्रकार के वर्गों द्वारा सहभागिता और उनसे अमूल्य सहयोग सुनिश्चित किया।

बीमा संशोधन विधेयक 2014 को अध्यादेश भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर 2014 को पारित किया गया था। जीवन परिषद सचिवालय ने नई बीमा संशोधन विधेयक में उल्लिखित के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के खुले सत्र की बैठक का आव्हान कर जीवन परिषद चुनाव आयोग के गठन पर चर्चा की। परिषद के लिए उपनियों को तैयार करने के लिए कंपनियों के कानून प्रमुखों के कोर समूह ने मैसर्स खेतान एंड कम्पनी को नियुक्त करने के लिए परिषद से सिफारिश की। समिति की उपनियमों पर चर्चा करने के लिए कई बार बैठक हुई और 7 अप्रैल 2015 को आयोजित एक बैठक में कंपनियों के सदस्य ने उपनियमों के अंतिम ड्राफ्ट को सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष रखा था।

बीमा संशोधन अधिनियम 2015 को सरकारी राजपत्र में 23 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया जिसमें धारा 64(एफ)(1) को निर्धारित किया कि जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति जीवन बीमा परिषद के चार निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगी, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो जीवन बीमा के साथ न जुड़ा हो, प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन व्यक्तियों बीमा एजेंटों, बिचौलियों और पॉलिसीधारकों **को तथा एक स्व–सहायता** समूहों और बीमा सहकारी समितियों से होगा।

II.7.2 2014–15 में परिषद द्वारा की गई गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा

- **बीमा संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की प्रवर समिति के साथ बैठक** – जीवन बीमा परिषद ने 26 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली में बीमा संशोधन पर राज्यसभा की प्रवर समिति को उद्योग की प्रमुख चिंताओं पर प्रस्तुति दी।

- **वित्त अधिनियम 2014 के 194डीए** – जीवन बीमा परिषद ने 22 अगस्त 2014 को टैक्स योजना और कानून बनाया जिसमें कुछ पहलुओं पर स्पष्टता का अनुरोध किया। जीवन परिषद ने सितम्बर 2014 में भारत के माननीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा जिसमें अनुरोध किया कि धारा 194डीए के प्रावधानों के कार्यान्वयन की तारीख को सीबीडीटी द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने से दो महीने में प्रदाय की जाए।

- **केन्द्रीय बजट 2015–16 के लिए पूर्व बजट बैठक** – जीवन परिषद को पूर्व बजट 2015–16 पर एक प्रस्तुति बनाने के लिए 11 दिसम्बर 2014 को नई दिल्ली में अवसर दिया गया था। महासचिव, जीवन परिषद ने प्रस्तुति बनाने के लिए सदस्य कंपनियों के प्रमुखों का गठन किया।

- **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)** – जीवन परिषद ने जीएसटी पर दो सलाहकारों अर्थात् 21 जनवरी 2015 को केपीएमजी और 24 फरवरी 2015 को ईएलपी (आर्थिक कानूनों प्रैक्टिस) के साथ एक बैठक का आयोजन किया। सभी सदस्य कंपनियों को दोनों बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और सदस्य कंपनियों के कर प्रमुखों ने विधिवत दोनों बैठक में भाग लिया।

  केपीएमजी और ईएलपी के साथ उक्त दोनों बैठकों के आधार पर, सर्वसम्मति से सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी कि परिषद को जीएसटी पर जीवन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ईएलपी की सेवाएं लेनी चाहिए। ईएलपी की विधिवत समीक्षा और संशोधित प्रस्तावों को 7 अप्रैल 2015 की

एक बैठक में सदस्य कंपनियों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मंजूरी के लिए पेश किया गया।

- **आईआरडीएआई का बीमा जागरूकता कार्यक्रम** – जीवन बीमा परिषद ने 8 जनवरी 2015 को न केवल उद्घाटन समारोह में भाग लिया बल्कि प्राधिकरण और जिला स्तरीय संगोष्ठियों के सुचारू संचालन के लिए अपने सदस्यों के साथ समन्वय की प्रक्रिया पर चर्चा की।

- **सीएससी – सीएससी–एसपीवी मॉडल में बोर्डिंग के आरोप**

  जीवन बीमा परिषद ने ''कॉर्पस फंड बोर्डिंग पर'' का संरक्षक होने के लिए रू. 5000 प्रति लाइसेंस्ड रैप (ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति) जीवन बीमा कंपनियों की ओर से सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरण किया जाए। कॉपर्स फंड से निकाली गई राशि के साथ–साथ सीएससी–एसपीवी सक्रिय केन्द्रों का ब्यौरा जीवन बीमा परिषद के लिए सीएससी–एसपीवी द्वार प्रदान किए गए सक्रिय ग्रामीण अधिकृत व्यक्ति (आरएपी) की सूची के अनुसार, जीवन बीमा परिषद वेबसाइट के अनुसार प्रदर्शित की जाती है।

- निश्चित आय की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन सेवाओं का क्रिसिल और आईसीआरए के साथ विचार विमर्शजीवन बीमा परिषद अपने सेवा प्रदाताओं जैसे–निश्चित आय की सुरक्षा के लिए मूल्यांकन सेवाओं के लिए क्रिसिल और आईसीआरए के साथ उद्योग की ओर से विचार विमर्श की श्रृंखला आयोजित करता है। जीवन बीमा परिषद दोनों सेवाओं के प्रदाताओं से एक समान लागत संरचना बातचीत में सफल रहा था और सदस्यों को एक ही की सदस्यता स्वीकार करना है।

- **संजात (डेरिवेटिव) कार्यशाला** – जीवन बीमा परिषद ने मुम्बई में 21–22 अगस्त 2014 को सदस्य कंपनियों के लिए ब्याज दर डेरिवेटिव पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

- एनआईसी वर्गीकरण इस उद्देश्य के लिए जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति दिशानिर्देश विकसित करती है जिनको एनआईसी वर्गीकरण के अनुसार कंपनियों की मैपिंग को नियंत्रित करेंगे और उनको विचारविमर्श के लिए आईआरडीएआई को भेजा गया था।

- **विधि और अनुपालन उपसमिति** –जीवन परिषद की विधि और अनुपालन उपसमिति ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दो बार बैठकें आयोजित कीं। समिति के सदस्यों ने उन चुनौतियों के बारे में चर्चा की, जिनका सामना उन्हें विनियामक परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि के कार्यान्वयन में करना पड़ रहा है। इन चर्चाओं के आधार पर जीवन परिषद ने उपयुक्त अभ्यावेदन आईआरडीएआई और अन्य सरकारी प्राधिकारियों को प्रेषित किये। सदस्यों ने बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 पर भी चर्चा की।

- परिषद की वेबसाइट में सांख्यिकीय डेटा, नवीनतम समाचार और अन्य सूचना का उपलब्ध होना जारी है। इसकी डिजाइन का ग्रेड बढ़ाने और आईआरडीएआई की वेबसाइटों और सभी जीवन बीमाकर्ताओं के साथ इसे अंतरसंबद्ध करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों – राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से हिटों की संख्या उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई है। परिरूाद ने इस वित्तीय वर्ष 2014–15 से अपनी वेबसाइट में निम्न डेटा को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है :

  - **जीवन कंपनियों के उत्पादों की संख्या पर डाटा**
  - **जीवन कंपिनयों के व्यक्तिगत एजेंटों पर डाटा**
  - **जीवन कंपनियों के नए व्यवसाय डाटा**

  आईआरडीएआई के निर्देश के अनुसार, नवम्बर 2011 के बाद से अपने सभी सदस्यों के दैनिक एनएवी को जीवन परिषद की वेबसाइट पर आतिथ्य करती है।

- **ई–रिपोजिटरी के साथ बैठक** – जीवन परिषद ने मुम्बई में सितम्बर 2014 में ई–रिपोजिटरी के पायलट परियोजना की देरी पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया। आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे तथा सभी सदस्य कंपनियों और सभी रिपोजिटरीज से प्रतिनिधि उपस्थिति थे।

- **जीवन बीमा एजेंटों के लिए एनओएस–क्यूपी** – जीवन बीमा परिषद, आईआरडीएआई द्वारा सुझाव पर बीएफएसआई एसएससी के लिए पूंजी योगदान के लिए सहमत हो गया है।

  उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में, जीवन परिषद को दी गई वितरण पद्धति सहित प्रशिक्षण पद्धति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। जीवन बीमा परिषद ने अपनी कोर कमेटी की बैठक में एनओएस–क्यूपी (राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर जीवन बीमा एजेंटों के लिए योग्यता पैक) के विकास के मामले पर चर्चा की और कुछ सुझावों के साथ बीएफएसआई एसएससी द्वारा प्रस्तावित एनओएस क्यूपी को स्वीकृति दी। प्राधिकरण प्रस्तावित एनओएस क्यूपी और उसके सुझावों की समीक्षा करता है।

- **जीवन परिषद के आईआरडीएआई और भारत सरकार और कुछ मौलिक प्रतिनिधित्व निम्न हैं :**

  - जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रतिस्थापन पर दिशानिर्देश
  - पॉलिसियों के आवंटन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर दृष्टिकोण पत्र को प्रस्तुत करना (धारा 38)
  - विनियामक अनुपालन पर प्रस्तावित आईआरडीएआई संगोष्ठी
  - बीमा विधि (संशोधन) 2014 पर आईआरडीएआई को प्रतिनिधित्व
  - बीमा विधि (संशोधन) 2014 के तहत धारा 45 को पुर्नविचार के लिए प्रतिनिधित्व
  - ऑनलाइन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए कॉर्पोरेट एजेंट/एजेंटों के लिए उचित शुल्क/पारिश्रमिक पर विचार करने के लिए आईआरडीएआई से अपील।
  - समूह बीमा पॉलिसियां, 2005 पर दिशानिर्देशों में ''न्यूनतम समूह आकार'' पर प्रतिनिधित्व
  - वित्त (सं. 2) विधेयक, 2014 – जीवन बीमा उद्योग पर प्रतिनिधित्व
  - ''आईआरडीएआई के समूह दिशानिर्देशों के खण्ड 7 में छूट के लिए मांग'' पर प्रतिनिधित्व
  - ''मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम और अंतर्गत नियम के तहत बीमा पॉलिसियां करना'' पर प्रतिनिधित्व
  - सदस्य गैर जीवन को प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई – खेल मैदान स्तर पर ढूंढ़ना
  - उत्पाद श्रेणी द्वारा दृढ़ता के प्रकटीकरण पर प्रतिनिधित्व
  - बीमा रिपोजिटरी प्रणाली की शुरूआत पर आईआरडीए परिपत्र
  - फर्जी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश
  - आईआरडीएआई विनियम, 2013 के तहत वेब संग्राहकों का पारिश्रमिक
  - कॉर्पोरेट एजेंट (सीए) के लाइसेंस को विशिष्ट व्यक्ति (एसपी) को स्थानांतर करना
  - बीमा पॉलिसियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन
  - ई–रिपोजिटरी की शुरूआती परियोजना में देरी
  - मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम और उसके तहत नियम के अंतर्गत बीमा पॉलिसियों की जब्ती
  - सदस्य कंपनियों द्वारा शुल्क भुगतान पर आईआरडीएआई द्वारा लिए जाने वाले सर्विस टेक्स के लिए चालान जारी करने का अनुरोध
  - निर्दिष्ट व्यक्तियों कॉर्पोरेट एजेंटों की (एसपीएस) के लाइसेंस के हस्तांतरण (सीए)

- परिषद का सीआईआई, एफआईसीसीआई, एसोचेम आदि के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल होना है।

साधारण बीमा परिषद

II.7.3 साधारण बीमा परिषद, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64सी (बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधन के

रूप में) के अधीन स्थापित एक निकाय है। सभी पंजीकृत गैर जीवन बीमाकर्ता इस परिषद के सदस्य हैं और उनके चेयरमेन–कम–मैनेजिंग डाइरेक्टर्स/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। महासचिव, परिषद के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है।

II.7.4 वर्ष 2014–15 के दौरान, परिषद की कार्यकारी समिति के अलावा प्रत्याशियों में बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (अर्थात् सदस्य, गैर–जीवन) परिषद के अध्यक्ष के रूप में शामिल होती है। वरिष्ठ संयुक्त निदेशक, गैर जीवन, आईआरडीए और महासचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सभी 21 गैर जीवन बाम कंपनियों के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और आईआरडीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त दो विशेषज्ञ बीमा कंपनियां (एआईसी और ईसीजीसी) भारत में साधारण बीमा व्यवसाय और भारत के राष्ट्रीय पुनर्बीमा, भारत के साधारण बीमा निगम (जीआईसी री) हैं। परिषद की वर्तमान सदस्यता 29 है।

I.7.5 अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान परिषद की कार्यकारी समिति की तीन औपचारिक बैठकें हुई। सीईओ और सीएमडी का जुलाई 2014 में उद्योग मुद्दों की पहचान के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2015 द्वारा जीआई परिषद के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मार्च 2015 में सभी सीईओ और सीएमडी की एक बैठक आयोजित की गई थी। परिषद ने वर्ष के दौरान पांच बार अध्यक्ष, आईआरडीए से मुलाकात की। अध्यक्ष आईआरडीए के साथ चर्चा की महत्वपूर्ण मुद्दों में व्यवसाय चयन के लिए गतिशील बीसी, सम्पत्ति और समूह स्वास्थ्य विभागों के लिए मानकीकृत आरएफक्यू, कोइंश्योरेंस यूडब्ल्यू पर्ची और ईटीएएसएस परियोजना, वर्ष 2015–16 के लिए मोटी टीपी कीमतों में संशोधन, उपयोग करो और फाइल करो दिशानिर्देश, विषयगत रिपोर्ट पर आईआईबी के साथ सहयोग, स्टैंडअलोन नेट कैट खतरा पॉलिसी आदि को शामिल किया गया था।

II.7.6 वर्ष के दौरान परिषद ने अपने विचार, अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग प्रभावित आम चिंताओं के आदान–प्रदान के लिए विभिन्न विभागों, सीएफओ और सदस्य कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रमुखों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इन प्लेटफॉर्म ने प्रतिस्पर्धी कंपनियों में अपने समकक्षों के बीच सौहार्द और तालमेल का निर्माण किया। इन मंचों की गतिविधियों ने उद्योग के लिए आधारभूत हैं, मुख्य व्यवसाय गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाने को बढ़ाने के लिए, ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ाने, एक स्वस्थ तरीके से बाजार अनुशासन और गैर–जीवन बीमा बाजार अनुशासन और गैर–जीवन बीमा बाजार के विकास को बनाए रखना है। सभी 15 औपचारिक बैठकें हुईं, जिनमें परिषद तत्वाधान में आयोजित बैठक में ईटीएएसएस, स्वास्थ्य, मोटर, संपत्ति, कराधान और अनुपालन के मुद्दे शामिल थे।

II.7.7 परिषद ने आईआरडीए द्वारा गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लिया और गैर–जीवन बीमा उद्योग की चिंताओं और आवश्यकताओं के संदर्भ में योगदान दिया है।

परिषद ने विभिन्न फोरमों जैसे – एफआईसीसीआई, सीआईआई, एसोचेम, आईआईआई, आईबीएआई के सम्मेलनों/संगोष्ठियों/बैठकों में प्रतिनिधित्व किया तथा आईआरडीए द्वारा अलग–अलग शहरों में विभिन्न समितियां गठित करके अन्य पहलें कीं।

परिषद ने विभिन्न मंत्रालयों जैसे– वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), गृह मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सीबीडीटी और सीबीसीई अधिकारियों द्वारा विभिन्न मामलों पर उद्योग के दृष्टिकोण और विचारों को भेजा गया है। एसजी ने वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कुल 18 बैठकों में भाग लिया। इसमें बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया।

परिषद ने अपने सदस्यों के लाभ के लिए शुरू की गई विभिन्न विशेष परियोजनाओं को लागू करना जारी रखा। इसको भी

बीमित वाहनों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए पैकेज की दरों के संबंध में उद्योग दृष्टिकोण को मुम्बई उच्च न्यायालय में कानूनी मामलों में एससी के साथ आगे बढ़ाया।

विभिन्न संस्थाओं और व्यापार इकाईयों के लिए एक सूत्री सम्पर्क के रूप में कार्य करना, परिषद ने आईआरडीए, सदस्य कंपनियों और अन्य लोगों की ओर से भेजे मामलों पर विचार विमर्श किया, और चुनाव आयोग की बैठक के दौरान विभिन्न कार्यवाहियों पर कार्य करने का निर्णय लिया।

विभिन्न स्थानों पर सभी 92 बैठकों में साधारण बीमा परिषद (महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी) ने विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं के उद्देश्य से भाग लिया।

II.7.8 परिषद की प्रमुख गतिविधियां : 2014–15

1) **काराधान मामले** : देश में बीमा की पहुंच में सुधार लाने के मामलों में काराधान मुद्दे अच्छे सिद्ध हुए। लगातार अनुवर्ती कार्यवाही के कारण, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹ 25000/– कर दिया गया है।

2) **मोटर वाहन मुआवजे पर टीडीएस** : वित्त विधेयक 2015 की धारा 194(ए), आयकर अधिनियम की धारा 9 में संशोधन किया गया है कि एमएसीटी अवार्ड के तहत सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान पर टीडीएस की कटौती के लिए प्रदान की है। इससे पहले, टीडीएस उपचय के आधार पर कटौती की जाती थी, अब यह कटौती ब्याज दिया या वास्तविक भुगतान किया जाता है तब की जाती है। यह संशोधन 1 जून 2015 से प्रभावित किया जाएगा।

3) **बीमा के माध्यम से आपदा राहत एवं जोखिम** स्थानांतरण परिषद ने बीमा के माध्यम से आपदा राहत एवं जोखिम हस्तांतरण के लिए आईआरडीएआई और एनएमडीए की सहायता से विशिष्ट बिन्दुओं को बनाया है। रिपोर्ट में दिए गए सभी सुझावों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गये थे। क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए बीमा समाधान पर मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा के नियमों द्वारा राहत एवं पुर्नवास द्वारा प्रदान किए जाने पर जोर दिया गया था। साधारण बीमा परिषद के प्रयासों के आधार पर, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही एक साथ प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ महत्वपूर्ण सम्पत्ति और बुनियादी सुविधाओं के बीमा की संभावना पर व्याख्या के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न सचिवों को पत्र लिखकर जिसमें पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए अनुरोध किया है।

4) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन** : केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर मंत्रालयों के पुनर्गठन किया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एवं परिवार कल्याण) को हस्तांतरित किया है, अब तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा था। सरकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन (एनएचएएम) पर विचार कर रही है। बीमा समाधान के लिए मंत्रालय से अनुरोध करने के लिए संयुक्त सचिव एमओएच एंड एफडब्ल्यू को पूरा करने में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सीएमडी के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। यह बीमा उद्योग के लिए स्वास्थ्य बीमा की पैठ के साथ–साथ आम जनता के लिए महत्वपूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उत्पादों के प्रति आरएसबीवाई योजना के माध्यम से किया गया है। जिसके लिए महानिदेशकों को एक व्यापक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था।

5) **बीमा कानून संशोधन** :

परिषद ने उद्योग के विचारों को दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करने के लिए बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के लिए चयन समिति स्थापित की। इसके कई सुझावों को विधेयक के अंतिम संस्करण में रखा गया है।

6) **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय** : मंत्रालय एक नई सड़क सुरक्षा और परिवहन विधेयक पर काम कर रहा है। परिषद बहुत सक्रिय रूप से एमओआरटीएच के अधिकारियों के साथ उक्त विधेयक पर चर्चा कर रही है। सदस्य कंपनियों से सहायता और समर्थन के साथ, परिषद एक से अधिक अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग और विभाग के अधिकारियों ने मंत्री से मुलाकात की और स्वैच्छिक दायित्व की अवधारणा सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए देयता पर सीमा को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, दावों के दाखिल करने के लिए समय सीमा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। परिषद ने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए बीमा कंपनियों के उद्योग की चिंताओं को अच्छी तरह से प्राधिकरण के रूप में प्रीमियम तय करने के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। परिषद ने विचार किया है कि दोनों बीमा अधिनियम के संबंध में वर्ष के दौरान आरएसटीबी की अच्छी उपलब्धि है।

7) **ईटीएएसएस** – साधारण बीमा परिषद, प्राधिकरण व्यापार के अग्नि लाइन के लिए ईटीएएसएस के पायलट मॉड्यूल के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए आभारी है। अंतःकंपनी लेनदेन और संतुलन के बीच में दक्षता लाने के लिए पहला कदम है। पहला मा्ड्यूल 27 अप्रैल 2015 को अध्यक्ष, आईआरडीएआई द्वारा प्रतिक्रिया और मॉड्यूल की सफलता के आधार पर शुरू किया, इस प्रणाली के लिए व्यापार के अन्य लाइनों के साथ–साथ दलाल, पुनर्बीमा कंपनियों आदि के रूप में अन्य हितधारकों के लिए विस्तार किया जाएगा। परिषद, 2015–16 के लिए मुख्य गतिविधियों में से एक के रूप में इस पर विचार करेगी और इसे सफल बनाने के लिए सदस्य कंपनियों के साथ गतिविधि शामिल होगा।

8) **परिषद का पुनर्गठन** – अंत में, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के पारित होने के साथ परिषद, जो अपने आपको पुनर्गठित स्वयं अपनी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए उपयुक्त उपनियों का ड्राफ्ट तैयार करने को शामिल करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में, परिषद की उपनियमों की तैयार कर रही संचालन समिति से कई बार बैठक की है, जिसे कानूनी सलाहकार के बारे में पुनर्गठन के लिए निर्धारित किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण चुनाव आयोग परिषद का पुनर्गठन की गतिविधि 31 मई 2015 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

II.8 लोकपालों की कार्य पद्धति

II.8.1 वर्ष 2014–15 के दौरान समूचे भारत में व्याप्त बारह लोकपाल केन्द्रों ने कुल 21484 शिकायतें प्राप्त कीं। जबकि 14339 शिकायतें (66.74 प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थीं, शेष 7145 शिकायतें (33.26 प्रतिशत) गैर जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थीं। ये उन 9617 शिकायतों के अतिरिक्त थीं जो मार्च 2014 की समाप्ति पर लोकपालों के विभिन्न कार्यालयों में लंबित थीं।

II.8.2 2014–15 के दौरान लोकपालों ने 24319 शिकायतों का निपटान किया। इन शिकायतों में से लोकपालों ने 53.48 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य/अग्रहणीय के रूप में घोषित किया। कुल शिकायतों के 25.04 प्रतिशत को अधिनिर्णय/सिफारिशें जारी की गईं। 8.64 प्रतिशत अन्य शिकायतों को वापस लिया गया जबकि 12.84 प्रतिशत शिकायतों को खारिज किया गया। 31 मार्च 2015 के को 6782 शिकायतें लंबित थीं।

तालिका II.14

लोकपाल द्वारा 2014–15 में शिकायतों का निपटान

बीमाकर्ता	31.03.2014 को शिकायतों की स्थिति	2014–15 के दौरान प्राप्त शिकायतें	कुल	2014–15 के दौरान निपटाई गईं शिकायतें	माध्यम से निपटाई गईं शिकायतों की संख्या				31.03.2015 को शिकायतें
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
जीवन	5724	14339	20063	15666	3402	1329	1718	9217	4397
					[21.72]	[8.48]	[10.97]	[58.83]	
गैर–जीवन	3893	7145	11038	8653	2687	773	1404	3789	2385
					[31.05]	[8.93]	[16.23]	[43.79]	
सम्मिश्र	**9617**	**21484**	**31101**	**24319**	**6089**	**2102**	**3122**	**13006**	**6782**
					[25.04]	**[8.64]**	**[12.84]**	**[53.48]**	

टिप्पणी :

(i) सिफारिशें / पंचनिर्णय (iii) खारिज

(ii) वापस लेना / निपटान (iv) अस्वीकरण / विचार योग्य नहीं

कोष्ठक में आंकड़े निपटाई गई संबंधित शिकायतों का प्रतिशत दर्शाती है।

भाग – III
प्राधिकरण के वैधानिक और विकास कार्य

बीविविप्रा अधिनियम, 1999 (आईआरडीए एक्ट) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय को विनियमित करने, उनका संवर्धन करने तथा उनकी यथाक्रम वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य कर्तव्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त धारा की उपधारा (2) प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है। वार्षिक रिपोर्ट का अध्याय III प्राधिकरण की उन गतिविधियों को समाविष्ट करता है जो अपने कार्य करते समय और अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय 2014–15 में प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न की गई है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करना, नवीकृत, आशोधित, प्रत्याहरित, लंबित अथवा ऐसे पंजीकरण को निरस्त करना

III.1.1 बीमा कंपनियों के पंजीकरण, उनके पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण, आशोधन और निलंबन को प्राथमिक रूप से समय–समय पर यथासंशोधित बीविविप्रा (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है।

III.1.2 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण ने किसी भी बीमा कंपनी के लिए पंजीकरण के नए प्रमाणपत्र जारी नहीं किए। सभी वर्तमान जीवन और गैरजीवन बीमा कंपनियों को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3ए के अनुसार किया गया है।

III.1.3 निरीक्षण विभाग में अनुपालन विंग फरवरी 2014 में स्थापित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, साइट पर विनियमित संस्थाओं के निरीक्षण करना निरीक्षण विंग की जिम्मेदारी है। निरीक्षण की गई संस्थाओं की पूरी रिपोर्ट की टिप्पणी/अनुपालन को अग्रेषित किया जाता है और उसके अंत में निरीक्षण रिपोर्ट को अनुपालन विंग को पारित किया जाता है। निरीक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/शिकायतों के अनुपालन विंग में विश्लेषण किये जाते हैं। अनुपालन विंग द्वारा अंतिम कार्यवाही की प्रस्तवित रिपोर्ट को 10 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी / निविष्टियाँ के लिए पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) को विचार करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। डब्ल्यूटीएम से टिप्पणी को देखने के बाद, कार्यवाही की प्रस्तावित रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार सभी निरीक्षण रिपोर्ट को कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई, अंतिम कार्यवाही जैसे–जुर्माना, चेतावनी आदि के माध्यम से बंद किया जाता है। अनुपालन विंग का जनवरी 2015 में प्रवर्तन विभाग के रूप में नामकरण किया गया था और इसका अलग विभाग बनाया गया। भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर 2014 को बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेशए 2014 प्रख्यापित किया गया था जिसे बाद में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 में परिवर्तित किया गया और दोनों को संसद में पारित किया गया तथा अंत में 22 मार्च 2015 को लागू किया गया था। इसके अनुसार दंड प्रावधानों को संशोधित किये गये थे और अधिनियम की कुछ धाराओं के संबंध में न्याय निर्णयन की प्रक्रिया के द्वारा दंड लगाए गए। आईआरडीएआई में कम से कम संयुक्त निदेशक के स्तर पर अधिकारी को न्याय करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। दंड की मात्रा पर निर्णय लेने से पहले अधिनियम में दिए गए बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। आईआरडीए के आदेश के विरूद्ध अपील को एसएटी के लिए असत्य होंगी। मौद्रिक दंडों का विवरण संलग्नक 10 में दिए गए हैं।

III.1.4 बीमाकर्ताओं पर लागू किये गये मौद्रिक अर्थ दंड के अतिरिक्त, अनुपालन न करने वाली संस्थाओं पर भी दंडात्मक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने ऐसी विनियमित संस्थाओं को भी चेतावनी, विशिष्ट आदेश/निर्देश जारी किए जो विनियामक शर्तों का अनुपालन न करते हुए पाई गईं।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा संबंधी दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य और बीमे की संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रय और दावे आदि के समय बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए विभिन्न करने योग्य और न करने योग्य कार्यों की व्यवस्था करते हुए विनियम बनाए हैं। उक्त विनियिमों के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को सेवा प्रदान करने के लिए समय–सीमाएं निर्धारित की गई है। इसके अलावा, इन विनियमों के अंतर्गत बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया गया है कि उनके यहां पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी व्यवस्था विद्यमान हो। प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से जीवन ओर गैर जीवन बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों के लिए एक ''शिकायत कक्ष'' स्थापित किया है। निर्धारित समय के अंदर बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों का निवारण करवाने के लिए पॉलिसीधारकों की सहायता करने में एक सुसाध्यकारी सहायक की भूमिका अदा करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण शिकायतों के लिए कारणभूत अंतर्निहित मुद्दों का परीक्षण भी एक निरंतर आधार पर करता है तथा संबद्ध प्रणालीगत समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कार्य करता है। प्राधिकरण ने परिपत्र सं. 3/सीए/जीआरवी/ वाइपीबी/10–11 दिनांकित 27.07. 2010 में बीमा कंपनियों द्वारा शिकायत निवारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें सभी बीमा कंपनियों द्वारा शिकायत निवारण नीति और पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के लिए निगमित प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों को के रूप में एक बोर्ड को मंजूरी दे दी। इन दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण प्रक्रियाएं, टर्न अराउंड टाइम और गिरी हुई परिस्थितियां जिसमें शिकायत को बंद जैसा व्यवहार किया जाता है, का उल्लेख किया गया है।

III.2.2 प्राधिकरण ने सभी जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों को सूचित किया है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पॉलिसी में विनिर्दिष्ट समय के बाद सूचित अथवा प्रस्तुत किये गये वास्तविक दावों को अस्वीकृत न करें। सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब की वजह से दावे को अस्वीकृत करने के लिए बीमाकर्ता के निर्णय को सुदृढ़ तर्क तथा विधिमान्य कारणों पर आधारित होना होगा क्योंकि समय–सीमा का खंड न तो सम्पूर्ण है और न ही वह पृथक्करण में सही साबित होता है। इस स्थिति के होते हुए बीमाकर्ता तब तक किसी दावे को अस्वीकार नहीं करेगा जब तक विलंब के लिए कारण विशिष्ट रूप से मालूम न किये जाएं, दर्ज न किये जाएं तथा बीमाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो कि उन दावों को अन्यथा भी अस्वीकृत किया जाता भले ही उन्हें समय के अंदर क्यों न सूचित किया गया हो।

III.2.3 सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा मोटर अन्य पक्ष बीमे के दावेदारों की सहायता करने की दृष्टि से मोटर वाहनों कि बीमा स्थिति से संबंधित सुचना ब्यूरो के माध्यम से एक वेब आधारित सुविधा की व्यवस्था की है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को वाहन, बीमे की स्थिति और पॉलिसी जारी करने के कार्यालय के पते का ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

III.2.4 जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में सेवा प्रदान करने में बीमा एजेंटों के निर्गम के कारण उतपन्न अंतराल को ध्यान में रखते हुए एवं बीमा पॉलिसियों की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए भी प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि बीमा कंपनियां व्यपगत असहाय जीवन बीमा पॉलिसियां उन वैयक्तिक बीमा एजेंटों को आवंटित करें जिनका लाइसेंस प्रचलन में हो। आवंटिती एजेंट का ब्यौरा बीमाकर्ता द्वारा संबंधित पॉलिसीधारक को सूचित किया जाएगा।

III.2.5 जहाँ एक ओर स्वास्थ्य बीमा में तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पॉलिसी की मुख्य शर्तों की परिवर्ती व्याख्याओं के संबंध में शिकायतें हैं। संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक की अनुशंसा का समाधान करने के लिए प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सामान्य रूप से प्रयुक्त 46 शब्दों की परिभाषा, 11 गंभीर बीमारियों के नामों और उनकी व्याप्ति तथा क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के अंतर्गत अपवर्जन योग्य व्ययों का मानकीकरण किया है। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2013 अधिसूचित किये गये हैं जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ स्वासयि पॉलिसियों के लिए 15 दिन की एक फ्री लुक अवधि, दावों पर निर्णय की सूचना देने के लिए अंतिम दस्तावेज के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की समय सीमा, वहनीयता से संबंधित उपबंध, मानक परिभाषाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित किये गये हैं।

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण का निर्धारण

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए अनुज्ञप्तिकरण और आचार संहिता को बीविविप्रा अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनाए गए विनियमों अर्थात् बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुज्ञप्तिकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएं और आचार संहिता) विनियम, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों का अनुज्ञप्तिकरण), 2000 तथा 2002, 2007 और 2013 में किये गये उसके परवर्ती संशोधनों एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंटों का अनुज्ञप्तिकरण) विनियम, 2002 और 2010 में किये गये उसके संशोधन में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है।

III.3.2 प्राधिकरण ने दिनांक 3 जुलाई 2009 के परिपत्र सं. आईआरडीए/एजेंट्स/ओआरडी/17/जुलाई 2009 द्वारा निगमित बीमा कार्यपालकों तथा एजेंटों के प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय की अर्हताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 14 जुलाई 2005 के परिपत्र सं. 017/आईआरडीए/परिपत्र/सीए दिशानिर्देश/2005 के अनुसार निगमित एजेंटों के अनुज्ञप्तिकरण के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किये हैं।

III.3.3 विनियामक पर्यवेक्षण को आगे और सुदृढ़ बनाने के लिए प्राधिकरण के द्वारा निम्नलिखित विनियामक रूपरेखा निर्धारित की गई है :

1) निगमित एजेंटों के लिए निर्धारित विनियामक ढांचे का पालन न करने के लिए विनियामक उपबंध सम्मिलित करने हेतु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंटों का अनुज्ञप्तिकरण) विनियम, 2002 में आगे और संशोधन करने के लिए विनियम अर्थात् बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंटों का अनुज्ञप्तिकरण) (संशोधन) विनियम, 2010.

2) बीमाकर्ताओं और रेफरल कंपनियों के बीच तालमेल को सरल बनाने के लिए बीविविप्रा (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस का आदान–प्रदान) विनियम, 2010. इसमें रेफरल संस्थाओं को देय पारिश्रमिक की उच्चतम सीमाएं तय की गई हैं तथा वह रूपरेखा भी निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत रेफरल संस्थाओं और बीमाकर्ताओं को बीमा व्यवसाय का संचालन करना होगा।

3) एक बीमाकर्ता से अन्य बीमाकर्ता के पास निगमित एजेंटों के अंतरण हेतु क्रियाविधि को कारगर बनाने के लिए दिनांक 7 जून 2010 का परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/092/06/2010 और दिनांक 25.07.2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/142/07/2013 उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार प्राधिकरण ने एक वर्ष से कम सेवा रखने वाले एजेंटों को अन्य बीमाकर्ता के पास स्थानांतरण की मांग करने से बाधित किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गम हेतु बीमाकर्ता के नामित व्यक्तियों के लिए समय सीमा भी अनिवार्य कर दी है जिसका पालन न करने पर एनओसी के लिए अनुरोध करने की तारीख से एक महीना व्यतीत होने पर यह मान लिया जाएगा कि एजेंट को एनओसी जारी कर दिया गया है।

4) बीमाकर्ता द्वारा निगमित एजेंटों के निरीक्षण के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/093/2010.

5) दिनांक 03.06.2010 और 29.07.2013 के परिपत्रों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन एजेंट प्रशिक्षण संस्थानों की नई/नवीकृत मान्यता के लिए लागू मानक अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किये।

6) बीमा एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों से प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क की सिफारिश करने और उपर्युक्त भर्ती–पूर्व परीक्षा का संचालन करने के लिए आईआईआई और एनएसई–आईटी के बीच वित्तीय व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन करने वाला आदेश सं. आईआरडीए/एजीटीएस/ओआरडी/टीआरएनजी/109/07/2011.

7) जारी परिपत्र आईआरडीए/सिएजीटीएस/जीटीएल/एलसीई/06/2010/106 कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस जारी करने ध नवीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे

बिछाने 2010/06/28 दिनांकित। प्राधिकरण / देने कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस का नवीकरण से पहले अपनी पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट नामित व्यक्तियों अनिवार्य कर दिया है ऊपर परिपत्र सं।

8) प्राधिकरण के डेटाबेस से 4261 निगमित एजेंसी लाइसेंसी को वापस लेते हुए 8 जून 2010 का एक अधिसूचना जारी किया क्योंकि 31 मार्च 2010 को वे व्यपगत स्थिति में थे।

9) उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों, जो निगमित एजेंटों/दलालों के रूप में पहले से ही नियुक्त हैं, से निगमित एजेंसी लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 2 मार्च 2010 के परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/039/03/2010 द्वारा दिशानिर्देश जारी किये।

10) दिनांक 7 दिसम्बर 2011 के परिपत्र के अनुसार एजेंट प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन/नवीकरण के लिए मानक अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एजेंट प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य में केवल गंभीर व्यावसायिक व्यक्ति ही प्रवेश करें।

11) एकीकृत स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपने उत्पादों के वितरण हेतु अन्य जीवन और/या गैर जीवन बीमा कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हुए दिनांक 18 फरवरी 2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए/सीएजीटीएस/जीडीएल/028/02/2013 जारी किया।

12) कृषि बीमा कंपनी को अपने उत्पादों के वितरण हेतु अन्य जीवन और/या गैर जीवन बीमा कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हुए 11 सितम्बर 2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए / डीआईएसटी / जीडीएल / एमआईएससी/183/09/2013 जारी किया।

13) एजेंसी वितरण विभाग ने निगमित एजेंसी लाइसेंसी के निर्गम/नवीकरण हेतु पूर्व–अनुमोदन प्रदान करने से संबद्ध प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है। यह स्वचालित प्रणाली 01.09.2013 से विद्यमान है। यह नई प्रणाली क्रियाविधि के सुचारू प्रवाह एवं कठोर समुचित सावधानी को सुनिश्चित करती है।

14) परिपत्र कोई तारीखरू आईआरडीए /एजीटी/ जीडीएल / सिआईआर/ 50 प्रतिशत के पहले बेंच मार्क से 35 प्रतिशत करने के लिए एजेंट के पूर्व भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने का बेंच मार्क को कम करने 30.05.2013 दिनांकित /2013 108/05। ऊपर रियायत सीआईआई और बीमा एजेंसी के लिए बाजार में उपलब्ध उम्मीदवारों की दक्षताओं द्वारा विकसित आईसी–33 पुस्तक के मानक का औचित्य साबित करने के लिए दिया गया था।

15) एक वर्ष से अधिक समय के लिए व्यपगत स्थिति में रहने के कारण पोर्टल में अभिलिखित रूप में स्थित एजेंसी लाइसेंसी का नवीकरण करने के लिए बीमाकर्ताओं को अनुमति देते हुए दिनांक 03.04.2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए/एजीटी/जीएलडी/सीआईआर/66/04/2013 जारी किया। यह अनुमति व्यपगत लाइसेंस रखने वाले एजेंटों को पुनः बीमा उद्योग में वापस आने का एक अवसर प्रदान करने के लिए दी गई।

16) गैरजीवन बीमा एजेंटों की भर्ती–पूर्व परीक्षा के लिए नए आईसी–34 पाठ्यक्रम को अधिसूचित करते हुए दिनांक 28.01.2014 का परिपत्र सं. आईआरडीए / एजीटीएस / एमआईएससी/सीआईआर/041/01/2014 जारी किया।

17) जीवन बीमा एजेंटों की भर्ती–पूर्व परीक्षा के लिए नए आईसी–33 पाठ्यक्रम को अधिसूचित करते हुए दिनांक 11.06.2014 का परिपत्र सं. आईआरडीए / एजीटीएस /सीआईआर/एलसीई/164/07/2014 जारी किया।

18) बीमा एजेंटों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश, 2015 जिसे बलपूर्वक दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी करते हुए अधिसूचना दिनांक 16.03.2015 के परिपत्र सं. आईआरडीए/एजीटीएस/सीआईआर/जीएलडी/046/03/2015 जारी की।

19) परिपत्र सं. आईआरडीए /एजीटीएस /सीआईआर / जीएलडी/ 081/04/2015 दिनांक 22.04.2015 के अनुसार आईसी–32 की नई पाठ्यक्रम सामग्री की शुरूआत की गई जिसे 01.07.2015 से प्रभावी किया। उम्मीदवार जो आईसी–32 में योग्य है वह स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अध्याय शुरूआत 01.07.2015 से प्रभावी।

दलाल के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं :

III.3.4 बीमा दलाल की परीक्षाओं के संचालन को 16 जून 2014 से ऑनलाइन कर दिया गया है। एनएसईआईटी के सहयोग के साथ एनआईए, पुणे इन परीक्षाओं का संचालन देश भर में ऑनलाइन करता है। प्रशिक्षण की अनवार्य आवश्यकता को भी ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे प्रशिक्षण की लागत में उल्लेखनीय कमी हुई है। यह जून 2015 से उपलब्ध है। वर्तमान में भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई में बीमा विपणन फर्म का बीमा ब्रोकरों के लिए प्रशिक्षण के साथ ही कर्मचारियों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत जल्द ही बीमा दलालों के अनिवार्य नवीकरण प्रशिक्षण को भी ऑनलाइन करने पर विचार किया गया है। बीमा ब्रोकरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सुधार में प्राधिकरण के प्रयासों के साथ–साथ सभी हितधारकों से प्राप्त किया गया है और सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण के लिए नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है।

आईएमएफ के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा

III.3.5 प्राधिकरण ने पूर्वक्षण आईएमएफ के लिए मुख्य अधिकारियों और बीमा बिक्री व्यक्तियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई को स्वीकृति दी है। आईएमएफ का पाठ्यक्रम व्यवसाय आवश्यकताओं के आधार पर होता है। मॉड्यूल ऐसे डिजाइन किये जाते हैं ताकि उम्मीदवार कम्प्यूटर पर डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री डाउनलोड कर सकता है। प्रत्येक पाठ के अंत में, स्व–मूल्यांकन परीक्षण उपलब्ध हैं और उनको उम्मीदवार को ही पूरा करना होता है। इसको पूरा करने के लिए एक घंटा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के घंटों की अपेक्षित संख्या पूरी होने के बाद, उम्मीदवार की पात्रता के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिससे एनआईए, पुणे को ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार सक्षम बनाता है।

III.3.6 आईएमएफ ऑनलाइन परीक्षा एनएसई–आईटी के सहयोग से राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में 5 जगह होती है। मुख्य अधिकारी के लिए उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता 50 प्रतिशत है जबकि आईएसपी के लिए 35 प्रतिशत है।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए विनियामक रूपरेखा विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (अनुज्ञप्तिकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएं और आचार संहित) विनियामक, 2000 के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। विनियम 13 अन्य बातों के साथ–साथ यह कहता है कि :

- सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का प्रमुख कर्तव्य और दायित्व किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होने वाली हानियों के संबंध में जांच पड़ताल करना, प्रबंध करना, परिमाणन करना, प्रमाणीकरण करना और कार्रवाई करना तथा उस पर रिपोर्ट करना होगा।

- सभी लाइसें प्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक इन विनियमों में परिकल्पित, आचार संहित का कड़ाई से पालन करते हुए सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे।

  उनके व्यावसायिक कार्य के संचालन के लिए व्यावसायिक और नैतिक अपेक्षाओं के संबंध में आचार संहिता उक्त विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम 15 में उक्त संहिता का विस्तार पूर्वक वर्णन है जो यह निर्धारित करती है कि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक :

- व्यावसायिक कार्यों में नैतिकतापूर्वक और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;

- व्यावसायिक और कारोबारी निर्णय में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा;

- बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में उस बीमाकर्ता से प्राप्त अनुदेशों पर कार्य करते समय निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा; तथा

- अपना कार्य करने के दौरान अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ शिष्टता और सुविचारता पूर्वक आचरण करेगा आदि।

उक्त आचार संहिता में यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षक ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार अथवा निष्पादित नहीं करेगा जिसे करने

के लिए वह सक्षम न हो, जब तक कि उक्त कार्य करने के लिए उसे समर्थ बनाने वाला कुछ परामर्श और सहायता उसे प्राप्त न हो और अपना व्यावसायिक कार्य समुचित सावधानी, चिंता और कुशलता के साथ तथा तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव का उचित ध्यान रखते हुए करेगा।

III.4.2 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण ने बीविविप्रा (पॉलिसीधारकों का हित संरक्षण) विनियम, 2002 बनाये हैं। उक्त विनियमों के विनियम 9 के अंतर्गत सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों द्वारा गैर जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों का निपटारा करते समय आचार संहिता का पालन करने पर और अधिक जोर दिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण ने निम्नलिखित परिपत्रों/आदेशों को जारी किया :

- बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की भारतीय संस्थान (आईआईआईएसएलए) की परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति पर दिनांक 11 अगस्त 2014 को आदेश सं. आईआरडीए / एसयूआर / एमआईएससी /ओआरडी/189/2014 जारी किया। इस आदेश के अनुसार श्री के.वी. कृष्णन, साधारण बीमा परिषद को आईआईआईएसएलए के पूर्ण परिषद चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

- अनुज्ञप्तिकरण और नवीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली के लिए सूचना सं. आईआरडीए / एसयूआर / एनटीसी / एमआईएससी/269/12/2014 को 23 जनवरी 2015 को जारी किया गया। इस सूचना के अनुसार सभी सर्वेक्षकों को आईआईआईएसएलए सदस्यता के विवरणों के साथ–साथ लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सूचना देना था। इसके अनुसार, सर्वेक्षक विभाग नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का सम्पर्क विवरण दिया जाना और सूचना के लिए उचित शुल्क को भी प्रकाशित किया गया था।

- हितधारकों की टिप्पणी/सुझावों के लिए सर्वेक्षक और हानि निर्धारक विनियम 2015 का एक्सपोजर ड्राफ्ट दिनांक 7 अप्रैल 2015 किया। फलस्वरूप मौजूदा बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक विनियम में महत्वपूर्ण बदलाव कर बीमा अधिनियम 1938 के बीमा कानून संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 64 यूएम को संशोधित कर प्रकाशन किया गया था। तदनुसार, सर्वेक्षक विनियम में संशोधन किए गए थे और हितधारकों और सार्वजनिक से टिप्पणियों और सुझावों के लिए वेबसाइट पर रखा गया था।

- आईआईआईएसएलए की सदस्यता के साथ सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों (व्यक्तिगत और निगमित) को वेबलिस्ट पर दिनांक 10 अप्रैल 2015 को आदेश सं. आईआरडीए / एसयूआर/आरईजी/ ओआरडी / 071 / 04/2015 जारी किया गया था। सर्वेक्षक और बीमा कंपनियों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, आईआईआईएसएलए सदस्यता के साथ व्यक्तिगत और निगमित सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के विवरण और पात्र विभागों को वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया और ''##' चिन्ह से टिक किया गया। सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को सर्वे कार्य आवंटन के प्रयोजनों के लिए अंडरराइटर्स/बीमा कंपनियों को लाइसेंस के साथ–साथ अपने आईआईआईएसएलए सदस्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी सलाह दी गई थी।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्य कुशलता का संवर्धन

बीमा संग्राहक प्रणाली

III.5.1 बीमा पॉलिसियों के अभौतिकिकरण के लिए बीमा संग्राहक प्रणाली, प्राधिकरण की एक शुरूआत है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण ने अप्रैल 2011 में बीमा संग्राहकों पर और बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक जारी करने के लिए दिशानिर्देशों को जारी किया है। प्राधिकरण ने बीमा संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए पांच संस्थाओं को पंजीकरण का प्रमाण पत्र देकर अधिकार दिया है।

III.5.2 प्राधिकरण ने मौजूदा प्रणाली को बढ़ाने और बाजार की प्रवृत्ति को समझने के लिए ''बीमा संग्राहक प्रणाली की मार्गदर्शी प्रमोचन पर दिशानिर्देश'' जारी किए हैं। इस पहल पर प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी और लगभग 1.8 लाख ईआईए (इलेक्ट्रॉनिक बीमा लेखा) खोले गए हैं। इसके अलावा, लगभग 50000 पॉलिसीधारकों ने अपनी हार्ड कॉपी को इलेट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कराने के लिए रूचि दिखाई।

III.5.3 ''बीमा संग्राहक और बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक जारी करने पर संशोधित दिशानिर्देश'' को प्राधिकरण ने मई

तालिका III.1 प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बीमा संग्राहक
(31 मार्च 2015 के अनुसार)

क्र.सं.	नाम
1	राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी संग्राहक, एनएसडीएल डाटाबेस मेनेजमेंट लिमिटेड
2	केन्द्रीय बीमा संग्राहक लिमिटेड
3	सीएएमएस संग्राहक सर्विसेस लिमिटेड, चैन्नई
4	एसएचसीआईएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नवी मुम्बई
5	कार्वी बीमा संग्राहक लिमिटेड, हैदराबाद

2015 में जारी किया। वर्तमान में कुल 7,41,481 इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाते हैं और 3,38,065 पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रुप में परिवर्तित किया गया है।

स्वीकृत बीमा संग्राहकों की सूची (तालिका **III.1**) में दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रशासन और निपटान प्रणाली

III.5.4 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रशासन और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस) एक क्लियरिंग हाउस प्रणाली है, जो सहबीमा और पुनर्बीमा लेनदेन से संबंधित दस्तावेज और लेखा विवरणों की साझेदारी की सुविधा तथा अंतर–इकाई की शंष राशि का आसान सुलह सहायता करने के लिए बनाया गया है।

III.5.5 इस प्रणाली से उत्पादों को, सहबीमा और पुनर्बीमा लेनदेन के संचालन में तेजी से निपटान, अधिक से अधिक अनुशासन और दक्षता भी हासिल किया जाएगा। प्राधिकरण ने ईटीएएसएस के विकास और लागू करने की जिम्मेदारी सामान्य बीमा परिषद (जीआई) को सौंपी है।

III.5.6 चूंकि विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा और समय नष्ट करना है, सहबीमा का मुख्य बिन्दु लेनदेन है जिसमें भारतीय बीमा कंपनियां प्राथमिकता के आधार पर शामिल हैं और अंतर–कंपनी की शेष राशि के लिए पुनर्बीमा लेनदेन पर काफी योगदान किया जाता है। इसके अलावा, सहबीमा के क्षेत्र में, 'आग' लाइन ऑफ बिजनिस (एलओबी) जिसका प्रारंभिक चरण के दौरान विकास और कार्यान्वयन के लिए सहबीमा लेनदेन के लिए बहुत बड़ा योगदान है।

ईटीएएसएस प्रणाली के विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन के दौरान साधारण बीमा परिषद ने गैर–जीवन बीमा कंपनियों को शामिल किया है। इसके पहले चरण में, ईटीएएसएस को 'आग' सहबीमा लेनदेन को समर्थन के लिए बनाया गया और औपचारिक रूप से 27 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। ईटीएएसएस के सुचारू संचालन के लिए और इसके निरंतर विकास और संरक्षण के लिए प्राधिकरण ने 11 मई 2015 को 'ईटीएएसएस प्रशासन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआई) ने 'प्रशासक' बनाया है जिसे सहबीमा व्यवसाय की अन्य लाइनों और बाद में पुनर्बीमा की आवश्यकताओं के सहयोग के लिए इस प्रणाली का विस्तार करने के लिए ईटीएएसएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

साधारण बीमा परिषद ने जल्द ही विस्तृत परियोजना लाने की उम्मीद की है। प्रणाली लागू होने से, ईटीएएसएस निपटान करने में सहयागी होगी तथा बीमा कंपनियों, पुनर्बीमा और बिचौलियों के बीच लेनदेन करने में सहयोगी होगी।

डेटा मानक

III.5.7 प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में कई संस्थाओं के आईटी सिस्टम के आसान इंटरफेसिंग की सुविधा के लिए डेटा मानकों के संकलन का कार्य शुरू कर दिया था। डेटा मानकों को जानकारी के आदान–प्रदान के लिए आम परिभाषा के बारे में लाया जा रहा है। यह संगठन के अंदर और बाहर दोनों तरफ कई प्रणालियों को इंटरफेस को असान करने में मदद करता है।

III.5.8 बीमा संग्राहक प्रणाली का समर्थन करने के क्रम में, क्षेत्र परिभाषाओं, क्षेत्र गुण और संदेश की सामग्री को मानक एक्सटेंसिंबल मार्कअप लैंग्वेज (एक्सएमएल) स्कीमा बनाया जा रहा है, पूर्व में जीवन खंड के लिए कार्यरत खिलाड़ियों के लिए डेटा के आदान–प्रदान के लिए साझा किया गया था। इसी प्रकार, स्कीमा को व्यवसाय की स्वास्थ्य और मोटर लाइन की आवश्यकताओं को सहायक करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। ये स्कीमा बीमा संग्राहक प्रणाली में गैर–जीवन लेने–देनों की व्यक्तिगत लाइनों के लिए सहायता करेगा। स्कीमा को जल्द ही गैर–जीवन व्यवसाय की अन्य लाइनों के लिए सहायता करने के लिए तैयार किया जाएगा ताकि आईआर प्रणाली पर गैर–जीवन बीमाकर्ताओं को ऑन–बोर्डिंग पूरी तरह सक्षम किया जा सके।

III.5.9 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

देश में वित्तीय सेवओं के उत्पादन से ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करना और वित्तीय वैश्वीकरण में अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ गुजरात में जीआईएफटी सिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) गठित की है। आईएफएससी के उद्देश्यों में से एक यह भी है कि एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जो नीति में नए विचारों के साथ नियंत्रित प्रयोगों का स्थान ले सके।

इसकी शुरूआती रूप में, भारत सरकार ने प्राधिकरण के नियामक को ध्यान में रखते हुए पुनर्बीमा की पहचान की थी। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र दिशानिर्देश, 2015 जारी किया था जो भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय के पंजीकरण और संचालन के लिए नियामक ढांचा सक्षम करने के लिए प्रदान करता है।

प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, दोनों भारतीय पंजीकृत बीमा कंपनियों/पुनर्बीमा कंपनियों के साथ ही बीमा कंपनियों/पुनर्बीमा को आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) की स्थापना करके विदेशी लेनदेन करने के लिए और घरेलू पुनर्बीमा व्यापार करने के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकरण करने के लिए सक्षम होगा।

आइआईओ पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पात्र होने के लिए विदेश पंजीकृत बीमा कंपनियों/पुनर्बीमा कंपनियों को अन्य मानदंडों के अलावा ₹ 10 करोड़ की सौंपी जाने वाली पूंजी का प्रदर्शन करना होगा और ₹ 5000 करोड़ की न्यूनतम निवल धनराशि के स्वामित्व वाले सक्षम होंगे।

भारत सरकार आईएफएससी में सक्रिय संस्थाओं के लिए अनेक प्रकार की छूट देती है। आईएफएससी इस प्रकार देश में ''पुनर्बीमा हब'' के निर्माण के लिए आवश्यक मंच प्रदान करेगा जहां घरेलू के साथा विदेशी पुनर्बीमा व्यापार लेनदेन किया जा सकता है।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ सम्बद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन

III.6.1 जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन गठित सांविधिक निकाय है, क्रमशः जीवन बीमा कंपनियों और गैरजीवन बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये परिषदें चर्चाओं, विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष प्रतिनिधित्व, बीमा संबंधी जागरूकता बढ़ाने, वर्तमान/प्रस्तावित विनियामक शर्तों संबंधी निविष्टियां उपलब्ध कराने के द्वारा उद्योग की सुचारू रूप से वृद्धि की दिशा में योगदान करती हैं। इन स्व–विनियामक निकायों का विकास महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में उनके विचार प्रस्तुत करने के द्वारा उद्योग के लिए अच्छा संकेत देता है।

इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए दलालों से यह आवश्यक रूप से अपेक्षित है कि वे भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.2 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित एक संस्थान है तथा यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान एक स्व–विनियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।

स्वास्थ्य बीमा फोरम

III.6.3 स्वास्थ्य बीमा फोरम जिसे मूल रूप से स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न हितधारकों से प्रतिनिधित्व करके 2 फरवरी 2012 को गठित किया गया था, इसे वित्तीय सेवा विभाग,

एमओएफ, जीओआई, अध्यक्ष इंडियन मेडीकल एसोसिएशन, महासचिव साधारण बीमा परिषद, अपोलो हॉस्पीटल हैदराबाद और भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कॉम से सदस्यों ने दिसम्बर 2014 के दौरान पुनर्गठन किया था। इसमें नए सदस्य मिलकर फोरम की कुल सदस्यता 24 थी।

III.6.4 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, फोरम की अगस्त 2014 और फरवरी 2015 में दो बार बैठक हुई। मंच की अगस्त 2014 के महीने में आयोजित बैठक के दौरान, अन्य बातों के साथ स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और क्रोनिक केयर और बुजुर्गों की देखभाल के लिए बीमा संरचना का वर्गीकरण के मामलों पर विचार–विमर्श किया गया। 'गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने' पर सरकार में तालमेल तथा पुनरावृत्ति और लागत में कमी की सुविधा के लिए विचार किया जा रहा है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए बीमा संरचना के संबंध में यह विचार किया गया था कि बढ़ती उम्र के दौरान देखभाल की लागत का बोझ प्रबंधनीय नहीं हो सकता है तथा यह सुझाव दिया गया था कि स्वास्थ्य देखभाल की ओपीडी लागत के लए प्रदाताओं को एक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

फरवरी 2015 में आयोजित बैठक के दौरान मंच ने अन्य बातों के साथ एफआईसीसीआई की अवधारणा 'नेटवर्क अस्पतालों का वर्गीकरण', सीआईआई की अवधारणा 'दावे और चिकित्सा मुद्रास्फीति पर विचार–विमर्श किया। मंच ने कुछ तथ्यों जैसे प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और संबंधित मूल्य वृद्धि, चिकितसा सेवाओं की उम्र पर निर्भर खपत आदि की पहचान करने के लिए आवश्यकता पर भी विचार–विमर्श किया। मंच के सदस्यों ने इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए फैसला किया।

मंच का सभी लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा कवरेज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के अनुरूप इस क्षेत्र पर आगे कार्य कर लक्ष्य है।

III.6.5 बीमा उद्योग के लिए एक सतत आधार पर प्रतिभा पूल की उपलब्धता के लिए की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से प्राधिकरण प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों प्रदान करने के लिए वर्ष 2002 में एक पेशेवर संस्थान, बीमा और जोखिम प्रबंधन (आई आई आर एम) के संस्थान की स्थापना बीमा और संबंधित विषयों। प्राधिकरण अपने प्रयासों में संस्थान का समर्थन करने के लिए जारी है।

III.6.6 प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों के कुशल संचालन के लिए और भी पॉलिसीधारकों के हित में, विश्वसनीय समय पर और सही तारीख है की आवश्यकता को स्वीकार किया है। विभिन्न हितधारक के लाभ के लिए उपलब्ध अनुवाद स्तर डेटा और प्रचार–प्रसार के लिए यह उपलब्ध लेन–देन के स्तर डेटा की प्रक्रिया और प्रक्रिया को, अधिकार प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का रूप है, प्रक्रिया और प्रचार–प्रसार में 2009 में बीमा की जानकारी ब्यूरो (आईआईबी) गठित बीमा उद्योग से संबंधित लेन–देन के स्तर का डेटा। 2012–13 में ब्यूरो यह एक अलग कानूनी इकाई बनाने के लिए एक समाज के रूप में पंजीकृत किया गया था।

III.6.7 प्राधिकरण ने भारत, रजिस्ट्री के लिए एक वैधानिक और पेशेवर शरीर की रजिस्ट्री के संस्थान की परिषद में वैधानिक प्रतिनिधित्व किया है। 1944 में स्थापित भारत के तत्कालीन एक्चुरियल सोसायटी 2006 में भंग कर दिया गया और भारत की रजिस्ट्री (आईएआई) के संस्थान भारत में रजिस्ट्री के पेशे के नियमन के लिए रजिस्ट्री अधिनियम, 2006 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद संस्थान के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क और अन्य प्रभार

III.7.1 बीमाकर्ताओं और बिचौलियों के लिए शुल्क संरचना संलग्नक–2 में दर्शाई गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों तथा बीमा व्यवसाय के साथ सम्बद्ध अन्य संस्थाओं से सूचना मांगना, उनका निरीक्षण करना, जांच संचालित करना तथा लेखा परीक्षा सहित अन्वेषण करना

III.8.1 प्राधिकरण, विनियमित संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के पालन के संबंध में अपना प्रत्यक्ष (ऑन–साइट) पर्यवेक्षण निरीक्षण विभाग के माध्यम से संचालित करता है। इस प्रकार निरीक्षणों का लक्ष्य उनके लाभार्थियों सहित वर्तमान और भावी पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने का प्राधिकरण का लक्ष्य पूरा करना है।

III.8.2 आईआरडीए अधिनियम, 1999 बीमा कंपनियों, बिचौलियों, बीमा बिचौलियों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संस्थाओं की जांच सहित प्रत्यक्ष निरीक्षण संचालित करने के लिए वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम दो हिस्सों अर्थात परोक्ष निगरानी और प्रत्यक्ष निरीक्षण से युक्त दृष्टिकोण शामिल है। निरीक्षण के लिए नीतिगत दृष्टिकोण के आधार पर, बीमा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की वित्तीय और सांख्यिकीय सूचना के परोक्ष विश्लेषण के परिणाम तथा प्राधिकरण में अन्य कार्यात्मक विभागों से संग्रहीत सूचना के आधार पर विनियमित संस्थाओं का उनके सीान पर व्यापक संकेद्रत निरीक्षण संबंधित अभिलेखों, लेखा–बहियों और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच–पड़ताल द्वारा उनके कार्य–संचालन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। आकार, कारोबार के मिश्रण का स्वरूप, विभिन्न आंतरिक प्रक्रियाओं की जटिलता, वितरण प्रणाली, प्रवर्तकों/निदेशकों की जोखिम–वहन क्षमता, व्यवसाय की आयोजना, जोखिम प्रबंध और कंपनी अभिशासन का ढांचा तथा जोखिम की समग्र रूपरेखा जैसे मनदंडों के आधार पर निरीक्षण की गई संस्था के विशेष लक्षणों के मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरीक्षण संबंधी मानक मार्गदर्शक लेख उपयुक्त रूप से व्यवहार में लाए जाते हैं।

III.8.3 2014–15 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने 66 निरीक्षणों का आयोजन किया जिनमें से 18 बीमा कंपनियों (5 जीवन बीमा कंपनियों और 13 गैर–जीवन बीमा कंपनियों), 27 दलाल, 6 टीपीए, 9 कॉर्पोरेट एजेंट थे, 2 वेब एग्रीगेटर और 4 इकाई बिना लाइसेंस थे। 5 जीवन बीमा कंपनियों में से 2 के व्यापक निरीक्षण किए गए थे और शेष 3 निरीक्षण संकेंद्रित किये गये थे। इसी तरह, 13 निरीक्षण गैर–जीवन कंपनियों के किए, 4 का व्यापक निरीक्षण किया था और 9 निरीक्षण संकेंद्रित किए। गैर–जीवन बीमा कंपनियों के निरीक्षण के तहत 3 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के व्यापक निरीक्षण किया जिसमें से एक कंपनी का व्यापक निरीक्षण और दो कंपनियों के निरीक्षण संकेंद्रित किए गए थे। लक्षित/संकेंद्रित निरीक्षणों में कुछ का संकेंन्द्रित क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की शिकायत निवारण तंत्र, बिचौलियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट वर्ग के लिए भुगतान, बाहरी संस्थाओं/पॉलिसीधारकों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त विशिष्ट शिकायतें आदि शामिल हैं। थीम आधारित निरीक्षण भी आयोजित किए गए थे उदाहण के लिए – पुनर्बीमा दलाल, वाहन व्यवसायियों और बैंकों की समूह कंपनियां आदि।

III.8.4 निरीक्षण के निष्कर्षों के शीघ्र निपटान को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2014 में अनुपालन खंड बनाया गया। यह विंग प्रवर्तन विभाग के लिए परिवर्तित हो गया और जनवरी 2015 में प्राधिकरण में प्रवर्तन विभाग की स्थापना की गई थी। बीमा संशोधन अधिनियम, 2015 में परिकल्पित अधिनिर्णय कार्यवाही जैसे कार्यों को करने के लिए प्रवर्तन विभाग की आवश्यकता की गई। इसके बाद, प्राधिकरण का प्रवर्तन विभाग निरीक्षण के निष्कर्षों के निपटान का कार्य करने के लिए, उन्हें लागू अधिनियम और विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करता है और किसी भी अन्य प्रवर्तन कार्यों के लिए जब जहां आवश्यकता होगी।

III.8.5 निरीक्षण के विभिन्न निष्कर्षों पर विनियामक कार्यवाही का निर्णय केवल निरीक्षित संस्था को अपने विचार/निवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर देने के बाद ही लिया जाता है। सभी मामलों में निरीक्षण रिपोर्टों के संबंध में उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष लेने के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किया जाता है।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित न किये जाने वाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली दरों, लाभों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन

III.9.1 मोटर अन्य पक्ष की बीमा–रक्षा को छोड़कर प्रशुल्क व्यवसाय के सभी वर्गों के लिए 1 जनवरी 2007 से गैरजीवन उद्योग द्वारा प्रशुल्क से मुक्त हो जाने (डी–टैरिफिंग) के साथ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वप्रथम कदम उठाये गये कि बीमा कंपनियों को उत्पादों के कीमत–निर्ध्धरण में स्वतंत्रता हो। मोटर अन्य पक्ष बीमा–रक्षा के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित एक सांविधिक बीमा रक्षा है, दरों, नियमों और शर्तों को निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्राधिकरण ने अपने पास रखी हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 15 अप्रैल 2011 के आदेश सं. आईआरडीए / एनएल / एनटीएफएन / एमओटीपी /066/04/2011 द्वारा यह अधिसूचित किया कि दर संशोधन के बीच लंबे अंतरालों के कारण पॉलिसीधारकों एवं बीमा कंपनियों पर परिहार्य दबाव आ जाता है तथा इसलिए उक्त दरों की समीक्षा और समायोजन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित फार्मूले के अनुरूप वार्षिक तौर पर किया जाएगा। निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रीमियम दरों में संशोधन को लागत स्फीति सूचकांक, औसत दावा राशियों, बारंबारता और मोटर टीपी व्यवसाय संबंधी सेवा प्रदान करने में निहित व्ययों के साथ संबद्ध कर दिया गया। 2015–16 के तृतीय पक्ष मोटर बीमा कवर के लिए संशोधित प्रीमियम दरों को 31 मार्च 2015 को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया था।

III.10 वह रूप और विधि विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा–बहियां रखी जाएंगी और लेखा–विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे

III.10.1 बीमाकर्ताओं की लंखा–बहियों और वित्तीय विवरणों का अनुरक्षण समय–समय पर यथासंशोधित बीविविप्रा (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लखा–परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अधीन तथा समय–समय पर किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित रूप में अन्य विधि द्वारा किया जाता है।

बिचौलियों के मामले में यह अपेक्षित है कि लेखा–बहियों और वित्तीय विवरणों का अनुरक्षण संबंधित विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में अन्य विधि द्वारा किया जाए।

जहां कहीं भी उस रूप और विधि के विषय में, जिसमें लेखा–बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, प्राधिकरण ने कोई विशिष्ट अनुदेश निर्धारित नहीं किये हैं, हवां कंपनी अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों के उपबंध लागू हैं।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन

III.11.1 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों का निवेश समय–समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000, द्वारा और समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है।

III.11.2 बाजार विकास की सुविधा :

वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण ने बाजार विकास के लिए निम्नलिखित चरणों का कार्य शुरू किया गया था :

1. बीमा कंपनियों को एक सीमा तक वित्तीय डेरिवेटिव में सौदा करने के लिए अनुमति दी तथा निश्चित आय डेरिवेटिव पर दिशानिर्देशों के अनुसार परिपत्र सं. आईएनवी/जीएलएन/008/2004–05 दिनांक 24/08/2004 के अनुसार थी। बदलते निवेश के माहौल, उत्पाद संरचना, अन्य नियामकों द्वारा दिशा–निर्देशों में परिवर्तन के साथ प्राधिकरण ने आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 15 के तहत पूर्व दिशानिर्देशों को वापस लेने की आवश्यकता महसूस की और ताजा मुद्दों के दिशानिर्देशों को परिपत्र सं. आईआरडीए/ एफएंडआई / आईएनवी / सीआईआर /138/06/2014 दिनांकित 11 जून 2014 में लंबी अवधि के ब्याज दर डेरिवेटिव की जरूरत को संबोधित करने के लिए जारी किया।
2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के शेयर बाजारों में समर्पित ऋण क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देशों के साथ, बीमा कंपनियों के लिए ऋण क्षेत्र में ट्रेडों से बाहर ले जाने के लिए शेयर बाजार को मंजूरी दे दी सेबी के एक मालिकाना व्यापार सदस्य बनने के लिए अनुमति दी गई।

III.11.3 2014–15 के दौरान वैकल्पिक निवेश साधनों को उपलब्ध कराना, प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को निम्नलिखित वैकल्पिक निवेश की अनुमति दीः

1. बीमा कंपनियों के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ''तटवर्ती रूपया बॉन्ड'' में निवेश करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई तथा आंतरिक वित्त निगम ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27ए(1)(एस) और सामान्य बीमा कंपनियों के लिए 27बी(1)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ''अनुमोदित निवेश) के रूप में संबंधित परिपत्र में शर्तों को उल्लेख किया।

2. इसके अलावा, बीमा कंपनियों के वित्तपोषण बुनियादी ढांचा और सस्ते आवास के लिए बैंकों द्वारा लम्बी अवधि बॉन्ड में निवेश की अनुमति के साथ–साथ ''बुनियादी ढांचा और आवास क्षेत्र'' को अनिवार्य करते हुए जोखिम आवश्यकताओं की दिशा में अनुमति दी गई।

III.12 ऋण शोधन क्षमता सीमा बनाए रखने को विनियमित करना

III.12.1 प्रत्येक बीमा कंपनी को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार एक आवश्यक ऋण शोधन क्षमता का बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बीमा कंपनी को आईआरडीए द्वारा निर्धारित एक राशि से कम नहीं की देनदारियों की राशि से अधिक की संपत्ति के मूल्य का रखना होगा, जिसे एक आवश्यक ऋण शोधन क्षमता के रूप में जाना जाता है। आईआरडीए (बीमा कंपनियों की संपत्ति, देनदारियों और ऋण शोधन क्षमता) विनियम, 2000 में आवश्यक ऋण शोधन क्षमता की गणना की विधि को विस्तार से वर्णित किया गया है।

III.12.2 जीवन बीमा कंपनियों के मामले में, न्यूनतम आवश्यक ऋण शोधन क्षमता रुपये पचास करोड़ (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके में पहुंचे। बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015, ऋण शोधन क्षमता के स्तर को शोधन के नियंत्रण स्तर के रूप में निर्दिष्ट करता है, जिसके उल्लंघन पर, प्राधिकरण वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए बीमा कंपनी को निर्देशित करेगा कि योजना की कमी को दूर करने के लिए एक निर्धारित अवधि छह महीने से अधिक नहीं में कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेगा।

III.12.3 गैर–जीवन बीमा के मामले में, प्राधिकरण ने अपेक्षित ऋण शोध क्षमता सीमा (आरएसएम) के परिकलन में परिवर्तन किये जो अधिकतम रूपये पचास करोड़ (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में रूपये एक सौ करोड़) का होगा; अथवा संगणित आएसएम–1 और आरएसएम–2 से उच्चतर राशि का होगा। आरएसएम–1 अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा है जो निवल प्रीमियमों पर आधारित है तथा इसका निर्धारण उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में किया जाएगा जो एक घटक से गुणा किये गये सकल प्रीमियमों और निवल प्रीमियमों से उच्चतर है। आरएसएम–1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए आवर्ती आधार पर पिछले 12 महीनों के प्रीमियम को हिसाब में लिया जाएगा। आरएसएम–2 निवल व्ययीकृत दावों पर आधारित अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता सीमा है, तथा इसका निर्धारण उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में किया जाएगा जो एक घटक से गुणा किये गये सकल व्ययीकृत दावों और निवल व्ययीकृत दावों से उच्चतर है।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन

III.13.1 आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 51(2) के अनुसार बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के पास भेजे जाएं तथा उक्त शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उक्त शिकायत की जांच पड़ताल कर सकता है और यदि आवश्यक पाया गया तो इन विनियमों के अनुसार जांच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.13.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने न्यायनिर्णयन के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

III.14 प्रशुल्क सलाहकार समिति (टीएसी) के कार्यचालन का पर्यवेक्षण

III.14.1 गैरजीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रशुल्क को 1 जनवरी 2007 से समाप्त करने के बाद गैर जीवन बीमा के क्षेत्र में

दरों, नियमों और शर्तों का नियंत्रण करने में प्रशुल्क सलाहकार समिति की विनियामक और प्रशासनिक भूमिका अस्तित्व में नहीं है। केन्द्र सरकार ने पांच साधारण बीमा कंपनियों के बीच प्रशुल्क सलाहकार समिति के वर्तमान कर्मचारियों के वितरण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयताओं और अधिशेष सहित कर्मचारियों के पुनर्वितरण के लिए एक समिति का गठन किया था। केन्द्र सरकार के आदेश ने प्रशुल्क सलाहकार समिति के अवशिष्ट कार्यकलापों और अदालती मामलों का कार्य बीविविप्रा को सौंप दिया है।

III.14.2 बीमा अधिनियम की धाराओं 64यू, 64युए, 64यूबी, 64यूसी, 64यूडी, 64यूई, 64यूएफ, 64यूजी, 64यूएच, 64यू–आई, 64यूजे, 64यूके और 64यूएल, जिन्हें बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत हटाकर ''टैरिफ सलाहकार समिति और टैरिफ दरों के नियंत्रण'' के संबंधित प्रावधानों को स्थापित किया गया।

धारा यूएलए में सम्मिलित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 64यूएलए. (1) इस भाग में निति किसी बात के होते हुए भी, जब तक धारा 64यूसी के अधीन सलाहकार समिति के द्वारा निर्धारित दरों, लाभों और शर्तों को प्राधिकरण द्वारा ऐसी तारीख से जैसी कि प्राधिकरण सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकता है, रद्द नहीं करता तथा उक्त दतें, लाभ और शर्तें संबंधित बीमाकर्ता द्वारा तय की जाती हैं, सलाहकार समिति द्वारा अधिसूचित उक्त दरें, लाभ और शर्तें प्रचलन में जारी रहेंगी तथा सदैव प्रचलन में विद्यमान समझी जाएंगी एवं ऐसी कोई भी दरें, लाभ और शर्तें सभी बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी। (2) प्राधिकरण केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करने के बाद प्रशुल्क सलाहकार समिति के वर्तमान कर्मचारियों के लिए उसका विघटन होने पर ऐसे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शर्तों पर जो वह आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है, एक योजना तैयार करेगा।

III.15 पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन हेतु योजनाओं के आर्थिक प्रबंधन करने के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना

III.15.1 प्राधिकरण ने पैरा (6) में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन हेतु योजनाओं का आर्थिक प्रबंधन करने के लिए बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है।

III.16 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना

III.16.1 आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र की ओर से बीमा कंपनियों के दायित्वों) विनियम, 2002 में निर्धारित दायित्व उन अपेक्षाओं को तय करते हैं जिनका पालन अपने परिचालनों के प्रथम पांच वर्षों के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के मामले में ये दायित्व इन क्षेत्रों में वर्ष 2001–02 में उनके कार्यनिष्पादन के साथ संबंद्ध किये गये हैं। 2007–08 में अधिसूचित संशोधनों के साथ निजी बीमाकर्ताओं के दायित्व उनके परिचालनों के दसवें वर्ष तक निर्धारित किये गये हैं। इसके साथ–साथ, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के दायित्वों का भी पुनरीक्षण किया गया है।

निजी बीमा कंपनियों के दायित्वों निम्नानुसार हैं :

III.16.2 ग्रामीण क्षेत्र

- जीवन बीमाकर्ता के संबंध में : पहले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लिखित कुल पॉलिसियों के सात प्रतिशत थे, दसवें वित्तीय वर्ष में बीस प्रतिशत के।
- गैर–जीवन बीमाकर्ता के संबंध में : पहले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लिखित कुल सकल प्रीमियम आय के दौ प्रतिशत थे, नौंवे वित्तीय वर्ष में सात प्रतिशत।

III.16.3 सामाजिक क्षेत्र

- सभी बीमाकर्ता के संबंध में : पहले वित्तीय वर्ष में पांच हजार जीवन से लेकर दसवें वित्तीय वर्ष में और उससे आगे पचपन हजार जीवन तक।

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, बीविविप्रा अधिनियम 1999 के प्रारंभ की तारीख की स्थिति के अनुसार विद्यमान बीमाकर्ताओं (चार गैर जीवन बीमाकर्ता और एलआईसी) के

संबंध में विनियमों में व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले बीमा व्यवसाय की मात्रा 31 मार्च 2002 को समाप्त लेखा–वर्ष के लिए उनके द्वारा दर्ज की गई मात्रा से कम नहीं होगी।

प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधन विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 तक और अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति इन बीमाकर्ताओं के दायित्व निम्नानुसार थे :

III.16.4 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)

(क) ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताएं

- वित्तीय वर्ष 2007–08 : 24 प्रतिशत, और

  वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 : उस वर्ष में प्रत्यक्ष लिखित कुल पॉलिसियों का 25 प्रतिशत।

- वर्ष 2009–10 के लिए लागू दायित्व उसके बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए भी लागू हैं।

(ख) सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं

2007–08 से 2009–10 तक के वर्षों के लिए बीस लाख जीवनों को बीमा रक्षा दी जानी चाहिए।

वर्ष 2009–10 के लिए लागू दायित्व उसके बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए भी लागू हैं।

III.16.5 गैर–जीवन बीमाकर्ता

(क) ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताएं

- वित्तीय वर्ष 2007–08 : छह प्रतिशत।

- वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 : उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लिखित कुल सकल प्रीमियम आय का सात प्रतिशत।

  वर्ष 2009–10 के लिए लागू दायित्व उसके बाद सभी वित्तीय वर्षों के लिए लागू हैं।

(ख) सामाजिक क्षेत्र बाध्यताएं

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए :

- वित्तीय वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक सामाजिक क्षेत्र में संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा सुरक्षा प्रदत्त जीवनों की संख्या का औसत अथवा
- 5.50 लाख जो भी अधिक हो।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में वास्तव में बीमा सुरक्षा प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 में से प्रत्येक वर्ष में बीमाकर्ताओं के दायित्व में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2009–10 के लिए लागू दायित्व उसके बाद के सभी वित्तीय वर्षों के लिए लागू हैं।

III.16. 6 इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म बीमा को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र संबंधी दायित्वों को सूक्ष्म बीमा विनियमों के साथ पंक्तिबद्ध करने की दृष्टि से अनुपालन के तरीके को सूक्ष्म बीमा विनियमों के साथ संबद्ध किया गया है। साथ ही, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने में बीमा कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए परिचालन स्थापित करने हेतु उन्हें समय प्रदान करने के प्रयोजन से विनियमों में संशोधन किये गये हैं। यह व्यवस्था की गई है कि उन मामलों में जहां बीमा कंपनी परिचालनों का प्रारंभ वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालनरत है :

- उक्त अवधि के लिए कोई भी ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र संबंधी दायित्व लागू नहीं होंगे, तथा

- विनियमों में निर्दिष्ट किये अनुसार वार्षिक दायित्वों की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा।

उन परिस्थितियों में जहां बीमा कंपनी अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रारंभ करती है, वहां पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे।

भाग–IV
संगठनात्मक मामले

IV.1 संगठन

IV.1.1 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को ''भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण'' के रूप में जाना जाएगा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(बी) में संशोधन के मद्देनजर चतुर्थ अध्याय, ''बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015'' की धारा 105 में देखते हुए।

IV.1.2 वर्ष 2014–15 के दौरान, श्री टी एस विजयन को भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, 21 फरवरी 2013 से प्रभावी है, जो लगातार जारी हैं। श्री आर के नायर, पूर्णकालिक सदस्य पद से 17 मार्च 2013 को प्राधिकरण की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गये हैं। 13 जनवरी 2015 से सुश्री पूर्णिमा गुप्ते को भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकिक) नियुक्त किया गया था। श्री एम रामप्रसाद, सदस्य (गैर–जीवन) और श्री डीडी सिंह, सदस्य (वितरण) को वर्ष के दौरान प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य होने के लिए जारी रखा गया।

IV.1.3 सीए मनोज फडनीस, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को 12 फरवरी 2015 से सीए के. रघु के स्थान पर प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य बनाया गया। श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय; प्रो. वीके गुप्ता, निदेशक, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) और श्री एसबी माथुर, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य होना जारी रहे।

IV.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.2.1 वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण की पांच बैठकें आयोजित हुईं। इसी अवधि के दौरान बीमा सलाहकार समिति की दो बैठकें भी आयोजित की गईं। जिनका विवरण निम्न है :

प्राधिकरण की बैठकें :

1. 27 मई 2014 को प्राधिकरण की 83वीं बैठक सम्पन्न हुई।
2. 4 जून 2014 को प्राधिकरण की 84वीं बैठक सम्पन्न हुई।
3. 25 सितम्बर 2014 को प्राधिकरण की 85वीं बैठक सम्पन्न हुई।
4. 23 दिसम्बर 2014 को प्राधिकरण की 86वीं बैठक सम्पन्न हुई।
5. 27 मार्च 2015 को प्राधिकरण की 87वीं बैठक सम्पन्न हुई।

बीमा सलाहकार समिति की बैठकें :

1. 20 सितम्बर 2014 को आईएसी की 24वीं बैठक सम्पन्न हुई।
2. 27 मार्च 2015 को आईएसी की 25वीं बैठक सम्पन्न हुई।

IV.3 मानव संसाधन

IV.3.1 आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या और अतिरिक्त संसाधनों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। 31.03.2015 को प्राधिकरण के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	श्रेणी	31.03.2014 को स्थिति	31.03.2015 को स्थिति
1	प्रथम	143	142
2	तृतीय	3	3

वर्ष 2014–15 के दौरान, सहायक निदेशक की श्रेणी में एक अधिकारी ने प्राधिकरण की सेवाओं से इस्तीफा दिया और 2014–15 के दौरान उस स्थान पर कोई भर्ती नहीं हुई।

• 31.03.2015 के अनुसार स्पेशल ड्यूटी पर अधिकारियों की संख्या 18 थी, प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी को शामिल होने के बाद।

2014–15 के दौरान निम्न पदोन्नतियां हुईं :

नियुक्ति के समय श्रेणी	पदोन्नत श्रेणी	पदोन्नत संख्या
उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	4
वरिष्ठ सहायक निदेशक	उप निदेशक	4
सहायक निदेशक	वरिष्ठ सहायक निदेशक	22
कनिष्ठ अधिकारी	सहायक निदेशक	4
सहायक	कनिष्ठ अधिकारी	24

- 26.08.2014 को गठित की गई शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य थे : श्री जस्टिस गोपाल राव, श्री आर. के. नायर सदस्य (एफ एंड आई), एमडी, आईआईआरएम और श्री जेडी (जनरल) संयोजक के रूप में।
- 28.08.2014 को श्री एम.एस. जया कुमार, उप निदेशक को मुख्य सुचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ किया था, जिनको भारतीय कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) और नेशनल क्रिटिकल इनफोर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंन्टर (एनसीआईआईपीसी) के साथ मिलकर कार्य करना था, सभी उपायों के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण जानकारी के बुनियादी ढांचे की रक्षा करती है।
- उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कानूनी और मानव संसाधन प्रत्येक क्षेत्रों के लिए प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार नियुक्त किया जाता है और वह जारी रहता है। बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सभी उपायों के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।

IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.4.1 महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से तथा यौन उत्पीड़न और उसके साथ संबद्ध मामलों की रोकथाम और शिकायतों के लिवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्यालय आदेश संदर्भ : बीविविप्रा/एडमिन/ओआरडी/पीईआर/41/3/2013 द्वारा 1 मार्च 2013 को महिला कर्मचारियों की शिकायतों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

IV.4.2 समिति ने कार्यशालाएं आयोजित करने, अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में कर्मचारियों को शिक्षित करने और समिति के सदस्यों के लिए अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की है।

IV.5 राजभाषा का प्रचार

IV.5.1 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी है। राजभाषा हिन्दी, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच, आईआरडीएआई के सभी क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताएं जैसे– आधिकारिक शब्द/शण्ड अनुवाद, पत्र और कार्यालय नोट्स, निबंध लेखन, आशु हिन्दी, हिन्दी कविता, गीत आदि हिन्दी पखवाड़े के उत्सव के दौरान आयोजित की गईं, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इन–हाउस जर्नल ''स्पंदन'' को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया था अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी। बीमा उद्योग के लिए आईआरडीएआई की मासिक पत्रिका एक अलग हिन्दी अनुभाग है।

IV.5.2 सभी दस्तावेज, संसद के पटल पर रखे, इसके अलावा द्विभाषी रूप में बाहर लाए थे। भारत के संविधान में निहित संघ की राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेश। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दायरे में आने वाले सभी दस्तावेजों यानी महत्वपूर्ण सूचनाएं/नियमों, परिपत्रों, आदेशों, प्रशासनिक और अन्य

रिपोर्टों, वार्षिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों, लाइसेंसों, अनुबंधों, समझौतों को द्विभाषी रूप में परिवर्तित किये गये थे। हिन्दी में लिखे गये पत्र, अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदनों को राजभाषा नियम के नियम 5 और नियम 7(2) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी में उत्तर दिये थे।

IV.5.3 राजभाषा विभाग ने ''हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान'' और ''तिमाही प्रगति रिपोर्ट'' से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन टूल विकसित किया है, जिसे आईआरडीए के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया और इसके अलावा क्लाउड कम्प्यूटिंग की मदद से प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी प्रमुख अधिसूचनाएं जो जन हित से संबंधित हैं, बीविविप्रा की वेबसाइट पर द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की जाती है। कार्यालय के सभी दावा फार्म और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन इंट्रानेट पर द्विभाषिक रूप में उपलब्ध कराई जाती है। राज भाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण सभी प्रयास कर रहा है।

IV.6 अनुसंधान और विकास

IV.6.1 विभाग वार्षिक रिपोर्ट तथा भारतीय बीमा सांख्यिकी संबंधी पुस्तिका जो समय श्रृंखला के डेटा से युक्त वार्षिक प्रकाशन है, के संकलन के लिए निरंतर केन्द्रीय स्थल बना हुआ है।

IV.6.2 वर्ष 2008 में भारतीय बीमा संबंधी पुस्तिका के पहले संस्करण के प्रकाशन के परिणामस्वरूप अनुसंधान और विकास विभाग उद्योग में विभिन्न हितधारकों की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इसके प्रकाशन के दायरे में निरंतर विस्तार कर रहा है। इस पुस्तिका का 7वां संस्करण मार्च 2014 में प्रकाशित किया गया; जिसमें 89 समय श्रृंखला डेटा सारणियां शामिल की गईं। विभाग इस पुस्तिका के 8वें संस्करण में इसकी व्याप्ति और विषय वस्तु में सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, जिसको दिसम्बर 2015 में जारी किये जाने की संभावना है।

IV.6.3 भारत सरकार ने दो उपसमितियों का गठन किया है, एक बीमा सेवाओं के लिए 'सेवा मूल्य सूचकांक' और दूसरा 'सेवा उत्पादन सूचकांक' के निर्माण के लिए गठित है। पहली उपसमिति (बीमा क्षेत्र हेतु सेवा मूल्य सूचकांक विकसित करने के लिए) दिसम्बर 2011 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई। दूसरी उपसमिति (बीमा क्षेत्र हेतु उतपादन सूचकांक के विकास के लिए) का गठन फरवरी 2012 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया।

31 मार्च 2015 तक संदर्भों के मामले में दिए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक उपसमिति की 5 बैठकें और सेवा मूल्य सूचकांक पर उपसमिति की 6 बैठकें आयोजित की गईं। बीमा मूल्य सूचकांक और बीमा उत्पादन सूचकांक के बीच मुद्दों की समानता को देखते हुए, दोनों समितियों की तीसरी बैठक को एक संयुक्त किया गया है। दोनों समितियों की रिपोर्ट को बाद के वर्षों में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

IV.7 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

इस वर्ष के दौरान मुख्य क्षेत्र सुनिश्चित करना था कि व्यवसाय विश्लेषणात्मक परियोजना जो आईआरडीए के आंकड़ों की आवश्यकता का ध्यान रखती है, और परिचालन विभाग के विभिन्न कार्यों जैसे– लाइसेंसिंग, उत्पाद दाखिल करना और विज्ञापनों को भी पूरी तरह स्वचालित करती है।

IV.7.1.1 व्यवसाय विश्लेषण परियोजना (बीएपी)

इस परियोजना के कई मॉड्यूल संबंधित उपयोगकर्ता समूह/परिचालन विभागों और अंत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण के द्वारा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) के सफल समापन के बाद इस वर्ष के दौरान परिचालन किए गए थे।

अब तक की गई प्रगति :

1. परियोजना विकास कार्यों को 90 प्रतिशत से अधिक पूरा किया गया।

2. निम्नलिखित मॉड्यूल्स वर्ष के दौरान परिचालन किए गए थे –

1 वित्त और लेखा जीवन

2 वित्त और लेखा गैर जीवन

3 एएएआर, एआरए और पुनर्बीमा रिटर्न्स की प्रस्तुति

4 कार्यालय दाखिल – गैर जीवन

5 विज्ञापन – जीवन

6 रिटर्न्स भरना – दलाल

7 रिटर्न्स भरना – स्वास्थ्य

8 रिटर्न्स भरना – गैर जीवन

9 विज्ञापन – गैर जीवन

10 उत्पाद दाखिल – गैर जीवन

11 रिटर्न्स भरना – जीवन

12 विज्ञापन – स्वास्थ्य

3. उक्त मॉड्यूल्स पर बीमाकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण

4. इलेक्ट्रॉनिक डाटा फिलिंग वर सभी जोनों में दलालों के लिए प्रशिक्षण

बीमा कम्पनियों को पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए डाटा प्रस्तुत करने और समानांतर में मैनुअल प्रणाली के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति जारी रखने की सलाह दी गई है। इन मॉड्यूल्स के संचालन पूरी तरह स्थिर होने पर मैन्युअल फिलिंग को तिरस्कृत कर दिया जाएगा।

IV.7.1.2 आंतरक अनुप्रयोग

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए अनुप्रयोगों को विकसित और कार्यान्वयन किए गए थे :

1. बीमा विपणन फर्म के पंजीयन के लिए आवेदन
2. एचआरएमएस – ईआरपी
   - अ. यात्रा दावों का स्वचालन
   - ब. उपस्थिति का प्रदर्शन
   - स. कर्मचारियों की पारिश्रमिक स्थिति
3. बीमा कंपनियों के लिए संचार के रखरखाव के लिए अनुप्रयोग

इस वर्ष के दौरान मौजूद आंतरिक अनुप्रयोगों में विभिन्न संवर्द्धन किए गए, जो निम्न प्रकार हैं : साल और उसी के सार के दौरान मौजूदा आंतरिक अनुप्रयोगों में

1. बीमा रिपोजिटरी का नवीकरण
2. रेफरल एप्लीकेशन का नवीकरण

IV.7.1.3 अन्य गतिविधियां

उपर्युक्त के अलावा वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां भी सम्पन्न की गई हैं :

अ. इंटरनेट लीज्ड लाइन को अपग्रेड करके 10 एमबीपीएस करना

ब. आईआरडीएआई की वेबसाइट का सुरक्षा ऑडिट

स. आईआरडीएआई की वेबसाइट में एसएसएल का कार्यान्वयन

द. डेस्कटॉपों और यूपीएस के लिए एएमसी को अंतिम रूप देना

IV.8 लेखा

IV.8.1 वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए प्राधिकरण की लेखों को भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार (सी एंड एजी) द्वारा लेखा–परीक्षा की जाती है। बीविविप्रा अधिनियम, 1999 की धारा 17 के उपबंधों के अनुसरण में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा–परीक्षित खातों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित करना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ऑडिटेड लेखों को पहले 5 दिसम्बर 2014 को लोकसभा और 9 दिसम्बर 2014 को राज्यसभा के समक्ष रखा गया।

IV.9 आईआरडीएआई जर्नल

IV.9.1 आईआरडीएआई जर्नल एक 'व्यावसायिक पत्रिका' है, जिसमें प्रत्येक महीने आईआरडीएआई द्वारा बीमा क्षेत्र से संबंधित विद्वानों के लेखों और उद्योग से संबंधित जानकारी का संग्रह होता है। आईआरडीएआई के लिए लेख आमतौर पर बीमा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। आईआरडीएआई जर्नल द्वारा प्रक्रिया, प्रचार–प्रसार करने का प्रयास है और इसमें प्रकाशित लेख बीमा जानकारी आधारित होते हैं।

आलेखों, शोध–पत्रों आदि के रूप में इस पत्रिका के लिए सहयोग करने वाले लेखकों की सूची में क्रमशः वृद्धि हो रही है तथा इस जर्नल के लिए लिखने में अनेक नए लेखक गहरी रूचि दिखा रहे हैं; तथा इसके परिणामस्वरूप दोनों देशी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विभिन्न अभिमतों का एक अच्छा स्रोत निर्मित हुआ है। जर्नल की हार्डकॉपी की मांग सदैव की तरह बढ़ रही है, जिससे इस जर्नल में विभिन्न हितधारकों की निरंतर बनी हुई रूचि प्रकट होती है तथा इस बात की पुष्टि भी होती है कि यह अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। पाठकों की बढ़ती हुई संख्या के लिए जर्नल की वेब प्रति लगातार एक स्रोत बनी हुई है।

IV.9.2 वर्ष 2014–15 के दौरान, जर्नल द्वारा कई सामयिक और प्रासंगिक मुद्दों जैसे– बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (खेल – परिवर्तक बीमा उद्योग के लिए), आपदा प्रबंधन – हालात जानने और सीखने के लिए, बीमा उद्योग में मिस–सेलिंग – हालात जानने और सीखने के लिए, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बीमा में वृद्धि करना, जन धन से जन सुरक्षा – बीमा की भूमिका आदि को अधिकृत किया गया है। किसी विशेष क्षेत्र में विचारों और भावों के व्यापकतम दायरे को समाविष्ट करने के अलावा इस प्रथा ने विभिन्न अंशदाता लेखकों की रचनाओं को शामिल करना संभव बनाया है; जिससे जर्नल में बौद्धिक सामग्री का विषय–क्षेत्र व्यापक हो गया है। पता है और सीखने के लिए सीखना जन सुरक्षा के लिए जन धन – अलग कवर करने से आदि बीमा की भूमिका एक विशेष क्षेत्र में विचार और विचारों की व्यापक पहुँच, अभ्यास भी विभिन्न योगदानकर्ताओं से लेख की कवरेज के लिए सक्षम है; जिससे जर्नल में बौद्धिक सामग्री के दायरे का विस्तार किया जाता है ।

IV.10 आभार

IV.10.1 भाबीविविप्रा बोर्ड के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदाता समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को प्राधिकरण के समुचित कार्य संचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए तथा भाबीविविप्रा के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध दल को उनके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए, उनकी सराहना और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद अभिलिखित करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यवसायिक निकायों तथा अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय–समय पर उनका अमूल्य सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अपना आभार दर्ज करता है।

संलग्नक

संलग्नक–1

भारत में काम करने वाली बीमा कंपनियां
जीवन बीमाकर्ता*

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. एगॉन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	2. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.
	3. बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	4. भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	5. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	6. कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	7. डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	8. एडेल्वाईस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	9. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	10. फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	11. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	12. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	13. आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	14. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	15. कोटेक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस. कं. लि
	16. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	17. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.
	18. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	19. सहारा लाइफ इंश्यो. कं. लि
	20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	22. स्टार यूनियन दाई–ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
	23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

* 31 मार्च 2015 तक स्थिति

जारी...**संलग्नक–1**

गैर जीवन बीमाकर्ता*

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1 नेशनल बीमा कम्पनी लिमिटेड	1 बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
2 न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	2 भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
3 ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	3 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
4 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.
विशिष्ट बीमाकर्ता	5 एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
5 कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड	6 आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
6 ईसीजीसी लिमिटेड	7 इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	8 एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	9 लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	10 मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	11 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	12 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	13 रॉयल सुन्दरम अलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	14 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	15 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	16 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	17 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
	18 अपोलो म्यूनिक स्वास्थ्य इंश्योरेंस कं. लि.
	19 सिग्ना टीटीके स्वास्थ्य इंश्योरेंस कं. लि.
	20 मैक्स बुपा स्वास्थ्य इंश्योरेंस कं. लि.
	21 रेलिगेयर स्वास्थ्य इंश्योरेंस कं. लि.
	22 स्टार स्वास्थ्य और एलाइड इंश्योरेंस कं. लि.

पुनर्बीमाकर्ता*

भारतीय साधारण बीमा निगम

* 31 मार्च 2015 तक स्थिति

संलग्नक–2

बीमाकर्ता एवं विभिन्न मध्यस्थों की शुल्क संरचना

क्र.सं.	बीमाकर्ता / मध्यस्थ	प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण समय सीमा
1	बीमाकर्ता (जीवन / गैर जीवन / पुनर्बीमा)	-	₹50,000	भारत में किये गये सकल सीधा प्रीमियम के 1 प्रतिशत का 1 / 20वां भाग लेकिन कम से कम ₹ 50000 और अधिकतम ₹ 5 करोड	प्रति वर्ष (31 दिसम्बर तक)
2	तृतीय पक्ष प्रशासक	₹20000	₹30000	₹ 15000	3 वर्ष
3	दलाल प्रत्यक्ष	-	₹20000	₹ 1000 का नवीनीकरण शुल्क + पिछले वित्त वर्ष में कमाए गए वार्षिक शुल्क का 0.50 प्रतिशत लेकिन कम से कम ₹ 25000 और अधिकतम ₹ 100000	3 वर्ष
	दलाल पुनर्बीमा	-	₹25000	₹ 1000 का नवीनीकरण शुल्क + पिछले वित्त वर्ष में कमाए गए वार्षिक शुल्क का 0.50 प्रतिशत लेकिन कम से कम ₹ 75000 और अधिकतम ₹ 300000	3 वर्ष
	दलाल संयुक्त	-	₹40000	₹ 1000 का नवीनीकरण शुल्क + पिछले वित्त वर्ष में कमाए गए वार्षिक शुल्क का 0.50 प्रतिशत लेकिन कम से कम ₹ 125000 और अधिकतम ₹ 500000	3 वर्ष
4	सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक (व्यक्तिगत और निगमित)	-	₹1000	₹ 100, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के छह महीने के भीतर ₹ 750 दंड	3 वर्ष
5	निगमित अभिकर्ता	-	निगम बीमा लाइसेंस ₹ 250 और निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए ₹ 500	₹250	3 वर्ष
6		-	₹10000	₹10000	3 वर्ष
7	वेब एग्रीगेटर	-		₹1000	3 वर्ष
8	सामान्य सेवा केन्द्र विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी–एसपीवी)	-	₹10,000	₹10000	3 वर्ष
9	रेफरल्स साधारण बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण	जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया गया है, उसके पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करने वाले निकायों द्वारा भारत में सकल सीधे जोखिम अंकित प्रीमियम के 1 प्रतिशत का 1 / 10 वां न्यूनतम ₹ 50 लाख और अधिकतम ₹ 5 करोड़ के तहत	-	-	-
10	बीमा मार्केटिंग फर्म	-	₹5000	₹2000	3 वर्ष
11	बीमा कोष	₹10000	₹100000	₹50000	3 वर्ष

टिप्पणी : सर्विस टेक्स प्रचलित दर के अनुसार लागू शुल्क की राशि पर लगाया जाएगा।

संलग्नक–3(i)

भारतीय बीमाकृत जन्म–मृत्यु दर (2006–08) यूएलटी

प्रकाशित मृत्यु दर तालिका, प्रभावी 1 अप्रैल 2013, जिसमें आईआरडीए (सम्पत्तियां, देनदारियों और बीमा कंपनियों की ऋण शोधन क्षमता) का विनियमन 4 के अर्थ हैं। आईआरडीए की सहमति से 20 फरवरी 2013 को प्रकाशित किया गया। आयु (X) को निकटतम जन्मदिन के रूप में परिभाषित किया गया है।

आयु (x)	मृत्यु दर (qx)	आयु (x)	मृत्यु दर (qx)
0	0.004445	58	0.009944
1	0.003897	59	0.010709
2	0.002935	60	0.011534
3	0.002212	61	0.012431
4	0.001670	62	0.013414
5	0.001265	63	0.014497
6	0.000964	64	0.015691
7	0.000744	65	0.017009
8	0.000590	66	0.018462
9	0.000492	67	0.020061
10	0.000440	68	0.021819
11	0.000428	69	0.023746
12	0.000448	70	0.025855
13	0.000491	71	0.028159
14	0.000549	72	0.030673
15	0.000614	73	0.033412
16	0.000680	74	0.036394
17	0.000743	75	0.039637
18	0.000800	76	0.043162
19	0.000848	77	0.046991
20	0.000888	78	0.051149
21	0.000919	79	0.055662
22	0.000943	80	0.060558
23	0.000961	81	0.065870
24	0.000974	82	0.071630
25	0.000984	83	0.077876
26	0.000994	84	0.084645

जारी... **संलग्नक–3(i)**

भारतीय बीमाकृत जन्म–मृत्यु दर (2006–08) यूएलटी

आयु (x)	मृत्यु दर (qx)	आयु (x)	मृत्यु दर (qx)
27	0.001004	85	0.091982
28	0.001017	86	0.099930
29	0.001034	87	0.108540
30	0.001056	88	0.117866
31	0.001084	89	0.127963
32	0.001119	90	0.138895
33	0.001164	91	0.150727
34	0.001218	92	0.163532
35	0.001282	93	0.177387
36	0.001358	94	0.192374
37	0.001447	95	0.208585
38	0.001549	96	0.226114
39	0.001667	97	0.245067
40	0.001803	98	0.265555
41	0.001959	99	0.287699
42	0.002140	100	0.311628
43	0.002350	101	0.337482
44	0.002593	102	0.365411
45	0.002874	103	0.395577
46	0.003197	104	0.428153
47	0.003567	105	0.463327
48	0.003983	106	0.501298
49	0.004444	107	0.542284
50	0.004946	108	0.586516
51	0.005483	109	0.634244
52	0.006051	110	0.685737
53	0.006643	111	0.741283
54	0.007256	112	0.801191
55	0.007888	113	0.865795
56	0.008543	114	0.935453
57	0.009225	115	0.985796

जारी... **संलग्नक–3(ii)**

प्रकाशित मृत्यु दर तालिका

आईआरडीए के विनियमन के अंतर्गत, (सम्पत्तियां, देनदारियों और बीमा कंपनियों की ऋण शोधन क्षमता) का विनियमन, 2000)

बीमाकृत के जन्म–मृत्यु दर निर्धारण : एलआईसी (ए) (1996–98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु दर (qx)	आयु (x)	मृत्यु दर (qx)
20	0.000919	51	0.004719
21	0.000961	52	0.005386
22	0.000999	53	0.006058
23	0.001033	54	0.006730
24	0.001063	55	0.007401
25	0.001090	56	0.008069
26	0.001113	57	0.008710
27	0.001132	58	0.009397
28	0.001147	59	0.010130
29	0.001159	60	0.010907
30	0.001166	61	0.011721
31	0.001170	62	0.011750
32	0.001170	63	0.012120
33	0.001171	64	0.012833
34	0.001201	65	0.013889
35	0.001246	66	0.015286
36	0.001308	67	0.017026
37	0.001387	68	0.019109
38	0.001482	69	0.021534
39	0.001593	70	0.024301
40	0.001721	71	0.027410
41	0.001865	72	0.030862
42	0.002053	73	0.034656
43	0.002247	74	0.038793
44	0.002418	75	0.043272
45	0.002602	76	0.048093
46	0.002832	77	0.053257
47	0.003110	78	0.058763
48	0.003438	79	0.064611
49	0.003816	80	0.070802
50	0.004243		

जारी...**संलग्नक–3(ii)**

बीमाकृत के जन्म–मृत्यु दर निर्धारण : एलआईसी (ए) (1996–98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु दर (qx)	आयु (x)	मृत्यु दर (qx)
81	0.077335	100	0.266511
82	0.084210	101	0.279892
83	0.091428	102	0.293614
84	0.098988	103	0.307679
85	0.106891	104	0.322087
86	0.115136	105	0.336836
87	0.123723	106	0.351928
88	0.132652	107	0.367363
89	0.141924	108	0.383139
90	0.151539	109	0.399258
91	0.161495	110	0.415720
92	0.171794	111	0.432524
93	0.182436	112	0.449670
94	0.193419	113	0.467159
95	0.204746	114	0.484989
96	0.216414	115	0.503163
97	0.228425	116	0.521678
98	0.240778	117	0.540536
99	0.253473	118	0.559737

संलग्नक–4

वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
1	**बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.**	बजाज अलायंज लाइफ सीक्योर	116N130V01
		बजाज अलायंज लाइफस्टाइल सीक्योर	116N129V01
		बजाज अलायंज यंग एस्योर	116N128V01
		बजाज अलायंज इलाइट एस्योर	116N127V01
		बजाज अलायंज पेंशन गारंटी	116N036V04
		बजाज अलायंज रिटायर रिच	116L126V01
		बजाज अलायंज फारच्यून गेन	116L125V01
		बजाज अलायंज फेमिली इनकम बेनिफिट राइडर	116B037V01
		बजाज अलायंज एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल/पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर	116B036V01
		बजाज अलायंज क्रिटिकल इलनेस बेनीफिट राइडर	116B035V01
		बजाज अलायंज एक्सीडेंटल डेथ बेनीफिट राइडर	116B034V01
		बजाज अलायंज वेवर ऑफ प्रीयिम बेनीफिट राइडर (नॉन–लिंक्ड)	116B031V01
		बजाज अलायंज ग्रुप एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल/पार्शियल डिसेबिलिटी बेनीफिट	116B010V02
		बजाज अलायंज ग्रुप एक्सीडेंटल डेथ बेनीफिट राइडर	116B005V03
		बजाज अलायंज यूएल फेमिली इनकम बेनीफिट राइडर	116A033V01
		बजाज अलायंज यूएल क्रिटिकल इलनेस राइडर	116A032V01
		बजाज अलायंज यूएल वेवर ऑफ प्रीमियम बेनीफिट राइडर	116A030V01
		बजाज अलायंज यूएल एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल/पार्शियल डिसेबिलिटी बेनीफिट	116A014V02
		बजाज अलायंज यूएल एक्सीडेंटल डेथ बेनीफिट राइडर	116A013V02
2	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	रिलायंस एजूकेशन प्लान	121N106V01
		रिलायंस हेल्थ टोटल	121N105V01
		रिलायंस ग्रुप टर्म एस्योरेंस प्लस	121N104V01
		रिलायंस ब्लूचिप सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान	121N103V01
		रिलायंस ट्रेडिशनल एम्प्लॉई बेनीफिट प्लान	121N102V01
		रिलायंस लाइफ फिक्स्ड सेविंग्स	121N101V01
		रिलायंस ग्रुप सर्व समृद्धि	121N100V01
		रिलायंस ट्रेडिशनल ग्रुप सुपरएनुएशन प्लान	121N092V03
3	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इंडिया प्रा. लि.	अवीवा कॉर्पोरेट शील्ड प्लस	122N066V03
		एन्युटी प्लस	122N018V04
		अवीवा नई ग्रामीण सुरक्षा–माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट	122N108V01

जारी... **संलग्नक–4**

वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
4	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	बीएसएलआई विजन स्टार	109N096V01
		बीएसएलआई गारंटीड फ्यूचर प्लान	109N095V01
		बीएसएलआई विजन मनी बेक प्लस प्लान	109N093V01
		बीएसएलआई विजन इनॉमेंट प्लस प्लान	109N092V01
		बीएसएलआई प्रोटेक्ट @ ईज	109N091V01
		बीएसएलआई इमीडिएट एनुइटी प्लान	109N083V02
		बीएसएलआई फ्यूचर गार्ड	109N077V02
		बीएसएलआई प्रोटेक्ट प्लस प्लान	109N071V02
		बीएसएलआई ग्रुप सुपरन्युएशन प्लान	109L097V01
		बीएसएलआई इम्पॉवर पेंशन – एसपी प्लान	109L094V01
		बीएसएलआई फोरच्यून इलाइट प्लान	109L090V01
5	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आईसीआईसीआई प्रू एश्योर्ड सेविंग इंश्योरेंस प्लान	105N144V01
		आईसीआईसीआई प्रू स्मार्ट लाइफ	105L145V01
6	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एचडीएफसी लाइफ सम्पूर्ण समृद्धि प्लस	101N102V01
		एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 प्रोटेक्ट प्लस	101N101V01
		एचडीएफसी हेल्थ एश्योर प्लान	101N087V02
		एचडीएफसी लाइफ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस	101N005V04
		एचडीएफसी लाइफ सम्पूर्ण निवेश	101L103V01
		एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 इन्वेस्ट – यूलिप	101L100V01
		एचडीएफसी लाइफ इनकम बेनीफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर	101B013V01
7	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एक्साइड लाइफ जीवन उदय	114N074V01
		एक्साइड लाइफ एश्योर्ड गेन प्लस	114N073V01
		एक्साइड लाइफ टर्म राइडर	114B007V02
8	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	एलआईसी सिंगल प्रीमियम ग्रुप इंश्योरेंस	512N298V01
		एलआईसी जीवन लक्ष्य	512N297V01
		एलआईसी न्यू चिल्ड्रन्स मनी बेक प्लान	512N296V01
		एलआईसी जीवन संगम	512N295V01
		एलआईसी लिमिटेड प्रीमियम एंडॉमेंट प्लान	512N293V01
		एलआईसी भाग्य लक्ष्मी	512N292V01
		एलआईसी जीवन शगुन	512N290V01
		एलआईसी प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ)	512G294V01
		वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाइ 2014–15)	512G291V01
		एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर	512B210V01

जारी... **संलग्नक–4**

वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
9	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	मैक्स लाइफ ग्रुप सुपर लाइफ प्रीमियर	104N088V01
		मैक्स लाइफ सुपर टर्म प्लान	104N086V01
		मैक्स गारंटीड इनकम प्लान	104N085V01
		मैक्स लाइफ ग्रुप ग्रेच्युटी प्रीमियर प्लान	104L087V01
		मैक्स लाइफ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेम्बरमेंट राइडर	104B027V01
		मैक्स लाइफ टर्म प्लस राइडर	104B026V01
10	पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	मेट लाइफ मेजर इलनेस प्रीमियम बेक कवर	117N090V01
		मेट लाइफ भविष्य प्लस	117N089V01
		मेट लाइफ बचत योजना	117N088V01
		मेट लाइफ कॉलेज प्लान	117N087V01
		मेट लाइफ फेमिली इनकम प्रोटेक्टर प्लस	117N086V01
11	कोटेक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस लि.	कोटेक सम्पूर्ण बीमा माइक्रो–इंश्योरेंस प्लान	107N092V01
		कोटेक प्रीफर्ड ई–टर्म प्लान	107N090V01
		कोटेक एश्योर्ड इनकम एक्सीलरेटर	107N089V01
		कोटेक प्रीफर्ड टर्म प्लान	107N009V06
		कोटेक ग्रेच्युटी प्लस ग्रुप प्लान	107L091V01
		कोटेक ग्रेच्युटी ग्रुप प्लान – केजीजीपी	107L010V05
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एसबीआई लाइफ – स्मार्ट मनी प्लानर	111N101V01
		एसबीआई लाइफ – सीएससी सरल संचय	111N099V01
		एसबीआई लाइफ – स्मार्ट केम्प इंश्योरेंस	111N098V01
		एसबीआई लाइफ – स्मार्ट गारंटीड सेर्विस प्लान	111N097V01
		एसबीआई स्मार्ट इनकम प्रोटेक्ट	111N085V02
		एसबीआई लाइफ – ईवेल्थ इंश्योरेंस	111L100V01
13	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट 7	110N118V01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस इंस्टा वेल्थ प्लान	110N117V01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट ग्रोथ प्लस	110N116V01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नवकल्याण योजना – माक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट	110N115V01
		टाटा एआईए वेल्थ मेक्सिमा	110L114V01
		टाटा एआईए फोरच्युन मैक्सिमा	110L113V01
		टाटा एआईए फोरच्यून प्रो	110L112V01
		टाटा एआईए वेल्थ प्रो	110L111V01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेम्बरमेंट (लोंग स्केल) (एडीडीएल) लिंक्ड राइडर	110A027V01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ प्रीमियम (लिंक्ड) राइडर	110A026V01

जारी... **संलग्नक–4**

वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस (लिंक्ड) राइडर	110A025V01
14	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सहारा पे बेक – जीवन बीमा	127N035V01
		सहारा धन वृद्धि जीवन बीमा	127N034V01
		सहारा श्रेष्ठ निवेश जीवन बीमा	127N033V01
		सहारा एक्सीडेंटल डेथ बेनीफिट राइडर	127B005V01
15	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	भारती एक्सा लाइफ एडवांटेज	130N060V01
		भारती एक्सा लाइफ समृद्धि	130N061V01
		भारती एक्सा ई–प्रोटेक्ट+	130N062V01
16	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	श्रीराम इजी लाइफ कवर	128N056V01
		श्रीराम गारंटीड वेल्थ प्रीसर्वर	128N055V01
		श्रीराम लाइफ ग्रुप ट्रेडिशनल इम्प्लायमेंट बेनीफिट प्लान	128N054V01
		श्रीराम लाइफ एश्योर्ड इनकम प्लान	128N053V01
		श्रीराम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इनकम राइडर	128A013V01
		श्रीराम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर	128A012V01
17	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	फ्यूचर जनरली एश्योर्ड मनी बेक प्लान	133N056V01
		फ्यूचर जनरली ट्रिपल आनंद एडवांटेज	133N055V01
		फ्यूचर जनरली एश्योर्ड इनकम प्लान	133N054V01
		फ्यूचर जनरली लोन सुरक्षा	133N053V01
		फ्यूचर जनरली केयर प्लस	133N030V02
		फ्यूचर जनरली नॉन लिंक्ड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर	133B024V01
		फ्यूचर जनरली नॉन लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ राइडर	133B023V01
		फ्यूचर जनरली लिंक्ड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर	133A026V01
		फ्यूचर जनरली लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ राइडर	133A025V01
18	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आईडीबीआई फेडरल टर्मस्युरेंस प्रोटेक्शन प्लान	135N040V01
		आईडीबीआई फेडरल आईस्युरेंस ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान	135N039V01
		आईडीबीआई फेडरल टर्मस्योरेंस सम्पूर्ण सुरक्षा माइक्रो इंश्योरेंस प्लान	135N037V01
		आईडीबीआई फेडरल लाइफस्योरेंस हूल लाइफ सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान	135N035V01
		आईडीबीआई फेडरल वेल्थस्योरेंस फ्यूचर स्टार इंश्योरेंस प्लान	135L038V01
		आईडीबीआई फेडरल वेल्थस्योरेंस ग्रोथ इंश्योरेंस प्लान	135L036V01
		आईडीबीआई फेडरल वेल्थस्योरेंस ग्रोथ इंश्योरेंस प्लान एसपी	135L034V01

जारी... **संलग्नक–4**

वर्ष 2014–15 में जीवन बीमा उत्पाद और आईआरडीएआई द्वारा पारित स्वीकृति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
19	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस – स्मार्ट मंथली इनकम प्लान	136N029V02
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट लाइफलोंग प्लान	136L032V01
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट गोल्स प्लान	136L031V01
		केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वन पे प्लान	136L030V01
20	डीएचएफएल प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	डीएचएफएल प्रमेरिका प्रीमियर गेन	140N043V01
		डीएचएफएल प्रमेरिका स्मार्ट एस्योर	140N042V01
		डीएचएफएल प्रमेरिका फ्लेक्सी केश	140N040V01
		डीएचएफएल प्रमेरिका ग्रुप टर्म प्लान	140N034V02
		डीएचएफएल प्रमेरिका स्मार्ट वेल्थ+	140L041V01
		डीएचएफएल प्रमेरिका स्मार्ट वेल्थ+ऐक	140L025V02
21	आइगन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आइगन रेलीगेयर आईस्पॉस इंश्योरेंस प्लान	138N052V01
		आइगन रेलीगेयर प्रीमियर एंडॉमेंट इंश्योरेंस प्लान	138N051V01
		आइगन रेलीगेयर आईरिटर्न इंश्योरेंस प्लान	138N050V01
		आइगन रेलीगेयर आईमेक्सिमाइज सिंगल प्रीमियम प्लान	138L049V01
		आइगन रेलीगेयर आईमेक्सिमाइज प्लान	138L030V03
		आइगन रेलीगेयर आईसीआई राइडर	138B011V01
22	स्टार यूनियन दाई–ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. .	एसयूडी लाइफ ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लस	142N046V01
		एसयूडी लाइफ एस्योर्ड इनकम प्लान	142N045V01
		एसयूडी लाइफ जीवन आश्रय	142N044V01
		एसयूडी लाइफ ग्रुप एक्सीडेंटल बेनीफिट राइडर	142B006V01
		एसयूडी लाइफ एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनीफिट राइडर – ट्रेडिशनल	142B005V01
23	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	इंडिया फर्स्ट केश बेक प्लान	143N024V01
		इंडिया फर्स्ट सीएससी शुभलाभ प्लान	143N023V01
		इंडिया फर्स्ट ग्रुप टर्म प्लान	143N006V03
24	एडेल्वाईस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एडेल्वाईस टोकियो लाइफ – ग्रुप एम्प्लॉयी बेनीफिट	147N029V01
		एडेल्वाईस टोकियो लाइफ – क्रिटीकेयर+	147N030V01
		एडेल्वाईस टोकियो लाइफ – केशफ्लो प्रोटेक्शन प्लस	147N028V01
		एडेल्वाईस टोकियो लाइफ – माइ लाइफ+	147N027V01
		एडेल्वाईस टोकियो लाइफ – इनकम बेनीफिट राइडर	147B015V01

संलग्नक–5

31.3.2015 को प्रचालन में जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची

बीमाकता	व्यक्तिगत श्रेणी	समूह श्रेणी
	उत्पाद का नाम	उत्पाद का नाम
अवीवा लाइफ	-	अवीवा क्रेडिट प्लस
भारती एक्सा लाइफ	-	भारती एक्सा लाइफ जन सुरक्षा
बिरला सनलाइफ	बीएसएलआई बीमा कवच योजना	-
	बीएसएलआई बीमा सुरक्षा सुपर	-
	बीएसएलआई बीमा धन संचय	-
	बीएसएलआई ग्रामीण जीवन रक्षा	-
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	-	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस सम्पूर्ण कवच प्लान
डीएचएफएल प्रमेरिका	-	डीएचएफएल प्रमेरिका सर्व सुरक्षा
एडलेवाइस टोकियो	एडलेवाइस टोकियो लाइफ रक्षा कवच	-
	एडलेवाइस टोकियो लाइफ धन निवेश बीमा योजना	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीण बचत योजना	-
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	-
	आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	-
आईडीबीआई फेडरल	-	आईडीबीआई फेडरल ग्रुप माइक्रोस्योरेंस प्लान
कोटेक महिन्द्रा लाइफ	सम्पूर्ण बीमा माइक्रो–इंश्योरेंस प्लान	-
पीएनबी मेट लाइफ	मेट ग्रामीण आश्रय	-
सहारा लाइफ	सहारा सुरक्षित परिवार जीवन बीमा	-
एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ ग्रामीण सुपर सुरक्षा
	-	एसबीआई लाइफ ग्रामीण शक्ति
श्रीराम लाइफ	-	श्री सहाय एसपी
टाटा एआईए	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस नवकल्याण योजना	-
एलआईसी ऑफ इंडिया	न्यू जीवन मंगल	-
	भाग्य लक्ष्मी	-

* सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद और आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद जोकि उक्त विनियम से पहले शुरू किए गए थे।

संलग्नक–6

2014–15 के दौरान निकाले गए गैर जीवन बीमा उत्पाद

यूआईएन

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
1	बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर प्रोफेशनल प्रोटेक्ट डी एंड ओ एंड कम्पनी रिम्बर्समेंट पॉलिसी वेदर प्रोटेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ज्वेलर्स कम्प्रेहेंसिव प्रोटेक्शन पॉलिसी
2	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि.	मोडीफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इंडेम्निीटी इंश्योरेंस पॉलिसी
3	ईसीजीसी लिमिटेड	ईसीआईबी–डब्ल्यूटीपीसी (हूल टर्नओवर पेकिंग क्रेडिट) ईसीआईबी–डब्ल्यूटीपीसी (हूल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट) शिपमेंट कम्प्रेहेंसिव रिस्क (एससीआर) पॉलिसी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कम्प्रेहेंसिव रिस्क (एसआरसी) पॉलिसी एक्सपोर्ट रिसीवेबल (फेक्टर रिस्क) इंश्योरेंस एग्रीमेंट मल्टी बायर एक्सपोजर पॉलिसी (एमबीईपी) फोर जेम्स, ज्वेलरी एंड डायमंड (जीजेडी) एक्सपोर्टर
4	फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	डिटेरियरेशन ऑफ स्टॉक (डॉस) स्टैंडअलोन मोटर टीपी फोर टू व्हीलर – लोंग टर्म
5	एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर बिजनिस सुरक्षा क्लासिक – रिविजन रिविजन इन प्राइसिंग ऑफ प्रा. कार पैकेज पॉलिसी
6	आईसीआईसीआई लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर एक्सटेंडेड वारंटी एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी टेनर : कम्प्रेहंसिव इंश्योरेंस (टू व्हीलर) ''बी'' पॉलिसी एंड एड–ऑन्स
7	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर
8	एलएंडटी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	माइ : जीविका लिवस्टोक इंश्योरेंस पॉलिसी स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर रिवीजन इन प्राइसिंग ऑफ प्रा. कार पैकेज पॉलिसी
9	लिबर्टी वीडियोकोन जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	मरीन एसटीपी मरीन डीएसयू स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर लिवस्टोक एंड पेट कनेक्ट पॉलिसी ईएंडओ लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी

जारी... **संलग्नक–6**

2014–15 के दौरान निकाले गए गैर जीवन बीमा उत्पाद

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम
10	मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	ऑफिस पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर
11	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर
12	न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर शिप एंड गोट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी पॉल्ट्री सूक्ष्म बीमा पॉलिसी फारमर्स पैकेज सूक्ष्म बीमा पॉलिसी इनलैंड फिश सूक्ष्म बीमा पॉलिसी हट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी लोंग टर्म मोटर 2 व्हीलर पैकेज पॉलिसी एंड लोंग टर्म टीडब्ल्यू पैकेज पॉलिसी विद ईसी
13	ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर ज्वैलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	एक्सेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर कॉमर्सियल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी
16	रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	कॉमर्सियल जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर स्मार्ट प्रोटेक्ट रिवीजन
17	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर पब्लिक लाइबिलिटी (इंडस्ट्रियल रिस्क) इंश्योरेंस
18	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	रिवीजन इन टू व्हीलर प्राइसिंग मोडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर सिंगल प्रोजेक्ट प्रोफेशनल इंडेम्निटी इंश्योरेंस बिजनिस गार्ड – ऑल रिस्क सेक्शन इंटरनेट परचेज प्रोटेक्शन पर्सनल ऑल रिस्क पॉलिसी
19	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैंडअलोन मोटर लोंग टर्म टीपी फोर टू व्हीलर
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	मोटर लाइबिलिटी ओनली लोंग टर्म

संलग्नक–7

2014–15 के दौरान निकाले गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	क्र.सं.	यूआईएन	उत्पाद का नाम
I	अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	1	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एएमएचआई/पी–एच/V.II/1/14-15	ऑप्टिमा रीस्टोर (रीविजन)
II	बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	2	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/बीएजीआई/पी–टी/V.I/37/13-14	ट्रेवल प्राइम पॉलिसी
		3	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/बीएजीआई/पी–टी/V.I/468/13-14	ट्रेवल प्राइम होलीडे पॉलिसी (ग्रुप)
		4	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/बीएजीआई/पी–पी/ V.I/8/14-15	बजाज अलायंज जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (ग्रुप)
		5	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/बीएजीआई/पी–पी/ V.I/16/14-15	बजाज अलायंज जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (व्यक्तिगत)
III	सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	6	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/सीटीटीके/पी–एच/ V.I/5/14-15	सिग्ना टीटीके लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन क्रिटिकल केयर
		7	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/सीटीटीके/पी–एच/V.I/6/14-15	सिग्ना टीटीके ग्लोबल हेल्थ ग्रुप पॉलिसी
		8	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/सीटीटीके/पी–एच/V.I/28/14-15	सिग्ला टीटीके लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन एक्सीडेंट केयर
IV	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	9	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आईटीजीआई/पी–एच/V.I/476/13-14	हेल्थ प्रोटेक्टर प्लस
		10	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आईटीजीआई/पी–एच/V.I/50/14-15	ग्रुप मेडीशील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी
		11	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आईटीजीआई/पी–एच/V.I/51/14-15	यक्तिगत मेडीश्सील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी
		12	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आईटीजीआई/पी–एच/V.I/52/14-15	स्वास्थ्य कवच (फेमिली हेल्थ) पॉलिसी
V	एलएंडटी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	13	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एलएंडटीजीआई/पी–एच/V.II/31/14-15	माइ : हेल्थ मेडीस्योर सुपर टॉप अप इंश्योरेंस (रिवीजन)
VI	लिबर्टी वीडियोकोन जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	14	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एलव्हीजीआई/पी–एच/V.II/61/14-15	लिबर्टी हेल्थ कनेक्ट पॉलिसी (रिवीजन)
		15	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एलव्हीजीआई/पी–पी/V.II/09/14-15	लिबर्टी वीडियो ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (रिवीजन)
VII	मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	16	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एमबीएचआई/पी–एच/V.II/2/14-15	हैल्थ कंपेनियन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान
		17	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एमबीएचआई/पी–एच/V.I/14/14-15	स्वास्थ परिवार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट
VIII	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि	18	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआई/पी–एच/V.I/463/13-14	नेशनल मेडीक्लेम प्लस पॉलिसी
IX	रेलीगेयर हेल्थ. इंश्योरेंस कं. लि.	19	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आरएचआई/पी–एच/ V.I/7/13-14	जॅय
		20	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आरएचआई/पी–टी/V.II/23/14-15	एक्सप्लोर (रिवीजन)

जारी... **संलग्नक–7**

2014–15 के दौरान निकाले गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	क्र.सं.	यूआईएन	उत्पाद का नाम
X	रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंस कं. लि.	21	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/आरएसएआई/पी–एच/V.I/32/14-15	लाइफलाइन
XI	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	22	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी–एच/V.I/473/13-14	आरोग्य प्लस पॉलिसी
		23	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी–एच/V.I/465/13-14	आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी
		24	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी–एच/V.I/477/13-14	आरोग्य टॉप अप पॉलिसी
		25	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी–एच/V.II/114/13-14	लोन सिक्योर इंश्योरेंस पॉलिसी (रिवीजन)
XII	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं. लि.	26	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसएचएआई/पी–एच/V.I/10/14-15	स्टार केयर इंश्योरेंस पॉलिसी
		27	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एसएचएआई/पी–एच/V.II/129/14-15	फमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान (रिवीजन)
XIII	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	28	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–एच/V.I/276/13-14	ग्रुप मेडीप्राइम
		29	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–टी/V.I/447/13-14	ट्रेवल एश्योर
		30	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–पी/V.I/3/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (व्यक्तिगत)
		31	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–टी/V.III/32/14-15	ट्रेवल गार्ड (रिवीजन)
		32	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–पी/V.I/29/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (ग्रुप)
		33	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–एच/V.I/47/14-15	वेलस्योरेंस वूमेन
		34	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–एच/V.I/48/14-15	वेलस्योरेंस फेमिली
		35	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/टीएजीआई/पी–एच/V.I/49/14-15	वेलस्योरेंस सीनियर
XIV	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.	36	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआईए/पी–एच/V.I/35/14-15	न्यू इंडिया टॉप–अप मेडीक्लेम पॉलिसी
		37	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआईए/पी–पी/V.I/55/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी (व्यक्तिगत)
		38	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआईए/पी–पी/V.I/56/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी (ग्रुप)
		39	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआईए/पी–पी/V.I/57/14-15	ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी (व्यक्तिगत)
		40	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/एनआईए/पी–पी/V.I/58/14-15	ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी (ग्रुप)
XV	दि ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.	41	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–टी/V.I/17/14-15	प्रवासी भारतीय बीमा योजना पॉलिसी
		42	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/18/14-15	जन आरोग्य बीमा पॉलिसी
		43	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/19/14-15	थाना जनता सहकारी बैंक मेडीप्लस पॉलिसी

जारी... **संलग्नक–7**

2014–15 के दौरान निकाले गए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	क्र.सं.	यूआईएन	उत्पाद का नाम
		44	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/20/14-15	नागरिक सुरक्षा व्यक्तिगत पॉलिसी
		45	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/21/14-15	नागरिक सुरक्षा ग्रुप पॉलिसी
		46	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/22/14-15	स्टूडेंट सेफ्टी पॉलिसी
		47	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–टी/V.I/23/14-15	पेसेंजर फ्लाइट इंश्योरेंस कूपन
		48	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/24/14-15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
		49	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/25/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी
		50	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/26/14-15	ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी
		51	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/27/14-15	भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी
		52	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/38/14-15	माइक्रो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
		53	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/39/14-15	माइक्रो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
		54	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/40/14-15	माइक्रो राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना
		55	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/41/14-15	जनता पर्सनल एक्सीडेंट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी
		56	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/42/14-15	ग्रामीण एक्सीडेंट माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी
		57	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/43/14-15	भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी
		58	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/44/14-15	यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
		59	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–एच/V.I/45/14-15	स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी
		60	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/ओआईसी/पी–पी/V.I/46/14-15	राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना
XVI	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	61	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–एच/V.I/30/13-14	स्वर्ण ग्रामीण बीमा योजना (व्यक्तिगत)
		62	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–एच/V.I/445/13-14	सर्व विद्यार्थी बीमा योजना
		63	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–टी/V.I/446/13-14	प्रवासी भारतीय बीमा योजना
		64	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–एच/V.II/4/14-15	के बैंक हेल्थ केयर प्लस
		65	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–एच/V.II/4/14-15	इलाहबाद बैंक हेल्थ केयर प्लस
		66	आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/यूएसजीआई/पी–एच/V.I/15/14-15	स्वर्ण ग्रामीण बीमा योजना (ग्रुप)

टिप्पणी : बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. की विदेश यात्रा बीमा पॉलिसी (यूआईएन : आईआरडीए/एनएल–एचएलटी/बीएजीआई/पी–टी/V.I/423/13-14) जिसे वार्षिक प्रतिवेदन 2013–14 की स्वीकृत उत्पाद की सूची में दिखाया गया था उसे 2014–15 के दौरान निरस्त कर दिया गया है।

संलग्नक–8

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं

क्र.सं.	संदर्भ सं.	जारी दिनांक	विषय
1	आईआरडीए/लाइफ/ओआरडी/मिस./103/04/2014	08/04/2014	मै. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
2	आईआरडीए/लाइफ/सीआईआर/जीएलडी/104/04/2014	09/04/2014	बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा नीतियों/समीक्षाओं के प्रत्यायोजन को बोर्ड के अधीनस्थ समितियों को मंजूरी दी।
3	आईआरडीए/बीआरके/रीओर्ड/110/04/2014	11/04/2014	ऑर्डर नं. आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/200/10/2013 पर पुनर्विचार
4	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एफएंडयू/112/04/2014	17/04/2014	जनरल बीमा उत्पाद के लिए फाइल और उपयोग की आवश्यकताओं पर दिशा–निर्देश
5	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/114/04/2014	21/04/2014	जनरल बीमा कंपनियों के सभी सीईओ और जीआईसी री के लिए परिपत्र
6	आईआरडीए/बीआरके/मिस/नोट/116/04/2014	25/04/2014	पैन की प्रस्तुति
7	आईआरडीए/बीआरके/मिस/नोट/117/04/2014	25/04/2014	दलालों को वार्षिक रिटर्न को ऑनलाइन भरना
8	आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/एक्ट्स/118/04/2014	28/04/2014	चर बीमा उत्पादों के लिए प्रीमियम मान्यता
9	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/121/05/2014	01/05/2014	ब्रोकिंग इकाई के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव
10	आईआरडीए/लाइफ/जीडीएल/मिस/123/05/2014	05/05/2014	बीमा कंपनियों के प्रमोटिंग पैटर्न के लोगो को व्यापार की उपयोगिता पर दिशा–निर्देश
11	आईआरडीए/बीआरके/मिस/ओर्ड/125/05/2014	12/05/2014	मै. गहलोत इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑर्डर
12	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/मिस/137/06/2014	10/06/2014	इंश्योरेंस रिपॉजिटरी प्रणाली की पायलट शुरूआत पर दिशा–निर्देश
13	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/139/06/2014	16/06/2014	ब्रोकर के लिए ऑनलाइन परीक्षा
14	आईआरडीए/एफ एंड आई/सीआईआर/आईएनव्ही/138/06/2014	16/06/2014	ब्याज दर पर दिशा–निर्देश
15	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/140/06/2014	17/06/2014	चेयरमेन के आदेश पर पुनर्विचार
16	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/141/06/2014	17/06/2014	चेयरमेन – मै. अलाइड इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि. के आदेश पर पुनर्विचार
17	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/142/06/2014	17/06/2014	मै. एमडी इंडिया हेल्थकेयर सर्विसेस टीपीए प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
18	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/143/06/2014	18/06/2014	कार्यालयों के पतों को प्रस्तुत करना
19	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/144/06/2014	18/06/2014	व्यापार आंकड़े और पारिश्रमिक को प्रस्तुत करना
20	आईआरडीए/एक्ट/ सीआईआर/मिस/145/06/2014	23/06/2014	समाज सुरक्षा/सरकार योजना के लिए यूआईएन
21	आईआरडीए/लाइफ/एडवट/सीआईआर/146/06/2014	24/06/2014	सभी बीमा विज्ञापनों में शामिल होने के लिए फर्जी कॉल्स पर आईआरडीए सूचना
22	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/148/06/2014	26/06/2014	मै. डेक्कन इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के सापेक्ष में चेयर के अध्यक्ष पर पुनर्विचार करना
23	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/151/06/2014	27/06/2014	इश्योरेंस ब्रोकर्स के ईमेल पते
24	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/152/07/2014	01/07/2014	मै. इंटरलिंक इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.
25	आईआरडीए/एक्ट/सीआईआर/मिस/153/07/2014	03/07/2014	एनएल कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट का रिवीज़न

जारी... **संलग्नक–8**

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं

क्र.सं.	संदर्भ सं.	जारी दिनांक	विषय
26	आईआरडीए/एक्ट/आरईजी/सीआईआर/158/07/2014	07/07/2014	ग्रुप उत्पाद और तत्काल वार्षिकी उत्पाद के लिए फाइल और प्रक्रिया
27	आईआरडीए/एफ एंड आई/ओर्ड/ईएचपी/159/07/2014	08/07/2014	प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना शेयर होल्डिंग में बदलाव
28	आईआरडीए/एफ एंड आई/ओर्ड/ईएचपी/160/07/2014	08/07/2014	प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना शेयर होल्डिंग में बदलाव – श्रीराम जनरल
29	आईआरडीए/एनएल/ओर्ड/सीएमटी/161/07/2014	09/07/2014	धोखाधड़ी विश्लेषणात्मक प्रणाली के लिए तकनीकी समिति
30	आईआरडी/बीआरके/ओर्ड/मिस/ओर्ड/163/07/2014	10/07/2014	मै. आईएफजीएल इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के संबंध में आदेश
31	आईआरडीए/एफ एंड आई/सीआईआर/एनआईव्ही/162/07/2014	10/07/2014	सेबी में सदस्यता के लिए बीमा कंपनी को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार अनुमति के मालिकाना व्यापार के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को मंजूरी दी।
32	आईआरडीए/एजीटीएस/सीआईआर/एलसीई/164/07/2014	11/07/2014	न्यू आईसी–33 पाठ्यक्रम
33	आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/जीएलडी/165/07/2014	17/07/2014	एफएटीसीए के तहत यूएसए के साथ अंतःशासकीय अनुबंध
34	आईआरडी/लाइफ/ओर्ड/मिस/166/07/2014	23/07/2014	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
35	आईआरडी/बीआरके/ओर्ड/एलसी/167/07/2014	25/07/2014	ब्रोकर्स लाइसेंस नं. 254 का निरस्तीकरण
36	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओर्ड/ओएनएस/168/07/2014	25/07/2014	मै. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के मामने में अंतिम आदेश
37	आईआरडीए/आईटी/ओर्ड/मिस/186/08/2014	08/08/2014	नई समिति बनाने के लिए नेटवर्किंग संबंधित आवश्यकता को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी समिति (न्यू बनाना)।
38	आईआरडीए/स्योर/मिस/ओर्ड/189/08/2014	11/08/2014	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स और लोस ऐसेसर्स (आईआईआईएसएलए) की 5वी, 6वीं और 7वीं चुनाव परिषद के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति।
39	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/190/08/2014	12/08/2014	ऑनलाइन/टेलीमार्केटिंग के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री
40	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/193/08/2014	12/08/2014	ब्रोकर्स लाइसेंस नं. 372 का निरस्तीकरण
41	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/194/08/2014	12/08/2014	ब्रोकर्स लाइसेंस नं. 409 का निरस्तीकरण
42	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/192/08/2014	12/08/2014	लम्बे समय के लिए दो पहिया वाहन बीमा पॉलिसी
43	आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/जीएलडी/195/08/2014	13/08/2014	पॉलिसीधारक के लंबित भुगतान में सुधार और बेदावा राशि का खुलासा
44	आईआरडीए/एफएंडआई/एमएससी/सीआईआर/196/08/2014	14/08/2014	एडीबी और आईएफसी द्वारा जारी तटवर्ती रूपया बॉन्ड
45	आईआरडीए/सीएडी/पीएनटीसी/मिस/197/08/2014	25/08/2014	फर्जी कॉल्स और झूठे ऑफरों से आम जनता को सावधान करना
46	आईआरडीए/एसडीडी/मिस/ओर्ड/199/08/2014	25/08/2014	विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समितियों/कार्य समूह/मंच और आगे की कार्यवाही के लिए सदस्यों/वैकल्पिक सदस्यों का नामांकन
47	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/200/08/2014	25/08/2014	मै. ई–मेडीटेक (टीपीए) सर्विसेस लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश

जारी... **संलग्नक–8**

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं

क्र.सं.	संदर्भ सं.	जारी दिनांक	विषय
48	आईआरडीए/एफ एंड ए/ओर्ड/ईएमटी/205/08/2014	26/08/2014	प्रबंधन के खर्चे
49	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/201/08/2014	26/08/2014	मै. मेडीकेयर टीपीए सर्विसेस इंडिया प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
50	आईआरडीए/सीएडी/मिस/पीआरई/206/08/2014	28/08/2014	फर्जी फोन कॉल्स और धोखाधड़ी/झूठे ऑफर्स– ऑडियो के साथ
51	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/207/09/2014	01/09/2014	मै. ई–मेडीटेक (टीपीए) सर्विसेस लि. के मामले में
52	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/208/09/2014	03/09/2014	पुनर्बीमा/सम्मिलित ब्रोकर्स के सभी मुख्य अधिकारियों
53	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/209/09/2014	03/09/2014	जनरल बीमा और पुनर्बीमा कम्पनियों के सभी सीईओ
54	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/211/09/2014	09/09/2014	पैरामाउण्ट हेल्थ सर्विसेस (टीपीए) प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
55	आईआरडीए/एफ एंड आई/सीआईआर/आईएनव्ही/213/09/2014	12/09/2014	बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के बॉन्ड का मुद्दा – बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण
56	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओर्ड/ओएनएस/ 215/09/2014	16/09/2014	मै. अपूर्वा इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
57	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओर्ड/ओएनएस/216/09/2014	17/09/2014	मै. एगॉन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के मामले में अंतिम आदेश
58	आईआरडीए/एनएल/ओर्ड/मिस/217/09/2014	17/09/2014	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 यूएम(2) के तहत बीमाकर्ताओं को विशेष ऋण वितरण
59	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/218/09/2014	18/09/2014	ब्रोकर्स लाइसेंस नं. 468 का निरस्तीकरण
60	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/219/09/2014	25/09/2014	मै. अथेना इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. से संबंधित ब्रोकर लाइसेंस नं. 171 के मामले में
61	आईआरडीए/डिस्ट/सीआईआर/मिस/224/10/2014	08/10/2014	बीएपी के माध्यम से आवधिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण
62	आईआरडीए/एफ एंड ए/ओर्ड/सीजी/225/10/2014	15/10/2014	कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ तालमेल आईआरडीए निगमित प्रशासन के दिशा–निर्देशों और प्रकटीकरण पर कार्य समूह
63	आईआरडीए/बीआरके/ /मिस/सीआईआर/227/10/2014	17/10/2014	बीमा दलालों का नया व्यापार आंकड़ा
64	आईआरडीए/आईटी/सीआईआर/मिस/226/10/2014	17/10/2014	पंजीकृत संस्थाओं के लिए जारी किए गए सभी महत्वपूर्ण संचार का एक केन्द्रीय डेटाबेस की स्थापना करने बावत्।
65	आईआरडीए/एसडीडी/मिस/सीआईआर/228/10/2014	17/10/2014	आईआईबी को जीवन बीमा आंकड़े प्रस्तुत करना।
66	आईआरडीए/आई एंड सी/मिस/ओर्ड/229/10/2014	20/10/2014	मै. आईसीआईसीआई लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में आदेश
67	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/232/10/2014	21/10/2014	व्यापार विश्लेषण प्रोजेक्ट (बीएपी) – ब्रोकर्स मॉड्यूल के माध्यम से रिटर्न भरना

जारी... **संलग्नक–8**

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं

क्र.सं.	संदर्भ सं.	जारी दिनांक	विषय
68	आईआरडीए/सीएडी/पीआर/पीआरई/233/10/2014	22/10/2014	फर्जी कॉल्स के खिलाफ आम जनता को शिक्षित करने के लिए बीमा जागरूकता अभियान
69	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/237/10/2014	29/10/2014	ब्रोकर्स लाइसेंस नं. 426 का निरस्तीकरण
70	आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/डाटा/239/10/2014	30/10/2014	बीएपी मॉड्यूल के माध्यम से एफ एंड ए लाइफ के लिए रिटर्न्स की प्रस्तुति
71	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/240/10/2014	31/10/2014	बीमा कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षकों की भर्ती
72	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/241/10/2014	31/10/2014	निवल कीमत की गणना
73	आईआरडीए/लाइफ/ओर्ड/मिन/242/11/2014	03/11/2014	मै. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
74	आईआरडीए/लाइफ/ओर्ड/मिस/243/11/2014	03/11/2014	मै. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
75	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/244/11/2014	10/11/2014	मै. ट्रू रोज इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के मामले में अंतिम आदेश
76	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/245/11/2014	11/11/2014	लाइसेंस नं. 422 का निरस्तीकरण
77	आईआरडीए/बीआरके/मिस/ओर्ड/247/11/2014	12/11/2014	मै. ईशान इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के मामले में आदेश
78	आईआरडीए/एनएल/ओर्ड/मिस/246/11/2014	12/11/2014	जोखिम की कीमत पर दिशा–निर्देश
79	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/248/11/2014	19/11/2014	मै. अथेना इंश्योरेंस एंड रीइंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि. के संबंध में अंतिम आदेश
80	आईआरडीए/एफ एंड आई/सीआईआर/आईएनव्ही/250/11/2014	26/11/2014	मै. इंडिया इंदिराडेब्ट लिमिटेड आईडीएफ – एनबीएफसी में निवेश
81	आईआरडीए/एनएल/ओर्ड/एमपीएल/251/11/2014	27/11/2014	वर्ष 2013–14 के लिए भारतीय वाहन तृतीय पक्ष जोखिम बीमा पूल (डी आर पूल) के लिए मौलिक हानि अनुपात (यूएलआर) की घोषणा।
82	आईआरडीए/एनएल/ सीआईआर/मिस/266/11/2014	28/11/2014	सीएससी योग्य व्यक्ति के माध्यम से वितरण के लिए साधारण बीमा के स्टैंडर्ड उत्पाद।
83	आईआरडीए/लाइफ/ओर्ड/मिस/267/12/2014	02/12/2014	मै. फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
84	आईआरडीए/लाइफ/ओर्ड/मिस/268/12/2014	02/12/2014	मै. बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
85	आईआरडीए/एसयूआर/एनटीसी/मिस/269/12/2014	03/12/2014	लाइसेंसिंग और नवीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली
86	आईआरडीए/आई एंड ए/ओर्ड/ओएनएस/274/12/2014	12/12/2014	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी
87	आईआरडीए/आई एंड सी/ओर्ड/ओएनएस/275/12/2014	17/12/2014	मै. आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर लि. के मामले में आदेश
88	आईआरडीए/बीआरके/मिस/सीआईआर/276/12/2014	18/12/2014	बीएपी–बीमा दलालों के माध्यम से रिटर्न्स भरना
89	आईआरडीए/लाइफ/ओर्ड/मिस/277/12/2014	18/12/2014	मै. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में अंतिम आदेश
90	आईआरडीए/एनएल/ओर्ड/मिस/278/12/2014	22/12/2014	जोखिम की कीमतों पर दिशा–निर्देश
91	आईआरडीए/टीपीए/मिस/ओर्ड/279/12/2014	22/12/2014	मै. सेफवे टीपीए सर्विसेस प्रा. लि. के मामले में आदेश
92	आईआरडीए/एसीटी/ओर्ड/मिस/ 280/12/2014	23/12/2014	कार्यकारी समूह का गठन

जारी... **संलग्नक–8**

अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र/आदेश/अधिसूचनाएं

क्र.सं.	संदर्भ सं.	जारी दिनांक	विषय
93	आईआरडीए/आईटी/एनटीसी/टीएनडीआर/281/12/2014	24/12/2014	आईआरडीए सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए डॉटनेट प्रोफेशनल के आरएफपी
94	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/283/12/2014	29/12/2014	ब्रोकर लाइसेंस नं. 408 का निरस्तीकरण
95	आईआरडीए/एचएलटी/मिस/ओर्ड/284/12/2014	29/12/2014	स्वास्थ्य बीमा ढांचे का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ समिति का संविधान
96	आईआरडीए/लाइफ/सीआईआर/जीएलडी/285/12/2014	29/12/2014	समूह जीवन बीमा पॉलिसियों के दावे प्रक्रिया पर दिशा–निर्देश
97	आईआरडीए/आई एंड सी/ओर्ड/ओएनएस/286/12/2014	30/12/2014	मै. फमिली इंश्योरेंस हेल्थ प्लान टीपीए लिमिटेड के मामले में आदेश
98	आईआरडीए/एफ एंड ए/सीआईआर/जीएलडी/287/12/2014	31/12/2014	एफएटीसीए के अंतर्गत यूएसए के साथ आईजीए
99	आईआरडीए/बीआरके/मिस/नोट/001/01/2015	05/01/2015	ब्रोकर्स बीएपी प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र)
100	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/मिस/005/01/2015	13/01/2015	रिटर्न्स की प्रस्तुतीकरण (एनएल) – बीएपी
101	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एडीव्ही/006/01/2015	13/01/2015	बीएपी के माध्यम से विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण
102	आईआरडीए/एचएलटी/एडीव्हीटी/सीआईआर/017/01/2015	21/01/2015	बीएपी के माध्यम से विज्ञापन आवेदन का प्रस्तुतीकरण
103	आईआरडीए/ईएनएफ/ओर्ड/ओएनएस/019/01/2015	23/01/2015	मै. एकमे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेस प्रा. लि. के नाम से आदेश
104	आईआरडीए/सीडब्ल्यू/मिस/021/01/2015	28/01/2015	आईआरडीए की संचार नीति को तैयार करने और अंतिम रूप देने के लिए समिति
105	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/एलसी/023/01/2015	29/01/2015	ब्रोकर्स लइसेंस नं. 280 का निरस्तीकरण
106	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/024/01/2015	29/01/2015	मै. पीआरमेन
107	आईआरडीए/एफ एंड आई/मिस/सीआईआर/026/02/2015	05/02/2015	व्यापार विश्लेषण परियोजना (बीएपी) मॉड्यूल के माध्यम से एफ एंड ए गैर–जीवन के लिए रिटर्न्स का प्रस्तुतीकरण
108	आईआरडीए/ईएनएफ/ओर्ड/ओएनएस/027/02/2015	06/02/2015	लम्बाच इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
109	आईआरडीए/सीडब्ल्यू/पीआर/मिस/028/02/2015	09/02/2015	डोमेन irda.gov.org उपयोग करके ईमेल करना
110	आईआरडीए/ईएनएफ/ओर्ड/ओएनएस/029/02/2015	10/02/2015	अंतिम आदेश – एलआईसी
111	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/030/02/2015	11/02/2015	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियमक, 2013 के विनियम 12(क) का अनुपालन
112	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/मिस/031/02/2015	11/02/2015	रिटर्न्स का प्रस्तुतीकरण – एनएल – बीएपी
113	आईआरडीए/बीआरके/ओर्ड/रीओर्ड/032/02/2015	12/02/2015	मै. आईसीएम इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
114	आईआरडीए/ईएनएफ/ओर्ड/ओएनएस/033/02/2015	16/02/2015	मै. सुशील इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
115	आईआरडीए/एफ एंड आई/ सीआईआर/आईएनव्ही/034/02/2015	16/02/2015	अल्पकालिक निवेश प्रावधान – बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2014
116	आईआरडीए/सीएडी/ओर्ड/मिस/035/02/2015	19/02/2015	बीमा जागरूकता दिवस 2015 समारोह का आयोजन

संलग्नक–9

बीविविप्रा अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियम 31.03.2015 तक#

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) अधिनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) अधिनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सार) अधिनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा अभिकर्ताओं की लाइसेंसिंग) अधिनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की सम्पत्तियों, दायित्वों और ऋण शोधन क्षमता) अधिनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा–पुनर्बीमा) अधिनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों का पंजीयन) अधिनियम, 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और खुलासे) अधिनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण समाज क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं का कर्तव्य) अधिनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठक) अधिनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षण रिर्पोट की तैयारी) अधिनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) अधिनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता – लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता) अधिनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा – पुनर्बीमा) अधिनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) अधिनियम, 2001
17	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासनिक–स्वास्थ्य सेवाएं) अधिनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) अधिनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) अधिनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षण रिर्पोट की तैयारी) अधिनियम, 2002
21	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) अधिनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) अधिनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण समाज क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं का कर्तव्य) अधिनियम, 2002
24	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) अधिनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2002
26	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) (संशोधन) अधिनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम प्राप्ति के तरीके) अधिनियम, 2002

जारी... **संलग्नक –9**

बीविविप्रा अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियम 31.03.2015 तक#

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम
28	आईआरडीए (अधिशेष का वितरण) अधिनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) अधिनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) अधिनियम, 2004
31	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) अधिनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य) (संशोधन) अधिनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) अधिनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य) (संशोधन) अधिनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2007
37	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) अधिनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य) (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डाटाबेस की भागीदारी) अधिनियम, 2010
45	आईआरडीए (बंद लिंक्ड बीमा पॉलिसियों का उपचार) अधिनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और खुलासा) अधिनियम, 2010
47	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यापार का एकीकरण और स्थानांतरण की योजना) अधिनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी का निर्गमन) अधिनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012
52	आईआरडीए (घरेलू या विदेशी इकाई के विषय में गोपनीय सूचना का आदान) अधिनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा – पुनर्बीमा) अधिनियम, 2013

जारी... **संलग्नक –9**

बीविविप्रा अधिनियम 1999 के तहत बनाए गए नियम 31.03.2015 तक#

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013
57	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यापार का एकीकरण और स्थानांतरण की योजना) अधिनियम, 2013
58	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासनिक–स्वास्थ्य सेवाएं) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फॉर्म) अधिनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यापार का स्थान) अधिनियम, 2013
61	आईआरडीए (जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी का निर्गमन) अधिनियम, 2013
62	आईआरडीए (गैर–लिंक्ड बीमा उत्पाद) अधिनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) अधिनियम, 2013
64	आईआरडीए (लिंक्ड बीमा उत्पाद) अधिनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पंचम संशोधन) अधिनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा – पुनर्बीमा) अधिनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता – लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता) (संशोधन) अधिनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों की लाइसेंसिंग) अधिनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब एग्रीगेटर्स) अधिनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठक) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2013
71	आईआरडीए आईएसी (बैठक) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) अधिनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) (पंचम संशोधन) अधिनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) अधिनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता – लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताओं और आचार संहिता) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कम्पनियों के पंजीयन) (छठा संशोधन) अधिनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2014
80	आईआरडीए (बीमा विपणन फर्म का पंजीयन) अधिनियम, 2014
81	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) अधिनियम, 2015

संलग्नक –10

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड आदेश जारी करने की तारीख	उल्लंघन टिप्पणी का संक्षिप्त विवरण
1	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	17,700,000	11/04/2014	परिपत्र सं. आईआरडीए/सीआईआर/004/2003 दिनांक 14.02.2003 के प्रावधानों, आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डाटाबेस को शेयर करना) विनियम 2010, समूह बीमा पर आईआरडीए दिशानिर्देशों के खण्ड सी–4 और 7 परिपत्र सं. 015 / आईआरडीए / लाइफ / परिपत्र / जीआई / दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14.07.2005 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(7) का उल्लंघन
2	एमबी इंडिया हेल्थ केयर टीपीए	500,000	17/06/2014	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के विनियम 21(2)(एन), 25(3), 11(1) और 21(1) का उल्लंघन
3	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस	500,000	11/07/2014	परिपत्र सं. आईआरडी/एफ एंड ए/सीआईआर/डीआरएसएच /183 /08 / 2011 दिनांक 11.08.2011, परिपत्र सं आईआरडी / एफएंडए / 064 / जन /05 दिनांक 12.01.2015, परिपत्र सं. आईआरडी / सीआईआर / एफएंडए/073/फर. 05 दिनांक 22.02.2015 और परिपत्र सं. आईआरडी / एफएंडआई / सीआईआर /100/06/2010 दिनांक 16.06.2010 का उल्लंघन।
4	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	500,000	11/07/2014	परिपत्र सं. आईआरडी/एफ एंड ए/सीआईआर/डीआरएसएच/183/08/2011 दिनांक 11.08.2011, परिपत्र सं. आईआरडी/एफएंडए/064/जन/05 दिनांक 12. 01.2015, परिपत्र सं. आईआरडी/सीआईआर/एफएंडए/073/फर.05 दिनांक 22. 02.2015 और परिपत्र सं. आईआरडीए/एफएंडआई/सीआईआर/100/06/2010 दिनांक 16.06.2010 का उल्लंघन।
5	शारदा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस	500,000	23/07/2014	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों की ओर बीमा कंपनियों के दायित्वों) विनियम 2002 में निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्वों की आपूर्ति।
6	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	500,000	28/07/2014	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002 के विनियम 7(एन) और 4(1 और 4) का उल्लंघन
7	ई मेडीटेक टीपीए सर्विसेस	500,000	25/08/2014	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के विनियम 21(2)(एन), 3 का उल्लंघन
8	मेडीकेयर टीपीए सर्विसेस	500,000	26/08/2014	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के विनियम 5, 7, 2 (डी और ई), 21(1) और 25(3) का उल्लंघन
9	ईमेडीटेक टीपीए सर्विसेस	500,000	01/09/2014	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के विनियम 21(1) को 25(3) के साथ पढ़ने का उल्लंघन
10	एगॉन रेलीगेयर लाइफ	4,000,000	17/09/2014	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(7) परिपत्र सं. आईआरडीए/सीआईआर/010/2003 दिनांक 27.02.2003, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के खण्ड 8.4 दिनांक 01.02.2011, निगमित अभिकर्ता दिशानिर्देश दिनांक 14.07.2005 और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 19 का उल्लंघन
11	आईसीआईसीआई लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	5,000,000	17/10/2014	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(7) परिपत्र सं. आईआरडीए / सीआईआर / 010/2003 दिनांक 27.03.2003 में एफ एंड यू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
12	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस	500,000	03/11/2014	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002 के नियम 3 का उल्लंघन
13	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस	2,500,000	03/11/2014	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों की ओर बीमा कंपनियों के दायित्वों) विनियम 2002 के निर्दिष्ट प्रावधान 3(बी)(1)(बी)(i)(III) को सामाजिक क्षेत्र के प्रति दायित्वों की आपूर्ति करना।

जारी... **संलग्नक –10**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड आदेश जारी करने की तारीख	उल्लंघन टिप्पणी का संक्षिप्त विवरण
14	बिरला सन लाइफ इंयश्योरेंस	1,500,000	01/12/2014	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005 के नियम 4 तथा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम 2002 के नियम 8(2 और 3) का उल्लंघन
15	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	3,100,000	12/12/2014	बीमा अभिकर्ताओं के भुगतान करने के लिए निगमित एजेंटों के दिशा निर्देश परिपत्र संत्र 017/आईआरडीए/सीआईआर/सीए दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14.07.2005 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40(ए) के खण्ड 21 का उल्लंघन
16	आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	500,000	16/12/2014	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के नियम 10(1) और 21 का उल्लंघन
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं.	5,500,000	18/12/2014	आउटसोर्सिंग के खण्ड 9.6(ii) के दिशानिर्देश दिनांक 01.02.2011 का उल्लंघन
18	सेफवे टीपीए सर्विसेस	500,000	22/12/2014	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के नियम 24(2), 25(1) और 3(2) का उल्लंघन
19	एकमी इंश्योरेंस ब्रोकर	700,000	23/01/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के नियम 21 के तहत नियम 9(2)(बी), 34(1)(सी) और बिन्दु 3(बी) का उल्लंघन
20	फेमिली हेल्थ टीपीए	2,500,000	29/01/2015	आईआरडीए (टीपीए–स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001 के नियम 3(2) का उल्लंघन
21	लम्बाच इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	1,520,000	06/02/2015	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के 21 और 28(1)(ii) के तहत नियम 9(2)(एच), 18, 20, 10(1) (iv) 3(बी) का उल्लंघन
22	एलआईसी ऑफ इंडिया	1,000,000	12/02/2015	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम, 2002 के नियम 3(2), बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27ए(4) तथा निवेश विनियम, 2000 के नियम 5 का उल्लंघन
23	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.	1,000,000	19/03/2015	परिपत्र सं. 011/आईआरडीए/ब्रोक–कोम/अगस्त 08 दिनांक 25.08.2008, बीविविप्रा (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के नियम 19(1) और बीविविप्रा (पॉलिसीधारक के हितो की सुरक्षा) विनियम, 2002 के प्रावधान 3(2) का उल्लंघन
24	अपोलो म्युनिक हेल्थ	2,000,000	19/03/2015	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(डी)(8), 40(1) और 64वीबी तथा परिपत्र सं. आईआरडीए/सीआईआर/010/2003 दिनांक 27.03.2003 का उल्लंघन
25	जनता सहकारी बैंक – कॉर्पोरेट एजेंट	1,000,000	31/03/2015	निगमित अभिकर्ता के बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40(क) का खंड 21 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन के संदर्भ में परिपत्र सं. 017 / आईआरडीए / सीआईआर /सीए दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14.07.2005 और परिपत्र सं. 011/आईआरडीए/ब्रोक–कोम/अगस्त 08 दिनांक 25.08.2008

विवरण

विवरण –1

बीमा प्रवेशन की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

(प्रतिशत में)

देश	2013**			2014**		
	कुल	जीवन	गैर जीवन	कुल	जीवन	गैर जीवन
आस्ट्रेलिया	5.2	3.0	2.1	6.0	3.8	2.2
ब्राजील	4.0	2.2	1.8	3.9	2.1	1.9
फ्रांस	9.0	5.7	3.2	9.1	5.9	3.1
जर्मनी	6.7	3.1	3.6	6.5	3.1	3.4
रूस	1.3	0.1	1.2	1.4	0.2	1.2
साउथ अफ्रीका	15.4	12.7	2.7	14.0	11.4	2.7
स्विटजरलैंड	9.6	5.3	4.4	9.2	5.1	4.1
यूनाइटेड किंगडम	11.5	8.8	2.8	10.6	8.0	2.6
यूनाइटेड स्टेट्स	7.5	3.2	4.3	7.3	3.0	4.3
एशियन देश						
हाँगकाँग	13.2	11.7	1.5	14.2	12.7	1.4
भारत#	**3.9**	**3.1**	**0.8**	**3.3**	**2.6**	**0.7**
जापान#	11.1	8.8	2.3	10.8	8.4	2.4
मलेशिया#	4.8	3.2	1.7	4.8	3.1	1.7
पाकिस्तान	0.7	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3
पीआर चीन	3.0	1.6	1.4	3.2	1.7	1.5
सिंगापुर	5.9	4.4	1.6	6.7	5.0	1.6
साउथ कोरिया#	11.9	7.5	4.4	11.3	7.2	4.1
श्रीलंका	1.1	0.5	0.7	1.1	0.5	0.7
ताइवान	17.6	14.5	3.1	18.9	15.6	3.3
थाइलैंड	5.5	3.8	1.7	5.8	3.6	2.2
विश्व	**6.3**	**3.5**	**2.8**	**6.2**	**3.4**	**2.7**

स्रोत : स्विस री, सिग्मा, अंक 3 / 2014 एवं 4 / 2015.

* बीमा प्रवेशन को कुल जनसंख्या के साथ प्रीमियम के अनुपात में (यूएस डॉलर में) मापा गया है।

** आंकड़े 2013 एवं 2014 कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।

\# आंकड़े वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 से संबंधित हैं।

विवरण – 2

बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना*

(यूएस डॉलर में)

देश	2013**			2014**		
	कुल	जीवन	गैर जीवन	कुल	जीवन	गैर जीवन
आस्ट्रेलिया	3528	2056	1472	3736	2382	1354
ब्राजील	443	246	197	422	222	200
फ्रांस	3736	2391	1345	3902	2552	1350
जर्मनी	2977	1392	1585	3054	1437	1617
रूस	199	19	180	181	20	161
साउथ अफ्रीका	1025	844	181	925	748	176
स्विटजरलैंड	7701	4211	3490	7934	4391	3542
यूनाइटेड किंगडम	4561	3474	1087	4823	3638	1185
यूनाइटेड स्टेट्स	3979	1684	2296	4017	1657	2360
एशियन देश						
हाँगकाँग	5002	4445	557	5647	5071	575
भारत#	**52**	**41**	**11**	**55**	**44**	**11**
जापान#	4207	3346	861	3778	2926	852
मलेशिया#	518	341	176	524	338	186
पाकिस्तान	9	6	3	11	7	4
पीआर चीन	201	110	91	235	127	109
सिंगापुर	3251	2388	863	3759	2840	919
साउथ कोरिया#	2895	1816	1079	3163	2014	1149
श्रीलंका	36	16	21	40	17	23
ताइवान	3886	3204	682	4072	3371	701
थाइलैंड	310	214	96	323	198	125
विश्व	**652**	**366**	**285**	**662**	**368**	**294**

स्रोत : स्विस री, सिग्मा, अंक 3 / 2014 एवं 4 / 2015.

* बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या के साथ प्रीमियम के अनुपात में (यूएस डॉलर में) मापा गया है।

** आंकड़े 2013 एवं 2014 कैलेंडर वर्ष से संबंधित हैं।

\# आंकड़े वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 से संबंधित हैं।

विवरण–3

प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम (एकल प्रीमियम को मिलाकर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
एगॉन रेलीगेयर	--	--	--	--	–	–	--	--	31.21	150.37	274.87	207.65	135.90	147.22	207.50
अवीवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39	801.86	687.40	593.76	556.89
बजाज अलायंज	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82	2717.31	2987.90	2592.03	2702.10
भारती एक्सा	--	--	--	--	–	–	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78	224.59	248.92	375.61	474.20
बिरला सनलाइफ	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30	1926.17	1836.51	1697.49	1937.94
कैनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	–	–	--	--	296.41	622.62	817.29	687.10	606.72	608.07	476.98
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	–	–	--	--	3.37	37.38	74.15	103.16	140.01	172.95	578.01
एडेल्वाईस टोकियो	--	--	--	--	–	–	--	--	--	–	–	10.88	47.33	80.72	122.42
एक्साइड लाइफ	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49	638.14	638.20	567.81	644.75
फ्यूचर जनरली	--	--	--	--	–	–	--	2.49	149.97	486.08	448.61	345.03	240.43	224.90	252.41
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33	3857.47	4436.07	4038.93	5492.10
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6333.92	7862.14	4441.09	4808.62	3759.59	5332.13
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	–	–	--	11.90	316.78	400.56	444.95	311.01	345.14	315.69	484.50
इंडिया फर्स्ट	--	--	--	--	–	–	--	--	--	201.59	704.77	982.31	1316.42	1681.36	1538.67
कोटेक महिन्द्रा	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14	1164.27	1188.10	1271.81	1540.18
मैक्स लाइफ	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39	1901.72	1899.34	2261.60	2572.60
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22	1076.97	840.08	675.89	829.06
रिलायंस	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94	1809.29	1376.57	1933.99	2069.69
सहारा	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83	71.14	61.43	65.09	38.44
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7589.58	6531.32	5182.88	5065.48	5529.16
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	–	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99	390.99	420.65	389.83	498.52
स्टार यूनियन दाई–ईची	--	--	--	--	–	–	--	--	50.19	519.87	758.69	964.77	744.80	562.85	629.93
टाटा एआईए	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21	939.55	560.16	433.76	312.05
कुल निजी क्षेत्र	**6.45**	**268.51**	**965.69**	**2440.71**	**5564.57**	**10269.67**	**19425.65**	**33715.95**	**34152.00**	**38372.01**	**39385.84**	**32103.78**	**30749.58**	**29516.43**	**34820.23**
		(4061.70)	**(259.65)**	**(152.74)**	**(127.99)**	**(84.55)**	**(89.16)**	**(73.56)**	**(1.29)**	**(12.36)**	**(2.64)**	**(-18.49)**	**(-4.22)**	**(-4.01)**	**(17.97)**
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35	81862.25	76611.50	90808.79	78507.72
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)	(34.49)	(21.66)	(-5.92)	(-6.41)	(18.53)	(-13.55)
कुल उद्योग	**9707.43**	**19857.28**	**16942.45**	**19788.32**	**26217.64**	**38785.54**	**75649.21**	**93712.52**	**87331.08**	**109893.91**	**126398.18**	**113966.03**	**107361.08**	**120325.22**	**113327.95**
		(104.56)	**(-14.68)**	**(16.80)**	**(32.49)**	**(47.94)**	**(95.04)**	**(23.88)**	**(-6.81)**	**(25.84)**	**(15.02)**	**(-9.84)**	**(-5.80)**	**(12.08)**	**(-5.82)**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
2. — व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण–4

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
एगॅन रेलीगेयर	–	--	--	–	--	–	–	--	31.21	165.65	388.61	457.32	430.50	453.00	559.20
अवीवा	–	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17	2415.87	2140.67	1878.10	1796.25
बजाज अलायंज	–	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95	7483.80	6892.70	5843.14	6017.30
भारती एक्सा	–	--	--	–	--	–	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02	774.16	744.52	872.65	1053.32
बिरला सनलाइफ	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07	5885.36	5216.30	4833.05	5233.22
कैनरा एचएसबीसी	–	--	--	–	--	–	–	--	296.41	842.45	1531.86	1861.08	1912.15	1823.42	1657.02
डीएचएफएल प्रामेरिका	–	--	--	–	--	–	–	--	3.37	38.44	95.04	167.01	236.79	305.86	735.10
एडेल्वाईस टोकियो	–	--	--	–	--	–	–	--	–	--	--	10.88	54.83	110.90	193.08
एक्साइड लाइफ	–	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95	1679.98	1742.36	1830.67	2027.48
फ्यूचर जनरली	–	--	--	–	--	–	–	2.49	152.60	541.51	726.16	779.58	678.29	634.16	604.25
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17	10202.40	11322.68	12062.90	14829.90
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63	14021.58	13538.24	12428.65	15306.62
आईडीबीआई फेडरल	–	--	--	–	--	–	–	11.90	318.97	571.12	811.00	736.70	804.68	826.25	1069.62
इंडिया फर्स्ट	–	--	--	–	--	–	–	--	–	201.60	798.43	1297.93	1690.08	2143.36	2034.11
कोटेक महिन्द्रा	–	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51	2937.43	2777.78	2700.79	3038.05
मैक्स लाइफ	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63	6390.53	6638.70	7278.54	8171.62
पीएनबी मेटलाइफ	–	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17	2677.50	2429.52	2240.59	2461.19
रिलायंस	–	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15	5497.62	4045.39	4283.40	4621.08
सहारा	–	--	--	–	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41	225.95	205.38	204.63	166.86
एसबीआई लाइफ	–	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12945.29	13133.74	10450.03	10738.60	12867.11
श्रीराम लाइफ	–	--	--	–	--	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52	644.16	618.07	594.24	734.66
स्टार यूनियन दाई–ईची	–	--	--	–	--	–	–	--	50.19	530.37	933.31	1271.95	1068.80	948.75	1134.68
टाटा एआईए	–	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22	3630.30	2760.43	2323.70	2121.79
कुल निजी क्षेत्र	**6.45**	**272.55**	**1119.06**	**3120.33**	**7727.51**	**15083.54**	**28253.00**	**51561.42**	**64497.43**	**79369.94**	**88165.24**	**84182.83**	**78398.91**	**77359.36**	**88433.49**
		(4124.31)	**(310.59)**	**(178.83)**	**(147.65)**	**(95.19)**	**(87.31)**	**(82.50)**	**(25.09)**	**(23.06)**	**(11.08)**	**(-4.52)**	**(-6.87)**	**(-1.33)**	**14.32**
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40	202889.28	208803.58	236942.30	239667.65
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)	(18.30)	(9.35)	(-0.29)	(2.92)	(13.48)	(1.15)
कुल उद्योग	**34898.47**	**50094.46**	**55747.55**	**66653.75**	**82854.80**	**105875.76**	**156075.84**	**201351.41**	**221785.47**	**265447.25**	**291638.64**	**287072.11**	**287202.49**	**314301.66**	**328101.14**
		(43.54)	**(11.28)**	**(19.56)**	**(24.31)**	**(27.78)**	**(47.41)**	**(29.01)**	**(10.15)**	**(19.69)**	**(9.87)**	**(-1.57)**	**(0.05)**	**(9.44)**	**4.39**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
2. –– व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण–5

जीवन बीमाकर्ताओं का सहबद्ध और गैर–सहबद्ध प्रीमियम 2014–15

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					सहबद्ध प्रीमियम					गैर–सहबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल
एगॉन रेलीगेयर	206.28	1.22	207.50	351.69	559.20	32.95	0.45	33.40	160.48	193.89	173.33	0.77	174.10	191.21	365.31
अवीवा	546.04	10.86	556.89	1239.36	1796.25	113.53	4.71	118.24	615.39	733.63	432.51	6.15	438.65	623.97	1062.62
बजाज अलायंज	1501.02	1201.07	2702.10	3315.20	6017.30	331.27	643.57	974.84	771.03	1745.88	1169.75	557.50	1727.25	2544.17	4271.42
भारती एक्सा	350.48	123.73	474.20	579.12	1053.32	6.10	1.92	8.02	236.22	244.24	344.37	121.80	466.18	342.90	809.08
बिरला सनलाइफ	1896.37	41.57	1937.94	3295.28	5233.22	665.13	12.57	677.70	2322.42	3000.12	1231.24	29.01	1260.25	972.86	2233.10
कैनरा एचएसबीसी	336.35	140.63	476.98	1180.04	1657.02	249.22	4.90	254.12	964.08	1218.19	87.13	135.73	222.86	215.96	438.82
डीएचएफएल प्रामेरिका	178.58	399.43	578.01	157.09	735.10	8.54	0.23	8.77	30.38	39.15	170.04	399.20	569.24	126.70	695.95
एडेल्वाईस टोकियो	105.30	17.12	122.42	70.66	193.08	17.64	4.95	22.58	5.10	27.69	87.66	12.17	99.84	65.56	165.40
एक्साइड लाइफ	429.09	215.67	644.75	1382.72	2027.48	20.94	9.31	30.25	181.95	212.20	408.15	206.36	614.51	1200.77	1815.28
फ्यूचर जनरली	245.89	6.52	252.41	351.84	604.25	21.80	4.32	26.12	69.72	95.84	224.09	2.20	226.29	282.11	508.40
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2927.90	2564.20	5492.10	9337.80	14829.90	1845.36	530.68	2376.04	5950.92	8326.96	1082.54	2033.51	3116.06	3386.88	6502.94
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	4573.17	758.96	5332.13	9974.49	15306.62	3884.90	480.25	4365.15	6799.21	11164.35	688.27	278.71	966.98	3175.28	4142.26
आईडीबीआई फेडरल	257.64	226.86	484.50	585.12	1069.62	17.30	105.24	122.54	84.57	207.11	240.34	121.62	361.96	500.56	862.52
इंडिया फर्स्ट	155.67	1383.01	1538.67	495.43	2034.11	91.74	76.24	167.98	444.98	612.96	63.93	1306.77	1370.69	50.45	1421.14
कोटेक महिन्द्रा	1061.42	478.76	1540.18	1497.88	3038.05	269.02	137.95	406.98	622.47	1029.45	792.40	340.80	1133.20	875.41	2008.61
मैक्स लाइफ	1924.78	647.82	2572.60	5599.02	8171.62	521.52	38.69	560.21	1553.96	2114.18	1403.26	609.13	2012.39	4045.05	6057.44
पीएनबी मेटलाइफ	812.90	16.16	829.06	1632.12	2461.19	307.22	9.53	316.75	674.92	991.67	505.68	6.63	512.31	957.21	1469.52
रिलायंस	1971.09	98.59	2069.69	2551.40	4621.08	505.52	21.74	527.26	668.46	1195.72	1465.57	76.86	1542.43	1882.93	3425.36
सहारा	10.35	28.10	38.44	128.41	166.86	0.10	2.89	2.99	13.99	16.99	10.24	25.21	35.45	114.42	149.87
एसबीआई लाइफ	3330.72	2198.44	5529.16	7337.95	12867.11	1379.84	555.29	1935.12	3351.78	5286.90	1950.88	1643.15	3594.03	3986.17	7580.21
श्रीराम लाइफ	273.46	225.06	498.52	236.13	734.66	2.04	24.38	26.42	32.65	59.07	271.42	200.68	472.10	203.49	675.59
स्टार यूनियन दाई–ईची	551.74	78.19	629.93	504.75	1134.68	218.41	34.70	253.11	284.37	537.48	333.33	43.48	376.81	220.39	597.20
टाटा एआईए	293.91	18.14	312.05	1809.74	2121.79	54.44	1.44	55.88	630.34	686.22	239.48	16.69	256.17	1179.41	1435.58
कुल निजी क्षेत्र	23940.13	10880.10	34820.23	53613.26	88433.49	10564.52	2705.96	13270.48	26469.41	39739.89	13375.61	8174.14	21549.75	27143.85	48693.60
एलआईसी	23112.20	55395.51	78507.72	161159.94	239667.65	0.68	1.36	2.04	1875.01	1877.05	23111.52	55394.15	78505.67	159284.93	237790.60
कुल उद्योग	47052.34	66275.61	113327.95	214773.20	328101.14	10565.21	2707.32	13272.53	28344.42	41616.94	36487.13	63568.29	100055.42	186428.78	286484.20

टिप्पणी : 1. पहला वर्ष प्रीमियम नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम।
2. कुल प्रीमियम पहला वर्ष प्रीमियम + नवीकरण प्रीमियम।

जीवन बीमाकर्ताओं का सहबद्ध और गैर–सहबद्ध प्रीमियम 2013–14

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					सहबद्ध प्रीमियम					गैर–सहबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल	नयमित	एकल	पहला वर्ष	नवीकरण	कुल
एगॉन रेलीगेयर	144.18	3.04	147.22	305.78	453.00	30.00	2.10	32.10	184.19	216.29	114.19	0.94	115.13	121.59	236.72
अवीवा	581.53	12.23	593.76	1284.34	1878.10	68.15	5.99	74.14	776.50	850.63	513.39	6.24	519.63	507.84	1027.47
बजाज अलायंज	1598.52	993.51	2592.03	3251.11	5843.14	140.98	321.64	462.62	954.20	1416.82	1457.55	671.86	2129.41	2296.91	4426.32
भारती एक्सा	294.85	80.76	375.61	497.05	872.65	15.02	0.23	15.25	322.54	337.79	279.83	80.53	360.36	174.51	534.87
बिरला सनलाइफ	1638.72	58.77	1697.49	3135.56	4833.05	737.79	12.79	750.58	2399.97	3150.55	900.92	45.98	946.91	735.60	1682.50
कैनरा एचएसबीसी	299.56	308.50	608.07	1215.35	1823.42	192.47	3.87	196.34	1046.72	1243.06	107.09	304.63	411.72	168.64	580.36
डीएचएफएल प्रामेरिका	108.27	64.69	172.95	132.91	305.86	5.32	3.42	8.74	37.42	46.16	102.95	61.27	164.21	95.49	259.70
एडेल्वाईस टोकियो	67.46	13.26	80.72	30.19	110.90	2.87	5.84	8.71	2.96	11.67	64.59	7.42	72.01	27.23	99.23
एक्साइड लाइफ	493.90	73.91	567.81	1262.86	1830.67	26.20	2.12	28.32	237.66	265.97	467.70	71.79	539.49	1025.21	1564.70
फ्यूचर जनरली	175.90	49.00	224.90	409.26	634.16	18.70	46.98	65.68	112.67	178.35	157.19	2.02	159.21	296.59	455.81
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	2355.70	1683.23	4038.93	8023.97	12062.90	1198.35	323.39	1521.74	5370.51	6892.25	1157.35	1359.84	2517.19	2653.46	5170.66
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	3285.17	474.42	3759.59	8669.06	12428.65	2200.45	127.59	2328.04	6033.19	8361.22	1084.72	346.83	1431.56	2635.87	4067.43
आईडीबीआई फेडरल	274.89	40.81	315.69	510.55	826.25	0.55	21.94	22.48	119.05	141.53	274.34	18.87	293.21	391.51	684.72
इंडिया फर्स्ट	147.64	1533.72	1681.36	462.00	2143.36	108.31	46.14	154.45	430.10	584.56	39.33	1487.57	1526.91	31.89	1558.80
कोटेक महिन्द्रा	789.07	482.74	1271.81	1428.98	2700.79	197.35	189.88	387.24	763.34	1150.58	591.72	292.86	884.58	665.64	1550.21
मैक्स लाइफ	1787.43	474.17	2261.60	5016.95	7278.54	392.02	13.63	405.64	1694.60	2100.24	1395.41	460.54	1855.95	3322.35	5178.30
पीएनबी मेटलाइफ	630.44	45.45	675.89	1564.70	2240.59	166.10	15.87	181.97	769.10	951.07	464.33	29.58	493.91	795.60	1289.51
रिलायंस	1836.25	97.74	1933.99	2349.41	4283.40	219.83	51.83	271.66	831.88	1103.54	1616.43	45.91	1662.33	1517.53	3179.86
सहारा	25.16	39.93	65.09	139.54	204.63	0.09	5.07	5.16	25.41	30.58	25.07	34.86	59.93	114.13	174.06
एसबीआई लाइफ	2997.51	2067.97	5065.48	5673.13	10738.60	1002.79	282.14	1284.92	3007.39	4292.31	1994.72	1785.84	3780.56	2665.74	6446.30
श्रीराम लाइफ	188.70	201.13	389.83	204.40	594.24	2.53	74.31	76.84	50.55	127.38	186.18	126.82	313.00	153.86	466.85
स्टार यूनियन दाई–ईची	442.68	120.17	562.85	385.90	948.75	142.00	63.82	205.82	263.67	469.49	300.69	56.35	357.03	122.22	479.26
टाटा एआईए	333.97	99.78	433.75	1889.95	2323.70	62.54	22.81	85.35	808.46	893.81	271.43	76.97	348.40	1081.49	1429.89
कुल निजी क्षेत्र	**20497.51**	**9018.92**	**29516.43**	**47842.93**	**77359.36**	**6930.40**	**1643.39**	**8573.79**	**26242.04**	**34815.83**	**13567.11**	**7375.53**	**20942.64**	**21600.89**	**42543.53**
एलआईसी	31904.49	58904.30	90808.79	146133.51	236942.30	9.10	34.75	43.85	2684.40	2728.25	31895.39	58869.55	90764.94	143449.12	234214.05
कुल उद्योग	**52402.00**	**67923.22**	**120325.22**	**193976.45**	**314301.66**	**6939.50**	**1678.14**	**8617.64**	**28926.44**	**37544.08**	**45462.50**	**66245.07**	**111707.58**	**165050.01**	**276757.58**

टिप्पणी :
1. पहला वर्ष प्रीमियम नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम।
2. कुल प्रीमियम पहला वर्ष प्रीमियम + नवीकरण प्रीमियम।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

वर्ष 2014–15 के लिए व्यक्तिगत मृत्यु दावे

विवरण –6

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचाराधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित/निरस्त किये गये दावे		लौटाये गये दावे		अवधि के अंत में विचाराधीन दावे		विचाराधीन दावों का अलग–अलग विवरण – अवधि के अनुसार (पॉलिसियां)				
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
एगॅन रेलीगेयर	0	0.00	460	35.76	**460**	**35.76**	413	30.73	46	5.14	0	0.00	**1**	**0**	1	0	0	0	1
					100%	100%	89.78%	85.93%	10.00%	14.38%	-	-	0.22%	-0.31%	100.00%				100%
अवीवा	3	0.80	1680	148.50	**1683**	**149.30**	1398	107.48	276	39.76	0.00	0.00	**9**	**2**	9	0	0	0	9
					100%	100%	83.07%	71.99%	16.40%	26.63%	-	-	0.53%	1.38%	100.00%				100%
बजाज अलायंज	572	23.33	20089	406.21	**20661**	**429.54**	18978	347.85	1059	45.33	0.00	0.00	**624**	**36**	616	8	0	0	624
					100%	100%	91.85%	80.98%	5.13%	10.55%	-	-	3.02%	8.47%	98.72%	1.28%			100%
भारती एक्सा	23	1.99	1087	47.58	**1110**	**49.57**	898	35.16	180	11.13	0.00	0.00	**32**	**3**	31	1	0	0	32
					100%	100%	80.90%	70.92%	16.22%	22.45%	-	-	2.88%	6.63%	96.88%	3.13%			100%
बिरला सनलाइफ	246	20.04	8207	299.24	**8453**	**319.28**	8056	278.08	255	23.47	0.00	0.00	**142**	**18**	98	6	2	36	142
					100%	100%	95.30%	87.10%	3.02%	7.35%	-	-	1.68%	5.55%	69.01%	4.23%	1.41%	25.35%	100%
कैनरा एचएसबीसी	16	3.73	560	32.38	**576**	**36.11**	516	28.81	42	4.93	0.00	0.00	**18**	**2**	11	4	1	2	18
					100%	100%	89.58%	79.77%	7.29%	13.65%	-	-	3.13%	6.59%	61.11%	22.22%	5.56%	11.11%	100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	463	15.35	490	15.27	**953**	**30.62**	545	14.94	338	12.61	15.00	0.65	**55**	**2**	30	10	9	6	55
					100%	100%	57.19%	48.80%	35.47%	41.19%	1.57%	2.14%	5.77%	7.88%	54.55%	18.18%	16.36%	10.91%	100%
एडेल्वाईस टोकियो	14	1.32	105	12.15	**119**	**13.47**	68	7.24	45	5.20	0	0.00	**6**	**1**	5	1	0	0	6
					100%	100%	57.14%	53.76%	37.82%	38.58%	-	-	5.04%	7.66%	83.33%	16.67%			100%
एक्साइड लाइफ	206	9.65	3226	79.79	**3432**	**89.44**	2955	60.14	421	24.52	8	0.75	**48**	**4**	31	17	0	0	48
					100%	100%	86.10%	67.24%	12.27%	27.41%	0.23%	0.83%	1.40%	4.52%	64.58%	35.42%			100%
फ्यूचर जनरली	231	8.59	1929	36.56	**2160**	**45.15**	1808	30.94	314	10.67	0.00	0.00	**38**	**4**	33	2	3	0	38
					100%	100%	83.70%	68.53%	14.54%	23.63%	-	-	1.76%	7.84%	86.84%	5.26%	7.89%		100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	94	14.48	12095	387.55	**12189**	**402.03**	11031	263.52	883	84.96	0.00	0.00	**275**	**54**	218	57	0	0	275
					100%	100%	90.50%	65.55%	7.24%	21.13%	-	-	2.26%	13.32%	79.27%	20.73%			100%
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	123	29.87	12186	413.63	**12309**	**443.50**	11546	352.86	667	76.50	0.00	0.00	**96**	**14**	65	29	1	1	96
					100%	100%	93.80%	79.56%	5.42%	17.25%	-	-	0.78%	3.19%	67.71%	30.21%	1.04%	1.04%	100%
आईडीबीआई फेडरल	39	2.44	932	41.98	**971**	**44.42**	736	31.49	191	9.44	0	0.00	**44**	**3**	43	0	0	1	44
					100%	100%	75.80%	70.90%	19.67%	21.26%	-	-	4.53%	7.84%	97.73%			2.27%	100%
इंडिया फर्स्ट	49	2.63	1606	46.72	**1655**	**49.35**	1195	29.82	378	13.78	0	0.00	**82**	**6**	76	2	4	0	82
					100%	100%	72.21%	60.43%	22.84%	27.92%	-	-	4.95%	11.65%	92.68%	2.44%	4.88%		100%

टिप्पणी : 1) प्रत्येक बीमाकंपनी की पहली पंक्ति निरपेक्ष आंकड़ों को दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत को दर्शाती है ।

2) अस्वीकार कर के रूप में होने के कारण गलत बयान करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, जो दावा है, आदि गलत बयानी बीमा अधिनियम की धारा 45 के दायरे में आने वाले हैं, जबकि नीति दावे के कारण नीति की स्थिति से उत्पन्न एक दावे की अमान्यता के लिए विचार नहीं किया जा सकता है, जहां सभी मामलों में वर्गीत किया जाएगा पाटा के रूप में, 1938 में वर्गीत किया जाएगा।

वर्ष 2014–15 के लिए व्यक्तिगत मृत्यु दावे

जारी... विवरण –6

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचाराधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित/निरस्त किये गये दावे		लौटाये गये दावे		अवधि के अंत में विचाराधीन दावे		विचाराधीन दावों का अलग–अलग विवरण – अवधि के अनुसार (पॉलिसियां)				
	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	पॅलिसियों की संख्या	हित राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
कोटेक महिन्द्रा	49	4.21	2637	83.64	**2686**	**87.85**	2437	72.17	162	7.49	0.00	0.00	**87**	**8**	28	9	16	34	87
					100%	100%	90.73%	82.15%	6.03%	8.52%	-	-	3.24%	9.33%	32.18%	10.34%	18.39%	39.08%	100%
मैक्स लाइफ	4	0.34	9145	261.93	**9149**	**262.27**	8786	245.46	357	14.71	0.00	0.00	**6**	**2**	5	1	0	0	6
					100%	100%	96.03%	93.59%	3.90%	5.61%	-	-	0.07%	0.80%	83.33%	16.67%			100%
पीएनबी मेटलाइफ	8	10.44	2458	108.59	**2466**	**119.03**	2290	102.00	137	10.03	2	0.26	**37**	**7**	29	8	0	0	37
					100%	100%	92.86%	85.70%	5.56%	8.42%	0.08%	0.22%	1.50%	5.66%	78.38%	21.62%			100%
रिलायंस लाइफ	1505	33.35	16637	278.02	**18142**	**311.37**	15211	229.27	1881	49.22	0	0.00	**1050**	**33**	733	43	77	197	1050
					100%	100%	83.84%	73.63%	10.37%	15.81%	-	-	5.79%	10.56%	69.81%	4.10%	7.33%	18.76%	100%
सहारा	16	0.21	762	6.89	**778**	**7.10**	700	6.38	50	0.45	0	0.00	**28**	**0**	18	10	0	0	28
					100%	100%	89.97%	89.84%	6.43%	6.29%	-	-	3.60%	3.87%	64.29%	35.71%			100%
एसबीआई लाइफ	528	25.69	14348	339.08	**14876**	**364.77**	13303	305.40	1103	27.97	0	0.00	**470**	**31**	320	39	24	87	470
					100%	100%	89.43%	83.72%	7.41%	7.67%	-	-	3.16%	8.61%	68.09%	8.30%	5.11%	18.51%	100%
श्रीराम लाइफ	190	7.69	1770	53.80	**1960**	**61.49**	1287	31.49	453	18.51	0.00	0.00	**220**	**11**	189	14	5	12	220
					100%	100%	65.66%	51.21%	23.11%	30.10%	-	-	11.22%	18.69%	85.91%	6.36%	2.27%	5.45%	100%
स्टार यूनियन दाई–ईची	9	0.27	1257	36.85	**1266**	**37.12**	1191	33.98	71	2.81	0.00	0.00	**4**	**0**	1	3	0	0	4
					100%	100%	94.08%	91.54%	5.61%	7.58%	-	-	0.32%	0.89%	25.00%	75.00%			100%
टाटा एआईए	146	6.55	3727	92.03	**3873**	**98.58**	3659	88.27	177	7.84	0.00	0.00	**37**	**2**	15	5	4	13	37
					100%	100%	94.47%	89.54%	4.57%	7.95%	-	-	0.96%	2.51%	40.54%	13.51%	10.81%	35.14%	100%
कुल निजी क्षेत्र	**4534**	**222.98**	**117393**	**3264.14**	**121927**	**3487.12**	**109007**	**2733.49**	**9486**	**506.45**	**25**	**1.66**	**3409**	**245.52**	**2605**	**269**	**146**	**389**	**3409**
					100%	100%	89.40%	78.39%	7.78%	14.52%	0.02%	0.05%	2.80%	7.04%	76.42%	7.89%	4.28%	11.41%	100%
एल्आईसी	**3962**	**227.69**	**751939**	**9252.80**	**755901**	**9480.49**	**742243**	**9055.18**	**8689**	**194.93**	**1317**	**22.75**	**3652**	**208**	**679**	**723**	**1151**	**1099**	**3652**
					100%	100%	98.19%	95.51%	1.15%	2.06%	0.17%	0.24%	0.48%	2.19%	18.59%	19.80%	31.52%	30.09%	100%
कुल उद्योग	**8496**	**450.67**	**869332**	**12516.94**	**877828**	**12967.61**	**851250**	**11788.67**	**18231**	**701.69**	**1342**	**24.41**	**7061**	**453.15**	**3284**	**992**	**1297**	**1488**	**7061**
					100%	100%	96.97%	90.91%	2.08%	5.41%	0.15%	0.19%	0.80%	3.49%	46.51%	14.05%	18.37%	21.07%	100%

टिप्पणी : 1) प्रत्येक बीमाकंपनी की पहली पंक्ति निरपेक्ष आंकड़ों को दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत को दर्शाती है ।

2) पॉलिसी की शर्तों के परिणामस्वरूप दावे का अस्वीकरण के कारण उन सभी मामलों में जहाँ पॉलिसी दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता वह सभी रद्द दावों के रूप में वर्गीकृत किये जाऐंगे जबकि वह दावे जिनको झूठा वर्णन आदि के कारण माना नहीं जा रहा है वह बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 की परिधि में आऐंगे वह निराकरण के रूप में वर्गीकृत किये जाऐंगे ।

विवरण –7

वर्ष 2014–15 के लिए समूह मृत्यु दावे

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचाराधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित/निरस्त किये गये दावे		लौटाये गये दावे		अवधि के अंत में विचाराधीन दावे		विचाराधीन दावों का अलग–अलग विवरण – अवधि के अनुसार (पॉलिसियां)				
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
एगॉन रेलीगेयर	0	0.00	3	0.27	**3**	**0.27**	3	0.27	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-							0%
अवीवा	0	0.00	3617	14.22	**3617**	**14.22**	3523	13.73	94	0.49	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.40%	96.54%	2.60%	3.46%	-	-		0.00%					0%
बजाज अलायंज	401	14.09	109468	407.68	**109869**	**421.77**	107194	389.57	2352	23.05	0	0.00	**323**	**9.16**	309	14	0	0	323
					100%	100%	97.57%	92.36%	2.14%	5.46%	-	-	0.29%	2.17%	95.67%	4.33%			100%
भारती एक्सा	0	0.00	136	13.45	**136**	**13.45**	112	10.08	24	3.38	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	82.35%	74.91%	17.65%	25.09%	-	-		0.00%					0%
बिरला सनलाइफ	0	0	1768	89.73	**1768**	**89.73**	1768	89.73	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-							0%
कैनरा एचएसबीसी	0	0.00	428	3.48	**428**	**3.48**	414	3.19	13	0.29	0	0.00	**1**	**0.00**	1	0	0	0	1
					100%	100%	96.73%	91.67%	3.04%	8.25%	-	-	0.23%	0.09%	100.00%				100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	33	0.07	3756	11.35	**3789**	**11.42**	3315.00	8.63	42	0.53	0	0.00	**432**	**2.26**	415	17	0	0	432
					100%	100%	87.49%	75.55%	1.11%	4.65%	-	-	11.40%	19.80%	96.06%	3.94%			100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	6	0.03	636	6.08	**642**	**6.11**	632	5.88	2	0.05	0	0.00	**8**	**0.18**	6	2	0	0	8
					100%	100%	98.44%	96.17%	0.31%	0.87%	-	-	1.25%	2.96%	75.00%	25.00%			100%
एक्साइड लाइफ	3	0.24	306	2.75	**309**	**2.98**	308	2.97	1	0.01	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.68%	99.66%	0.32%	0.34%	-	-		0.00%					0%
फ्यूचर जनरली	12466	20.81	125	17.78	**12591**	**38.59**	154	20.38	2	0.10	0	0.00	**12435**	**18.11**	8	3	3	12421	12435
					100%	100%	1.22%	52.81%	0.02%	0.26%	-	-	98.76%	46.93%	0.06%	0.02%	0.02%	99.89%	100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0.00	5022	58.33	**5022**	**58.33**	4957	52.86	65	5.46	0	0.00	**0**	**0.01**	0	0	0	0	0
					100%	100%	98.71%	90.62%	1.29%	9.36%	-	-		0.02%					0%
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	22	5.32	2312	74.73	**2334**	**80.05**	2308	75.55	18	2.55	0	0.00	**8**	**1.96**	2	1	1	4	8
					100%	100%	98.89%	94.38%	0.77%	3.18%	-	-	0.34%	2.44%	25.00%	12.50%	12.50%	50.00%	100%
आईडीबीआई फेडरल	2	0.35	1041	11.61	**1043**	**11.96**	1035	10.92	7	0.66	0	0.00	**1**	**0.37**	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.23%	91.36%	0.67%	5.52%	-	-	0.10%	3.12%	100.00%				100%
इंडिया फर्स्ट	56	2.13	3130	53.59	**3186**	**55.72**	2750	42.70	408	11.97	0	0.00	**28**	**1.05**	24	0	0	4	28
					100%	100%	86.32%	76.63%	12.81%	21.49%	-	-	0.88%	1.89%	85.71%			14.29%	100

टिप्पणी : प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र संख्याएं दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

वर्ष 2014–15 के लिए समूह मृत्यु दावे

जारी... विवरण –7

(लाभ राशि ₹ करोड़ में)

जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के शुरू से विचाराधीन दावे		सूचित/बुक किये गये दावे		कुल दावे		प्रदत्त दावे		खंडित/निरस्त किये गये दावे		लौटाये गये दावे		अवधि के अंत में विचाराधीन दावे		विचाराधीन दावों का अलग–अलग विवरण – अवधि के अनुसार (पॉलिसियां)				
	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	पॉलिसियों की संख्या	हित राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - <1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
कोटेक महिन्द्रा ओल्ड म्यूच्युवल	24	2.17	19374	196.52	**19398**	**198.69**	19270	190.76	84	4.83	0	0.00	**44**	**3.10**	9	7	12	16	44
					100%	100%	99.34%	96.01%	0.43%	2.43%	-	-	0.23%	1.56%	20.45%	15.91%	27.27%	36.36%	100%
मैक्स लाइफ	0	0.00	6088	47.36	**6088**	**47.36**	6045	43.15	42	3.68	0	0.00	**1**	**0.53**	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.29%	91.11%	0.69%	7.78%	-	-	0.02%	1.11%	100.00%				100%
पीएनबी मेटलाइफ	1	0.01	1604	91.98	**1605**	**91.98**	1593	91.57	8	0.19	0	0.00	**4**	**0.22**	4	0	0	0	4
					100%	100%	99.25%	99.55%	0.50%	0.21%	-	-	0.25%	0.24%	100.00%				100%
रिलायंस लाइफ	6	0.13	2219	33.11	**2225**	**33.25**	2221	33.17	1	0.02	0	0.00	**3**	**0.06**	2	0	0	1	3
					100%	100%	99.82%	99.76%	0.04%	0.06%	-	-	0.13%	0.18%	66.67%			33.33%	100%
सहारा	0	0.00	1	0.01	**1**	**0.01**	1	0.01	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-							0%
एसबीआई लाइफ	128	6.53	10475	298.80	**10603**	**305.33**	10169	282.42	255	14.45	0	0.00	**179**	**8.46**	121	16	13	29	179
					100%	100%	95.91%	92.50%	2.40%	4.73%	-	-	1.69%	2.77%	67.60%	8.94%	7.26%	16.20%	100%
श्रीराम	0	0.00	6353	67.21	**6353**	**67.21**	6353	67.21	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-	-	-							0%
स्टार यूनियन	0	0.00	907	22.24	**907**	**22.24**	901	21.57	6	0.48	0.00	0.00	**0**	**0.19**	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.34%	96.99%	0.66%	2.15%	-	-		0.86%					0%
टाटा एआईए	82	3.04	990	29.22	**1072**	**32.26**	988	27.26	48	3.08	0	0.00	**36**	**1.92**	27	3	6	0	36
					100%	100%	92.16%	84.49%	4.48%	9.56%	-	-	3.36%	5.95%	75.00%	8.33%	16.67%		100%
कुल निजी क्षेत्र	**13230**	**54.92**	**179759**	**1551.50**	**192989**	**1606.41**	**176014**	**1483.55**	**3472**	**75.27**	**0**	**0.00**	**13503**	**47.59**	**930**	**63**	**35**	**12475**	**13503**
					100%	100%	91.20%	92.35%	1.80%	4.69%	-	-	7.00%	2.96%	6.89%	0.47%	0.26%	92.39%	100%
एलआईसी	**928**	**7.87**	**272866**	**2037.11**	**273794**	**2044.98**	**272811**	**2037.27**	**98**	**0.40**	**0**	**0.00**	**885**	**7.31**	**596**	**218**	**10**	**61**	**885**
					100%	100%	99.64%	99.62%	0.04%	0.02%	-	-	0.32%	0.36%	67.34%	24.63%	1.13%	6.89%	100%
कुल उद्योग	**14158**	**62.79**	**452625**	**3588.61**	**466783**	**3651.39**	**448825**	**3520.82**	**3570**	**75.67**	**0**	**0.00**	**14388**	**54.90**	**1526**	**281**	**45**	**12536**	**14388**

टिप्पणी : प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र संख्याएं दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां

विवरण –8
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि											
	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां		राज्य सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		आधारभूत सुविधा निवेश		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
	31.03.2015	31.3.2014	31.03.2015	31.3.2014	31.03.2015	31.3.2014	31.03.2015	31.3.2014	31.03.2015	31.3.2014	31.03.2015	31.3.2014
एगॅन रेलीगेयर	317.64	216.79	4.68	4.69	109.97	64.12	64.87	49.76	35.94	22.21	533.10	357.56
अवीवा	1856.75	1220.31	139.02	181.85	596.10	416.83	246.97	386.63	0.01	0.01	2838.85	2205.62
बजाज अलायंज	9881.46	6722.18	1427.01	1542.94	3200.89	2767.15	2901.38	2588.74	136.11	248.80	17546.85	13869.82
भारती एक्सा	278.25	270.51	186.45	49.64	149.64	86.09	250.88	127.88	32.59	21.76	897.81	555.88
बिरला सनलाइफ	1995.60	1507.08	77.96	75.41	1079.14	735.58	552.11	476.38	103.36	208.40	3808.17	3002.85
कैनरा एचएसबीसी	833.20	653.52	31.35	31.19	395.34	304.91	70.36	125.70	72.47	0.00	1402.72	1115.32
डीएचएफएल प्रामेरिका	576.39	225.63	20.27	20.30	302.81	105.36	120.27	74.48	3.33	4.06	1023.08	429.82
एडेल्वाईस टोकियो	168.86	93.80	0.00	0.00	74.19	108.04	404.92	397.97	20.33	18.20	668.30	618.02
एक्साइड लाइफ	2576.99	2044.60	165.87	175.63	1180.56	887.46	766.16	643.99	92.88	268.35	4782.46	4020.04
फ्यूचर जनरली	557.79	433.17	195.47	225.67	378.92	362.38	327.09	216.91	2.33	0.32	1461.60	1238.45
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	8067.26	5794.04	292.74	565.74	3513.82	2599.40	4159.49	3131.98	279.76	240.40	16313.07	12331.57
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	10431.94	6602.07	527.10	909.16	3500.40	2630.83	4590.95	4571.01	186.52	761.79	19236.91	15474.86
आईडीबीआई फेडरल	1069.31	687.14	151.00	115.54	575.95	561.62	466.51	249.78	0.00	0.14	2262.76	1614.22
इंडिया फर्स्ट	323.25	271.86	61.41	40.74	132.44	86.09	143.12	147.90	1.25	1.25	661.47	547.84
कोटेक महिन्द्रा	2927.05	1639.38	192.40	570.76	865.47	809.36	860.33	751.17	171.12	0.31	5016.37	3770.98
मैक्स लाइफ	10230.86	7505.00	1289.68	1183.00	2832.14	2494.00	2544.62	1915.00	92.68	40.00	16989.97	13137.00
पीएनबी मेटलाइफ	3424.25	2644.06	154.09	164.35	1285.19	1004.42	346.39	237.70	0.00	0.00	5209.91	4050.53
रिलायंस	2476.41	2446.90	827.34	1117.91	1512.09	1512.54	1038.34	1979.05	144.69	85.66	5998.86	7142.07
सहारा	289.99	303.34	188.71	167.47	244.14	214.28	96.96	131.28	31.21	22.49	851.01	838.86
एसबीआई लाइफ	9123.22	6143.93	889.25	983.98	3365.59	2371.24	3449.26	2447.47	182.93	115.62	17010.24	12062.24
श्रीराम लाइफ	423.66	306.27	118.40	86.32	203.20	207.34	241.70	141.66	107.20	6.15	1094.16	747.74
स्टार यूनियन दाई–ईची	685.29	449.79	86.35	106.73	244.20	174.37	170.72	127.99	1.64	1.00	1188.20	859.88
टाटा एआईए	5878.60	4707.91	325.94	330.11	1702.44	1216.79	770.83	966.66	6.55	12.69	8684.36	7234.17
कुल निजी क्षेत्र	**74394.02**	**52889.29**	**7352.49**	**8649.13**	**27444.61**	**21720.20**	**24584.24**	**21887.09**	**1704.90**	**2079.61**	**135480.26**	**107225.33**
एलआईसी	548898.83	465935.19	321376.39	246820.32	147066.38	133305.70	317999.04	307900.22	24488.24	27038.22	1359828.88	1180999.65
कुल उद्योग	**623292.85**	**518824.47**	**328728.88**	**255469.45**	**174510.99**	**155025.90**	**342583.28**	**329787.31**	**26193.14**	**29117.83**	**1495309.14**	**1288224.97**

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	पेंशन, सामान्य वार्षिकी और समूह निधि							
	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां		राज्य सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		स्वीकृत निवेश		कुल (पेंशन, सामान्य वार्षिकी और समूह निधि)	
	31.03.2015	**31.3.2014**	**31.03.2015**	**31.3.2014**	**31.03.2015**	**31.3.2014**	**31.03.2015**	**31.3.2014**
एगॉन रेलीगेयर	3.74	2.84	0.35	0.35	0.23	0.25	4.32	3.45
अवीवा	352.33	259.96	1.02	69.21	312.65	293.96	666.01	623.12
बजाज अलायंज	1383.15	1197.85	336.22	267.24	2246.41	1990.32	3965.78	3455.41
भारती एक्सा	48.98	35.70	18.77	3.02	87.82	41.46	155.57	80.18
बिरला सनलाइफ	728.60	428.92	85.25	54.17	1027.61	639.79	1841.46	1122.87
कैनरा एचएसबीसी	243.69	314.86	83.40	73.34	433.57	512.53	760.66	900.73
डीएचएफएल प्रामेरिका	128.78	34.78	5.02	5.02	134.48	20.62	268.28	60.41
एडेल्वाईस टोकियो	14.83	4.95	0.00	0.00	7.38	0.41	22.21	5.36
एक्साइड लाइफ	573.28	420.69	103.65	103.19	681.59	662.47	1358.52	1186.35
फ्यूचर जनरली	101.21	49.95	52.83	39.20	159.75	103.34	313.79	192.49
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1794.90	1050.46	599.15	616.93	3374.96	2340.93	5769.01	4008.32
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	2138.75	1475.25	257.57	368.44	1465.21	1770.49	3861.53	3614.17
टाईडीबीआई फेडरल	56.25	35.32	53.58	38.11	131.10	42.10	240.93	115.52
इंडिया फर्स्ट	1445.47	923.42	544.17	428.78	1751.33	1426.87	3740.97	2779.07
कोटेक महिन्द्रा	171.18	88.91	42.30	15.33	140.96	89.53	354.44	193.77
मैक्स लाइफ	323.86	117.00	56.99	11.00	190.22	38.00	571.07	166.00
पीएनबी मेटलाइफ	130.83	106.84	5.99	60.41	85.86	179.13	222.68	346.38
रिलायंस	305.6002	260.8245	165.82	125.45	569.74	471.85	1041.15	858.13
सहारा	2.68	2.69	0.00	0.00	0.43	0.50	3.11	3.19
एसबीआई लाइफ	7689.10	6361.93	2337.14	2239.23	8927.19	8934.53	18953.43	17535.69
श्रीराम लाइफ	68.72	61.63	13.11	11.14	110.36	93.15	192.19	165.92
स्टार यूनियन दाई–ईची	282.34	267.38	115.99	120.92	375.64	340.56	773.97	728.87
टाटा एआईए	262.92	209.68	36.9600	66.1477	279.05	340.12	578.93	615.94
कुल निजी क्षेत्र	**18251.19**	**13711.82**	**4915.27**	**4716.63**	**22493.55**	**20332.90**	**45660.00**	**38761.34**
एलआईसी	81411.04	72114.24	96910.06	73764.87	165491.47	152938.98	343812.57	298818.10
कुल उद्योग	**99662.23**	**85826.06**	**101825.33**	**78481.50**	**187985.02**	**173271.88**	**389472.57**	**337579.44**

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	यूनिट लिंक्ड निधि						कुल (सभी निधि)	
	स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधि)			
	31.3.2015	**31.3.2014**	**31.3.2015**	**31.3.2014**	**31.3.2015**	**31.3.2014**	**31.3.2015**	**31.3.2014**
एगॉन रेलीगेयर	1129.02	945.76	46.28	28.69	1175.31	974.45	1712.73	1335.46
अवीवा	5536.92	5219.73	80.94	114.91	5617.85	5334.64	9122.71	8163.39
बजाज अलायंज	20429.20	19963.29	1215.84	1324.31	21645.04	21287.60	43157.67	38612.83
भारती एक्सा	1741.65	1729.92	167.20	51.90	1908.85	1781.82	2962.23	2417.88
बिरला सनलाइफ	23348.63	19330.88	1046.77	1220.00	24395.40	20550.87	30045.03	24676.59
कैनरा एचएसबीसी	7239.68	6205.00	380.33	139.47	7620.01	6344.47	9783.39	8360.51
डीएचएफएल प्रामेरिका	249.54	229.93	1.91	5.46	251.44	235.39	1542.80	725.62
एडेल्वाईस टोकियो	54.69	26.05	4.92	1.21	59.61	27.26	750.13	650.64
एक्साइड लाइफ	2310.07	2351.29	158.71	149.76	2468.78	2501.05	8609.76	7707.43
फ्यूचर जनरली	865.71	906.45	12.84	25.41	878.55	931.86	2653.94	2362.80
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	43332.60	33212.03	1587.72	701.47	44920.32	33913.51	67002.40	50253.39
टाईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	73437.94	57861.06	1339.59	2449.37	74777.54	60310.43	97875.98	79399.46
आईडीबीआई फेडरल	1743.13	1652.50	13.42	6.08	1756.55	1658.58	4260.24	3388.32
इंडिया फर्स्ट	3490.13	2765.26	105.36	68.13	3595.49	2833.39	7997.93	6160.30
कोटेक महिन्द्रा	9048.67	7918.87	631.44	120.15	9680.11	8039.02	15050.92	12003.77
मैक्स लाइफ	12742.31	10883.00	657.26	447.00	13399.57	11330.00	30960.61	24633.00
पीएनबी मेटलाइफ	7273.07	6370.63	30.54	161.67	7303.62	6532.30	12736.20	10929.21
रिलायंस	8293.98	9943.60	493.77	340.45	8787.75	10284.05	15827.76	18284.25
सहारा	267.99	329.16	3.54	5.61	271.53	334.77	1125.65	1176.82
एसबीआई लाइफ	33994.08	28375.79	815.99	221.49	34810.07	28597.28	70773.75	58195.20
श्रीराम लाइफ	1027.09	956.22	36.59	66.23	1063.68	1022.45	2350.03	1936.11
स्टार यूनियन दाई–ईची	3389.13	2758.12	33.49	44.38	3422.62	2802.49	5384.79	4391.25
टाटा एआईए	10021.27	9375.43	238.42	179.46	10259.69	9554.90	19522.98	17405.01
कुल निजी क्षेत्र	**270966.49**	**229309.96**	**9102.88**	**7872.61**	**280069.37**	**237182.57**	**461209.63**	**383169.24**
एलआईसी	81404.95	93146.03	1266.15	1332.57	82671.10	94478.59	1786312.55	1574296.34
कुल उद्योग	**352371.44**	**322455.98**	**10369.03**	**9205.18**	**362740.47**	**331661.16**	**2247522.18**	**1957465.57**

विवरण – 9

जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2014 को	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	31 मार्च 2015 को	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) (%)
एगॉन रेलीगेयर	1307.00	3.50	1310.50	340.73	969.77	26.00%
अवीवा	2004.90	0.00	2004.90	521.27	1483.63	26.00%
बजाज अलायंज	150.71	-0.01	150.70	39.18	111.52	26.00%
भारती एक्सा	1978.20	137.50	2115.70	470.15	1645.55	22.22%
बिरला सनलाइफ	1901.21	0.00	1901.21	494.31	1406.90	26.00%
कैनरा एचएसबीसी	950.00	0.00	950.00	247.00	703.00	26.00%
डीएचएफएल प्रामेरिका	340.38	33.69	374.06	97.26	276.80	26.00%
एडेल्वाईस टोकियो	180.29	0.00	180.29	46.87	133.41	26.00%
एक्साइड लाइफ	1600.00	150.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00%
फ्यूचर जनरली	1452.00	0.00	1452.00	370.26	1081.74	25.50%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1994.88	0.00	1994.88	518.67	1476.21	26.00%
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	1429.26	2.46	1431.72	370.78	1060.94	25.90%
आईडीबीआई फेडरल	800.00	0.00	800.00	208.00	592.00	26.00%
इंडिया फर्स्ट	475.00	0.00	475.00	123.50	351.50	26.00%
कोटेक महिन्द्रा	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00%
मैक्स लाइफ	1944.69	-25.88	1918.81	498.89	1419.92	26.00%
पीएनबी मेटलाइफ	2012.88	0.00	2012.88	523.35	1489.53	26.00%
रिलायंस	1196.32	0.00	1196.32	311.04	885.28	26.00%
सहारा	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00%
एसबीआई लाइफ	1000.00	0.00	1000.00	260.00	740.00	26.00%
श्रीराम लाइफ	175.00	4.37	179.37	0.00	179.37	0.00%
स्टार यूनियन दाई–ईची	250.00	0.00	250.00	65.00	185.00	26.00%
टाटा एआईए	1953.50	0.00	1953.50	507.91	1445.59	26.00%
कुल (निजी क्षेत्र)	**25838.51**	**305.63**	**26144.14**	**6146.87**	**19997.27**	**23.51%**
एलआईसी	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
कुल (जीवन)	**25938.51**	**305.63**	**26244.14**	**6146.87**	**20097.27**	**23.42%**

विवरण – 10

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भारत में जीवन बीमाकर्ताओं की त्रैमासिक ऋण शोधन क्षमता अनुपात

(₹ करोड़)

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	30/06/14	30/09/14	31/12/14	31/03/15
1	एगॉन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.95	1.94	1.61	2.03
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	4.09	4.04	3.74	3.80
3	बजाज अलायंज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	7.86	8.03	7.78	7.61
4	भारती लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.03	1.79	1.63	2.07
5	बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.08	2.13	2.23	2.05
6	कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.66	3.97	3.15	3.16
7	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	12.50	12.42	12.56	12.69
8	एडेल्वाईस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.08	2.16	1.96	2.54
9	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.12	2.98	2.86	2.91
10	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1.92	2.04	1.87	1.96
11	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.84	3.57	3.70	3.37
12	आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.76	5.53	6.03	5.07
13	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.32	2.18	2.12	2.03
14	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.24	2.77	2.69	2.90
15	एलआईसी ऑफ इंडिया	1.52	1.53	1.51	1.55
16	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	5.00	4.87	4.69	4.25
17	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. प्रा. लि.	2.43	2.48	2.40	2.19
18	ओम कोटेक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.06	2.98	3.01	3.13
19	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.28	4.14	4.12	3.55
20	सहारा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	6.20	6.91	5.65	उपलब्ध नहीं
21	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.28	2.35	2.27	2.16
22	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	6.59	5.10	5.18	4.15
23	स्टार यूनियन दाई–ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.18	2.31	2.30	2.51
24	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	4.33	4.58	4.40	4.17

विवरण –11

सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम गैर–जीवन बीमाकर्ता (भारत में तथा भारत के बाहर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजाज अलायंज	–	141.96	296.48	476.53	851.62	1272.29	1786.34	2379.92	2619.29	2482.33	2869.96	3286.62	4001.4	4516.44	5229.84
भारती एक्सा	–	--	--	–	–	–	--	–	28.50	310.82	553.90	884.00	1218.43	1423.15	1457.06
चोलामंडलम	–	--	14.79	97.05	169.25	220.18	311.73	522.34	685.44	784.85	967.99	1346.54	1620.89	1855.11	1890.43
फ्यूचर जनरली	–	--	--	–	–	–	--	9.81	186.49	376.61	600.16	919.76	1105.39	1262.55	1438.24
एचडीएफसी अर्गो	–	--	9.49	112.95	175.63	200.94	194.00	220.60	339.21	915.40	1279.91	1839.46	2453.2	2906.98	3182.2
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	–	28.13	211.66	486.73	873.86	1582.86	2989.07	3307.12	3402.04	3295.06	4251.87	5150.14	6133.99	6856.16	6677.79
इफको टोकियो	5.83	70.51	213.33	322.24	496.64	892.72	1144.47	1128.15	1374.06	1457.84	1783.18	1975.24	2565.03	2930.92	3329.96
एल एण्ड टी	–	--	--	–	–	–	--	–	--	--	17.24	143.40	182.07	253.78	331.71
रहेजा क्यूबीई	–	--	--	–	–	–	--	–	--	1.32	4.90	14.79	21.3	23.23	21.62
रिलायंस	1.07	77.46	185.68	161.06	161.68	162.33	912.23	1946.42	1914.88	1979.65	1655.43	1712.55	2010.01	2388.82	2715.83
रॉयल सुन्दरम	0.24	71.13	184.44	257.76	330.70	458.64	598.20	694.41	803.36	913.11	1143.99	1479.79	1560	1437.04	1569.2
एसबीआई	–	--	--	–	–	–	--	–	--	--	43.02	250.14	770.85	1187.57	1576.9
श्रीराम	–	--	--	–	–	–	--	–	113.76	416.93	780.89	1266.44	1541.38	1510.59	1496.51
टाटा एआईजी	–	78.46	233.93	343.52	448.24	572.70	710.55	782.64	823.92	853.80	1173.09	1641.57	2135.08	2362.71	2714.13
यूनिवर्सल सोम्पो	–	--	--	–	–	–	--	0.48	30.14	189.28	299.10	404.58	534.35	540.44	701.1
मेग्मा एचडीआई												0.00	95.14	424.93	473.59
लिबर्टी												0.00	2.19	129.81	283.85
निजी क्षेत्र	**7.14**	**467.65**	**1349.80**	**2257.83**	**3507.62**	**5362.66**	**8646.57**	**10991.89**	**12321.09**	**13977.00**	**17424.63**	**22315.03**	**27950.70**	**32010.30**	**35089.96**
		(6453.98)	**(188.64)**	**(67.27)**	**(55.35)**	**(52.89)**	**(61.24)**	**(27.12)**	**(12.09)**	**(13.44)**	**(24.67)**	**(28.07)**	**(25.26)**	**(14.52)**	**(9.59)**
नेशनल	2227.73	2439.41	2869.87	3399.97	3810.65	3536.34	3827.12	4021.97	4295.85	4645.99	6245.17	7815.69	9194.6122	10260.96	11282.62
न्यू इंडिया	3493.05	4198.06	4812.79	4921.47	5103.16	5675.54	5936.78	6151.97	6455.79	7099.14	8225.51	10073.88	11873.4881	13727.6	15480.35
ओरियंटल	2247.10	2498.64	2868.15	2899.74	3090.55	3609.77	4020.78	3900.22	4077.89	4854.67	5569.88	6194.60	6737.6574	7282.53	7561.92
यूनाइटेड	2524.00	2781.48	2969.63	3063.47	2944.46	3154.78	3498.77	3739.56	4277.77	5239.05	6376.66	8179.29	9266.0376	9708.93	10691.73
सार्वजनिक क्षेत्र	**10491.88**	**11917.59**	**13520.44**	**14284.65**	**14948.82**	**15976.44**	**17283.45**	**17813.71**	**19107.31**	**21838.85**	**26417.21**	**32263.46**	**37071.7953**	**40980.06**	**45016.62**
	–	**(13.59)**	**(13.45)**	**(5.65)**	**(4.65)**	**(6.87)**	**(8.18)**	**(3.07)**	**(7.26)**	**(14.30)**	**(20.96)**	**(22.13)**	**(14.90)**	**(10.54)**	**(9.85)**
सार्वजनिक और निजी कुल	**10499.02**	**12385.24**	**14870.25**	**16542.49**	**18456.45**	**21339.10**	**25930.02**	**28805.60**	**31428.40**	**35815.85**	**43841.84**	**54578.49**	**65022.4953**	**72990.36**	**80106.58**
	–	**(17.97)**	**(20.06)**	**(11.25)**	**(11.57)**	**(15.62)**	**(21.51)**	**(11.09)**	**(9.11)**	**(13.96)**	**(22.41)**	**(24.49)**	**(19.14)**	**(12.12)**	**(9.74)**
एआईसी	–	--	--	369.21	549.72	555.83	564.67	835.11	833.44	1520.40	1950.05	2576.85	3297.42	3395.00	2739.69
ईसीजीसी	–	338.52	374.78	445.48	515.55	577.33	617.66	668.37	744.68	813.00	885.47	1004.83	1157.25	1303.72	1362.39
विशिष्ट बीमाकर्ता	**0.00**	**338.52**	**374.78**	**814.70**	**1065.26**	**1133.17**	**1182.33**	**1503.47**	**1578.12**	**2333.39**	**2835.52**	**3581.68**	**4454.67**	**4698.72**	**4102.08**
	–	**--**	**(10.71)**	**(117.38)**	**(30.76)**	**(6.37)**	**(4.34)**	**(27.16)**	**(4.96)**	**(47.86)**	**(21.52)**	**(26.31)**	**(24.37)**	**(5.48)**	**(-12.7)**
अपोलो म्यूनिक	–	--	--	–	–	–	--	2.97	48.14	114.66	282.69	475.64	619.99	692.47	803.12
सीआईजीएनए टीटीके														0.33	21.82
मैक्स बुपा	–	--	--	–	–	–	--	–	--	0.13	25.53	99.08	207.22	308.85	372.65
रेलिगेयर हेल्थ	–	--	--	–	–	–	--	–	--	--	–	–	38.79	152.30	275.80
स्टार हेल्थ	–	--	--	–	–	–	22.51	168.19	509.86	961.65	1227.55	1085.06	860.21	1091.07	1469.19
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**22.51**	**171.16**	**558.01**	**1076.44**	**1535.77**	**1659.78**	**1726.21**	**2245.02**	**2942.58**
	–	--	--	–		660.34	226.02	92.91	42.67	8.08	4.00	30.05	31.07		
	–	--	--	–	–	–	**(0)**	**(660.34)**	**(226.02)**	**(92.91)**	**(42.67)**	**(8.08)**	**(4)**	**(30.05)**	**(31.07)**
कुल योग	**10499.02**	**12723.76**	**15245.02**	**17357.18**	**19521.71**	**22472.27**	**27134.86**	**30480.23**	**33564.52**	**39225.68**	**48213.12**	**59819.96**	**71203.38**	**79934.14**	**87151.24**
	(0)	**(21.19)**	**(19.82)**	**(13.85)**	**(12.47)**	**(15.11)**	**(20.75)**	**(12.33)**	**(10.12)**	**(16.87)**	**(22.91)**	**(24.07)**	**(19.03)**	**(12.26)**	**(9.03)**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
–– व्यवसाय शुरू नहीं किया गया को दर्शाता है।

विवरण 12

घटकवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम गैर–जीवन बीमाकर्ता (भारत में)

(₹ लाख)

बीमाकर्ता / घटक	अग्नि		समुद्री		वाहन		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
निजी बीमाकर्ता												
बजाज अलायंज	43098	38833	12308	12210	291838	269985	79751	79783	95991	50833	**522985**	**451645**
भारती एक्सा	7793	8051	3,206	3,352	109,352	105,227	17,623	18,825	7732	6861	**145707**	**142316**
चोलामंडलम	12434	10990	6413	6494	127909	124971	23797	25361	18490	17695	**189043**	**185511**
फ्यूचर जनरली	13312	11738	5779	5117	82810	70635	18930	18255	22994	20510	**143825**	**126256**
एचडीएफसी अर्गो	37469	32073	10669	8745	105165	100406	94285	91622	70633	57852	**318221**	**290699**
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	54474	48702	24643	25176	341581	321380	155049	168379	92033	121980	**667780**	**685616**
इफको टोकियो	23240	21343	11394	11741	214197	176173	39008	31582	45158	52254	**332997**	**293092**
एल एण्ड टी	4181	3375	946	833	20,486	13,753	4,856	4,869	2702	2548	**33171**	**25378**
रहेजा क्यूबीई	62	46	-	1	42	65	32	47	2027	2165	**2163**	**2324**
रिलायंस	18932	17796	4599	4044	164254	144465	51970	49962	31829	22615	**271584**	**238882**
रॉयल सुन्दरम	7958	6717	3403	3107	115943	102246	24205	25525	5411	6110	**156920**	**143704**
एसबीआई	51469	44613	1,751	994	53,865	46,533	38,694	20,266	11911	6352	**157690**	**118757**
श्रीराम	1595	1106	76	94	146,131	148,104	562	462	1288	1293	**149652**	**151059**
टाटा एआईजी	34863	31246	24905	22668	122458	107403	37928	36338	51260	38616	**271414**	**236271**
यूनिवर्सल सोम्पो	11924	10716	1,614	1,816	25,130	23,175	13,891	9,359	17551	8978	**70111**	**54045**
मेग्मा एचडीआई	2978	1557	1,081	594	40,119	38,849	134	15	3048	1478	**47360**	**42493**
लिबर्टी वीडियोकोन	1941	947	367	112	19,216	9,701	5,405	1,414	1457	809	**28386**	**12982**
कुल निजी बीमाकर्ता	**327722**	**289850**	**113153**	**107099**	**1980497**	**1803069**	**606120**	**582064**	**481514**	**418949**	**3509009**	**3201030**
सार्वजनिक बीमाकर्ता												
नेशनल	92133	87816	29859	33350	517748	483897	389597	317691	94852	99534	**1124189**	**1022288**
न्यू इंडिया	164489	141177	66528	71146	536601	460461	412739	348474	140582	132748	**1320939**	**1154006**
ओरियंटल	96161	98447	39793	45856	286170	263863	220022	203850	98648	100769	**740794**	**712785**
यूनाइटेड	125149	118974	52673	58728	416917	370985	340887	286847	133399	135361	**1069026**	**970893**
कुल सार्वजनिक बीमाकर्ता	**477932**	**446413**	**188853**	**209081**	**1757436**	**1579206**	**1363245**	**1156861**	**467482**	**468411**	**4254948**	**3859972**
स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ता												
अपोलो म्यूनिक	-	-	-	-	-	-	**80313**	**69247**	-	-	**80313**	**69247**
सिग्ना टीटीके	-	-	-	-	-	-	**2183**	**34**	-	-	**2183**	**34**
मैक्स बुपा	-	-	-	-	-	-	**37266**	**30885**	-	-	**37266**	**30885**
रेलीगेयर	-	-	-	-	-	-	**27580**	**15231**	-	-	**27580**	**15231**
स्टार हेल्थ	-	-	-	-	-	-	**146919**	**109108**	-	-	**146919**	**109108**
कुल स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-	-	-	-	-	-	**294261**	**224505**	-	-	**294261**	**224505**
विशिष्ट बीमाकर्ता												
ईसीजीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	**136240**	**130373**	**136240**	**130373**
एआईसी	-	-	-	-	-	-	-	-	**273970**	**339501**	**273970**	**339501**
कुल विशिष्ट बीमाकर्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	**410210**	**469874**	**410210**	**469874**
कुल योग	**805654**	**736263**	**302006**	**316180**	**3737932**	**3382275**	**2263626**	**1963430**	**1359206**	**1357234**	**8468428**	**7755381**

विवरण –13

स्वास्थ्य बीमा (यात्रा–देश/विदेश तथा निजी दुर्घटना को छोड़कर) सकल प्रीमियम और कवर्ड व्यक्तियों की संख्या (2014–15)

(वास्तविक आंकड़ों में पॉलिसियों की संख्या) (व्यक्तियों की संख्या हजार में) (प्रीमियम ₹ लाख में)

बीमा कंपनी का नाम	सरकार प्रयोजित योजनाएं आरएसबीवाय सहित			समूह बीमा योजनाएं सरकार प्रयोजित योजनाओं को छोड़कर			परिवार/फ्लोटर बीमा व्यक्तिगत बीमा व्यक्तिगत बीमा को छोड़कर			यक्तिगत बीमा परिवार /फ्लोटर बीमा			कुल		
		कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	क्वर्ड व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	कवर्ड व्यक्तियों की संख्या	प्रीमियम
बजाज अलायंज				2056	705	33212.71	238117	4 65	16921.05	168693	472	12872.82	408866	1641	63006.59
भारती एक्सा				2107	1124	15300.68	18152	34	820.82				20259	1158	16121.51
चोला एमएस	9.00	1873.64	3179.64	8666	1012	10533.63	52811	147	2279.10	29937	46	1293.59	91423	3079	17285.96
फ्यूचर जनरली	8.00	1373.24	978.76	925	307	10486.71	14829	49	1040.52	13604	23	810.38	29366	1752	13316.38
एचडीएफसी अर्गो		2817.78	-99.84	813	381	8910.05	168157	413	15027.01	273341	236	26498.81	442311	3848	50336.03
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	88.00	8179.95	14475.48	3074	1717	50255.35	106515	304	15632.78	551607	557	54498.17	661284	10758	134861.77
इफको टोकियो	57.00	12259.20	7439.90	1000	1379	21578.18	55240	237	3709.32	59096	92	2405.43	115393	13967	35132.83
लिबर्टी वीडियोकोन				343	180	3679.02	111	0.33	9.99	120	0	5.72	574	180	3694.73
एल एण्ड टी जनरल	8.00	606.23	384.64	87	42	479.56	24321	73	1931.68	24490	35	1940.26	48906	755	4736.13
मेग्मा एचडीआई										1	0.001	0.05	1	0.00	0.05
रहेजा क्यूबीई										58	0.06	1.40	58	0.06	1.40
रिलायंस	50.00	17667.79	27107.37	667	486	12921.00	56444	175	3334.75	27079	30	1344.85	84240	18359	44707.97
रॉयल सुन्दरम	7.00	1757	2117.32	516	703	5355.68	68010	190	4636.19	123972	236	8327.12	192505	2886	20436.31
एसबीआई जनरल				908	637	9768.45	1264	4	96.77	3851	4	74.44	6023	645	9939.67
श्रीराम जनरल															
टाटा एआईजी	38.00	1526.00	3401.00	573	331	1929.02	143850	214	4063.93	141177	89	2371.00	285638	2160	11764.95
यूनिवर्सल सोम्पो				3801	900	7629.25	158001	892	5387.44	20606	22	255.81	182408	1814	13272.50
निजी योग	**265**	**48061**	**58984**	**25536**	**9903**	**192039**	**1105822**	**3198**	**74891**	**1437632**	**1840**	**112700**	**2569255**	**63002**	**438615**
नेशनल	29501.00	73429.64	94323.22	10061	5051	154077.58	220487	686	17501.56	1448917	4208	107728.32	1708966	83374	373631
न्यू इंडिया	82.00	23222.99	43893.06	11964	9405	188098.81	628937	2045	57961.73	989626	2321	103025.31	1630609	36994	392979
ओरियंटल	35.00	15442.44	5289.36	166131	4854	113378.00	687945	1935	55593.84	487493	825	30312.09	1341604	23056	204573
यूनाइटेड	41.00	46869.00	36358.00	84649	17261	196549.00	330580	924	27623.00	767005	2973	56488.00	1182275	68027	317018
सार्वजनिक योग	**29659**	**158964**	**179864**	**272805**	**36571**	**652103**	**1867949**	**5590**	**158680**	**3693041**	**10327**	**297554**	**5863454**	**211451**	**1288201**
अपोलो म्यूनिक			-6.01	735	786	22784.75	261576	833	32918.06	221708	349	19318.76	484019	1968	75016
सिग्ना टीटीके				1	0.35	232.35	9560	29	1210.28	8083	9	681.23	17644	38	2124
मैक्स बुपा	3.00	1045.54	124.33	267	204	2778.10	159372	466	28459.29	72341	72	5843.88	231983	1788	37206
रेलिगेयर	8.00	1869.30	811.06	1260	384	9911.67	65751	209	7884.09	61742	71	7225.44	128761	2533	25832
स्टार हेल्थ	17.00	4426.00	2761.56	5392	454	9993.54	1048105	1698	91170.27	580575	675	38703.21	1634089	7252	142629
कुल विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा	**28**	**7341**	**3691**	**7655**	**1828**	**45700**	**1544364**	**3234**	**161642**	**944449**	**1176**	**71773**	**2496496**	**13579**	**282806**
कुल योग	**29952**	**214366**	**242539**	**305996**	**48301**	**889843**	**4518135**	**12022**	**395213**	**6075122**	**13343**	**482026**	**10929205**	**288032**	**2009622**

उपगत दावा अनुपात – सार्वजनिक क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता 2014–15

बीमाकर्ता	शुद्ध अर्जित प्रीमियम (₹ लाख में)						उपगत दावे (शुद्ध) (₹ लाख में)						उपगत दावों का अनुपात (%)					
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सार्वजनिक बीमकर्ता																		
नेशनल	75331	20138	477416	332965	83965	989816	56333	11748	262074	366344	71019	767518	74.78	58.34	54.89	110.02	84.58	77.54
न्यू इंडिया	188733	61104	569219	368785	143688	1331529	144152	32167	496170	364302	82012	1118804	76.38	52.64	87.17	98.78	57.08	84.02
ओरियंटल	59002	30019	263244	200410	89841	642517	42506	12129	203850	234517	33149	526150	72.04	40.40	77.44	117.02	36.90	81.89
यूनाइटेड	80640	30454	368224	299246	103059	881623	60651	25865	252524	356057	49205	744303	75.21	84.93	68.58	118.98	47.74	84.42
कुल	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**420554**	**3845484**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**235386**	**3156775**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**55.97**	**82.09**
विशिष्ट बीमाकर्ता																		
ईसीजीसी	-	-	-	-	101927	101927	-	-	-	-	116350.04	116350.04	-	-	-	-	114.15	114.15
एआईसी	-	-	-	-	159838	159838	-	-	-	-	173370.69	173370.69	-	-	-	-	108.47	108.47
कुल	-	-	-	-	261765	261765	-	-	-	-	289720.73	289720.73	-	-	-	-	110.68	110.68
कुल योग	**403706**	**141714**	**1678103**	**1201406**	**682319**	**4107249**	**303642**	**81908**	**1214618**	**1321220**	**525106**	**3446495**	**75.21**	**57.80**	**72.38**	**109.97**	**76.96**	**83.91**

उपगत दावा अनुपात – सार्वजनिक क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता 2013–14

बीमाकर्ता	शुद्ध अर्जित प्रीमियम (रू. लाख में)						उपगत दावे (शुद्ध) (रू. लाख में)						उपगत दावों का अनुपात (%)					
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सार्वजनिक बीमकर्ता																		
नेशनल	72123	19129	421861	259216	95937	868267	52786	13805	292574	270331	75365	704861	73.19	72.17	69.35	104.29	78.56	81.18
न्यू इंडिया	178463	46102	458705	284120	152298	1119687	153006	21432	398286	275179	90192	938095	85.74	46.49	86.83	96.85	59.22	83.78
टोरियंटल	66044	28550	235179	162988	102636	595397	55525	16660	185417	187804	65696	511102	84.07	58.35	78.84	115.23	64.01	85.84
यूनाइटेड	80887	30002	323050	207502	118890	760330	58243	21502	238918	237098	71978	627738	72.01	71.67	73.96	114.26	60.54	82.56
कुल	**397516**	**123783**	**1438794**	**913827**	**469761**	**3343681**	**319560**	**73399**	**1115196**	**970412**	**303230**	**2781796**	**80.39**	**59.30**	**77.51**	**106.19**	**64.55**	**83.20**
वशिष्ट बीमाकर्ता																		
ईसीजीसी	0	0	0	0	90735	90735	0	0	0	0	74607	74607	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	82.23
एटाईसी	0	0	0	0	164786	164786	0	0	0	0	172445	172445	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	104.65
							0											
कुल	0	0	0	0	**255521**	**255521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247052**	**247052**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96.69**	**96.69**
कुल योग	**397516**	**123783**	**1438794**	**913827**	**725282**	**3599202**	**319560**	**73399**	**1115196**	**970412**	**550282**	**3028848**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75.87**	**84.15**

विवरण 15

उपगत दावा अनुपात – निजी क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता 2014–15

बीमाकर्ता	शुद्ध अर्जित प्रीमियम (₹ लाख में)						उपगत दावे (शुद्ध) (₹ लाख में)						उपगत दावों का अनुपात (%)					
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
बजाज अलायंज	14662	7201	265003	69512	26813	**383190**	9366	6468	189764	51152	18850	**275599**	63.88	89.82	71.61	73.59	70.30	71.92
भारती एक्सा	1143	808	96669	19117	2648	**120384**	916	783	81000	18636	1757	**103091**	80.12	96.88	83.79	97.48	66.35	85.64
चोला एमएस	4341	2027	116588	19635	5619	**148210**	2769	1454	92374	10295	3720	**110612**	63.78	71.74	79.23	52.43	66.21	74.63
फ्यूचर जनरली	3347	3999	74933	14192	11441	**107912**	1649	2639	60276	11345	7519	**83428**	49.27	65.98	80.44	79.94	65.72	77.31
एचडीएफसी अर्गो	6840	7169	80860	58145	14395	**167409**	6015	8152	73058	32843	11720	**131788**	87.94	113.71	90.35	56.48	81.42	78.72
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	10885	16011	249673	106110	40854	**423533**	10235	15799	200060	92720	25529	**344344**	94.03	98.68	80.13	87.38	62.49	81.30
इफको टोकियो	3920	4909	174710	29989	13186	**226714**	2155	3778	128387	27714	6120	**168153**	54.97	76.96	73.49	92.41	46.41	74.17
लिबर्टी वीडियोकोन	363	105	14570	3747	415	**19200**	371	209	13345	3843	380	**18148**	102.17	199.18	91.59	102.56	91.56	94.52
एल एण्ड टी	848	436	14590	3502	1239	**20614**	692	539	10613	1819	1103	**14765**	81.59	123.86	72.74	51.93	89.02	71.63
मेग्मा एचडीआई	148	(121)	38807	66	1718	**40618**	584	100	31669	61	1639	**34053**	394.77	(82.47)	81.61	92.67	95.39	83.84
रहेजा क्यूबीई	47	1	39	35	1831	**1953**	73	(1)	(46)	41	474	**542**	154.91	(85.00)	(116.92)	116.54	25.91	27.73
रिलायंस	4839	2187	133026	44927	6868	**191847**	3650	1861	121289	48291	5340	**180430**	75.43	85.07	91.18	107.49	77.76	94.05
रॉयल सुन्दरम	1824	1213	103045	22577	1686	**130346**	933	986	87438	11942	366	**101665**	51.15	81.26	84.85	52.89	21.72	78.00
एसबीआई	13942	763	48292	24252	3884	**91133**	5703	1075	49867	19492	2036	**78173**	40.90	140.91	103.26	80.37	52.41	85.78
श्रीराम	660	26	137721	214	803	**139424**	428	(24)	135690	152	335	**136580**	64.83	(92.08)	98.53	70.91	41.67	97.96
टाटा एआईजी	2423	21088	104757	35591	16365	**180224**	2032	15458	79233	24892	6001	**127616**	83.84	73.30	75.63	69.94	36.67	70.81
यूनिवर्सल सोम्पो	5834	672	22584	9955	6579	**45623**	2779	572	18669	10176	1863	**34060**	47.64	85.17	82.67	102.22	28.32	74.65
उप योग	**76066**	**68494**	**1675866**	**461565**	**156343**	**2438335**	**50349**	**59848**	**1372685**	**365412**	**94752**	**1943046**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**79.17**	**60.61**	**79.69**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य इंश्योरेंस																		
अपोलो म्यूनिक	-	-	-	65588	-	**65588**	-	-	-	41343	-	**41343**	-	-	-	63.03	-	63.03
सिग्ना टीटीके	-	-	-	667	-	**667**	-	-	-	429	-	**429**	-	-	-	64.33	-	64.33
मैक्स बुपा	-	-	-	31524	-	**31524**	-	-	-	17388	-	**17388**	-	-	-	55.16	-	55.16
रेलिगेयर	-	-	-	15372	-	**15372**	-	-	-	9397	-	**9397**	-	-	-	61.13	-	61.13
स्टार हेल्थ	-	-	-	101793	-	**101793**	-	-	-	65106	-	**65106**	-	-	-	63.96	-	63.96
उप योग	**-**	**-**	**-**	**214,945**	**-**	**214,945**	**-**	**-**	**-**	**133,662**	**-**	**133,662**	**-**	**-**	**-**	**62.18**	**-**	**62.18**
कुल योग	**76066**	**68494**	**1675866**	**676510**	**156343**	**2653279**	**50349**	**59848**	**1372685**	**499074**	**94752**	**2076708**	**66.19**	**87.38**	**81.91**	**73.77**	**60.61**	**78.27**

उपगत दावा अनुपात – निजी क्षेत्र गैर–जीवन बीमाकर्ता 2013–14

बीमाकर्ता	शुद्ध अर्जित प्रीमियम (₹ लाख में)						उपगत दावे (शुद्ध) (₹ लाख में)						उपगत दावों का अनुपात (%)					
	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	अग्नि	समुद्री	वाहन	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
बजाज अलायंज	14465	7989	235627	65513	25712	**349306**	4506	2991	178150	56733	10148	**252528**	31.15	37.44	75.61	86.60	39.47	72.29
भारती एक्सा	1208	716	87220	16453	3692	**109290**	1658	437	68570	14201	2368	**87233**	137.24	60.93	78.62	86.32	64.12	79.82
चोला एमएस	4097	2011	108009	21002	8018	**143136**	2794	1152	93136	12960	3698	**113740**	68.19	57.30	86.23	61.71	46.12	79.46
फ्यूचर जनरली	3046	2124	61511	14401	7809	**88892**	2020	1846	48346	12218	3954	**68385**	66.33	86.92	78.60	84.85	50.63	76.93
एचडीएफसी अर्गो	5282	5228	75412	40606	31966	**158493**	1521	5957	69111	37725	13188	**127502**	28.80	113.95	91.64	92.91	41.26	80.45
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	15349	15661	229495	114832	59954	**435291**	10273	15263	180051	106816	49487	**361891**	66.93	97.46	78.46	93.02	82.54	83.14
इफको टोकियो	3723	4292	152015	19741	15539	**195310**	2780	4013	112713	17209	11458	**148173**	74.68	93.51	74.15	87.17	73.74	75.87
एल एण्ड टी	665	433	10903	4404	1398	**17803**	689	232	9515	3992	821	**15250**	103.54	53.69	87.27	90.64	58.77	85.66
रहेजा क्यूबीई	46	3	46	2	1751	**1847**	25	(1)	143	1	978	**1146**	53.66	(33.66)	313.06	96.45	55.83	62.05
रिलायंस	4109	1931	125828	37663	4444	**173976**	3655	1798	114829	36827	3254	**160362**	88.95	93.10	91.26	97.78	73.20	92.17
रॉयल सुन्दरम	1678	958	102310	20603	6024	**131572**	777	732	85192	11761	1957	**100419**	46.32	76.42	83.27	57.09	32.48	76.32
एसबीआई	11148	414	36421	912	14177	**63073**	5582	278	30567	443	16619	**53488**	50.07	67.07	83.92	48.63	117.22	84.80
श्रीराम	489	18	141306	143	607	**142563**	367	16	127711	129	779	**129000**	75.00	88.00	90.38	90.00	128.31	90.49
टाटा एआईजी	2682	21856	99882	17906	24953	**167278**	1673	10433	74646	15449	11849	**114049**	62.38	47.73	74.73	86.28	47.48	68.18
यूनिवर्सल सोम्पो	4485	426	24195	6481	5608	**41194**	1864	432	18821	7060	2367	**30543**	41.56	101.37	77.79	108.94	42.20	74.14
मेग्मा एचडीआई	12	(45)	22794	0	57	**22819**	22	5	19092	0	246	**19364**	175.32	(10.64)	83.76	0.00	435.01	84.86
लिबर्टी वीडियोकोन	164	(10)	3580	41	303	**4077**	79	15	3814	36	393	**4337**	48.34	(155.11)	106.56	88.29	129.85	106.39
उप योग	**72647**	**64005**	**1516555**	**380699**	**212013**	**2245920**	**40284**	**45599**	**1234406**	**333561**	**133562**	**1787411**	**55.45**	**71.24**	**81.40**	**87.62**	**63.00**	**79.58**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य इंश्योरेंस																		
अपोलो म्यूनिक	-	-	-	54340	-	**54340**	-	-	-	35644	-	**35644**	0.00	0.00	0.00	65.59	0.00	65.59
सिग्ना टीटीके	-	-	-	1	-	**1**	-	-	-	1	-	**1**	0.00	0.00	0.00	59.68	0.00	59.68
मैक्स बुपा	-	-	-	23766	-	**23766**	-	-	-	14040	-	**14040**	0.00	0.00	0.00	59.07	0.00	59.07
रेलिगेयर	-	-	-	8164	-	**8164**	-	-	-	6525	-	**6525**	0.00	0.00	0.00	79.92	0.00	79.92
स्टार स्वास्थ्य	-	-	-	67540	-	**67540**	-	-	-	45395	-	**45395**	0.00	0.00	0.00	67.21	0.00	67.21
उप योग	**-**	**-**	**-**	**153811**	**-**	**153811**	**-**	**-**	**-**	**101603**	**-**	**101603**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66.06**	**0.00**	**66.06**
कुल	**145294**	**128010**	**3033111**	**1069022**	**424026**	**4799462**	**80568**	**91198**	**2468811**	**870329**	**267124**	**3778029**	**55.45**	**71.24**	**81.40**	**81.41**	**63.00**	**78.72**

टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े नकारात्मक राशियों को दर्शाते हैं।

गैर–जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अंतर्गत सम्पत्तियां

विवरण 16

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां		राज्य सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		आवास और अग्निशमन उपकरणों के लिए राज्य सरकार के आवास एवं ऋण		बुनियादी सुविधाओं में निवेश		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014	31.03.2015	30.03.2014
बजाज अलायंज	3510.37	2065.60	476.76	544.65	688.31	671.07	1315.63	1786.01	1386.64	1536.44	138.61	37.46	7516.32	6641.21
भारती एक्सा	626.46	513.14	148.53	101.86	316.36	151.08	385.07	262.69	974.61	928.73	9.90	12.95	2460.92	1970.45
चोला एमएस	684.06	481.09	321.20	276.69	361.48	285.58	409.29	359.20	1388.07	866.21	0.00	60.02	3164.10	2328.78
फ्यूचर जनरली	458.93	377.06	239.53	221.84	163.70	98.82	517.88	395.23	592.93	400.20	0.32	0.34	1973.29	1493.49
एचडीएफसी अर्गो	994.90	845.90	212.70	187.30	282.70	243.73	1073.20	839.22	1091.50	991.37	101.80	34.86	3756.80	3142.38
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	3338.26	3137.86	480.10	180.10	1002.95	875.34	2464.97	2479.22	2374.48	2409.26	187.12	121.66	9847.88	9203.44
इफको टोकियो	907.87	793.66	473.18	357.57	491.34	386.40	730.20	555.43	1766.21	1483.00	0.00	0.00	4368.80	3576.06
एल एण्ड टी जनरल	174.80	86.51	20.30	15.15	49.20	28.99	70.55	48.10	157.35	118.43	18.08	11.52	490.28	308.71
एल एण्ड टी जनरल	314.37	108.80	0.00	0.00	49.95	29.84	120.46	74.74	81.22	66.98	0.00	0.00	566.00	280.37
मेग्मा एचडीआई	248.43	193.85	46.56	9.59	81.77	50.10	143.74	70.43	245.50	222.94	0.00	0.00	766.00	546.91
रहेजा क्यूबीई	78.24	78.31	0.00	0.00	30.38	20.25	50.52	30.11	80.64	106.10	0.00	0.00	239.78	234.78
रिलायंस	1612.63	1223.70	72.48	154.54	636.66	371.97	609.49	593.69	2082.63	1479.29	32.98	18.83	5046.87	3842.02
रॉयल सुन्दरम	848.83	641.28	74.64	69.98	306.10	300.05	772.92	775.52	486.10	437.38	0.00	0.00	2488.59	2224.21
एसबीआई जनरल	587.11	334.46	241.05	167.59	179.77	148.16	311.10	261.38	1323.55	742.96	25.00	0.00	2667.58	1654.54
श्रीराम	1226.35	987.01	482.43	327.55	948.99	404.07	1941.97	931.08	781.71	460.05	0.01	0.00	5381.46	3109.77
टाटा एआईजी	970.07	1166.85	80.84	0.00	410.69	413.39	1288.00	1048.14	266.35	168.25	0.00	0.00	3015.95	2796.63
यूनिवर्सल सोम्पो	364.00	293.50	28.76	38.9400	130.85	120.82	220.09	151.63	287.67	284.73	0.00	0.00	1031.37	889.62
निजी योग	**16945.68**	**13328.57**	**3399.06**	**2653.35**	**6131.20**	**4599.66**	**12425.08**	**10661.81**	**15367.16**	**12702.32**	**513.82**	**297.65**	**54781.99**	**44243.37**
नेशनल	3770.28	3602.63	3224.39	2690.91	982.92	997.05	2639.23	2494.55	5469.01	5051.34	396.53	149.60	16482.36	14986.08
न्यू इंडिया	7576.33	5436.57	2371.67	2177.43	2208.02	1890.34	3124.06	2674.84	9258.26	8589.47	274.77	242.55	24813.11	21011.20
ओरियंटल	2745.21	2714.69	1732.38	1425.32	1058.51	948.79	1961.16	1765.49	4707.86	4375.36	268.40	287.58	12473.52	11517.22
यूनाइटेड	4185.91	3956.35	2148.08	1754.22	1874.05	1713.16	3469.64	3343.25	6684.22	6223.33	735.68	588.81	19097.58	17579.12
सार्वजनिक योग	**18277.73**	**15710.24**	**9476.52**	**8047.88**	**6123.50**	**5549.34**	**11194.09**	**10278.13**	**26119.35**	**24239.50**	**1675.38**	**1268.54**	**72866.57**	**65093.62**
अपोलो म्यूनिक	175.98	151.01	54.04	49.08	69.10	82.05	81.26	71.36	348.24	273.20	15.27	26.50	743.89	653.20
सिग्ना टीटीके	43.79	53.33	15.44	0.00	14.88	5.01	30.12	10.06	36.87	25.08	2.76	0.00	143.86	93.48
मैक्स बुपा	128.24	130.66	5.34	0.00	26.75	19.97	50.53	49.84	208.82	129.11	9.89	7.29	429.57	336.87
रेलिगेयर स्वास्थ्य	75.60	57.00	23.30	13.20	36.20	17.00	41.90	42.40	105.90	53.00	22.00	5.00	304.90	187.60
स्टार स्वास्थ्य	301.97	183.61	0.00	0.00	83.11	63.01	96.56	90.01	267.55	173.55	0.00	0.00	749.19	510.18
कुल स्टैंडअलोन स्वास्थ्य (निजी)	**725.58**	**575.61**	**98.12**	**62.28**	**230.04**	**187.04**	**300.37**	**263.67**	**967.38**	**653.94**	**49.92**	**38.79**	**2371.41**	**1781.32**
जीआईसी (पुनर्बीमा)	6955.31	6262.89	4146.69	3562.69	2348.85	2406.35	3357.87	3340.25	11280.33	11668.03	2605.32	1450.91	30694.37	28691.12
कुल गैर–जीवन	**42904.30**	**35877.31**	**17120.39**	**14326.20**	**14833.58**	**12742.38**	**27277.41**	**24543.86**	**53734.22**	**49263.79**	**4844.44**	**3055.88**	**160714.34**	**139809.42**
एआईसी	996.06	933.92	532.30	445.82	510.01	373.14	589.74	521.22	2079.44	1634.25	4.00	120.22	4711.55	4028.57
ईसीजीसी	1516.19	1261.69	960.61	875.03	744.53	601.80	1150.69	784.88	2316.15	2146.56	30.30	28.10	6718.47	5698.06
विशिष्ट बीमाकर्ता (कुल)	**2512.25**	**2195.61**	**1492.91**	**1320.85**	**1254.54**	**974.94**	**1740.43**	**1306.10**	**4395.59**	**3780.81**	**34.30**	**148.32**	**11430.02**	**9726.63**

विवरण 17

गैर–जीवन बीमाकर्ताओं इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2014 को	वर्ष के दौरान जोड़ गया	31 मार्च 2015 को	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	एफडीआई (%)
बजाज अलायंज	110.22	0.00	110.22	28.66	81.56	26.00%
भारती एक्सा	976.55	262.11	1238.66	275.25	963.41	22.22%
चोला एमएस	298.80	0.00	298.80	77.69	221.11	26.00%
फ्यूचर जनरली	710.00	0.00	710.00	181.05	528.95	25.50%
एचडीएफसी अर्गो	529.28	9.34	538.62	139.17	399.45	25.84%
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	445.05	1.54	446.59	114.49	332.10	25.64%
इफको टोकियो	269.32	0.00	269.32	70.02	199.30	26.00%
एल एण्ड टी	495.00	125.00	620.00	0.00	620.00	0.00%
मेग्मा एचडीआई	100.00	0.00	100.00	25.50	74.50	25.50%
लिबर्टी विडयोकॉन	359.35	320.00	679.35	122.90	556.45	18.09%
रहेजा क्यूबीई	207.00	0.00	207.00	53.82	153.18	26.00%
रिलायंस	122.77	0.00	122.77	0.00	122.77	0.00%
रॉयल सुन्दरम	315.00	0.00	315.00	81.90	233.10	26.00%
एसबीआई	175.00	28.00	203.00	52.78	150.22	26.00%
श्रीराम	258.00	0.09	258.09	0.00	258.09	0.00%
टाटा एआईजी	505.00	0.00	505.00	131.30	373.70	26.00%
यूनिवर्सल सोम्पो	350.00	0.00	350.00	91.00	259.00	26.00%
निजी योग	**6226.37**	**746.08**	**6972.45**	**1445.53**	**5526.89**	**20.73%**
नेशनल	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
न्यू इंडिया	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ओरियंटल	150.00	50.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
यूनाइटेड	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00%
सार्वजनिक योग	**600.00**	**50.00**	**650.00**	**0.00**	**650.00**	**0.00%**
कुल (गैर–जीवन)	**6826.37**	**796.08**	**7622.45**	**1445.53**	**6176.89**	**18.96%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी						
अपोलो म्यूनिक	330.98	18.24	349.22	89.04	260.18	25.50%
सिग्ना टीटीके	100.00	100.00	200.00	52.00	148.00	26.00%
मैक्स बुपा	669.00	121.50	790.50	205.53	584.97	26.00%
रेलिगेयर हेल्थ	250.00	100.00	350.00	0.00	350.00	0.00%
स्टार हेल्थ	333.86	28.28	362.14	92.41	269.73	25.52%
कुल स्टैंडअलोन	1683.84	368.02	2051.86	438.98	1612.88	21.39%
विशिष्ट बीमाकर्ता						
एआईसी	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00%
ईसीजीसी	1100.00	100.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00%
कुल विशिष्ट	**1300.00**	**100.00**	**1400.00**	**0.00**	**1400.00**	**0.00%**
पुर्नबीमकर्ता						
जीआईसी	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00%
कुल पुर्नबीमकर्ता	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00**	**430.00**	**0.00%**
कुल योग (गैर–जीवन)	**10240.21**	**1264.10**	**11504.31**	**1884.51**	**9619.77**	**16.38%**

विवरण 18

गैर–जीवन बीमाकर्ताओं का ऋण शोधन क्षमता अनुपात

क्र.सं.	बीमाकर्ता	मार्च 2014	जून 2014	सितम्बर 2014	दिसम्बर 2014	मार्च 2015
	निजी बीमाकर्ता					
1	बजाज अलायंज	1.96	2.17	2.08	1.82	1.82
2	भारती एक्सा	1.56	1.62	1.55	1.58	1.57
3	चोला एमएस	1.61	1.60	1.55	1.57	1.59
4	फ्यूचर जनरली	1.62	1.66	1.68	1.63	1.66
5	एचडीएफसी अर्गो	1.60	1.63	1.55	1.59	1.65
6	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	1.72	1.74	1.81	1.96	1.95
7	इफको टोकियो	1.67	1.62	1.67	1.60	1.65
8	एल एण्ड टी	1.57	1.59	1.55	1.67	1.97
9	लिबर्टी वीडियोकोन	4.22	3.35	2.53	7.90	6.71
10	मेग्मा एचडीआई	1.97	1.62	1.53	1.54	1.24
11	रहेजा क्यूबीई	4.07	4.08	4.09	4.26	4.26
12	रिलायंस	1.51	1.52	1.53	1.51	1.53
13	रॉयल सुन्दरम	1.61	1.59	1.63	1.71	1.64
14	एसबीआई	2.51	2.09	3.65	3.27	2.80
15	श्रीराम	1.51	1.59	1.71	1.81	1.79
16	टाटा एआईजी	1.59	1.68	1.69	1.60	1.55
17	यूनिवर्सल सोम्पो	1.91	2.09	2.12	1.93	1.86
	सार्वजनिक बीमाकर्ता					
18	नेशनल	1.55	1.57	1.55	1.52	1.52
19	न्यू इंडिया	2.61	2.53	2.67	2.60	2.44
20	ओरियंटल	1.64	1.64	1.65	1.62	1.68
21	यूनाइटेड	2.54	2.60	2.63	2.53	2.36
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य निजी					
22	अपोलो म्यूनिक	1.84	1.71	1.73	1.68	1.72
23	मैक्स बुपा	2.13	1.85	1.98	2.13	2.10
24	रेलिगेयर हेल्थ	2.10	1.56	1.55	2.04	2.04
25	स्टार हेल्थ	1.50	1.18	1.01	1.00	2.40
26	सिग्ना टीटीके	1.70	2.34	2.73	2.10	2.10
	विशिष्ट बीमाकर्ता					
27	एआईसी	2.60	2.52	3.21	3.30	3.18
28	ईसीजीसी	11.02	11.50	11.44	10.38	6.61
	पुर्नबीमाकर्ता					
29	जीआईसी	2.73	2.91	3.06	3.15	3.04

विवरण 19

शिकायतों की स्थिति – जीवन बीमाकर्ता 2014–2015

बीमाकर्ता	2014-15					अवधिनुसार लंबित शिकायतों का विवरण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान रिपोर्ट	वर्ष के दौरान हल	वर्ष के दौरान प्रतिशत हल	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 से 30 दिन के बीच	30 दिनों से अधिक
एगॉन रेलीगेयर	76	6897	6602	94.68	371	256	9	106
अवीवा	0	4185	4185	100.00	0	0	0	0
बजाज अलायंज	10	19795	19530	98.61	275	115	76	84
भारती एक्सा	16	5642	5307	93.80	351	54	11	286
बिरला सनलाइफ	40	23629	23658	99.95	11	1	1	9
केनरा एचएसबीसी	0	4559	4500	98.71	59	59	0	0
डीएचएफएल प्रामेरिका	42	1593	982	60.06	653	37	14	602
एडेल्वाईस टोकियो	0	514	481	93.58	33	27	0	6
एक्साइड लाइफ	13	9488	8867	93.33	634	292	192	150
फ्यूचर जनरली	101	5390	5110	93.06	381	300	4	77
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	666	32214	30582	93.01	2298	229	44	2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल	33	11801	11775	99.50	59	39	10	10
आईडीबीआई फेडरल	2	771	773	100.00	0	0	0	0
इंडिया फर्स्ट	47	1287	1216	91.15	118	46	1	71
कोटेक महिन्द्रा	8	4616	4496	97.23	128	126	0	2
मैक्स लाइफ	0	16553	16549	99.98	4	4	0	0
पीएनबी मेटलाइफ	4	4820	4817	99.85	7	6	0	1
रिलायंस	45	24763	24318	98.02	490	452	25	13
सहारा	0	27	27	100.00	0	0	0	0
एसबीआई लाइफ	5	12273	12263	99.88	15	12	0	3
श्रीराम	8	240	234	94.35	14	4	1	9
स्टार यूनियन दाई–ईची	9	2301	2215	95.89	95	26	10	59
टाटा एआईए	55	4690	4632	97.62	113	20	9	84
एलआईसी	0	80944	80944	100.00	0	0	0	0
कुल	**1180**	**278992**	**274063**	**97.82**	**6109**	**2105**	**407**	**3597**

विवरण 20

शिकायतों की स्थिति – गैर–जीवन बीमाकर्ता 2014–2015

बीमाकर्ता	2014-15					अवधिनुसार लंबित शिकायतों का विवरण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान रिपोर्ट	वर्ष के दौरान हल	वर्ष के दौरान प्रतिशत हल	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 से 30 दिन के बीच	30 दिनों से अधिक
बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस	5	4770	4571	95.73	204	14	7	183
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस	0	4586	4481	97.71	105	49	7	49
चोलामंडलम एमएस जनरल	10	2508	2415	95.91	103	25	2	76
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्यो.	0	3727	3727	100.00	0	0	0	0
एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस	2	2086	2065	98.90	23	23	0	0
आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	24	5930	5582	93.75	372	252	36	84
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस	9	2043	1889	92.06	163	19	20	124
एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस	1	431	427	98.84	5	4	1	0
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस	0	356	350	98.31	6	4	0	2
मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस	0	101	92	91.09	9	4	1	4
रहेजा क्यूबीई	0	0	0	0.00	0	0	0	0
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस	40	1762	1735	96.28	67	40	5	22
रॉयल सुन्दरम अलायंस जनरल	2	4976	4912	98.67	66	64	0	2
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	42	1325	1050	76.81	317	16	11	290
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस	0	135	135	100.00	0	0	0	0
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस	0	3963	3926	99.07	37	36	0	1
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	0	358	358	100.00	0	0	0	0
कुल निजी बीमाकर्ता	**135**	**39057**	**37715**	**96.23**	**1477**	**550**	**90**	**837**
नेशनल इंश्योरेंस	256	4740	4821	96.50	175	31	15	129
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस	99	3204	3201	96.91	102	26	11	65
दि ओरियंटल इंश्योरेंस	66	2165	2172	97.36	59	8	1	50
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	218	5705	5868	99.07	55	26	2	27
कुल पीएसयू बीमाकर्ता	**639**	**15814**	**16062**	**97.62**	**391**	**91**	**29**	**271**
स्टैंडअलोन हेल्थ बीमाकर्ता								
अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस	3	2061	2051	99.37	13	12	0	1
सिग्ना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस	0	75	71	94.67	4	4	0	0
मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस	2	427	429	100.00	0	0	0	0
स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस	12	2785	2631	94.07	166	110	1	55
रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस	0	423	421	99.53	2	0	0	2
विशिष्ट बीमाकर्ता								
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस	-	-	-	-	-	-	-	-
ईसीजीसी ऑफ इंडिया	43	46	43	48.31	46	0	0	46
कुल योग	**834**	**60688**	**59423**	**96.59**	**2099**	**767**	**120**	**1212**